सप्तम माला, खंड 35, अंक 16 शुक्रवार, 18 मार्च, 1983/27 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

52 (23) 2
6. 9. 83.

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खंड 35, ग्यारहवां सत्र, 1903, 1904 (शक)
अंक 16, शुक्रवार, 18 मार्च, 1983/27 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 288 से 294	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 295 से 307	25—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3261 से 3305, 3307, 3309 से 3369, 3371 से 3428, 3430 से 3433, 3435 से 3449, 3451 से 3465, 3467 से 3480 और 3482 से 3492	35—230
दिनांक 25.2.1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 और अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	230
सभा पटल पर रखे गए पत्र	235—238
लोक लेखा समिति	239—241
124 वां और 125 वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	242
अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति	242—263
श्री नारायण चौबे	242
श्री आरिफ मोहम्मद खां	249
राव बीरेन्द्र सिंह	251
श्री पी०के० कोडियन	253
श्री कमला मिश्र मधुकर	257
श्री उत्तर राठौर	260
समिति के लिए निर्वाचन	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	264
नियम 377 के अधीन मामले	265—269
(एक) रेलगाड़ियों में महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु कदम (श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी)	265
(दो) दिल्ली में डा० राजेन्द्रप्रसाद की एक प्रतिमा लगाना तथा उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर समारोह आयोजित करना (श्रीमती माधुरी सिंह)	266
(तीन) दिल्ली टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में त्रुटियां (श्री के० लकप्पा)	266
(चार) कोल इण्डिया लिमिटेड के बढ़िया किस्म के कोकिंग कोल की बरबादी (श्री ए०के० राय)	267

*किसी नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पाँच) बरना नदी पर एक नया पुल बनाने की आवश्यकता	268
(श्री बी० डी० सिंह)	
(छः) लोगों को, विशेषकर किसानों को, बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	268
(श्री के० मायातेवर)	
(सात) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, का राष्ट्रीयकरण	269
(श्री बासुदेव आचार्य)	
बजट (सामान्य), 1983-84—सामान्य चर्चा	269—289
(श्री प्रणब मुखर्जी)	
अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1983-84	290
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983	290—296
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	
श्री रामावतार शास्त्री	
प्रो० अजित कुमार मेहता	
खंड 2 से 4,1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य)—1982-83 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1980-81	296—301
श्री सोमनाथ चटर्जी	
श्री प्रणब मुखर्जी	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	301
55वां प्रतिवेदन	
काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने सम्बन्धी संकल्प	301—340
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	302
श्री सुधीर गिरि	305
श्रीमती गीता मुखर्जी	308
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	309
श्री मलचन्द डागा	311
श्री राम विलास पासवान	313
श्री गिरधारी लाल व्यास	317
श्री चित्त बसु	321
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	326
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	328
श्री पी० नामग्याल	332
श्री भोगेन्द्र झा	335
श्री चन्द्रपाल शैलानी	337

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मार्च, 1983/27 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजनाथ सोनकर (शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि पूरे नार्थ एवेन्यु में पानी नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज तो इन्द्रदेव भी प्रसन्न हो रहे है ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कम से कम इन्स्ट्रक्ट तो कर दीजिए गवर्नमेंट को ।

अध्यक्ष महोदय : कल बूटासिंह जी को बोला था, आज फाइनेन्स मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे कह देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप जरा सख्ती कीजिए तो शायद काम बन जाए ।... (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, 1979 में क्योंकि जनता सरकार संसद सदस्यों को जल आपूर्ति नहीं कर सकी थी अत: उसे त्याग पत्र देना पड़ा था । क्या अब वह भी इसी उदाहरण का अनुसरण करेंगे ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों सम्बन्धी समस्याएं

*288, †श्री पी० एम० सईद :

श्री बी० बी० देसाई : वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमियों को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटें स्थापित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो मुख्य समस्याएं क्या हैं;

(ग) क्या उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी; और

(घ) यह समस्याएं कहां तक सुलझ गई हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जी हां। कुछ उद्यमियों ने कुछ कठिनाइयाँ व्यक्त की है। ये सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क औपचारिकताओं, भूमि, बिजली, वित्तीय ऋण, सीमेंट/स्टील की उपलब्धता आदि से सम्बन्धित हैं। इन समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की गई है और सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रख कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में कुछ और विवरण दे दिए होते तो मेरा काम आसान हो जाता। महोदय यह एक अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि 203 यूनिटों को लाइसेंस दिए गए हैं और दो वर्ष के पश्चात् केवल ग्यारह यूनिटों ने उत्पादन आरम्भ किया है। इस प्रकार की यूनिटों को प्रारम्भ करने में अधिक समय भी नहीं लगता है। महोदय, यह उल्टी गगा बहाने की कहावत के समान है। सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं की है कि क्या आवेदक इन मदों का उत्पादन करने में सक्षम है या नहीं। इसके साथ-साथ लाइसेंस मन्जूर करने के दो वर्ष पश्चात भी, यूनिटें मूलभूत कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। कुछ आवेदकों के पास भूमि ही नहीं है। उस मामले में उद्योग कहाँ खड़े होंगे ? इसके अतिरिक्त, यूनिटें मूलभूत सुविधाओं सम्बन्धी कठिनाइयाँ महसूस कर रही हैं, जैसे पानी, बिजली आदि का न होना और मूलभूत कठिनाइयाँ अलग है।

महोदय, मैंने अपने प्रश्न में उस संयुक्त समिति का जिक्र किया है जिसकी बैठक जनवरी के महीने में हुई थी। माननीय मन्त्री ने उस मुद्दे का केवल जिक्र किया है और उससे आगे कुछ नहीं कहा है।

मेरे प्रश्न के (घ) भाग में, मैंने पूछा था कि इन कठिनाइयों को किस सीमा तक हल कर लिया गया है। महोदय, यही वह मामला है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने कहा है कि इसे हल किया जा रहा है। महोदय, इसी प्रश्न पर मैं एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रयत्न किए जाने के पश्चात् कितने यूनिटों ने उत्पादन आरम्भ किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत समस्याएं हल की गईं ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : महोदय, छब्बीस यूनिटों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। मन्त्रालय और राज्य सरकारों ने भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में काफी ठोस कदम

उठाए हैं। कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात जैसे राज्यों ने समीपस्थ क्षेत्रों में सभी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों को सामान्य सुविधाएं और सीमा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहले ही निर्णय ले लिया है। अतः भूमि के मामले में प्रगति हुई है।

अन्य मामलों के बारे में, कदम उठाए गए हैं। एक ही स्थान पर निपटान व्यवस्था बनाई गई है और पूंजीगत माल, कच्चे माल और उपकरणों पर निर्यात शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट जैसी रियायतें इन यूनिटों को उपलब्ध कराई गई हैं और मध्यम तथा लघु उद्योग यूनिटों में 'फेरा' तथा एम०आर०टी०पी० का भेदभाव नहीं किया गया हैं। उन्हें भी क्षमता रोक से छूट दी गई है। इसी समय इन यूनिटों के 'सप्लायरों' को निर्यात यूनिटें माना जाएगा जिससे उन्हें भी सुविधाएं और दूसरों से सहायता प्राप्त हो सके। इससे इन यूनिटों को स्वदेशी सामग्रियों की आपूर्ति करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिस बैठक का जिक्र किया है उसके होने के पश्चात इस विषय में कदम उठाए गए हैं। सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजे गए हैं जिससे वे इस प्रकार के आवेदकों को प्राथमिकता दें और बिजली तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर अपने स्तर पर निगरानी रखें। वित्तीय ऋणों के सम्बन्ध में, वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य के 2 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले औद्योगिक यूनिटें रियायती दरों पर कर्ज के हकदार हैं। फिर भी, परियोजना की बढ़ती हुई लागत और पुनर्वित्त प्रणाली से अन्तर्गत 2 करोड़ रुपए से ऊपर जो कि एक निश्चित सीमा थी, के मामले को भारतीय औद्योगिक बिकास बैंक के साथ उठाया गया; और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया है कि 2 करोड़ से ऊपर की परियोजना लागत वाले निर्यातोन्मुखी इन यूनिटों के सभी प्रस्तावों पर शीघ्र विचार किया जाएगा; और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अनुदेश जारी किए जाएंगे। अतः, यह सभी कदम उठाए गए हैं। एक 'ग्रीन कार्ड' प्रणाली भी बनाई गई है, जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों के सचिव उन्हें जारी करेंगे, जिससे 'ग्रीन कार्ड' प्रस्तुत करने पर, इन यूनिटों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

श्री पी०एम० सईद : मैंने मन्जूरी की शर्तें पूछी हैं। सभी निर्यात यूनिटों को अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत भाग को इन यूनिटों में रद्द किए गए, के रूप में बेचने की अनुमति है। इन यूनिटों में, जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि उत्पादन आरम्भ हो गया है, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से स्पष्ट निर्देशों के प्राप्त न होने के कारण, काफी 'रद्द किया गया' माल इकठ्ठा हो गया है। क्या यह स्थिति है? यदि हां, तो क्या सरकार इन यूनिटों को इन 'रद्द किए गए' माल को निपटाने के लिए निदेश देंगी ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत की है। प्राथमिकता के आधार पर मामले पर विचार करके यह अनुमति दी जाती है। जहाँ तक नियमों और विनियमों के बारे में किसी कमी का सवाल है, उसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन, जब

यह शर्त थी कि यह ही केवल एक ऐसी मात्रा होगी जो 'रद्द किए गए' के रूप में घरेलू बाजारों में आएगी । तब हम ऐसा नही कर सकते । इस मामले पर आगे विचार किए बिना उस सीमा में छूट देना सम्भव नहीं होगा । अतः यह शर्त थी, और जब उन्होंने यह काम हाथ में लिया था तब वह जानते थे कि इसकी यह शर्तें हैं । इसलिए, मैं समझता हूं कि उन्हें इसे वहन करना होगा ।

श्री ए०के० राय : मैं शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योगों के मूल सिद्धान्त के बारे में ही प्रश्न करना चाहता हूं । आप जानते हैं कि दादाभाई नौरोजी ने अपने 'ड्रेन' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । क्या इसमें शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग है जिसका अर्थ उस 'ड्रेन' सिद्धान्त को प्रोत्साहन देना है क्योंकि यह व्यापार की स्वस्थ परम्पराओं के विरुद्ध है ? इससे अविकसित देशों की सस्ती मजदूरी और सामग्री का शोषण होता है और अन्यों अर्थात अन्य देशों के मजदूरों को मजदूरी में उनके देय भाग से वंचित करता है । यह श्रम के स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के विरुद्ध है । इसलिए, यदि कोई देश अपनी सामग्री को कम दाम पर बेचता है तो हम उसका विरोध करते हैं, इसी प्रकार अन्य देश भी हमारे द्वारा उत्पादों को कम दामों पर बेचने का विरोध कर सकते हैं । यही वजह है कि मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन-सी मदें हैं जिनके लिए हम शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग लगा रहे हैं, चाहे उनका देशीय उपयोग हो या न हो, चाहे हम कम दाम पर बेचें या न बेचें और क्या इस प्रकार के शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग केवल कुछ दिन पूर्व ही निर्गुट देशों के सम्मेलन में अपनाए गए स्वस्थ व्यापार सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, शायद हम सभी ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन के विचारों और आलेखों का गलत ढग से अध्ययन किया है, अथवा माननीय सदस्य को सम्मेलन की कार्यवाही का दुबारा अध्ययन करने की आवश्यकता है । सम्मेलन का सारा उद्देश्य इस बात का अध्ययन करना था कि विकासशील देशों को किस किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन परिस्थितियों में विकासशील देशों की ओर संसाधनों के रुख को मोड़ने हेतु विश्व की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के बुनियादी परिवर्तन लाने की जरूरत है ताकि विकासशील देशों की ओर संसाधनों का वास्तविक हस्तान्तरण किया जा सके और वे अपने यहां बनने वाले सामान को बेच सकें तथा यह देखना है कि शर्तें अनुकूल हों ।

सम्मेलन में निश्चित तौर पर इस पर विचार नहीं किया गया था कि हमें निर्यात नहीं करना चाहिए अथवा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटें स्थापित नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि यह तर्क मान्य हो जाता है तो यह न केवल शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए मान्य होगा अपितु यह सारे निर्यात के लिए मान्य होगा जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री ए०के० राय : क्या यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण है ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : हाँ, यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण है ।

कच्चे पानी का निर्यात

*289. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जापान लौटती यात्रा में खाली तेल टेंकरों में मध्य-पूर्व के देशों को कच्चा पानी निर्यात करने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अपने देश द्वारा इसी प्रकार का निर्यात व्यापार करने की क्या संभावनाए है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर मध्य-पूर्व के देशों को हमारे देश से कच्चे पानी का निर्यात करना सम्भवत: लागत सार्थक नहीं होगा ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जापान पिछले एक वर्ष से ही इसका निर्यात कर रहा है और मध्य पूर्व के देशों को खाली टेंकरों से इस कच्चे पानी के निर्यात से जापान करोड़ों डालर कमा रहा है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ अमेरिकी और जापानी कम्पनियों से भारत सरकार से इस बारे में अनुरोध किया है कि तेल के खाली टेंकरों में लौटते समय मध्य-पूर्व के देशों के लिए पेय जल की सप्लाई करे, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? क्या भारत सरकार ने मध्य-पूर्व के देशों में पेय जल की कमी का पता लगाया है, यदि हाँ, तो इन देशों के पेय जल की मांग को पूरा करने हेतु क्या प्रभाव कदम उठाए गए हैं ? क्या यह सच है कि सऊदी अरब में हमारी सरकार से पेयजल अथवा एक निर्यात अनुबन्ध के तौर पर सिचाई के उद्देश्य से पानी की सप्लाई हेतु अनुरोध किया है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : एक अमेरिकी कम्पनी ने वर्ष 1977 में हमारे वाशिंगटन स्थित दूतावास के माध्यम से भारत से सऊदी अरब और कुछ मध्य पूर्व के देशों के लिए नदी का पानी निर्यात करने की इच्छा प्रकट की थी और इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने रुचि ली थी, उम्मीद थी आगे इस विषय पर चर्चा करने हेतु कि उस कम्पनी का एक प्रतिनिधि भारत आएगा । पर ऐसा नहीं हुआ । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हाल ही में (दिसम्बर 1982 में) जापान की मितसुबिशी कार्पोरेशन ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास से भारत से खाड़ी के देशों के विभिन्न भागों में जापान से लौटते समय खाली तेल के टेंकरों में पेय जल ले जाने के सम्बन्ध में वार्ता की है । यह प्रस्ताव विस्तृत जानकारी के लिए सिचाई और निर्माण और आवास मन्त्रालय को भेजा गया है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : वे कब तक निर्णय दे देंगे ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : निर्णय ले लिए जाने के बाद माननीय सदस्य को इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

बम्बई जल पूर्ति और मल निकास परियोजना के अधीन निर्माण कार्य पूरा करने हेतु विश्व बैंक से करार

*290. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा ग्रेटर बम्बई नगर निगम ने बम्बई जल पूर्ति तथा मल निकास परियोजना के अधीन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विश्व बैंक से एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह करार कब किया गया था ;

(ग) क्या वह करार निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्रेटर बम्बई के नगर निगम ने 1971-72 में बम्बई शहर में जल-पूर्ति, जल-मल निकासी सेवाओं के सम्बन्ध में एक दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम तैयार किया। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया। इन दोनों चरणों के लिए सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक के सामने प्रस्ताव रखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है) से 5.5 करोड डालर का एक ऋण लेकर पहले चरण का वित्तपोषण किया गया। इस ऋण के लिए 22 जनवरी, 1974 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए। पहले इस परियोजना के 30 जून, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा थी और ऋण समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1978 थी। परियोजना की लागतों में काफी अधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परियोजना को फिर से परिभाषित और चरणबद्ध करना जरूरी हो गया। इसलिए परियोजना को पूरा करने की पहली वाली तारीख को बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 1980 कर दिया गया और ऋण समाप्ति की तारीख को बढ़ा कर 30 जून, 1981 कर दिया गया। ऋण की राशि को ऋण समाप्ति की बढ़ाई गई तारीख के अन्दर-अन्दर पूरी तरह से संवितरित कर दिया गया था।

विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण की सहायता (पहले चरण के अन्तर्गत आस्थगित किए गए कतिपय संघटकों सहित) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के सम्बन्ध

में 19.6 करोड़ डालर की राशि के ऋण करारों पर 13 नवम्बर, 1978 को हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण के सम्बन्ध में परियोजना को पूरा करने की तारीख 31 मार्च, 1984 है और ऋण समाप्ति की तारीख 31 मार्च, 1985 है। इस परियोजना की लागतों में हुई काफी अधिक वृद्धि को देखते हुए, सम्भव है कि ऋण समाप्ति की तारीख को भी बढ़ाना पड़े।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मन्त्री महोदय ने उतनी ही फुर्ती से उत्तर दिया है जिस फुर्ती से उन्होंने बजट पेश किया था वे कार्यक्रम के प्रथम चरण से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा नहीं सोचती हैं कि मन्त्री जी स्वयं फुर्तीले हैं ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : इस कार्यक्रम के लिए इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एसोसिएशन ने 55 मिलियन डालर मंजूर किए थे वक्तव्य में निम्नलिखित ढंग से इसका उल्लेख किया गया है।

"इसलिए मूल परियोजना पूरी होने की तारीख 31 दिसम्बर, 1980 तक और ऋण बन्द करने की तारीख 30 जून 1981 तक बढ़ाई जाती है। बढ़ाई गई बन्द करने की तारीख के भीतर पूरा ऋण वितरित कर दिया गया था।"

इसका तात्पर्य है 30 जून 1981 तक इसकी अदायगी कर दी गई थी मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा हुआ है। यद्यपि प्रथम चरण के लिए ऋण की राशि 55 मिलियन डालर की थी जिसका मूल्य 46.55 करोड़ रुपया है और भारत सरकार ने जिसका आहरण किया था, बम्बई नगर निगम को केवल 23.22 करोड़ रुपया जारी किया गया और 22.83 करोड़ रुपया बकाया है।

जहाँ तक दूसरे चरण का प्रश्न है, 354 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बढ़कर 640 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, बम्बई नगर निगम के अनुसार उन्होंने अब तक 40 करोड़ रुपये इसमें अब तक खर्च हो गए हैं। इस खर्च की तुलना में निगम ने 18.94 करोड़ रुपये की अदायगी का दावा पेश किया है। भारत सरकार ने 16.88 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। 70 प्रतिशत अतिरिक्त फार्मूला के आधार पर निगम को केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों में से प्रत्येक से 12 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। फिर भी निगम को मार्च 1982 तक केवल 2 करोड़ रुपये मिले हैं।

मुझे बम्बई नगर निगम से यही सूचना मिली है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहती हूं। मैंने सारे मामले के बारे में उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस धनराशि की अदायगी कर दी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने प्रथम चरण के लिए धनराशि की अदायगी कर दी है और निगम को यह 12 करोड़ रुपये की धनराशि कब तक दी जायेगी।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : कोई फुर्तीला उत्तर नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में मुझे इसी का डर था और मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। मैं राज्य सरकार के पूरी अदायगी के दावे का प्रतिरोध कर रहा हूं परन्तु मुझे यह मालूम नहीं है कि मैं श्रीमती दण्डवते की मांग का प्रतिरोध कैसे कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रणव जी, श्री स्वामी एक शर्त लगा रहे हैं कि आपको स्मार्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहें तो आप उत्तर टालने वाले व्यक्ति हो सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं सहमत हूं।

जहाँ तक प्रथम चरण के सम्बन्ध में वितरण का प्रश्न है, जैसे कि माननीय सदस्य को जानकारी है हमने अपना वायदा पूरा कर दिया है जितना हमने सोचा था कि उन्हें ऋण का 70 प्रतिशत भाग मिलना चाहिए।

दूसरे चरण के संबंध में—वास्तव में यह निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है—बम्बई नगर निगम के लिए यह बताना उचित है कि उनकी गणना को क्या हुआ। मैं उनसे पता लगाऊंगा, जानकारी एकत्र करूंगा और इसे प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं समझती हूं कि उन्होंने वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। बम्बई नगर निगम के अनुसार कम-से-कम 22·83 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक देय है और उन्होंने इस धनराशि का भुगतान नहीं किया है तथा वित्त मंत्री जी कहते हैं कि इस धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं बिल्कुल इसी बात को उठाना चाहता हूं। उन्होंने 58 मिलीयन डालर में से 46 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि का भुगतान किया है और हमने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इन परियोजनाओं के बारे में सामान्य प्रथा यह रही है कि जो ऋण हम संस्थाओं से प्राप्त करते हैं, उसमें से 70 प्रतिशत उन्हें दिया जाता है और हमने यह वायदा पूरा किया है। किन्तु वह 100 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं जिस पर हम सहमत नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : वास्तव में बम्बई नगर निगम द्वारा पहले चरण में 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसलिए वह और धनराशि की मांग कर रहे हैं। मैं हिसाब लगाने में इतनी अच्छी नहीं हूं। माननीय मंत्री उनकी मांग पूरी करेंगे या यह निर्णय करेंगे कि बम्बई नगर निगम को पहले चरण के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना चाहिए।

अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मंत्रीजी मुझे यह बतायेंगे कि बजट प्रस्तुत होने के बाद कीमतों में वृद्धि होने के कारण लागत में कितनी वृद्धि होगी और क्या इसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक से और सहायता मांगी जाएगी, और यदि हां, तो अनुमानतः कितनी सहायता मांगी जाएगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक बजट प्रस्तावों का सम्बन्ध हैं, मैंने लागत तत्व की गणना नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : अब वह स्मार्ट हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने स्वीकार किया है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है······

प्रो० मधु दण्डवते : यहाँ तक कि बजट से पूर्व भी मूल्यों में वृद्धि हुई है।

श्री प्रणव मुखर्जी : इन परियोजनाओं के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हम परियोजना को स्वीकृति देते हैं और हम वित्तीय एजेंसियों से सम्पर्क करते हैं। यह बात नहीं है कि हम परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेते हों। जब परियोजना को स्वीकृति मिल जाती है तो हम यह पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि राज्य सरकार की इसके लिए क्या जिम्मेदारी होगी, केन्द्रीय सरकार का क्या अंशदान होगा, स्थानीय-स्वशासी निकाय का क्या अंशदान होगा, यदि यह स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा घोषित की जाती है। लेकिन मेरे लिए कोई गलत वायदा करना सम्भव नहीं होगा कि भारत सरकार को लागत की कुल वृद्धि से प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में मेरे लिए कोई निराधार वायदा करना सम्भव नहीं होगा। हमें परियोजना पर नजर रखनी होगी और यह देखना है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे बताया गया है कि इस परियोजना में कुछ गोलमाल हो रहा है। क्या यह सच है कि इस परियोजना को ठेका देने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थीं किन्तु सबसे कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की गई और नई निविदायें पुनः आमंत्रित की जा रही हैं। क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे कि किन परिस्थितियों में पहले की निविदायें अस्वीकृत की गई थीं और (क) और (ख) पाकेटों में नई निविदायें क्यों आमंत्रित की जा रही हैं। मुझे म्यूनिसिपल कमीश्नर द्वारा लिखा गया पत्र मिला है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गोलमाल है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं गोलमाल की जाँच कराने के लिए तैयार हूं। किन्तु बात यह है कि मुझे यह पता नहीं है कि निविदायें किसने आमंत्रित की हैं—क्या नगर निगम ने निविदायें आमंत्रित की हैं या राज्य सरकार ने अथवा किसी और एजेंसी ने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नगर निगम ने।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें विश्व बैंक शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप लिख दीजिए, आप और सवाल कर दीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने प्रश्न पूछा है । उन्हें जाँच करने दीजिए ।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आप जानकारी मुझे दे दें तो मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री आर० आर० भोले : क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि परियोजना की लागत में इतनी अधिक वृद्धि कैसे हुई है । क्योंकि वहाँ गोलमाल हुआ है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं नहीं जानता क्या गोलमाल हुआ है । किन्तु मेरे पास कुछ आँकड़े हैं जो यह बताते हैं कि लागत में वृद्धि कैसे हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह क्रिकेटबाल है या फुटबाल ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उदाहरण के लिए, जीवन यापन की लागत और विशेष रूप से आवश्यक सामग्री की लागत में सामान्य मुद्रास्फीति के मामले में 103 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है । तत्पश्चात इस परियोजना को पुन: तैयार किया गया और उसके बाद की स्थिति अर्थात भन्दुप में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कम्पोनेन्ट के पुन: तैयार करने में 27 करोड़ रुपए लगे । मल निकास डिजायन, जिसे बाद में आधुनिक बनाया गया था, के प्राक्कलन पर 37 करोड़ रुपए लगे । इस प्रकार कुल 167 करोड़ रुपए खर्च हुए ।

भारत और स्विटजरलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचाव

*291. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दोहरे कराधान से बचने के बारे में समझौता हो जाने पर भारत और स्विटजरलैंड के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के सबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) आमतौर पर किसी भी देश के साथ दोहरे कराधान के बचाव सम्बन्धी करार से पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है क्योंकि

इससे कर सम्बन्धी वे रुकावटें दूर होती हैं जिनसे दोनों देशों के बीच ऐसे प्रवाह में बाधा पड़े ।

(ख) भारत और स्विटजरलैंड के बीच दोहरे कराधान का बचाव सम्बन्धी करार सम्पन्न करने के लिए वार्ताएं 1976 में शुरू हुई थीं किन्तु कोई करार नहीं हो सका । हाल में दोनों पक्षों ने वार्ताएं पुनः आरम्भ करने हेतु इच्छा व्यक्त की है ।

स्विटजरलैंड अपेक्षतया एक मुक्त बाजार है जहाँ वस्त्रों सहित किसी भी क्षेत्र में मात्रा सम्बन्धी कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । उस देश को भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विपणन प्रयासों को तीव्र किया जा रहा है । इनमें शामिल हैं : मेलों में भाग लेना, भारतीय कारोबार प्रतिनिधिमंडलों के दौरे तथा उचित कारोबार संगोष्ठियों में भाग लेना ।

श्रीमती माधुरी सिंह : दोनों देशों के बीच एग्रीमेन्ट नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री पी० ए० संगमा : असहमति का मुख्य मुद्दा सूचना के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में एक अनुच्छेद शामिल किए जाने से सम्बद्ध है । अपनी ओर से, हमने सोचा कि यह आवश्यक है । लेकिन इस पर सहमति नहीं हुई । इसलिए, समझौता नहीं हो सका । जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, अब हम इस मामले में वार्ता पुनः शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

श्रीमती माधुरी सिंह : दोनों देशों का ट्रेड बैलेंस क्या है ?

श्री पी० ए० संगमा : मैं पिछले दो वर्षों के आँकड़े दे सकता हूं । 1980-81 में हमारा निर्यात 110·50 करोड़ रुपए का था और आयात 120·60 करोड़ रुपए का था । इसलिए, व्यापार का अन्तर 10·10 करोड़ रुपए रहा । 1981-82 में हमारा निर्यात 116·55 करोड़ रुपए का था और आयात 96·95 करोड़ रुपए का था । इस प्रकार व्यापार का अन्तर 19·60 करोड़ रुपए था ।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर सुधार

*292. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विजयवाड़ा एक बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र है और तम्बाकू की खेती का भी केन्द्र है, विजयवाड़ा हवाई अड्डे में सुधार करने और इस हवाई अड्डे तथा अन्य नगरों के बीच बोईंग सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विजयवाड़ा विमान क्षेत्र पर सुविधाओं में सुधार/वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। नए प्रस्थान धारक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। विमान परिचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 19·13 लाख रुपये की लागत से एक नए नियंत्रण टावर और तकनीकी खंड का निर्माण किया गया। यह परियोजना पूरी होने वाली है। इस विमान क्षेत्र को पानी और बिजली की पूर्ति को बढ़ाने से संबंधित निर्माण-कार्य पूरा हो गया है।

इण्डियन एयरलाइंस विजयवाड़ा विमानक्षेत्र और अन्य नगरों के बीच बोइंग सेवा शुरू करना साध्य नहीं समझता है क्योंकि हैदराबाद/विजयवाड़ा/तिरुपति/मद्रास विमानमार्ग पर दैनिक सेवा पर एच० एस० 748 की क्षमता इस विमान मार्ग पर यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए काफी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : अभी मंत्री जी ने कहा कि विजयवाड़ा एअरपोर्ट के लिए बोईन्ग सर्विस फिजीबल नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि एअरपोर्ट के रन-वे को पक्का करने के लिए सरकार कुछ प्रयत्न कर रही है या नहीं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : श्रीमन्, इस समय हम रन-वे को मजबूत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी लागत लगभग एक करोड़ रुपये आएगी और हम सोचते हैं कि वहां से आवागमन को देखते हुए बोइंग 737 की सेवाएं उपलब्ध कराने का औचित्य नहीं है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : मंत्री जी ने कहा है कि विजयवाड़ा एअरपोर्ट पर न्यू कंट्रोल टावर-कम-टेक्निकल ब्लाक का 19·13 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। विजयवाड़ा तीन-चार डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कार्मशियल सेन्टर है और वहाँ आने के लिए गुन्टूर से जहाँ पर कि टूबैको कम्पनी है, काफी लोग एअर से ट्रेवल करते हैं इसलिए बोइंग की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आपने हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति और मद्रास विमान मार्ग का टाईम भी चेंज कर दिया है। पहली फ्लाईट सुबह 6·40 बजे शुरू होती है, जो किसी के लिए भी कन्वीनियन्ट नहीं है। दिल्ली-हैदराबाद, मद्रास-हैदराबाद और बैंगलोर-हैदराबाद जब भी प्लेन से जाते हैं तो 8-9 बजे हैदराबाद पहुंचते हैं जो कि सुविधाजनक नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप टाइमिंग्स ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : वहाँ पहले से ही एवरो हवाई सेवा जारी है। उसमें 48 सीटें हैं। हम वहाँ बोइंग सेवा तब शुरू करेंगे जबकि वहाँ यातायात-लाभ की दृष्टि से इसका औचित्य हो। जहाँ तक इसके समय की (टाइमिंग्स) की बात है, निश्चय ही यह एक विचारणीय सुझाव है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : फैसिलीटीज अगर नहीं होंगी तो ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा। विजयवाड़ा पहुंचने के बाद दूसरी सिटीज को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या इसके लिए इण्डियन एअरलाइन्स कुछ प्रावधान करने के लिए तैयार है ?

श्री खरशीद आलम खान : हम निश्चय ही विजयवाड़ा के यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे। बशर्ते कि यह यातायात में वृद्धि के अनुकूल हो। शहर के केन्द्रीय भाग और हवाई अड्डे के बीच परिवहन सुविधाओं सम्बन्धी सुझाव पर विचार किया जाएगा।

यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से दीर्घावधि ऋण

*293. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री आर० एन० राकेश : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक से दीर्घावधि ऋण मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान ऋणों की वापसी अदायगी के लिए यह ऋण लेना आवश्यक हो गया है और क्या यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार लिया जाएगा ;

(ग) भारत ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशों से कितने ऋण ब्याज पर और कितने ऋण बिना ब्याज के लिए हैं और इन ऋणों पर अब तक कितना ब्याज दिया गया है और कितना अभी देना है ; और

(घ) अब तक कितने ऋण की वापसी अदायगी की गई है और कितनी की जानी है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग से कहा है कि वे भारत द्वारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण लिये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाएं। बैंक ने, भारत के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से धनराशि उपलब्ध कराने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है। कानून के अनुसार भारत, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से तभी धनराशियां प्राप्त कर सकता है जबकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नर बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में संकल्प पारित कर दिया हो।

(ख) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से धनराशियां प्राप्त करने का प्रयत्न सक्षम विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। चूंकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अभी तक किसी भी ऋण करार के सम्बन्ध में बातचीत नहीं की गई है, इसलिए प्रश्न के भाग (ख) के उत्तरवर्ती भाग का प्रसंग उपस्थित नहीं होता।

(ग) मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

(i) पिछले पांच वर्षों में सरकारी खाते पर संवितरित कुल ऋण—5,877·09 करोड़ रुपये।

(ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के कुल बकाया ऋणों पर चुकाई गई ब्याज सम्बन्धी देनदार—1,260·27 करोड़ रुपए।

भविष्य में देय ब्याज का ठीक-ठीक निर्धारण करना सम्भव नहीं है क्योंकि भविष्य में दिया जाने वाला ब्याज भी भविष्य में की जाने वाली निकासियों पर निर्भर करेगा। जिसका अभी से निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

(i) 31-12-1982 तक सरकारी खाते पर ऋण की कुल वापसी अदायगी	6,850·90 करोड़ रुपए
(ii) 31-12-1982 तक सरकारी खाते पर कुल बकाया ऋण	16,705·74 करोड़ रुपए

श्री टी० एस० नेगी : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब सही तो मिला नहीं है। सरकार जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण लेने जा रही है, इसकी क्या शर्तें हैं? अगर वही शर्तें हैं जो आइ० एम० एफ० से हुई थीं तो इस बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत है? मैक्सिको, ब्राजील, इन्डोनेशिया तथा अन्य मुल्कों ने भी आइ० एम० एफ० से कर्जा लिया है। क्या सरकार को यह मालूम है कि उन मुल्कों की हालत सुधरी है या बिगड़ गई है? और यही हालत हमारी सरकार की भी है। हम तो समझ रहे हैं कि सरकार जो कर्जा ले रही है यह किसी प्रोडक्टिव परपज के लिए नहीं ले रही है, जब कि जवाब में कहा गया है कि प्रोडक्टिव परपज के लिए है···

अध्यक्ष महोदय : निर्दिष्ट प्रश्न क्या है?

श्री टी० एस० नेगी : यदि प्रोडक्टिव परपज के लिए है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी स्कीम्स हैं जिनके लिए कर्जा लिया जा रहा है? जब कोई कर्जा लेता है तो उसको उसी परपजेज में इन्वेस्ट करता है···

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल एक दलील है। सीधा प्रश्न पूछिए। अब आप क्या चाहते हैं?

श्री टी० एस० नेगी : इससे हमारे मुल्क का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हुआ है बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है...

प्रो० मधु दंडवते : आपने जो कुछ कहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, यह पूछो।

श्री टी० एस० नेगी : प्रधान मंत्री ने खुद कहा है : वे हमारा खून चूसना चाहते हैं। तो कितना माँस बाकी रह गया है यह मैं जानना चाहता हूं ? सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई० ई० सी० और आई० एम० एफ० का अमरीका से सम्बन्ध है और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्जा लेना गला घोटने के बराबर है जैसे कि तारापुर के लिए ईंधन वाले मामले में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : एटमिक ऐनर्जी कहाँ से आ गया ?

श्री प्रणव मुखर्जी : बंगला में एक कहावत है कि राम के जन्म से पहले ही बाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। इससे मुझे उसकी याद हो आती है। प्रथमतः यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक की मंजूरी पाना एक अत्यन्त कठिन समस्या है। क्योंकि इसके लिए यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक के बोर्ड के सभी सदस्यों का सर्वसम्मति से निर्णय आवश्यक होता है। हमने बैंक तक पहुंचने की सम्भावनाओं का पता करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव किया है। यह केवल ऋण के लिए नहीं है; ऋण में मेरी इतनी अधिक रुचि नहीं है जितनी कि लेनदेन करन में, सी० पी० देशों की विकास प्रक्रिया में भाग लेने में है जोकि अब केवल सदस्य देशों तक सीमित है। माननीय सदस्य पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि हमारा ऋण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है अथवा यदि वे बोर्ड के सदस्यों को मेरे प्रस्ताव पर सहमत कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हों। पर ऐसी बात नहीं है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : आप कमीशन क्या देंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बेशक मध्यस्थ बन सकते हैं और आप इसका निर्धारण भी कर सकते हैं। मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह उतना अधिक नहीं है। निश्चय ही हम संभावना खोज रहे हैं, कि वहाँ इसका कोई अवसर है अथवा नहीं। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रतिक्रिया सकारात्मक है, न मैं यह कहूंगा कि यह नकारात्मक है। यह एक अस्थिर स्थिति में है और इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि अपने स्वयं को खर्चो को पूरा करने के लिए ऋण लेने हेतु यह बहुत अधिक नहीं है। यह मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में, खासतौर पर ई० सी० पी० देशों में हमारी भागीदारी की संभावनाओं का पता करने के लिए था।

श्री टी० एस० नेगी : हमारी भारत सरकार ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, हमको भिखमंगों का मुल्क बना दिया है। कोई जगह नहीं है, जहाँ से कर्जा नहीं ले रहे हों। मैं तो चाहता हूं कर्जा न मिले तो बहुत अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : कर्जा ले लेकर तो आपके देश में लोग करोड़पति बन गए हैं।

श्री टी० एस० नेगी : क्या यह ऋण इसलिए लिया जा रहा है ताकि पिछला कर्जा अदा किया जा सके ? जैसी मैक्सिको और ब्राजील आदि की हालत हुई है, वैसी ही हालत हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमें हरवक्त भुगतान करना होगा। तो सरकार हमारी भावी पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए क्यों तैयार है और मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करने जा रही है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रावधान के सम्बन्ध में, वस्तुत: वक्तव्य में ही, भाग (ग) और (घ) के उत्तर में मैंने स्वयं कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने निश्चय ही उसे पढ़ लिया होगा। और बजट चर्चा के संदर्भ में जिस आर्थिक समीक्षा पर चर्चा हो रही है उसमें विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं और माननीय सदस्य उसमें यह देख सकते हैं कि आज हमारे ऊपर ऋण का बोझ कितना है। परन्तु मैं निश्चित रूप से सदस्यों की इस बात की चिंता का समर्थन करता हूं कि हमें ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे ऋण सेवाओं का पूरा करना मुश्किल हो जाए और मैं सदस्यों को यही सूचित कर सकता हूं कि...

एक माननीय सदस्य : चिंता की कोई बात नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह नहीं है कि चिंता की कोई बात नहीं परन्तु ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। परन्तु मैं यह नहीं कहता कि यदि हम बहुत सावधान नहीं हुए तो हम निश्चित रूप से कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतः, जैसा कि सदस्य चाहते हैं मैं सावधान रहूंगा।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : महोदय, अपना प्रश्न रखने से पहले मैं, विशेषज्ञ, सफल, कुशल और होशियार वित्त मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत देश अन्तर्राष्ट्रीय भिखारियों की सूची में सबसे ऊपर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अपने आपको इससे बाहर नहीं रखना चाहते।

श्री मायातेवर : महोदय, उन्हें अपने आपको इसमें शामिल करने दें परन्तु देश को नहीं।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : यह आप लोगों और आपकी सरकार के लिए है। यह ध्यान रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न रखें। डॉ० भोई, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री आर० एन० राकेश : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण की शर्तों के अन्तर्गत हम उनके द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व व्यापी निविदाओं के आधार पर माल का आयात कर रहे हैं और इस प्रकार काफी लम्बे अर्से देश में बनने वाले माल के लिए भी हम भारतीय कम्पनियों को आर्डर और रोजगार के लिए इन्कार कर रहे हैं और यदि हाँ, तो विश्व बैंक की चालू विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशों को दिये गये आर्डरों का ब्यौरा क्या है और विदेशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देश में विदेशी और आयातित माल को पसन्द करने वाली कुछ राष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की बजाय राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, बहुत तैयारी करके आए हैं। इनका जवाब दें।

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी में रहता तो बहुत अच्छा होता।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नही है। न तो वे ही और न मैं ही भिखारी बनना चाहेंगे और हम भिखारी हैं या नहीं हैं। स्थिति यह नहीं है। निश्चित रूप से हमने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम स्वीकार किये हैं और यदि माननीय सदस्य धैर्य रखेंगे तो मैं बजट पर चर्चा के दौरान इसका उत्तर दूंगा। अतः मैं अब इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। परन्तु जिस प्रक्रिया का उन्होंने उल्लेख किया है वह कोई असाधारण नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष या विश्व बैंक जैसी बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेने के लिये प्रत्येक विकसित या विकासशील देश को विश्व व्यापी निविदा की प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है और इसमें हमारे संगठनों या संस्थानों द्वारा भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और प्रतियोगिता के आधार पर कई बार यह पाया गया है कि विश्व व्यापी प्रतियोगिता में अपने देश में बनी वस्तुएं बहुत अच्छी पाई गई हैं और वास्तव में कुछ सामान्य एककों को सप्लाई के मामले में इस सदन में या दूसरे सदन में, मुझे याद नहीं है, यह बात बताई गई थी कि विश्व व्यापी प्रतियोगिता में हमारे देश में बनी वस्तुएं बेहतर पाई गई। अतः अतीत में कई बार हमने देखा है कि विश्वव्यापी प्रतियोगिता और निविदा के संदर्भ हमारे निर्माताओं का माल बेहतर पाया गया और टेंडर उन्हें दे दिए गए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। जब अंग्रेज इस देश में थे तो हम अंग्रेजों को कर्जा देते थे। 1951-52 में आपकी आर्थिक

समीक्षा के मुताबिक महज 321 करोड़ का कर्जा देश पर था जो आज बढ़कर 16,705 करोड़ हो गया है। इन्टरनेशनल मानेटरी फंड से आपने 5000 करोड़ या कितना कर्जा लिया है, यह तो आप बतायेंगे। इसके अलावा देश का जो आंतरिक कर्जा है वह 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर इस देश की हालत कंगाल जैसी हो गई है। कोई भी दुकान नहीं बची है जहाँ से आपने कर्जा न लिया हो और अब आप घर से निकलने के काबिल नहीं रहे हैं क्योंकि जिधर भी आप जायेंगे उधर दुकानदार आपको टोकेंगे कि आप हमारे कर्जदार हैं।

इस देश की जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चा मां के पेट में है वह भी कर्जदार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल क्या है ?

श्री रामविलास पासवान: मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या सरकार सन्तुष्ट है कि जिन कार्यों तथा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्जा लिया गया था वह कार्य किए गए हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या यह कर्जा महज देश को रसातल में पहुंचाने के लिए मौज पर खर्च किया गया है ?

श्री प्रणब मुखर्जी: किसी-किसी व्यक्ति की आलोचना करने की आदत होती है। यदि कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि हम अपने विकास कार्यों के लिए पूर्णतया विदेशी सहायता पर निर्भर है तो वह सही बात की अनदेखी कर रहा है। यह स्वीकार किया गया है कि हमारी पूंजी निवेश की दर 25 प्रतिशत तथा बचत की दर लगभग 22 से 23 प्रतिशत है—विकास कार्यों में विदेशी सहायता 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। (**व्यवधान**)। जी हाँ, स्थिति पूर्णतया हमारे नियन्त्रण में है।—एक योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में विकासात्मक व्यय 97,000 करोड़ रुपए है। गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र को जोड़ें तो इसमें 7400 करोड़ रुपए और जोड़ दें। यदि बकाया ऋण 15000 करोड़ या 16000 करोड़ रुपए से कम है तो यह बिल्कुल सही है, यदि आप 172000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो प्रतिशत की तुलना में यह अधिक नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 321 करोड़ रुपए से बढ़कर यह 16000 करोड़ रुपए हो गया है। परन्तु विकास कितना हुआ है, इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम, प्रमुख बड़े उद्योगों में मशीनें बनाने में कितना पूंजी निवेश किया गया है। वर्ष 1951 में आप कहाँ थे और वर्ष 1983 में आप कहाँ पहुंच गए हैं ? आप तुलना कीजिए।

ऋण लेने में हमें सावधानी बरतनी होगी और हमें अपने आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। परन्तु इसके साथ ही अपनी आलोचना करते समय अपने आपको अवमानित नहीं करना चाहिए।

श्री के० मायातेवर: सबसे पहले मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हम

भिखारी हैं या हमारा देश भिखारी है। हमें अपने देश को सब देश का बादशाह कहना चाहिए। हमें अपने देश पर नाज होना चाहिए।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक सहित विभिन्न देशों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण मिल रहा है।

स्विटजरलैंड के कुछ न्यास हमारे शिकागो स्टेट बैंक में हजारों करोड़ जमा करना चाहते हैं और इससे लेनदेन करना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह पर्यटन का प्रश्न है।

श्री के० मायातेवर : **···मैं सी० आई० ए० से ऊपर हूं। मन्त्री जी यह जानते हैं। मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं।

स्विटजरलैंड की कुछ पार्टियां बैंक रूप से आपके बैंक के माध्यम से बैंक में हजारों करोड़ लाना चाहती हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कैसे जानते हैं ?

श्री के० मायातेवर : मैं ये सारी बातें व्यक्त नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)। स्वीटजरलैंड के ट्रस्ट भारतीय स्टेट बैंक शिकागों में करोड़ों रुपए में कुछ धनराशि जमा करना चाहते हैं। परन्तु भारतीय स्टेट बैंक, शिकागो उन राशियों को स्वीकार नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री के० मायातेवर : क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक, शिकागो में ट्रस्टों द्वारा जमा की जाने वाली राशियों को स्वीकार करेगी या सरकार उन धनराशियों को स्वीकार करेगी जो ऋण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या कुछ अन्य निधि द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से कम में दी जाने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इस सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पहले, उनसे पूछिए कि क्या वे प्रश्न को समझ गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया बैठ जाइए। अब प्रश्न अत्यधिक बोझिल हो गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यदि सदस्य महोदय थोड़ी सी सूचना दिलवाने की व्यवस्था करेंगे, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं उन्हें सावधानी के लिए एक शब्द कह रहा हूं। बहुत से लोग इस प्रकार के प्रस्तावों को लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और मेरे पूर्ववर्ती पदधारियों को और मुझे ठीक इसी प्रकार का अनुभव रहा है। लोग आते हैं और

** अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

कुछ बढ़िया प्रस्ताव पेश कर देते हैं और वे 2 बिलियनों, 3 बिलियनों, 4 बिलियनों या कभी-कभी 10 बिलियनों से कम की बात नहीं करते। अन्ततोगत्वा, हमें कठिनाइयों का पता चलता है क्योंकि हमें एक नया पैसा भी नहीं मिलता। यदि कोई विशुद्ध प्रस्ताव है तो मैं निश्चित रूप से उसको देखने के लिए तैयार हूं, और वस्तुतः, हमने ऐसा किया है। इन समस्याओं पर निगरानी रखने के लिए एक नियमित प्रणाली है। मेरी अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल समिति उसकी समीक्षा करती है।

और, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो मैं उस पर विचार करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

भारत में पर्यटकों की असन्तोषजनक वृद्धि

*294. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटकों की वृद्धि दर सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) चालू वर्ष में कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की तथा विश्व के अन्य देशों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पर्यटन सम्बन्धी नीतियों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए विश्व पर्यटक आगमनों और साथ ही भारत के लिए पर्यटक आगमनों के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

	विश्व पर्यटक आगमन		भारत	
	संख्या (मिलियन में)	प्रतिशत अन्तर	संख्या (लाखों में)	प्रतिशत अन्तर
1980	280·1	3·8	8·00	4·6
1981	283·6	1·3	12·79*	6·6**
1982	279·9	—1·3	12·86*	0·5

*पाकिस्तान और बंगला देश के आगमनों सहित

**यह ऐसे आंकड़े से सम्बद्ध है जिसमें पाकिस्तान और बंगला देश से आगमन शामिल नहीं है क्योंकि 1980 तक ऐसे आंकड़े ऊपर बताई गई संख्या में शामिल नहीं किए जाते थे।

विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व पर्यटक आंकड़ों के प्रकाशित अनन्तिम अनुमान के अनुसार, 1982 के दौरान पर्यटक यातायात की वृद्धि में 1·3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, भारत के मामले में 0·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विश्व व्यापी मन्दी पर्यटक यातायात में निम्न वृद्धि का बड़ी मात्रा में कारण है जो इस समय सबसे अधिक समझी जाती है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों में गड़बड़ी के हालात ने भी भारत की तरफ आने वाले पर्यटक यातायात पर प्रभाव डाला है।

वर्ष 1982 के लिए कुछ अन्य देशों के मामले में पर्यटक आगमनों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	संख्या (लाखों में)
श्री लंका	4·07
तायवान	14·19
जापान	17·97 (अनन्तिम)
हांगकांग	26·09

दिनांक 3.11.82 को पर्यटन नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस वक्तव्य में दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं और यह अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन के विकास और मार्केटिंग के लिए दिशा-बोध प्रदान करता है। पर्यटन के प्रतिलाभों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए पर्यटन नीति में :—

1) नीति और कार्यवाही के लिए स्पष्ट रूप से प्वाइन्ट्स निश्चित करते हुए लम्बी अवधि की एक योजना की अत्यावश्यकता पर बल दिया गया है।

2) उद्योग के सभी घटकों को प्लानिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने की जरूरत को दोहराया गया है।

3) क्षेत्रीय विकास और इसे पर्यावरण और परिवेश के संरक्षण के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है।

4) पर्यटन को एक निर्यात उद्योग के रूप में घोषित करने की जरूरत को पहचाना गया है।

5) मानव कार्य-कुशलताओं और विशेषताओं के बारे में उद्योग की जरूरतों का ध्यान रखा गया है।

6) ग्राहक क्या चाहता है इस बारे में अनुसंधान करने के औचित्य को रेखांकित किया गया है।

श्री आर०पी० गायकवाड़ : महोदय, जैसा कि जवाब में है, हम मान लें कि विश्व में मन्दी है (व्यवधान)। हमारे देश में पिछले वर्ष एशियाई खेलों का आयोजन किया।

उसी के कारण ही उतनी संख्या में पर्यटक आने चाहिए थे, यद्यपि अधिक संख्या में नहीं, जो इन वर्षों में हमारे देश का दौरा कर रहे हैं। प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़ों में उन्होंने पाकिस्तान और बंगला देश से आने वाले पर्यटकों का उल्लेख किया है। परन्तु मैं उनका उल्लेख "दर्शक" रूप में ही करना पसन्द करूंगा। इस एक विषय के लिए ही आधे घंटे की चर्चा की आवश्यकता है और प्रश्नकाल पर्याप्त नहीं है क्योंकि मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा तथा अस्पष्ट है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस देश को आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए मन्त्री का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री खुर्शीद आलम खाँ : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो मन्दी दिखाई पड़ती है, वह एक विश्व व्यापी प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति केवल हमारे मामले में ही नहीं हैं, बल्कि (व्यवधान) दुर्भाग्यवश, आपका सीमित दृष्टिकोण आपके ही अन्दर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका दृष्टिकोण असीम है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरा दृष्टिकोण विस्तृत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कल्पना दृष्टा पुरुष है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका दृष्टिकोण असीम है परन्तु आपका कार्य-निष्पादन सीमित है।

श्री खुर्शीद आलम खाँ : हमने भी आपका कार्य-निष्पादन देखा है। (व्यवधान) सभी ओर पर्यटन के क्षेत्र में गिरावट आई है। हमने भी इस वर्ष गिरावट महसूस की। दुर्भाग्यवश गिरावट आने के कई कारण हैं। एक है मन्दी, दूसरा कुछ देशों के बीच आपसी झगड़ा और अशांत स्थिति। स्थल मार्ग से आना जाना पूरी तरह से ठप्प हो चुका है। एशियाई खेलों के दौरान भी यह आशा की गई थी कि भाग लेने वालों के अतिरिक्त अन्य 5 000 दर्शक आयेंगे। परन्तु वह आशा पूरी नहीं हुई। अतः उक्त अवधि के दौरान कुल जितने पर्यटक आए थे, उनकी संख्या हमारी आशा के अनुरूप नहीं थी।

सदस्य महोदय ने कहा है कि हमें पाकिस्तान और बंगला देश से आने वाले पर्यटकों को गिनती में नहीं लेना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हमें उन्हें पर्यटकों के रूप में क्यों नहीं लेना चाहिए जबकि उन देशों में हमारी गिनती पर्यटकों के रूप में की जाती है। उदाहरण के तौर पर, हम अपने उन पंजाब के लोगों को भारत आने पर पर्यटक मानते हैं जो स्थायी रूप से ब्रिटेन में बस गये हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और बंगला देश से आने वाले लोगों को पर्यटक क्यों नहीं माना जाएगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : विदेश को दौरे पर जाने वाले मन्त्रियों के सम्बन्ध में क्या विचार है ? उनको भी पर्यटक माना जाना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : उनको मिलाकर

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनको विदेश भेजने के लिए राज सहायता देनी चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : उसके बाद, सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि इस देश को आने वाले पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। हमने जो कदम उठाये हैं। उनमें से, हमने पहली बार पर्यटन सीजन में चार्टर विमानों की शुरूआत की। इन चार्टर विमानों में 1600 से अधिक पर्यटक आये। हम उन देशों में जहां से पर्यटक आते हैं यह भी प्रचार कर रहे हैं कि हमारे पास सभाओं और सम्मेलनों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पर्यटकों के अधिक संख्या में आने की आशा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, हम नये बाजारों की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, घाना क्षेत्र है। हम पश्चिम एशियाई और उत्तर अफ्रीकी क्षेत्रों से सम्बन्ध बनाए हुए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभूतपूर्व समृद्धि है। हम इन जगहों में नये कार्यालय खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि इन क्षेत्रों से भी बडी संख्या में पर्यटक आयेंगे।

इसके अतिरिक्त, हम सुदूर-पूर्व और पूर्वी देशों से आनेवाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं का बन्दोबस्त करके बड़ी संख्या मे पर्यटक को आकर्षित भी कर रहे हैं। हम उन्हें कलकत्ता से बौद्ध धर्म के विभिन्न केन्द्रों को ले जाय जाने के लिए वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम राजगीर तथा कुशीनगर में जापानी तरह के होटलों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उपर्युक्त सभी बातों के अतिरिक्त इस देश को आनेवाले पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए एयर-इण्डिया के सहयोग से सभी विशेष प्रयत्न किए जा रहे है।

श्री आर० पी० गायकवाड : दि फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया ने इस वर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में भारत और अन्य देशों से आए विशेषज्ञों ने भाषण दिए थे। पर्यटन राज्य मंत्री, श्री खुर्शीद आलम खां ने इस सम्मेलन का उद्‌घाटन किया था। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला और अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की क्या राय थी।

श्री खुर्शीद आलम खां : कुछ सुझाव दिए गए हैं। वे करीब-करीब वही सुझाव हैं जिनके बारे में मैंने, उनके प्रथम अनुपूरक प्रश्न के जवाब में पहले बताया था। ट्रैवल व्यवसाय और टूरिस्ट आपरेटरों के सहयोग से हम जितना सम्भव हो सके उतने पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 1982 में 12·86 लाख विदेशी पर्यटक भारत आये। उन्होंने, उसी अवधि के लिए, अन्य देशों

के आंकड़े भी दिए। ताइवान का 14·19 लाख, जापान 17·97 लाख, हांगकांग 26·09 लाख आदि। उन्होंने अपने उत्तर में इन आंकड़ों को स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत पर्यटक कलकत्ता से पूर्वी क्षेत्र को जा रहे हैं। कलकत्ता पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्वार है। पर्यटक कलकत्ता से दार्जिलिंग, उड़ीसा में कोणार्क, जहाँ के श्री के० पी० सिंहदेव हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता से कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटक पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को जाते हैं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने कलकत्ता होकर इन राज्यों को जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और मणिपुर को जानेवाले विदेशी पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष पर्यटन सम्बन्धी प्रस्ताव किए हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारे पास पर्यटकों के क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं हैं। हमारे पास केवल उन स्थानों के आंकड़े हैं जहाँ पर पर्यटक विमान से उतरते हैं। और अधिकतर, वे बम्बई और दिल्ली में उतरते हैं और उन स्थानों से वे देश के विभिन्न भागों में जाते हैं।

जहाँ तक पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रश्न का सम्बन्ध है हम सभी उपायों से पूर्वी क्षेत्र को समुचित महत्व देते हैं और वहां सुविधाएं उपलब्ध कराके सभी उपायों से हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विमान कंपनियाँ अपने विमान कलकत्ता हवाई अड्डे पर नहीं उतारती हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : विदेशी-विमान कंपनियाँ वहाँ अपने विमान उतारने से इन्कार करते हैं। हम उनसे पहले कलकत्ता जाने के लिए हमेशा कहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता हवाई अड्डे की उपेक्षा की जाती है। विमान कंपनियाँ वहाँ अपने विमान नहीं उतारती हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे डर है कि मैं इस बात को सदस्य महोदय को समझाने में असमर्थ हूं। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि लोग कलकत्ता आना क्यों नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया-दिल्ली से कोई बाधा न डालिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विकलांग व्यक्तियों द्वारा कारों का आयात

*295. श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982 को विकलांग वर्ष के रूप में घोषत किया था;

(ख) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को जापान से विशेष प्रकार की कारों का आयात करने की अनुमति दी थी, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जा सकता है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों से 31 दिसम्बर, 1982 तक प्रार्थनापत्र आमंत्रित किए गए थे;

(घ) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा कारों का आयात करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को जारी किए गए पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कार 180 दिनों के भीतर आयात की जानी होगी;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने रियायती शुल्क दर पर कार आयात करने हेतु वहाँ से कार भेजने की आखरी तारीख 31 मार्च, 1983 निश्चित की है; और

(च) सरकार किस तरह यह सुनिश्चित करेगी कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख से, कार आयात कर रहे विकलांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1982 को विकलांग-वर्ष घोषित नहीं किया गया था। परन्तु वर्ष 1981 अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। विकलांग व्यक्तियों द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके लिए कारों के आयात हेतु विशिष्ट आयात लाइसेंस दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए आशयित नियंत्रण उपकरण युक्त कारों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क की अदायगी से छूट मंजूर करने सम्बन्धी मामले पर विचार करने के निमित्त एक नीति की घोषणा की गई थी। शुल्क-रियायत सम्बन्धी यह नीति 1981 में घोषित की गई थी और जुलाई 1982 में इसमें संशोधन किया गया था। जुलाई 1982 में इस नीति की समाप्ति की किसी तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई थी। इन आयातों को केवल जापान तक ही सीमित नहीं रखा गया था।

(घ) से (च) जी, नहीं। परन्तु मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) सं० 20/82-दिनांक 5 अप्रैल, 1982 जारी किया था, जिसके द्वारा, वित्त मंत्रालय विकलांगों के लिए आशयित जिन कारों को छूट देता था, उन्हें निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) की परिसीमा में लाया जाता था। इस निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस (ओ० जी०एल०) में यह शर्त थी कि भारत को प्रेषित खम के रूप में आयातित कारों का पोतलदान 31 मार्च, 1983 को अथवा उससे पूर्व हुआ हो। जिन मामलों में वित्त मंत्रालय ने—छूट तो मंजूर कर दी है परन्तु आयातकर्ता उनका पोतलदान 31 मार्च, 1983 से पूर्व नहीं करा सका, उनमें मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने विशिष्ट आयात लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है ताकि आयातकर्ता 31 मार्च 1983 के बाद भी उक्त कारों का आयात कर सकें।

फ्रांस के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाना

***296. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने से देश में गत तीन वर्षों के दौरान आयात असंतुलन लगभग पांच गुना बढ़ गया है;

(ख) क्या हाइब्रिड टेलीफोन एक्सचेंज आदि की सप्लाई के बारे में हाल में हुए समझौते के कारण यह व्यापार अन्तराल और नहीं बढ़ेगा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो व्यापार में संतुलन लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1978-79 से और उससे आगे भारत-फ्रांस व्यापार के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :--

(रुपये : करोड़)

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
निर्यात	176.15	195.62	146.94	149.47
आयात	226.14	200.30	280.30	246.88
व्यापार सन्तुलन	—49.99	—4.68	—133.36	—97.41

यदि हमारे निर्यातों में यथानुपात वृद्धि न हुई तो फ्रेंच सहयोग से एक इलैक्ट्रानिक स्विचिंग सिस्टम फैक्टरी की स्थापना के लिए उपस्कर तथा मशीनरी के आयात से फ्रांस के साथ हमारा प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन और अधिक बढ़ने की संभावना है।

(ग) प्रत्येक देश के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार में एक गणितीय सन्तुलन प्राप्त करना संभव नहीं है। जिन कतिपय आधुनिकतम मशीनरी तथा उपस्करों का स्वदेशी तौर पर उत्पादन नहीं होता उनके आयात के लिए हमारी विकासपरक परियोजनाओं की आवश्यकताओं के कारण फ्रांस से हमारे आयात बढ़ते रहे हैं। साथ ही फ्रांस को हमारे निर्यात विभिन्न कारणों, जिनमें फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में मन्दी व भारत में पूर्ति प्रतिबंध शामिल हैं, की वजह से कम हुए हैं। फ्रांस को हमारे निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे विपणन प्रयासों को गहन बनाया जा रहा है। हमने फ्रांसीसियों पर भारत से अधिक खरीदने की जरूरत पर भी जोर दिया है। परिणामस्वरूप एक फ्रांसीसी मिशन उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहाँ फ्रांस भारत से खरीदारियां कर सकता है, जनवरी, 1983 में भारत आया। इस मिशन के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही फ्रांसीसी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके तय की जाती है।

बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अर्थशास्त्रियों आदि की निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए पेनल

***297. श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निदेशकों के पद पर तथा विभिन्न अध्ययन दलों/सलाहकार समितियों आदि में नियुक्ति के लिए प्रमाणित योग्यता, पिछले रिकार्ड और कार्यकुशलता वाले अर्थशास्त्रियों, वित्तीय और प्रबंध सलाहकारों, बैंकों के सेवा निवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, व्यवसाय प्रबध के प्रोफेसरों, आदि का कोई पेनल रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनके कार्य से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यथासम्भव सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों का पेनल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु प्रमाणित योग्यता और रिकार्ड वाले स्वतंत्र व्यक्तियों की उच्च स्तरीय समितियाँ नियुक्त करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों और राष्ट्रीकृत बैंकों के अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. सरकारी उद्यम

सरकारी उद्यमों में अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के बारे में सरकार की नीति

यह है कि वह इसके लिए उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, मजदूर संघ और जन-जीवन के सिद्धहस्त व्यक्तियों का चयन करती है। अतः इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कोई सामान्य पैनल नहीं रखा जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं।

2. **राष्ट्रीकृत बैंक**

अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए विभिन्न स्रोतों से नाम प्राप्त किये जाते हैं। इसके लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालकों, केन्द्रीय सरकार के चुनीदा मंत्रालयों, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, चार्टरित लेखाकार संस्थान, लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार संस्थान, प्रबन्ध संस्थानों आदि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं, भारतीय उद्योग संघ तथा वाणिज्य मण्डलों, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन आदि जैसे उद्योग एवं वाणिज्य संगठनों, महानिदेशक (पिछड़े वर्ग) से उपयुक्त नामों की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

अध्ययन दल/सलाहकार समितियों को जिस प्रयोजन के आधार पर गठित किया जाता है उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार, उनके सदस्यों का चयन किया जाता है। अतः ऐसी सलाहकार समितियों/अध्ययन दलों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई सामान्य पैनल नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) जहाँ तक केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों के अंशकालिक निदेशकों का प्रश्न है, सरकार को यह अधिकार है कि यदि आवश्यक हो तो वह उनकी नियुक्तियाँ खत्म कर सकती है। सामान्यतः ऐसे अंशकालिक निदेशकों का कार्यकाल एक वर्ष और कुछ का तीन वर्ष तक होता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह अंशकालिक निदेशकों के योगदान का मूल्यांकन कर सके तथा यदि आवश्यक हो तो उनको बदला जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। सरकार द्वारा ये नियुक्तियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं विविध प्रावधान) योजना-1970 और 1980 के खण्ड-3 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाती है। यदि निदेशक का कार्य-निष्पादन संतोषजनक न रहा हो तो उसे हटाने की आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ) सरकार देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति की निरन्तर समीक्षा करती है। आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग और आर्थिक सलाहकार परिषद की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यचालन का अध्ययन करती हैं तथा उनमें सुधार के लिए उपयुक्त सदुपाय सुझाती हैं।

लेवी मांग के आधार पर चीनी का निर्यात

***298. श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात में राज सहायता कम करने हेतु लेवी मांग के आधार पर चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों के देश में लेवी चीनी के मूल्य से भी नीचे गिरने के कारण निर्यात राज सहायता में पर्याप्त कमी आएगी; और

(ग) क्या किसी अन्य उपयुक्त निर्यात सामग्री का पता लगाने के बजाय विद्यमान बाजार मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का निर्यात करना उपयुक्त है जहां पहले से ही चीनी की भरमार है और जिससे राजकोष पर राज सहायता भार में कमी होने में सन्देह है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा 1983 में निर्यात के लिए भारत को लगभग 6·50 लाख मे॰ टन सफेद चीनी का कोटा आवंटित किया गया है। निर्यात का स्वरूप निर्यातों के समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के एक सदस्य के रूप में हमारा निर्यात कोटा गत तीन वर्षों में से सर्वोत्तम 2 वर्षों में हमारे निर्यात निष्पादन को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। इसलिए दीर्घावधि में चीनी का निर्यात करना वांछनीय होगा।

विश्व बैंक का विशेष कार्यवाही कार्यक्रम

***299. श्री डी॰एम॰ पुट्टे गौडा :**
श्री एच॰एन॰ नन्जे गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विकासशील देशों को जल्दी-जल्दी ऋण देने के नये 'विशेष कार्यवाही कार्यक्रम' पर हाल ही में स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो देश के लिए नई योजना कहां तक सहायक होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने अपने राजकोषीय वर्ष 1983 और 1984 के दौरान सदस्य राष्ट्रों को विशेष सहायता देने के लिए 22 फरवरी 1983 को एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है।

(ख) किसी परियोजना-विशेष के ढांचे के अनुरूप जहां तक सम्भव होगा, हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित उपायों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

गोवा हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार

*300. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा हवाई अड्ढे पर सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) (1) 1.61 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से एक नए टर्मिनल भवन परिसर के निर्माण तथा एप्रन के विस्तार का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य सितम्बर, 1983 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में डबोलिम (गोवा) हवाई अड्डे पर 15.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास (वी० ओ० आर०) सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। स्थल के चयन का कार्य चल रहा है तथा अति उच्च आवृत्ति सार्वदिशिक परास सुविधा वर्ष 1985 तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(3) 6.18 लाख रुपये की लागत से 3-बार दृश्य उपगमन प्रवणता सूचक प्रणाली के लगाने का कार्य पूरा हो गया है। अप्रैल, 1983 में यह कार्य प्रारम्भ कर देगा। इसके अतिरिक्त, 3.44 लाख रुपए की लागत से एप्रन एज, एप्रन फ्लड तथा टैक्सीपथ प्रकाश व्यवस्था के दो महीने के भीतर पूरा कर दिए जाने की भी संभावना है।

कालीन के पीछे लगने वाले कपडे की बिक्री के बारे में बेल्जियम की फर्म के साथ करार

*301. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोपीय मंडियों में कालीन के पीछे लगने वाले कपड़े की समूची बिक्री के बारे में नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन तथा बेल्जियम की फर्म डेलका इन्टरनेशनल के बीच हुए एक दीर्घावधि करार की कड़ी आलोचना की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच का आदेश देगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सरकार ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन तथा बेल्जियम फर्म के बीच करार सम्बन्धी दिनांक 15 फरवरी, 83 के कलकत्ता के समाचार पत्र में छपी हुई रिपोर्ट को देखा है।

(ख) करार पर भारतीय रिजर्व बैंक सहित सक्षम अभिकरणों द्वारा विचार किया गया और स्वीकृति दी गई है। जांच कराने का कोई विचार नहीं है।

बगदाद में 'अंकटाड' की बैठक में भाग लेने वाले एशियाई देशों के मन्त्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का पुनर्विलोकन किए जाने की मांग

*302. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बगदाद में हाल ही में हुई 'अंकटाड' की बैठक में भाग लेने वाले एशियाई देशों के कुछ मन्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तों का पुनर्विलोकन करने की मांग की है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत सरकार का भी अब ऐसा ही विचार है जिसमें देश के उन आत्मनिर्भर अर्थशास्त्रियों और विचारकों के विचारों की पुष्टि होती है जिन्होंने सरकार को इन शर्तों के खतरे के बारे में सलाह दी थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ दृढ़तापूर्वक उठाने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 7 से 14 फरवरी, 1983 तक बगदाद, इराक में 77 के ग्रुप के एशियाई ग्रुप की पांचवीं बैठक हुई। यह प्रमुखतः जून, 1983 में, बेलग्रेड, युगोस्लाविया में होने वाले संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के छटे सत्र के लिए कार्यसूची की मदों पर विचार करने तथा एशियाई ग्रुप की स्थिति तैयार करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में तैंतीस एशियाई विकासशील देशों (भारत सहित) और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (पी०एल०ओ०) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक द्वारा सर्वसम्मत्ति से एक घोषणा और कार्रवाई का कार्यक्रम अपनाया गया। कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया गया था :

> "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन सिद्धान्तों की आधारभूत समीक्षा करेगा जिन पर उसकी शर्तें आधारित होंगी और वह विभिन्न खेपों (ट्रांशों) के अन्तर्गत अपनी नीति सम्बन्धी शर्तों में तत्काल संशोधन करेगा जिससे कि पूर्ति के विस्तार पर अधिक बल दिया जा सके, और इनमें सामाजिक प्राथमिकताओं और देशों के उद्देश्यों तथा उनकी आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को पूरी झलक मिल सके। बहुवर्षीय कार्यक्रमों का अधिक उपयोग किया जाएगा और कार्य-निष्पादन

सम्बन्धी मानदंड निर्धारित करने में अनिश्चितताओं के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखी जाएगी । समायोजन के सम्बन्ध में उपाय विहित करने में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विकासशील देशों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों और तत्वों को पूर्णरूप से ध्यान में रखेगा ।"

भारत सहित विकासशील देश लगातार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में शर्तों की संहिता को उदार तथा अधिक लचीला बनाने की मांग करते रहे है । वास्तव में, शर्तो के ढाँचे को लचीला और उदार बनाने की जरूरत विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार की मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व है ।

शर्तो पर और अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आगे चर्चा 77 के ग्रुप की अनुसचिवीय (मिनिस्टीरियल) बैठक में की जाएगी ताकि जून, 1983 में अंकटाड के बेलग्रेड सम्मेलन में इन विषयों पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सके ।

तस्करी विरोधी उपायों के परिणाम

*303. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी गतिविधियों को तेज किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 1982 के पहले ग्यारह महीनों में 60·71 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया था, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि मे 36·22 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) देश में तस्करी के खतरे का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) 1981 और 1982 के पहले ग्यारह महीनों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी के सामान का मूल्य और तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

अवधि	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
जनवरी से नवम्बर, 1981	36.22	2031
जनवरी से नवम्बर, 1982	61·23	2138

समुचित मामलों में, तस्करी के कारण गिरफ्तार किए गए/उसमें अंतर्ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून, जिसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 भी शामिल है के तहत यथापेक्षित कार्रवाई की जाती है।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के 19 वें सूत्र को, जिसमें तस्करों, जमाखोरों और कर-अपवंचकों के विरुद्ध निरन्तर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, कार्यान्वित करने की दिशा में, सरकार ने एक कार्य-योजना तैयार की है, जिसके अनुसार तस्करी-निवारक अभियान को तेज कर दिया गया है। इस कार्य-योजना के अन्तर्गत जो उपाय किए गए हैं उनमें ये उपाय शामिल हैं :—सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्त-सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी-निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को तेजी से लागू करना, तस्करी के आशंका वाले क्षेत्रों की सामूहिक गश्त लगाना और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ अधिकाधिक समन्वय रखना। इस मामले की भी बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

काठमांडु में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी

*304. श्री गुलशेर अहमद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1983 के 'करेंट' साप्ताहिक में 'काट' शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें काठमांडु अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कुछ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किए जाने और उनसे अघोषित विदेशी मुद्रा के बरामद होने का आरोप लगाया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत स्थित 'हॉलिडे नेपाल' तथा 'एन्ज्वाय नेपाल' पेकेज टूर कार्यालय भारतीय काले धन का उपयोग करने के लिए सम्पर्क बनाए हुए हैं, और यदि हां, तो उस कदाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी कठिनाइयां पैदा करने वाली इस काले धन की समस्या के उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट को सरकार की जानकारी में लाया गया है। इस सम्बन्ध में नेपाल सीमा शुल्क प्राधिकारियों से की गई जाँच पड़ताल से यह पता चला है कि 25 जनवरी 1983 को तीन भारतीय राष्ट्रिकों को अर्थात् श्री अरुण जैन, उनकी पत्नी पेट्रिसिया जैन तथा काजल जैन को उनके द्वारा त्रिभुवन हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया था जब वे रॉयल नेपाल एअर लाइन्स कारपोरेशन की उड़ान से हाँग-कांग के लिए रवाना होते समय 3146 अमरीकी डालर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। श्री अरुण जैन को गिरफ्तार किया गया था परन्तु कुछ ही दिनों के पश्चात् कुछ अर्थदण्ड अदा करने के बाद रिहा कर दिया गया था।

(ख) भारतीय कानूनों के अन्तर्गत संभाव्य कार्यवाही के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर जाँच पड़ताल प्रारम्भ कर दी गई है। जाँच-पड़ताल अभी प्रारम्भिक अवस्था पर है। इस समय कोई अन्य ब्यौरा बताना कारगर जांच-पड़ताल के हित में उचित नहीं होगा।

(ग) काले धन से सम्बन्धित मामले का अध्ययन लोक वित्त तथा नीति के राष्ट्रीय संस्थान को सौंपा गया है।

चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधायें

***305. श्री चिरन्जीलाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) चंडीगढ़ विमान क्षेत्र पर रात को विमानों के उतरने की सुविधाएं पहले से मौजूद हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के लिए वायुदूत सेवा का कार्यक्रम

***306. श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में वायुदूत सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकसित हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल में कूच बिहार को वायुदूत से जोड दिए जाने का प्रस्ताव है। कूचबिहार हवाई अड्डे के विकास का कार्य चल रहा है तथा जून, 1983 में पूरा हो जाने की संभावना है। इस कार्य में भवन, एक हवाई अड्डा तथा एक धावनपथ, दूरसंचार और मार्ग निर्देशन उपकरणों का लगाया जाना सम्मिलित है।

अमरीकी व्यापारी भारत में धन लगाने के इच्छुक

*307. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापारियों ने भारत में धन लगाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए कितने अमरीकी व्यापारियों ने उनके मन्त्रालय के साथ बातचीत शुरू की है;

(ग) वे किस प्रकार के व्यापार में धन लगाना चाहते हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने, भारत में पूंजी का निवेश करने तथा भारतीय कम्पनियों के साथ प्रौद्योगिकी के विषय में समझौता करने के बारे में बहुत सी अमरीकी कम्पनियों की बढ़ रही उत्सुकता पर ध्यान दिया है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले तथा निर्यातोन्मुख यूनिटों में ऐसे निवेश और सहयोग का स्वागत है। इस प्रयोजन के लिए उन कम्पनियों की बातचीत सरकार के साथ नहीं बल्कि उनकी प्रतिरूप कम्पनियों के साथ होती है।

हानि उठा रहे सरकारी उपक्रम

3261. **श्री शान्तुभाई पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जो गत पांच वर्षों से लगातार घाटा उठा रहे हैं; और

(ख) क्या कुछ ऐसे उपक्रम भी हैं जो "रुग्ण एककों" की श्रेणी में आते हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) 25-2-83 को संसद के सभा-पटल पर रखे गए सरकारी उद्यम कार्यालय के "लोक उद्यम सर्वेक्षण 1981-82" में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उल्लिखित 187 चालू उद्यमों में से 109 उद्यमों ने

या तो लाभ कमाया है, या न लाभ न हानि की स्थिति में हैं। शेष उद्यमों ने घाटा उठाया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को रुग्ण एकक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। 1977-78 से 1981-82 के दौरान जिन सरकारी उपक्रमों ने घाटा उठाया है, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत पांच वर्षों (1977-78 से 1981-82 तक) से निरन्तर घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची।

1. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
2. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
3. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०
4. भारत कोकिंग कोल लि०
5. कोल इण्डिया लि० (धारक कम्पनी)
6. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
7. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
8. हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि०
9. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
10. बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०
11. भारी इन्जीनियरी निगम लि०
12. जेसप एण्ड कम्पनी लि०
13. मानर्निग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि०
14. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०
15. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०
16. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
17. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
18. स्कूटर्स इण्डिया लि०
19. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०
20. भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लि०
21. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
22. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०

23. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
24. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
25. नेशनल टैक्सटाइल कारपो० (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०
26. नेशनल टैक्सटाइल कारपो० (मध्य प्रदेश) लि०
27. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०
28. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम एव उड़ीसा) लि०
29. भारतीय पटसन निगम लि०
30. दिल्ली परिवहन निगम

"मेजर शेयर स्कैण्डल अन्डर दि कार्पेट" शीर्षक से समाचार

32 ›2. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री रशीद मसूद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 नवम्बर, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बम्बई स्टाक एक्सचेंज के एक प्रमुख शेयर-ब्रोकर, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने प्रतिष्ठित कम्पनियों के भारी मात्रा में शेयर सर्टिफिकेट छपवा रखे थे तथा उसके कब्जे से लगभग 50 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और फर्मों की रबड़ की मोहरें और सील बरामद की गई हैं, से सम्बन्धित घोटाले का गत नवम्बर में भण्डाफोड़ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बुराई को तथा इसके फलस्वरूप होने वाले कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) बम्बई के 5 शेयर दलालों के मामलों में 30 और 31 अक्तूबर, 1981 को तलाशियां ली गई थीं। तलाशियों के परिणामतः प्रथम दृष्ट्या 25·65 लाख रु० मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं। इसके अतिरिक्त, कोरे जाली शेयर सर्टिफिकेट और कई प्रतिष्ठित कंपनियों, जिनमें एक राष्ट्रीकृत बैंक भी शामिल है, की रबड़ की मोहरें भी पकड़ी

गई। उचित कार्यवाही करने के लिए मामले को, कानन लागू करने वाली विभिन्न एजेन्सियों की जानकारी में ला दिया गया था जिनमें बम्बई स्टाक एक्सचेंज, कम्पनी ला बोर्ड और राज्य पुलिस भी शामिल हैं।

छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड के बारे में अधिसूचना

3263. **श्री भीखाभाई :** क्या वित्त मंत्री छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड की अधिसूचना को अभी जारी करने से रोका हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रस्तावित निदेशकों से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं और यदि हां, तो अधिसूचना जारी करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक-बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किये हैं, यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 1980 में राष्ट्रीयकृत छः बैंकों समेत 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल सरकार, द्वारा पिछले वर्ष के शुरू में ही गठित किये गये थे। निदेशक के रूप में नियुक्ति के वास्ते प्रस्तावित व्यक्ति की सहमति सामान्यतः अन्य घोषणाओं के साथ प्राप्त कर ली जाती है। निदेशकों की नियुक्तियाँ अंतिम रूप से सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 और 1980 के अनुसरण में की जाती है। विजया बैंक के निदेशक मंडल में विद्यमान एक रिक्ति पर, अभी हाल ही में, 19 फरवरी, 1983 को, अनूसूचित जाति से सम्बन्धित एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़ कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नामों की एक सूची संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित निदेशकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	बैंक का नाम	निदेशक का नाम	क्या अनु० जाति/अनु० जनजाति से संबंधित है
1.	आंध्र बैंक	श्री खुशी राम	अनुसूचित जाति
2.	बैंक आफ इण्डिया	श्री जयदेव बघेल	अनुसूचित जनजाति
3.	पंजाब नेशनल बैंक	डा० भानु प्रसाद पांड्या	अनुसूचित जाति
4.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री भाग सिंह	अनुसूचित जाति
5.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्रीमती जमुना सोलंकी	अनुसूचित जाति
6.	केनरा बैंक	डा० एन० डी० कांबले	अनुसूचित जाति
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	श्री होरेन जोन्स आर० जीन	अनुसूचित जनजाति
8.	देना बैंक	श्री कालिदास परमार	अनुसूचित जाति
9.	सिंडीकेट बैंक	डा० ईश्वर जी चवान	अनुसूचित जाति
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	डा० के० डी० वासव	अनुसूचित जनजाति
11.	इलाहाबाद बैंक	श्री दिनेश चन्द्र बर्मन	अनुसूचित जाति
12.	इण्डियन बैंक	श्री ए० पोन्नुदुरै	अनुसूचित जनजाति
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री रमेश जावन बांसोड	अनुसूचित जाति
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री राम चरण	अनुसूचित जाति
15.	कारपोरेशन बैंक	श्री टी० बाबू मास्टर	अनुसूचित जाति
16.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	श्री दौलत राम नेगी	अनुसूचित जनजाति
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्री नरेंद्र प्रताप सिंह	अनुसूचित जनजाति
18.	विजया बैंक	श्री के० पी० बस्तवार	अनुसूचित जाति

मूंगा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3264. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम बोर्ड ने उनके मंत्रालय को मूंगा परिष्कार तथा विकास के लिये कुछ मूंगा अनुसंधान केन्द्र खोलने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त मूंगा संस्कृति का विकास अनुसंधान केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या ऐसे अनुसंधान केन्द्र उड़ीसा में भी खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बोको, असम में मूंगा के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है। फिलहाल कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के वरिष्ठ कार्यकारियों के निवासों पर सुरक्षा कर्मचारियों के रख-रखाव पर खर्च

3265. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आयकर अधिनियम" तथा "कम्पनी अधिनियम" के अन्तर्गत निजि क्षेत्र में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारियों/कार्यकारी निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों की विशेष परिलब्धियों (पर्क्स) का सुनिर्धारण करते समय, उनके निवासों पर (जबकि वे अपने कारखाने के स्थान से इतर, शहरों में रहते हैं और यदि कारखाना उसी शहर में हो और वे कारखाना संकुल से बाहर रहते हों) पर तैनात सुरक्षा गार्डों/चौकीदारों/दरबानों के वेतन, भत्तों तथा वर्दियों के व अन्य आनुषंगिक खर्चों को भी लेखे में जोड़ा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनका विचार इसको भी "विशिष्ट परिलब्धियां" 'पर्कस्' मानने और इस बारे में यदि पहले आवश्यक निदेश न दिये गये हों तो, उचित अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वरिष्ठ कार्यकारी/कार्यकारी निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों के निवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड/वाचमैन/दरबान/चौकीदार के वेतन पर उपगत व्यय को "आय-कर" के अर्थान्तर्गत "परिलब्धियों" (पर्कस्) के रूप में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए पारिश्रमिक स्वीकृति आदेश में भी इसी प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, भाग (ख) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

कताई मिलों की स्थापना

3266. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितने कताई मिल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर नये कताई मिल खोलने का विचार है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अलग अलग राज्यों में कताई मिलें स्थापित करने का भारत सरकार का प्रस्ताव नहीं है। यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है कि वे राज्य में स्थानों का चयन करें।

इलाहाबाद जिले में शिलालेख वाले प्राचीन ऐतिहासिक स्तम्भ

3267. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के शिलालेख वाले अत्याधिक महत्व के प्राचीन ऐतिहासिक स्तम्भ पड़े हुए हैं, जिन पर जनता के लिए प्रतिबन्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस ऐतिहासिक स्मारक को आम जनता के लिए खोलने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इलाहाबाद फोर्ट में ऐतिहासिक शिलालेख वाला एक अशोक स्तम्भ है। आम जनता हर रविवार और छुट्टी वाले दिन उचित सुरक्षा प्रबन्ध के अन्तर्गत इस स्तम्भ को देख सकती है।

प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की मांग

3268. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, तथा संपदा शुल्क सहित प्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग करने वाला कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक कोई निश्चित परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) सरकार, प्रत्यक्ष-कर कानूनों और कार्यविधियों के सरलीकरण के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त करती रहती है। प्रत्यक्ष-कर कानूनों और कार्य-विधियों का सरलीकरण, सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। वह एक सतत् प्रक्रिया है और विगत समय में इस सम्बन्ध में कतिपय विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इस दिशा में अन्य समुचित विधायी उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न संसदीय समितियों, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, आय-कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार और उद्योग तथा आम जनता आदि द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रख कर, इस वर्ष प्रवर्तित किए जाने की आशा है।

लघु एककों को उत्पाद शुल्क से छूट

3269. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7,50,000 रुपए मूल्य का वार्षिक उत्पादन करने वाले लघु एककों को उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट है तथा 7,50,000 रुपये से 15 लाख रुपये मूल्य के उत्पादकों को 75 प्रतिशत उत्पादन शुल्क देना पड़ता है, और जिनका उत्पादन 15 लाख रुपए मूल्य से अधिक है, उन्हें इस शुल्क में कोई छूट नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वे 15 लाख रुपए मूल्य से अधिक वार्षिक उत्पादन वाले एकक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े छिपाकर तथा उनमें हेराफेरी करके और उन्हें उक्त सीमा से कम दिखाकर उत्पाद शुल्क की छूट सीमा का नाजायज लाभ उठा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसे कुछ मामलों का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पाद शुल्क की उक्त सीमा को समाप्त करने का विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) उत्पादन शुल्क लगने योग्य कई प्रकार के विनिर्दिष्ट माल पर सामान्य लघु उद्योग छूट योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत जिन लघु एककों द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की गई विनिर्दिष्ट माल की निकासियां 15 लाख रुपए से अधिक नहीं हों और जिन लघु एककों की पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी प्रकार के माल की की गई निकासियां 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हों वे 7·5 लाख रुपए तक के मूल्य के माल की निकासी, शुल्क की अदायगी किए बिना कर

सकते हैं और उसके बाद 7·5 लाख रुपए से अधिक परन्तु 15 लाख रुपए तक के मूल्य के माल की निकासी ऐसी निकासियों पर देय शुल्क के 75 प्रतिशत भाग की अदायगी करके कर सकते हैं।

(ख) और (ग) सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जिनमें कुछ ऐसे एककों ने निकासी आंकड़े छिपाकर लघु उद्योग छूट का लाभ उठाया था, जिनकी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट माल की निकासियां 15 लाख रुपए से अधिक थी। ऐसे मामले के पकड़े जाने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है।

(घ) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लघु क्षेत्र पर लागू मौजूदा शुल्क-रियायत योजना से इन एककों का विकास अवरुद्ध होता है इसलिए इसे उदार बनाया जाना चाहिए। इस वर्ष के बजट-प्रस्तावों के अंग रूप में इस योजना की समीक्षा की गई थी। पूर्ण छूट की सीमा 7·5 लाख रुपए से कम करके 5 लाख रुपए करने के साथ-साथ 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की उच्चतर सीमाओं को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। नई योजना 1 अप्रैल, 1983 से लागू होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

3270. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के नियन्त्रण में प्रत्येक उपक्रमों में श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं।

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं।

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण हेतु प्रत्येक उपक्रम को आरम्भिक नियुक्ति तथा पदोन्नति दोनों के लिए ही आदेश जारी किए गए है; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोटा पूरा कर लिया गया है तथा यदि नहीं, तो कोटे को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा कोटा कब तक पूरा किए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय

सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कर्मचारियों की श्रेणीवार जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां,

(घ) अनुबन्ध में दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि निम्न श्रेणी में समूह ग और घ के पदों में कोटे से अधिक भर्ती की गई है। किन्तु उच्चतर श्रेणी में समूह क और ख के पदों पर नियुक्तियां कम हुई हैं। सरकार इन आदेशों के कार्यान्वयन का उच्चतम स्तर पर परिवीक्षण कर रही है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती बढ़ाने के लिए उपयुक्त सदुपाय किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) आयु-सीमा में छूट, शुल्क में रियायत और साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(2) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से करें तथा इन जातियों के हित संरक्षण के लिए चयन मण्डलों/विभागीय प्रोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य आवश्यक रूप से शामिल करें।

(3) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों एवं प्रशासनिक मंत्रालयों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे आरक्षण आदेशों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करें।

(4) समूह क और ख के पदों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध कराने हेतु भारतीय प्रबन्ध संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की इन संस्थानों में और अधिक भर्ती करने के उपाय किए हैं।

(5) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी गई है कि वे इन्जीनियरी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करें जिनका अन्ततः सरकारी क्षेत्र के उन्हीं उद्यमों में संविलयन किया जाएगा तथा वे कनिष्ठ स्तर के पदों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण एव छात्रवृत्ति योजना चालू करें।

(6) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिश पर सरकारी उद्यम कार्यालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी सरकारी नीति के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कार्मिक प्रबन्धों एवं सम्पर्क अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है ताकि उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं एवं प्रयासों की जानकारी दी जा सके।

विवरण

1-1-1982 को सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या			
		अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
		संख्या	निर्धारित प्रतिशत (15 प्रतिशत) की तुलना में प्रतिशत	संख्या	निर्धारित प्रतिशत (7-1/2 प्रतिशत) की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(185 उद्यमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)					
समूह "क"	110662	3964	3·58	976	0·88
समूह "ख"	112690	7420	6·58	2109	1·87
समूह "ग"	1338945	238353	17·80	113474	8 48
समूह "घ" (झाड़ूकशों के अलावा)	344590	85704	24·87	47687	13·84
समूह "घ" (झाड़ूकश)	31945	25237	79·00	1073	3·35
जोड़	1938832	360678	18·60	165319	8·53

फिल्मी हस्तियों द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा

3271. **श्री एन० डेनिस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेशों में फिल्म व्यापार में (एक) फिल्म निदेशकों, (दो) महिला फिल्म कलाकारों (तीन) पुरुष फिल्म कलाकारों तथा (चार) तकनीशियनों द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

1983-84 के लिए निर्यात योजनाएं

3272. **श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983-84 के लिए निर्यात योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वस्तुवार ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा तैयार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 के लिए निर्यात अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

3273. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री नवीन रावणी :
श्री इरा अन्वरासु :
श्री पी० के० कोडियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1982 तक कितने रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं तथा उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कुछ रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 31-3-1982 तक भारत सरकार द्वारा 103 सूती वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा किसी भी सूती वस्त्र मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार भी औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने हेतु समान रूप से सक्षम है—ऐसी दशा में राष्ट्रीयकरण के लिए प्रस्तावों के ब्यौरे नहीं बताये जा सकते।

यूरोपीय आर्थिक समुदायों के देशों को कपड़ों का निर्यात

3274. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारतीय कपड़ों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के भारतीय कपड़ों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान भारतीय कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अगले वर्ष के दौरान हमारे निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) ई०ई०सी० को मिल-निर्मित सूती वस्त्रों तथा सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान ई० ई० सी० बाजारों को परिधानों तथा सूती वस्त्रों के निर्यात में 1981 की तत्सम्बन्धी अवधि में इन मदों के निर्यात की तुलना में कुछ गिरावट आई है।

(घ) प्रमुख आयातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मन्दी की प्रवृत्तियां तथा मांग पद्धति व उपभोक्ता पसन्दों में परिवर्तन इस गिरावट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी बताए जाते हैं। बम्बई में वस्त्र मिलों में हड़ताल से भी निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से बम्बई क्षेत्र से बाहर मिलों को सूती वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्राएं 1.1.1983 से कोटा देशों में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। विभिन्न देशों/श्रेणियों में सिले-सिलाये परिधानों के सम्बन्ध में मात्राओं का खण्डवार अन्तरण उपयोग की गति तथा

मांग के रुख को ध्यान में रखकर किया गया है। 1.1.1983 से प्रभावी नकद मुआवजा सहायता की दरें भी घोषित की गई हैं।

विवरण

ई० ई० सी० को निर्यातित मिल निर्मित सूती वस्त्रों (फैब्रिक्स) की मात्रा तथा मूल्य।

वर्ष	मात्रा मे० टन में	मूल्य (करोड़ रु०)
1980-81	31398	122.50
1981-82	17405	81.28
1982-83 (अनन्तिम) (अप्रैल-दिसम्बर)	8265	45.09

स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद।

ई० ई० सी० को निर्यातित परिधानों की मात्रा तथा मूल्य।

वर्ष	मात्रा लाख थानों में	मूल्य (करोड़ रु० में)
1980-81	774	278.41
1981-82	712	277.01
1982-83 (अनन्तिम) (अपैरल-दिसम्बर)	424	159.26

स्रोत : अप्रैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल।

धनबाद को विमान सेवा

3275. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार धनबाद को शीघ्र ही विमान सेवा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक और धनबाद के लिए तथा धनबाद से कितनी-कितनी देर में उड़ानें होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी० सी० आई० एण्ड ई० के कार्यालय में एक विधि सलाहकार की नियुक्ति

3276. **श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मंत्री** सी०सी०आई० एण्ड ई० में एक विधि सलाहकार की नियुक्ति के बारे में 6 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य आयात तथा निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय में पूर्ववर्ती विधि सलाहकार ने कब नौकरी छोड़ी अथवा वह कब सेवा-निवृत्त हुआ;

(ख) क्या उसकी जगह एक नये व्यक्ति की नियुक्ति कर ली गई है; और यदि हां, तो किस तारीख से नियुक्ति की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो अभी तक विधि सलाहकार नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उनका कार्यकाल 30 नवम्बर, 1982 को समाप्त हो गया।

(ख) जी, अभी तक नहीं।

(ग) चयन को अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य अन्तिम चरण में है।

वर्ष 1981 तथा 1982 में बनने शुरू हुए होटल

3277. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन होटलों की संख्या कितनी है जिनका निर्माण कार्य वर्ष 1981 तथा 1982 में शुरू हुआ था और उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान प्रत्येक उद्यमी को पृथक-पृथक कितना, क्या अनुदान आदि दिया गया; और

(ग) उन होटलों के नाम क्या हैं, जिनका निर्माण कार्य 1982 तक पूरा नहीं किया जा सका; और उन पार्टियों की तरफ सरकार का कितना पैसा देय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1981 और 1982 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने नई दिल्ली में 9 नए होटलों के निर्माण की परियोजनाओं और एक होटल के विस्तार को अनुमोदित किया था। इन होटल परियोजनाओं की अनुमानित लागत 221.38 करोड़ रुपये थी।

(ख) 1981-82 के दौरान अखिल भारत वित्तीय संस्थानों ने इन होटलों को निम्नलिखित ऋणों की राशियां रुपयों में स्वीकृत की थी :—

होटलों के नाम	(आंकड़े लाखों में)
1. एशियन होटल्स	रु० 1100.00
2. कास्मोपोलिटन होटल्स	रु० 545.00
3. सिद्धार्थ इन्टरकान्टिनेन्टल होटल्स	रु० 285.00
4. भारतीय होटल निगम	रु० 675.00
5. भारतीय होटल्स लि०	रु० 800.00
6. सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि०	रु० 1200.00
7. पार्क होटल	रु० 430.00

(ग) इन होटलों में से कुछ नवम्बर, 1982 तक पूरे हो जाने थे जबकि अन्य होटलों को कुछ सुविधाओं सहित निश्चित संख्या तक कमरे जुटाने थे और दिसम्बर, 1982 के बाद आगे निर्माण कार्य करता था ।

भारतीय औद्योगिक विकास निगम के अनुसार 31-12-82 को निम्नलिखित ऋण-राशियां बकाया (आउट-स्टैंडिंग) थीं :—

होटलों के नाम	(आंकड़े लाखों में)
1. एशियन होटल्स	रु० 270.00
2. कास्मोपोलिटन होटल्स	रु० 118.00
3. सिद्धार्थ इन्टरकान्टिनेन्टल होटल्स	रु० 65.00
4. भारमीय होटल निगम	रु० 135.00
5. भारत होटल्स लि०	रु० 130.00
6. सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि०	रु० 112.50

एकाधिकार-ग्रहों पर आयकर विभाग द्वारा छापे

3278. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार ग्रहों की कंपनियों की कितनी बार तलाशियां लीं; और

(ख) इन तलाशियों के आधार पर कितने-कितने कर-निर्धारित किये गये और उनके परिणामस्वरूप कितने करों का निर्धारण किया गया और कितने कर वसूल किए गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई विकास बैंक (ए० डी० बी०) द्वारा भारत में चलाई जा रही योजनाएं

3279. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) एशियाई विकास बैंक की भारत में चल रही योजनाओं का स्वरूप उक्त बैंक की अन्य देशों में चल रही योजनाओं की तुलना में कैसा है; और

(ग) भविष्य में भारत को लाभ पहुंचाने हेतु उक्त बैंक ने क्या कार्यक्रम सोचे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इस समय एशियाई विकास बैंक भारत में कोई योजना नहीं चला रहा है । फिर भी, भारत सरकार ने बैंक के प्रबंध-मंडल को तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि की अवधि के दौरान ऋण लेने के अपने इरादे को सूचित कर दिया है । भारत में बैंक के भावी क्रियाकलाप ऋण लेने के कार्यक्रम पर ही निर्भर करेंगे जिसको तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि के पूरा हो जाने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा । इस सामान्य पूंजी वृद्धि पर विचार किया जा रहा है ।

टसर विकास कार्यक्रम

3280. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टसर विकास कार्यक्रम के लिए किसी बाहरी देश के साथ कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस देश के साथ और उक्त करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) इसमें अनुमानतः कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) इस दिशा से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) देश का नाम स्विटजरलैंड है । वर्तमान करार के अन्तर्गत स्विस सरकार की परियोजना को पहले तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 मिलियन स्विस फ्रैंक (लगभग 45,000,00 रु०) का अंशदान करना है और साथ ही उसे अगले दो वर्षों के लिए भी परियोजना को इसी प्रकार निधि प्रदान करने का विकल्प भी है । इस प्रकार, पांच वर्षों में

10.50 करोड़ रु० के कुल परियोजना परिव्यय में से 2.50 करोड़ रु० स्विस सरकार से आने की संभावना है।

(घ) 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान खाद्य पौधों के अन्तर्गत 3000 हेक्टेयर (लगभग) के कुल क्षेत्र में रोपण किया गया है और 1983-84 के दौरान और 3000 हेक्टेयर का रोपण किया जाएगा, इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भूमि का आबंटन टसर रेशम कीड़ों के पोषण के एकमात्र प्रयोजन के लिए टसर पोषकों को 1 हेक्टेयर प्रति परिवार की दर पर किया जाएगा।

तीसरे दर्जे की हवाई सेवा के लिए हवाई पट्टियों का निर्माण

3281. श्री डी० पी० जडेजा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीसरे दर्जे की हवाई सेवा के लिए नई हवाई पट्टियां कहां-कहां बनाई गई हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य से उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें तीसरे दर्जे की हवाई सेवा से जोड़ा गया है; और

(ग) देश में, विशेषकर गुजरात में, अगले वर्ष अर्थात्, 1983-84 में तीसरे दर्जे की हवाई सेवा शुरू करने सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तीसरे स्तर की विमानसेवा के लिए अभी तक किसी हवाईपट्टी का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) तीसरे स्तर की विमानसेवाओं से अभी तक निम्नलिखित शहरों को जोड़ा गया है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तीसरे स्तर की विमानसेवाओं से जोड़े गए स्टेशनों के नाम
1	2
1. असम	(i) सिल्चर
	(ii) गोहाटी
2. मेघालय	शिलांग
3. त्रिपुरा	(i) अगरतला
	(ii) कैलाशहर

1	2
4. अरुणाचल प्रदेश	तेजू
5. पंजाब	लुधियाना
6. उत्तर प्रदेश	देहरादून
7. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
8. बिहार	(i) जमशेदपुर
	(ii) रांची
	(iii) गया
	(iv) पटना
9. उड़ीसा	राउरकेला
10. दिल्ली	दिल्ली
11. चंडीगढ़	चंडीगढ़

(ग) वर्ष 1983-84 में तीसरे स्तर की विमानसेवाएं प्रचालित किए जाने के लिए निम्नलिखित स्टेशनों के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा :—

पूर्णिया, भागलपुर, रायपुर, जगदलपुर, झारसुगुडा, गाजीपुर, पंतनगर, रायबरेली, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, नांदेड़, कुडप्पा, मैसूर, तंजाबुर, वारंगल, रायचूर, कालीकट. हुबली, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कांडला, सूरत, भावनगर. दमण और दीव। तथापि; अंतिम निर्णय यातायात की क्षमता/संभाव्यता, प्रचालनों की आर्थिक विकास क्षमता, उपयुक्त विमान की उपलब्धता तथा आधार संरचनात्मक विकास तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

भारत सोवियत कपड़ा व्यापार

3282. श्री अर्जुन सेठी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सोवियत संघ के साथ भारत सोवियत कपड़ा व्यापार कठिनाइयों में पड़ गया है क्योंकि वर्ष 1983 में सोवियत संघ शायद भारत से बैड लाइनेन जैसा कपड़ा न उठाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार 200 करोड़ मीटर सूती कपड़े को खरीदने सम्बन्धी हाल में हुआ भारत-सोवियत कपड़ा करार भी पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं होगा तथा वर्ष 1983 में वास्तविक निर्यात की कुल मात्रा निर्धारित लक्ष्यों से कम रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सोवियत क्रेता संगठन ने 1983 के दौरान अब तक 42.2 मिलियन बंड लिनन तथा 74·5 मिलियन मीटर सूती फैब्रिक्स की खरीद के लिए संविदा की है। पूरे कैलेन्डर वर्ष, 1983 के दौरान कितनी कुल मात्रा की संविदा होने की संभावना है उसका अभी उल्लेख नहीं किया जा सकता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5-स्टार होटलों में कार्यरत महिला अटेंडेंटों का वेतनमान

3283. **श्री अनंत रामुलु मल्लू :**

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5-स्टार होटलों में महिला अटेंडेंटों (चेम्बरमेड) के लिए प्रशिक्षणार्थ अर्हतायें अस्पताल में नर्स के लिए अपेक्षित अर्हताओं (मैटिकुलेट) के समान हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें भी प्राय: वैसा ही कार्य करना पड़ता है जो कि अस्पताल में काम करने वाली नर्सों को करना होता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जबकि महिला अटेंडेंटों (चेम्बरमेड) को श्रेणी चार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिए जाते हैं, वहां नर्सों के वेतनमान कहीं ऊंचे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं और उन पर समान काम के लिये समान वेतन का नियम क्यों लागू नहीं किया जाता; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जी, नहीं। मैट्रिकुलेशन की मूल अपेक्षा के अलावा, आई०टी०डी०सी० होटलों में काम करने वाली महिला अटेंडेंटों (चेम्बरमेड) के कर्त्तव्य तथा अर्हताएं और अस्पतालों में नियुक्त नर्सों के कर्त्तव्य और अर्हताएं तुलनीय नहीं हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बैंक ऋण

3284. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान दिए बैंक ऋण का ब्यौरा क्या है तथा उसका राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रवार विवरण क्या है;

(ख) दोनों क्षेत्रों के लिए ब्याज दर से संबंधित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऋण की कितनी राशि का वर्ष-वार भुगतान नहीं किया गया है और राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रवार उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र के साथ कोई सौतेला व्यवहार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके प्रति क्या कदम उठाए गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1979, 1980 और 1981 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक कुल अग्रिमों और ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए अग्रिमों के उपलब्ध राज्यवार आंकड़े अनुबंध(1) में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6142/83**]

(ख) वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज दर ढांचा ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों से सम्बद्ध नहीं होता बल्कि वह ऋण के आकार और प्रयोजन से सम्बद्ध है। इस समय प्रचलित ब्याज ढांचा अनुबंध-2 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6142/83**] इससे यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे ऋण अर्थात् लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए कम से कम 3 वष की अवधि वाले ऋण, मोटे तौर से, 10·25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिए जाते हैं। छोटे किसान कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों के लिए भी ब्याज की उन्हीं दरों पर सावधिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 25 हजार रुपये तक के मिश्रित ऋणों के बारे में भी रियायती व्यवहार किया जाता है और उन पर ब्याज की दर पिछड़े इलाकों में 10·25 प्रतिशत और सम्बद्ध इलाकों में 12·5 प्रतिशत होती है। शहरी इलाकों में जहां अधिकांश ऋण सगठित क्षेत्रों में बड़े पैमाने की गतिविधियों के लिए दिया जाता है, वहां थोक व्यापार और उद्योग के लिए कार्यकारी पूंजी के रूप में वित्त पोषण के वास्ते ब्याज की दर 17·50 प्रतिशत और 19·50 प्रतिशत के बीच रहती है।

(ग) अनुबंध-1 में दिए गए आंकड़े बकाया अग्रिमों अर्थात् ऋणकर्त्ताओं के पास राशि के सम्बन्ध में हैं। यदि प्रश्न अतिदेय (ओवरड्यू) ऋणों के बारे में हों तो आंकड़े केवल कृषि को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त के बारे में ही उपलब्ध हैं। वे ग्रामीण/शहरी इलाकों के सभी क्षेत्र के बारे में उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी, नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, प्रधान क्षेत्रों में, ब्याज की दर में, रियायत बरतने के अलावा बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहें हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 60 प्रतिशत के ऋण अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे कृषि में अपने प्रत्यक्ष वित्त के अंश को बढ़ाकर 1985 तक 15 प्रतिशत के स्तर तक और मार्च, 1987 तक 16

प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें। बैंकों के शाखा विस्तार के कार्यक्रमों में भी ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में उदारता बरती जा रही है।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्गुट सम्मेलन के लिए हवाई अड्डों को नया रूप प्रदान करना

3285. **श्री नवीन रावणी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्गुट सम्मेलन के कारण कुछ हवाई अड्डों को नया रूप प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ग) किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली हवाईअड्डों का नवीकरण किया गया था।

(ग) इन हवाईअड्डों पर किए गए मुख्य सुधारों को नीचे बताया गया है :—

दिल्ली विमानक्षेत्र :

(1) धावनपथ 15/33 पर वायुसेना तकनीकी क्षेत्र तक पुन: फर्श बिछाना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन में कन्वेयर बेल्ट में परिवर्तन।

(3) अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान भवन में एक्से-रे क्रमवीक्षण यंत्रों को लगाने की व्यवस्था।

(4) भू-दृश्य-निर्माण में सुधार, कम्पाउंड दीवार का निर्माण, फिर से पेंट करना आदि।

कलकत्ता विमानक्षेत्र :

विमान ठहरने के स्थानों/धावनपथों पर पुन: फर्श बिछाना।

बम्बई विमानक्षेत्र :

(1) टर्मिनल I में मौजूदा वी०आई०पी० लाउंज का नवीकरण/सुधार।

(2) कुछ क्षेत्रों में पुन: फर्श बिछाना तथा फिर से पेंट करना।

(घ) सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वी०आई०पी० विमान दिल्ली विमानक्षेत्र पर ठहराए गए थे तथा नए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल को केवल गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडलों के लिए ही प्रयुक्त किया गया। शीघ्र निपटान के लिए कार्यविधियों को आसान बना दिया गया था।

मद्रास में आयकर अधिनियम के अंतर्गत सिनेमा कलाकारों के विरुद्ध कार्यवाही करना

3286. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाश :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में आयकर अधिकारियों ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 222, द्वितीय अनुसूची के साथ पठित के अंतर्गत सिनेमा के क्षेत्र के इस समय के अभिनेताओं और भूतपूर्व अभिनेताओं तथा स्टूडियों के मालिकों से पिछले तीन वर्षों के करों की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) ; (क) से (ग) विभाग, उन फिल्म कलाकारों के बारे में समय-समय पर सूचनायें एकत्र करता है, जिनकी ओर 1 लाख रु० से अधिक की आय-कर की मांग बकाया पड़ी है। परन्तु स्टूडियो मालिकों के बारे में इस प्रकार की सूचना एकत्रित नहीं की जाती है। समय-समय पर एकत्रित सूचना के आधार पर, चोटी के 20 कलाकारों (जिनमें अभिनेत्रियाँ भी शामिल हैं) और निर्माताओं के साथ, जिनकी शिनाख्त, 30-9-82 की स्थिति के अनुसार कर की सकल बकाया मांग के आधार पर की गई है, 4 मार्च, 1983 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 2203 के उत्तर में लोक-सभा को सूचित कर दिए गए थे। माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न में अब मांगी गई सूचना, जिसमें सभी वर्तमान और भतपूर्व कलाकार और स्टूडियो मालिक शामिल हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित करनी पड़ेगी जिसमें पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा, और जो माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा जो हो वे प्राप्त करना चाहते हैं। तथापि, यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के बारे में सूचना मांगी जाती है, तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

दिल्ली इनकम टैक्स नान-गजेटेड स्टाफ एसोसियेशन के साथ बात-चीत

3287. **श्री काजी सलीम :**

श्री उत्तमभाई एच० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली इनकम टैक्स नान-गजेटेड स्टाफ एसोसियेशन और आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, दिल्ली के साथ उनकी मांगों और कठिनाइयों के सम्बन्ध में 1 जनवरी 1982 से 28 फरवरी 1983 तक की अवधि के दौरान कर्मचारियों और सरकार की बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी बात-चीत और विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले;

(ग) उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी हां।

(ख) स्टाफ क्वाटरों का निर्माण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, स्थायीकरण, प्रवरणग्रेड पदों का सृजन और कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण, पहचान कार्डों को जाँच करना, कार्यालय आवास की कमी आदि जैसे स्टाफ से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई थी और उनकी मांगों के सम्बन्ध में स्थिति उन्हें स्पष्ट कर दी गयी थी।

(ग) इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय उद्योगपतियों के एक शिष्टमण्डल द्वारा पाकिस्तान का दौरा

3288. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री एन० एस० के० सतियेन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योगपतियों के एक शिष्टमण्डल ने, भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पाकिस्तान जाने वाले उक्त व्यापार शिष्ट-मंडल से उन क्षेत्रों के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है जहाँ भारतीय निर्यात, वहाँ के स्थानीय औद्योगिक विकास पर कुप्रभाव डाले बिना पाकिस्तान को सहायक सिद्ध होगा; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने नवम्बर, 1982 में एक

प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भेजा था। इसके पश्चात्, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस वर्ष फरवरी में पाकिस्तान का दौरा किया।

(ख) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(ग) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान में भारत से आयातों को, उन मदों को शामिल करके बढ़ाया जाए जिसमें भारत अन्य सप्लाई करने वाले देशों से प्रभावशाली ढंग से प्रतियोगिता कर सकता है और जिससे पाकिस्तान की घरेलू अर्थव्यवस्था के हितों को बाधा न पहुंचे।

रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा यूरोपीय डालर ऋण

3289. **श्री हरिहर सोरेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कुछ परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण तथा यूरोपीय डालर ऋण लेने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए कितना यूरोपीय डालर ऋण लेने की संभावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की दक्षिण बेसिन गैस विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने 24 फरवरी, 1983 को 22·23 करोड़ अमेरिकी डालर के एक ऋण का अनुमोदन किया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के चालू कार्यक्रमों के लिए एक यूरोडालर ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसके बारे में विस्तृत ब्यौरे की जानकारी ऋण सबंधी विचार-विमर्श के अन्तिम रूप से पूरा हो जाने पर ही चल सकेगी।

"स्लैक ओवरसीज डिमांड हिट्स गार्मेन्ट यूनिट्स" शीर्षक से समाचार

3290. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 18 फरवरी, 1983 के इकनामिक टाइम्स में

"स्लैक ओवरसीज डिमांड हिटस गार्मेन्ट यूनिटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो सिले-सिलाये वस्त्रों, जिनका उत्पादन समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों द्वारा किया जाता है, के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ।

(ख) 1 जनवरी, 1983 से कोटा देशों में उपयोगिता के लिए सिलये-सिलाए परिधानों के निर्यात हेतु अत्यधिक मात्राएं उपलब्ध हैं। सिले-सिलाए परिधानों के बारे में खण्डवार मात्राओं का अन्तरण विभिन्न देशों/श्रेणियों की उपयोगिता की गति तथा मांग के रुख पर विचार करने के बाद की गई है। 1 जनवरी, 1983 से प्रभावी नकद मुआवजा समर्थन की दरें घोषित कर दी गई हैं।

देशीय शुल्क क्षेत्र में निर्यात अधिशेष तथा अस्वीकृत माल की बिक्री

3291. **श्री म० राजशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 100 प्रतिशत निर्यात इकाइयों के मामले में निर्यात से अधिशेष अथवा अस्वीकृत माल की देशीय शुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति वैध भारतीय आयात लाइसेंस पर दी जाती है ; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि सिले-सिलाए वस्त्र, जूते, हौजरी आदि माल का भारत में आयात नहीं किया जा सकता, सरकार का विचार 100 प्रतिशत निर्यात इकाइयों के ऐसे फालतू तथा अस्वीकृत माल को देशीय शुल्क क्षेत्र में बेचने की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत तक अथवा उस प्रतिशत तक जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए, अस्वीकृत माल को आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों पर सीमा शुल्क और घरेलू अन्तर्निविष्ट साधनों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और साथ ही अस्वीकृत माल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अथवा ऐसे शुल्कों के कुल योग के बराबर राशि का भुगतान करने पर, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सकती है। वैध आयात लाइसेंसों के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात अधिशेष की बिक्री की अनुमति देने की कोई व्यवस्था योजना में नहीं है।

उद्योग की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति की स्थापना

3292. **श्री एस० ए० दोराई सेवास्तियन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग की वर्तमान वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निर्देश पद और अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जूट, चाय, उर्वरक और चीनी उद्योगों में से प्रत्येक के वास्ते, संस्थागत वित्त का समन्वय करने के नये एक एक समिति गठित की है। इन समितियों का कार्य वर्तमान समय में इन उद्योगों की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करना है। इस समय, अन्य उद्योगों के लिए इस प्रकार की समितियाँ गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इन समितियों का प्रमुख कार्य-वित्तीय तथा दूसरी प्रकार की जो भी समस्याएं इन्हें भेजी जायें; उनके बारे में, विचार-विमर्श करना है। इनकी सिफारिशें परामर्शी किस्म की होती हैं।

इन समितियों के सदस्य यह हैं :—भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, केन्द्रीय सरकार, सावधि ऋणदात्री-संस्थाओं और सम्बन्धित उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारी। प्रत्येक समिति में अन्य विशेषज्ञों का भी प्रतिनिधित्व होता है।

पूंजी-निवेश कम्पनियों पर आयकर छापे

3293. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निवेशकर्ता कंपनियों के नाम क्या हैं जिन पर पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग ने छापे मारे थे; और

(ख) गैर-कानूनी दस्तावेज और लेखाबाह्य धनराशि आदि रखने के लिए उनके विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत, आयकर विभाग द्वारा जिन निवेशी कम्पनियों की तलाशी ली गई, उनके नाम तथा पकड़ी गई प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :—

कम्पनी का नाम		तलाशी की तारीख	पकड़ी गई प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
(i)	मैसर्स संचेती फाइनेन्स (प्रा०) लि०, मद्रास।	22-2-82	10·5
(ii)	संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०, कलकत्ता।	8-2-83	0·5
(iii)	जनप्रिय फाइनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०, कलकत्ता।	8-2-83	95·9

(ख) मैसर्स संचेती फाइनेन्स (प्रा०) लि० के मामले में पकड़ी गई तथा अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा रोके रखी गई परिसंपत्तियां, बैंक-गारण्टी पर छोड़ दी गई हैं। सभी मामलों में पकड़े गये दस्तावेजों की प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने के लिए, छानबीन की जा रही है।

पर्यटक एजेंसियां

3294. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटक एजेंसियों की राज्यवार कुल संख्या तथा सूची क्या है और तत्सम्बन्धी विशेष शर्तें क्या हैं; और

(ख) सरकारी एजेंसियों के साथ उनके सम्बन्ध कैसे हैं और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय देश में 154 अनुमोदित यात्रा अभिकरण (भारत में उनकी शाखाओं सहित) हैं जैसा कि विवरण "क" में दर्शाया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान करने और विनियमित करने के बारे में विशेष शर्तें विवरण "ख" और "ग" में दी गई हैं।

(ख) इन अभिकरणों को विदेश मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से भी अधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होती है। इन आधिकारिक अभिकरणों द्वारा जिन शर्तों

पर मान्यता प्रदान की जाती है, वे अनुबंध "घ" और "ङ" में दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6143/83] इन यात्रा अभिकरणों को शाप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अधीन चीफ इंस्पेक्टर आफ शाप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट से भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है।

विवरण 'क'

यात्रा अभिकर्ताओं और उनकी राज्यवार शाखाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	जोड़
1.	गुजरात	5
2.	कर्नाटक	14
3.	महाराष्ट्र	38
4.	पश्चिम बंगाल	18
5.	केरल	10
6.	असम	1
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	राजस्थान	1
9.	तमिलनाडु	15
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	उत्तर प्रदेश	3
12.	आन्ध्र प्रदेश	6
13.	बिहार	2
14.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	2
15.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	30
16,	गोआ (संघ शासित क्षेत्र)	3
17.	पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2
	कुल जोड़	154

विवरण 'ख'

भारत सरकार

पर्यटन विभाग

यात्रा अभिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने के नियम

1. मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन पर्यटन के महानिदेशक, परिवहन भवन,

1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएंगे जो मान्यता प्रदान करने के लिए शक्ति-प्राप्त प्राधिकरण है।

2. मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य भारत में पर्यटक उद्योग के विकास का संवर्धन करना होगा।

3. मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में होगा (प्रतिलिपि संलग्न)।

4. किसी भी फर्म को मान्यता प्रदान करने के लिए यह जरूरी होगा कि वह आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान पर्यटक यातायात को सक्रिय रूप से हैंडल करने में लगी रही हो।

5. जिन फर्मों को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी वे सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किए जाने वाले अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का हकदार होंगी और मान्यता की समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेंगी।

6. जिन फर्मों को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी उन्हें अपने स्टाफ के एक पूर्णकालिक सदस्य के चार्ज में एक कार्यालय बनाए रखने का आश्वासन देना होगा जो परिवहन तथा आवास सुविधाओं, मुद्रा तथा कस्टम विनियमों और यात्रा आदि के बारे में सामान्य सूचना प्रदान करने की स्थिति में हो।

7. जिन फर्मों को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी उन्हें केवल पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित गाइडों को काम में लगाने के बारे में वचन देना होगा।

8. मान्यता पूरे भारत के लिए विस्तारित होगी अथवा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होगी।

9. सभी मान्यता प्राप्त फर्में सरकार द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर अपने कार्यकलापों के बारे में एक वार्षिक विवरण और उनके द्वारा वास्तव में हैंडल किए गए पर्यटक यातायात की तादाद और अन्य संगत मामलों के बारे में समय-समय पर मांगी गई अन्य कोई सूचना पर्यटन विभाग और अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय को भेजेंगी।

10. आरम्भिक मान्यता और इसे आगे बढ़ाने के बारे में आवेदनों पर केवल एक वर्ष के लिए ही विचार किया जाएगा।

11. मान्यता प्रदान करने के मामले में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। भारत सरकार बिना कोई कारण बताए अपने विवेकानुसार किसी भी फर्म को मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकती है।

12. पहले से ही प्रदान की गई मान्यता को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द अथवा वापिस लेने का अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है।

13. पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मान्यता फर्म को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा रेल टिकटों की बिक्री करने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्ति का स्वत:

हकदार नहीं बनाती । इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई एजेंसियां रेलवे बोर्ड को अलग से आवेदन भेजेंगी ।

14. यात्रा अभिकर्ता के रूप में मान्यता मांगने वाली फर्मों का कम से कम एक लाख रुपए का पेड-अप कैपिटल होना चाहिए।

15. पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु भेजे गए आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब फर्म :

(i) आई० ए० टी० ए० द्वारा अनुमोदित हो ;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से फॉरेन पैसेजेजबुक करने का लाइसेंस हो ;

(iii) ट्रैवल डाकूमेंटस को हैंडल करने और पारपत्र कार्यालयों से पत्र-व्यवहार करने हेतु बिदेश मंत्रालय का अनुमोदन हो ;

(iv) स्थानीय शाप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अधीन पंजीकृत हो ।

विवरण 'ग'

भारत सरकार

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

पर्यटन विभाग

परिवहन भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय :—यात्रा अभिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करना विनियामक शर्तें ।

मान्यता प्राप्त यात्रा अभिकरण के रूप में, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं :—

(क) आपका कार्यालय भारत में पर्यटन से सम्बन्धित सभी मसलों पर अद्यतन सूचना सप्लाई करने की स्थिति में होगा ।

(ख) आपका कार्यालय मान्यता की तारीख से 3 महीनों के भीतर इन्कमटैक्स वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा ।

(ग) आपका कार्यालय अपनी गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट पर्यटन विभाग, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा जो प्रत्येक वर्ष पहली मार्च की या इससे पहले उनके पास पहुंच जाए ।

(घ) आपका कार्यालय पर्यटन विभाग और भारत में इसके पर्यटक कार्यालयों के साथ निकट सम्पर्क रखेगा । ऐसे पर्यटक कार्यालयों की, उनके पतों सहित, सूची आपके तुरन्त सन्दर्भ के लिए संलग्न है ।

(ङ) आपका कार्यालय वह सूचना प्रस्तुत करेगा जो पर्यटन विभाग या सम्बन्धित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा समय-समय पर मांगी जाएगी ।

(च) आपका कार्यालय, अनुरोध पर, गाइड सुविधाएं देने और केवल पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित गाइडों को नियुक्त करने का वचन देगा।

(छ) आपके कार्यालय और विदेश से आए पर्यटक मुवक्किल के बीच पैदा होने वाले विवाद की स्थिति में आपका कार्यालय उस भारत सरकार पर्यटक कार्यालय के निदेशक को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करेगा जिस क्षेत्र में आपका कार्यालय स्थित है और ऐसी मध्यस्थता में दिया गया एवार्ड आपके कार्यालय के लिए बाध्य होगा।

(ज) आपके कार्यालय को इसमें प्रदान की गई मान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

(झ) आपके कार्यालय से यह अपेक्षा होगी कि वह एक वर्ष में लाख रुपयों से अधिक मूल्य के टर्न-ओवर के बिजनेस को पूरा करेगा।

(ञ) आपका कार्यालय आपके क्षेत्र के भारत सरकार पर्यटक कार्यालय के निदेशक को नई शुरू की गई सुविधाओं और वास्तव में निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले कारोबार के बारे में आपके कार्यालय की गतिविधियों से समय-समय पर अवगत कराता रहेगा।

(ट) आपका कार्यालय पर्यटन विभाग के अधिकारियों और उनकी ओर से प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को आपके कार्यालय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण करन की अनुमति देगा।

(ठ) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) भारत सरकार के पास उपर्युक्त शर्तों में से किसी शर्त को, जिसे आवश्यक समझा जाए, समय-समय पर निकालने या इनमें जोड़ने, का अधिकार सुरक्षित है। भारत सरकार के पास आपके कार्यालय को दी गई मान्यता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त करने या वापिस लेने का भी अधिकार सुरक्षित है।

(ड) यह मान्यता केवल आपके कार्यालय के मामले में ही लागू होती है।

स्याही के आयातित रंग द्रव्यों, संघटकों पर शुल्क

3295. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्याही के रंग द्रव्यों, आयातित संघटकों पर लगभग 320 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, जबकि ओ० जी० एल० के अन्तर्गत छपाई की स्याही पर लगभग 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है जिससे बनी-बनाई स्याही के आयात को प्रोत्साहन मिलता है ; और

(ख) क्या सरकार का इस असंगत नीति को ठीक करने और इससे स्वदेशी निर्माताओं की सहायता करने का भी विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं। स्याही के निर्माण के लिए रंग-द्रव्यों पर विविध आयात-शुल्क दरें लागू होती हैं। लैम्प ब्लैक/कार्बन ब्लैक पर, जोकि छपाई की काली स्याही के निर्माण के लिए एक रंग-द्रव्य है, संचयी प्रभाव के रूप में 102·56 प्रतिशत शुल्क लगता है। अन्य रंग-द्रव्यों पर 199·82 प्रतिशत शुल्क लगता है। दूसरी ओर छपाई की स्याही पर संचयी प्रभाव के रूप में 114·5 प्रतिशत शुल्क लगता है।

छपाई की स्याही को, और छपाई की स्याही के निर्माण के लिए रंग-द्रव्यों को आयात नीति, 1982-83 में स्वत: अनुमत्य मदों की सूची में रखा गया है।

(ख) यदि रंग-द्रव्यों/छपाई की स्याही पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर, देश में उपलब्ध कच्ची सामग्री और तैयार स्याही के सन्दर्भ में, गुण-दोष के आधार पर जांच-पड़ताल की जायेगी।

बैंकों की जाली शाखाएं

3296. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में प्रमुख बैंकों की जाली शाखाएं चल रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक इस प्रकार की कितनी शाखाओं का पता चलाया है ;

(ग) क्या सरकार ने इन शाखाओं को चलाने वाले व्यक्तियों को कोई दण्ड दिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या का ण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विजय बैंक के कार्यकरण की जांच

3297. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विजय बैंक की विभिन्न शाखाओं में वित्तीय अनुशासनहीनता है और इस बैंक की छः विशेष शाखाओं में 15 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस बैंक के कार्यकरण की जांच की है और यदि हाँ, तो अन्य पाई गई अनियमितताएं किस प्रकार की हैं और इस संगठन की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को विजया बैंक की सात शाखाओं में हुई धोखाधड़ियों और इनमें अन्तर्ग्रस्त कुल 14.22 लाख रुपये की राशि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी । इन मामलों के सम्बन्ध में स्थिति विवरण में दी गई है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने विजया बैंक का अन्तिम निरीक्षण 30 जून, 1981 को समाप्त हुई अवधि में किया था । निरीक्षण-रिपोर्ट में दृष्टिगोचर हुई प्रतिकूल बातों को, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, विजया बैंक को सूचित कर दिया गया है ।

विवरण

विजया बैंक की 7 शाखाओं में धोखाधड़ियों के ब्यौरे

क्रम सं०	शाखा का नाम	धोखाधड़ी का स्वरुप	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	मामले का ब्यौरा जांच की वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
1.	एन० एस० रोड शाखा	बचत खाते से धोखाधड़ी से निकासी	5.82	एक क्लर्क, श्री दिलीप कुमार राय द्वारा हस्ताक्षरों की नकल करके धोखाधड़ी से रकम निकाले जाने की सूचना है । पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करा दी गई थी और पुलिस जाँच अभी पूरी नहीं हुई है । श्री राय के भगोड़ा होने की सूचना है । अन्य अधिकारी जो लापरवाह थे, के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । बीमा कम्पनी को एक दावा

1	2	3	4	5
				दायर किया गया है और बैंक की वास्तविक हानि का पता इन सभी के पूरा होने के बाद चलेगा ।
2.	ब्रेबोर्न रोड शाखा कलकत्ता	रकम की हानि	0·20	वहाँ नकदी कम हो गई थी और इसे कर्मचारी द्वारा पूरा कर दिया गया था । अतः बैंक को कोई हानि नहीं हुई । लापरवाह कर्मचारा को चेतावनी दे दी गई है ।
3.	बड़ा बाजार शाखा कलकत्ता	समाशोधन आगम चेकों की हानि	1·40	समाशोधन के माध्यम से रकम निकाल ली गई थी । मामले की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जा रही है और जब यह जांच पूरी होगी, तभी कर्मचारियों की अंतर्ग्रस्तता का पता लग सकेगा । बीमा कम्पनी को एक दावा दायर कर दिया गया है और बैंक को हुई हानि की मात्रा का निर्धारण, इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद हो सकेगा ।
4.	गरियाहार शाखा, कलकत्ता	नकदी की हानि	0·30	1-7-81 को रोकड़िये के कक्ष से 30,000 रुपए की राशि के चुरा लिए जाने की सूचना दी गई थी । पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करा दी गई थी जिसने यह घोषणा करने के बाद कि यह घटना सत्य है, मामला बंद कर दिया । बीमा कम्पनी को एक दावा दायर किया गया है । इन हानियों के वास्ते रोकड़िये के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है । इन सब औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही बैंक को हुई हानि की मात्रा का निर्धारण हो सकेगा ।

1	2	3	4	5
5.	एन०एस० रोड शाखा	एक पार्टी के खाते से खाता डेबिट किए बिना नकद ऋण की अदायगी	1·00	काउंटर पर चेक प्रस्तुत करके एक लाख रुपए की राशि निकाल लिए जाने की सूचना है। चेक को ढूंढा नहीं जा सका। एक पुलिस शिकायत दर्ज करा दी गई और बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बीमा कंपनी पर एक दावा दायर कर दिया गया है। जब ये सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, तभी बैंक को हुई हानि की वास्तविक मात्रा का निर्धारण हो सकेगा।
6.	थियेटर रोड शाखा (शेक्सपियर सरणी)	आगम समाशोधन चेक की हानि	1·50	समाशोधन में प्रस्तुत 1·50 लाख रुपए का एक चेक गायब पाया गया और मामले की सूचना उसी दिन प्रस्तुत करने वाले बैंक को दे दी गई। बैंक के अनुसार, उसे इसमें कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। अलबत्ता, एक पुलिस शिकायत दर्ज करा दी गई और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस बीच, संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
7.	हावड़ा शाखा	आगम समाशोधन चेक की हानि	4·00	समाशोधन में प्रस्तुत करने के बाद 4 लाख रुपए का एक चेक गायब पाया गया। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो मामले की जाँच कर रहा है। बीमा कंपनी पर एक दावा दायर कर दिया गया है। जब ये सभी औपचारिकताए पूरी होंगी तभी बैंक को हुई हानि की सीमा का पता चल सकेगा।
			14.22 लाख रुपए	

राजस्थान स्टेट बेंक तथा जयपुर-बीकानेर बेंक के निदेशकों की नियुक्ति

3298. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बेंकों के वर्तमान निदेशकों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी और तथा राजस्थाम स्टेट बेंक और जयपुर-बीकानेर बेंक के वर्तमान निदेशकों के नाम क्या हैं और तथा इस समय निदेशकों के कितने पद खाली हैं ;

(ख) राजस्थान स्टेट बेंक तथा जयपुर-बीकानेर बेंक के बोर्ड की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं और कहाँ पर होती हैं ; और

(ग) 1981-82 और 1982-83 के दौरान इन बेंकों की प्रत्येक बैठक के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते आदि पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बेंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बेंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 और 1980 के अनुसरण में की जाती है ।

2. सम्भवत:, प्रश्न का शेष भाग बेंक आफ राजस्थान लि० और स्टेट बेंक आफ बीकानेर एड जयपुर से सम्बन्धित है । उनके संबंध में सूचना इस प्रकार है :

दी बेंक आफ राजस्थान लि०

दी बेंक आफ राजस्थान लि० के निदेशक मंडल में कार्यरत निदेशकों के नाम विवरण में दिए गए हैं । इसके बोर्ड में नियुक्त किए जा सकने वाले निदेशकों की संख्या बेंक के आर्टिकल आफ एसोसिएशन में निर्धारित है जो इस प्रकार है :—

न्यूनतम— 3

अधिकतम—21

लेकिन इस बेंक के बोर्ड में इस समय 7 सदस्य हैं ।

प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

		बोर्ड बैठकें			कार्यकारी समिति की बैठकें	
वर्ष	कहाँ हुई	बैठकों की सं०	बैठकों की कुल संख्या	बैठकों की संख्या	बैठकों की कुल संख्या	दोनों बैठकों में टी० ए०/डी० ए० पर किया गया कुल खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1981	भीलवाड़ा	1	13	—	6	रु० 24,661·18
	कलकत्ता	1		—		
	जयपुर	8		5		
	नई दिल्ली	2		—		
	उदयपुर	1		1		
1982	कलकत्ता	3	18	—	9	रु० 40,379·95
	जयपुर	10		6		
	नई दिल्ली	3		1		
	उदयपुर	2		—		
	बम्बई	—		2		
1983	जयपुर	1	2	1	1	रु० 3,048·00
(25-2-83 तक)	नई दिल्ली	1				

विवरण

दी बैंक आफ राजस्थान लि० और स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक-मंडलों के निदेशकों के नामों की सूची।

दी बैंक आफ राजस्थान लि०

1. श्री के० एन० पाठक—अध्यक्ष
2. श्री सी० एल० जैपुरिया
3. रानी उर्मिला देवी
4. श्री वी० आर० अग्रवाल
5. श्री एस० के० मानसिंहका
6. श्री मुरारी लाल भारतीय
7. श्री के० के० मुदगिल (भारतीय रिजर्व बैंक नामिती)

(उनकी अनुपस्थिति में श्री एन० आर० कोदण्डरामन्)

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

1. श्री ए० एस० पुरी (प्रबन्ध निदेशक)
2. श्री लाल चन्द कोठारी
3. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
4. श्री आर० ए० राना
5. श्री जे० सी० पालीवाल
6. डा० भगवान डी० पुरोहित
7. श्री टी० सी० मितला (भारतीय रिजर्व बैंक नामिती) (उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० पी० गोयल)
8. श्री एम० वी० देशमुख
9. श्री राजेन्द्र कुमार
10. श्री बी० एल० लाखोटिया
11. श्री एस० एम० दधीच
12. श्री डी० आर० मेहता

टिप्पणी :—भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष इस बैंक के पदेन अध्यक्ष हैं।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक मंडल में कार्यरत निदेशकों के नाम विवरण (अनुबंध) में दिए गए हैं। बैंक के बोर्ड में इस समय कोई रिक्ति नहीं है।

प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	बोर्ड बैठकें कहाँ हुई	बैठकों की संख्या	बैठकों की कुल संख्या	कार्यकारी समिति की बैठकें बैठकों की संख्या	बैठकों की कुल संख्या	दोनों बैठकों में टी० ए०/डी० ए० पर किया गया कुल खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1981	बम्बई	6	7	5	21	रु० 1,25,938·35
	जयपुर	1		13		
	दिल्ली	—		3		
1982	बम्बई	4	6	2	18	रु० 1,04,763·72
	जयपुर	2		14		
	दिल्ली			2		
1983	बम्बई	1	1	—	2	रु० 7,854·62
(25-2-83 तक)	जयपुर	—		2		

सागर विकास में आग लगने के तुरन्त बाद पाकिस्तानियों का पकड़ा जाना

3299. **श्री ईरा अनबरासु :**

डा० ए०यू० आजमी :

श्री आर० एन० राकेश : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर विकास में आग लगाने के तुरन्त बाद पांच पाकिस्तानी नागरिकों को बम्बई हाई क्षेत्र में डूबी एक अरबधौ (नाव) से तेल और प्राकृतिक गैस के सप्लाई पोत द्वारा पकड़ा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सागर विकास में आग लगने के बाद पांच पाकिस्तानी नागरिकों के पकड़े जाने से यह अनुमान था कि वहां पूर्व नियोजित तोड़फोड़ की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पाँच पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) अरबधौ (नाव) शरजाह में पंजीकृत मोहम्मद शरीफ की धउ अल अमीन कोलम्बो से माल भरने के लिए 25 जुलाई 1982 की शाम को शरजाह से कोलम्बो के लिए रवाना हुआ था। शरजाह से लगभग 11 दिन की समुद्री यात्रा के बाद यह एक तूफान में फंस गया और संकट में आ गया। इस धऊ ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पोत सी०एफ० 29 की तरफ आने की कोशिश की, जिसने इसके कर्मीदल को बचा लिया लेकिन यह धऊ डूब गया। किसी तरह की गुप्त गतिविधियों का पता लगाने के लिए कर्मीदल के सभी 6 पाकिस्तानी सदस्यों से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ से पता चला कि यह धऊ भटक गया था और वह किसी भी प्रकार की गुप्त गतिविधियों में नहीं लगा था।

चीन के साथ तम्बाकू के निर्यात में कमी

3300. **डा० कृपा सिन्धु भोई**

श्री अजित बाग

प्रो० रूपचन्द पाल

श्री माधव राव सिंधिया : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ वर्ष 1977 से परिश्रम स्थापित किए गए तम्बाकू के निर्यात व्यापार में कुछ बेईमान निर्यातकों द्वारा हेराफेरी करने के कारण गिरावट आ रही है; और

(ख) इस रुख को रोकने और निर्यात को पहले की भांति बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) पिछले 5 वर्षों से चीन को निर्यात किए गए भारतीय तम्बाकू की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	निर्यातित मात्रा (मै० टन में)
1978-79	3250
1979-80	1800
1980-81	11177
1981-82 (अनन्तिम)	28841
1982-83 (अनन्तिम) (अप्रैल-दिसम्बर)	2852
(स्रोत : तम्बाकू, बोर्ड, गुन्टूर)	

चीन को भारतीय तम्बाकू के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण चीन में तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि है। कुछ भारतीय निर्यातकों द्वारा चीन को निर्यात किए गए तम्बाकू की क्वालिटी के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) तम्बाकू के निर्यातों पर एगमार्क द्वारा क्वालिटी नियन्त्रण उपायों को कठोरता से लागू किया जाएगा।

काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया को वर्ष 1982 के दौरान हुआ घाटा

3301. **श्री वी०डी० सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया से वर्ष 1980 और 1981 की तुलना में वर्ष 1982 के दौरान कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : वर्ष 1981-82 (सितम्बर से अगस्त) के दौरान भारतीय रुई निगम को 28·65 करोड़ रुपए की हानि हुई है जबकि 1980-81 के दौरान 1·06 करोड़ रु० का लाभ हुआ था तथा 1979-80 में 13·65 करोड़ रु० की हानी हुई थी।

कपड़े की मांग में कमी होना

3302. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़े की मांग में कुछ कमी होती देखी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों में कुछ परिवर्तन करने का है ताकि मंदी से प्रभावित उद्योगों की स्थिति सुधारी जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 में 10981 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था और 1982-83 में 10782 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन होने का अनुमान है। बम्बई में वस्त्र मिलों की हड़ताल से संगठित क्षेत्र में उत्पादन में हानि अधिकांशत: विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हुए अधिक उत्पादन से पूरी की गई है।

2. मिलों के पास माह के अन्त में कपड़े का स्टाक दिसम्बर, 1981 के अन्त में 255·9 मिलियन मीटर, सितम्बर, 1982 के अन्त में 237·3 मिलियन मीटर, दिसम्बर, 1982 के अन्त में 234·9 मिलियन मीटर तथा जनवरी, 1983 के अन्त में 227·7 मिलियन मीटर था।

3. सूती कपड़े का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी, 81 में 212·6 से बढ़कर जनवरी, 82 में 235·3 तथा जनवरी, 1983 में 245·7 हो गया।

4. उत्पादन, स्टाक तथा थोक मूल्य सूचकांक के आँकड़े माँग में गिरावट नहीं दर्शाते हैं।

जबलपुर के सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो (सी०ओ०डी०) के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करना

3303. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जबलपुर में सेन्ट्रल आर्डिनेंस डिपो के निर्माण हेतु रांझी के भूतपूर्व मालगुजार (लगान वसूल करने वाला) परिवार के कुछ जमीन का अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस जमीन को केन्द्र सरकार से हस्तांतरित कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भूमि अधिग्रहण करने के दस वर्ष बाद और लाखों रुपए ले लेने के पश्चात् रांझी के भूतपूर्व मालगुजार परिवार ने केन्द्र सरकार पर दावा दायर किया है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) 1959 में सरकार ने भूमि-अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में 2,28,939 रुपए मन्जूर किए थे जिसे मालिकों ने विरोध करते हुए स्वीकार कर लिया था क्योंकि शुरू

में मालिकों ने 16,60,436 रु० (13,62,536 रु० + 2,97,900 रु०) का दावा किया था। मालिक उन्हें दिए गए मुआवजे से सन्तुष्ट नहीं थे इसलिए राज्य सरकार ने यह मामला आर०ए०आई०पी० अधिनियम 1952 के अन्तर्गत मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मध्यस्थ के समक्ष भी वैध उत्तराधिकारियों/मालिकों ने अपने दावों की राशि काफी बढ़ाकर पेश की।

प्योर ड्रिंक्स ग्रुप आफ कम्पनीज़ द्वारा आई०डी०बी०आई०, एल०आई०सी० से ऋण लिया जाना

3304. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री रतन सिंह राजदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की एक कम्पनी (मोहन मशीनरीज लिमिटेड) ने आई०डी०बी०आई०, एल०आई०सी० और आई०एफ०सी० आदि से ऋण लिया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक से कितनी धनराशि उधार ली गई है और कितना ब्याज और कितने बकाया है; और

(ग) इन ऋणों की वसूली के बारे में क्या संभावनाएं हैं?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०टी०आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) नामक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्योर ड्रिंक्स समूह की कम्पनियों की मोहन मशीन्स लिमिटेड (एम०एम०एल०) को दी गई ऋण सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गए हैं :—

संस्था	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण के बराबर रुपया (लाख रु०)
आई०डी०बी०आई०	49·00	—
आई०एफ०सी०आई०	10·36	23·49
आई०सी०आई०सी०आई०	28·00	—
एल०आई०सी०	28·00	—
	115·36	23·49

असन्तोषजनक परिचालनों के कारण तथा प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के परिणाम-स्वरूप एम०एम०एल० द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम किया गया था। वित्तीय संस्थाओं ने एम०एम०एल० के कार्यकलापों के बारे में विचार विमर्श किया और परस्पर सहमति के अनुसार, मूलधन की बकाया राशि केवल 1 जुलाई, 1984 से अदायगी योग्य होगी। आई०डी०बी०आई० द्वारा 30 जून, 82 तक 11·13 लाख रुपए के देय ब्याज का निधिकरण किया गया तथा छमाही किस्तों की अदायगी 1 जुलाई, 1983 से आरम्भ होगी। 30 जून, 1982 तक आई०एफ०सी०आई० को देय ब्याज की 14·63 लाख रुपए की राशि का निधिकरण कर दिया गया है और किस्तों की अदायगी 1 जुलाई, 1983 से आरम्भ होगी। 30 जून, 1982 की स्थिति के अनुसार आई०सी० आई०सी०आई० का देय ब्याज की 9.7 लाख रुपए की राशि 31.12.83 से अदायगी योग्य होगी। एल०आई०सी० को देय ब्याज के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन संस्थाओं ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी आशंका नहीं है कि एम० एम०एल० द्वारा उनके ऋणों को अन्ततः वापस अदा नहीं किया जाएगा। ऋणों के वास्ते जमानत के तौर पर एम०एम०एल० की अचल परिस्थितियों को बंधक रखकर और प्रवर्तकों की समुचित व्यक्तिगत गारन्टी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा की गई है।

ओवरसीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन अमरीका के शिष्ट मंडलों का दौरा

3205. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन अमरीका द्वारा प्रायोजित एक शिष्ट मंडल ने भारत में व्यापार के करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु इस देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार तथा देश के प्रमुख व्यापारियों के साथ उनकी वार्ता का क्या फल निकला ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के शिष्टमण्डल ने सरकार के अधिकारियों के साथ हमारी निवेश नीति और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सामान्य विचारों का आदान प्रदान किया था। इस विचार विमर्श के आधार पर, जो उन्होंने भारतीय उद्यमकर्त्ताओं के साथ किया था, ऐसा पता चलता है, कि 14 अमरीकी कंपनियां आवश्यक निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने अथवा भारतीय सहयोगियों के साथ आबद्धता करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

कपास उद्योग में संकट

3307. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास की खेती वाले क्षेत्रों के किसानों को कपास की कीमतों में गिरावट के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनको कपास के लिए पिछले वर्ष का मूल्य दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय रुई निगम का विचार किसानों को पूंजीवादी बाजार में शोषण से बचाने के लिए उनसे कपास की पूरी मात्रा की खरीद करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) चालू कपास जीजन के दौरान कपास की सन्तोषजनक सप्लाई स्थिति तथा बम्बई में कपड़ा एककों की हड़ताल, उद्योग के सामने वित्तीय अभाव, बिजली की कटौती आदि के कारण कपड़ा उद्योग द्वारा कम उठान के कारण कपास की कीमतों में इस सीजन के शुरू से ही अधोमुखी प्रवृत्ति रही है। तथापि, जनवरी, 1983 से कपास की कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कपास उपजकर्त्ताओं को अपनी उपज की लाभकर कीमतें प्राप्त हों, भारतीय रुई निगम को हिदायत दी गई है कि जहाँ भी कपास की कीमतें चालू कपास सीजन के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमतों के स्तर से नीचे हों, समर्थन कीमतों पर खरीदारियां करे। सरकार द्वारा कपास के निर्यात की अनुमति भी उदारतापूर्वक दी जा रही है जो किसानों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करता है। बम्बई शहर में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के निपटारे की आशाओं, बेहतर निर्यात संभाव्यताओं तथा मानव-निर्मित रेशों पर शुल्क में बजट सम्बन्धी वृद्धि के कारण रूई के उच्चतर प्रयोग की संभावना से उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकर कीमत मिलने में आगे मदद मिलेगी।

सार्वजनिक संगठनों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से भर्ती

3309. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से, जहाँ पर जनसंख्या का 80 प्रतिशत रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में उम्मीदवारों की भर्ती/चयन की प्रतिशतता नगरीय क्षेत्रों की तुलना में नगण्य सी है;

(ख) क्या भर्ती के सम्बन्ध में इस विषमता को दूर करने के बारे में संविधानिक उपबन्ध न होने के कारण सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 355 का

संशोधन करके विशेषरूप से ग्रामीण तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न) ऐसे सामान्य उम्मीदवारों को, जिनकी वार्षिक आय 5000/- रु० से कम है, निःशुल्क सुविधाएं, विशेष रियायतें, आरक्षण तथा परीक्षाओं/साक्षात्कारों में छूट आदि देने का है जैसी सुविधाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के अहित में इस प्रकार की असमानता को लगातार बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। रिक्तियों का आरक्षण उम्मीदवारों के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के होने, या उनके परिवार की आय के आधार पर नहीं किया जाता है। इस नीति को बदलने अथवा ग्रामीण एवं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले ऐसे उम्मीदवारों, जिनकी वार्षिक आय 5000 रुपये से कम है, को निःशुल्क शिक्षण सुविधायें, विशेष रियायतें, आरक्षण तथा परीक्षाओं और साक्षात्कारों में छूट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 335 का संशोधन करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान

3310. **श्री अरविंद नेताम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के 1984 में घोषित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो हाल में भारत के दौरे पर आने वाले सोवियत रूस के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम तथा उनके ओहदे क्या हैं तथा सोवियत रूस में आवश्यक प्रशिक्षण पा रहे भारतीय विमान चालकों के प्रशिक्षण की प्रगति के बारे में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ग) अन्तरिक्ष उड़ान की अवधि क्या होगी और अन्तरिक्ष विमान द्वारा किस अड्डे से उड़ान भरी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान की विस्तृत जानकारी का पता लगाने के लिए मास्को और नई दिल्ली में सोवियत संघ और भारतीय विशेषज्ञों के बीच अनेक बैठकें

हुई हैं। अन्तरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित इन्डो-सोवियत सेमिनार में फरवरी 1983 में भारत के दौरे पर आए रूसी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में 18 रूसी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ थे जिनका नेतृत्व श्री वी० ए० कोटेलनिकोव ने किया था। दोनों भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण का काम संतोषजनक ढंग से और कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ग) मिशन के लक्ष्य के अनुरूप अन्तरिक्ष उड़ान कुछ दिनों की होगी। सोवियत संघ के प्राधिकारियों द्वारा उस जगह के बारे में निर्णय लिया जाएगा जहाँ से इसकी उड़ान भरी जाएगी।

भारत से नेपाल को चावल की तस्करी

3311. **श्री फूल चन्द्र वर्मा**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से नेपाल को चावल की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल को चावल की तस्करी किए जाने की कुछेक घटनाएं हुई हैं।

इस मामले में सम्बन्धित सीमा शुल्क कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में किए गए निवारक उपायों से उक्त तस्करी पर काबू पा लिया गया है।

बम्बई में कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

3312. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के कारण कपड़ा मिलों में हो रही वित्तीय कठिनाइयों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इन मिलों के लिए पर्याप्त उत्पादन वित्त और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या उद्योग को शुल्क और करों के मामले में भी सुविधा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) तथा (घ) जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनमें शुल्कों और करों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें मांगी गई हैं। उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में विकास की दर

3313. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1982 में उत्पादन में वृद्धि की विकास दर के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यह वृद्धि किन-किन एककों में हुई है और कौन-कौन से एककों में अभी भी अवरुद्धता है और अथवा विकास की दर और भी नीचे गई है; और

(ग) गिरावट के कारण क्या हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी, 1983 को संसद के सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण—1981-82 के खण्ड-1 के अध्याय 19 में पृष्ठ 260 से 283 पर 1981-82 के दौरान उत्पादन सम्बन्धी विश्लेषण तथा अध्याय 28 में पृष्ठ 389 से 392 पर 1982-83 के दौरान कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक समीक्षा की ओर दिलाया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनों तथा मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण

3314. **श्री चित्त महाटा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के जिन निदेशक मन्डल स्तरीय पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जाती हैं, उनके वेतनमानों का परिशोधन सरकार ने औद्योगिक मंहगाई भत्ता योजना अपनाने के

साथ-साथ 1.8.1982 से किया है। परिशोधित वेतनमानों तथा मंहगाई भत्ता पैटर्न का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1981-82 के खण्ड-1 के अध्याय 23 (पृ० सं० 336-337) में दिया गया है, जिसे 25 फरवरी, 1983 को लोक सभा-पटल पर रखा गया था।

तस्करों और कर-अपवंचकों पर छापे

3315. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तस्करों और कार-अपवंचकों के विरुद्ध आरम्भ किए गए अभियान के दौरान राज्य-वार कितने छापे मारे गए;

(ख) कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) कुल कितनी धनराशि जब्त की गई है; और

(घ) सरकार को अनुमानतः कितने काले धन के बारे में सुराग मिले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। तथापि वर्ष 1982 के दौरान देश भर में ली गई तलाशियों और किए गए अभिग्रहणों तथा गिरफ्तारियों की यथा उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने तस्करी से सम्बन्धित अपराधों के लिए लगभग 19,512 छापे मारे और तलाशियाँ लीं तथा लगभग 14.22 करोड़ रुपए मूल्य का माल पकड़ा। इसके अलावा, छापों और तलाशियों के अतिरिक्त 71,159 मामलों मे तस्करी का माल पकड़ा गया, उनमें पकड़े गए तस्करी के माल के कीमत लगभग 65·89 करोड़ रुपए थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की अनन्तिम संख्या 2,226 है।

प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) ने 1867 तलाशियां लीं जिसके परिणामस्वरूप, दस्तवेजों के अतिरिक्त लगभग 1·36 करोड़ रुपए मूल्य की भारतीय तथा विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 101 है।

सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अलावा, जैसाकि ऊपर दिया गया है, 443 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था।

7,100 से अधिक मामलों का पता लगाया गया जिसमें लगभग 59 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन अन्तर्ग्रस्त था।

आयकर प्राधिकारियों ने 4,686 तलाशियां लीं और पकड़ी गई सम्पत्तियों का प्रथम दृष्टिया मूल्य 27,59 करोड़ रुपए निकलता है। आयकर अधिनियम में तलाशी और

अभिग्रहण की कार्यवाहियों के दौरान व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) काले धन का अनुमान लगाने के लिए सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है।

पांच तारा होटल के लाकर से चोरी

3316. श्री तारिक अनवर

श्री के०ए० राजन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में एक पांच-तारा होटल के लाकर से चोरी की एक घटना की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की घटनाओं से पाँच तारा होटलों की छवि पर कुप्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी घटनाओं से, यदि वे सच्चे साबित हों, तो होटलों की छवि पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना है, आरोपित चोरी की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार होटलों के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध में दखल नहीं देती है। तथापि सरकार का आग्रह होता है कि होटल अपने अतिथियों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।

फलों तथा सब्जियों का निर्यात और आवश्यकता

3317. श्री अमल दत्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात को, इस प्रयोजन के लिए सुविधायें देकर, विशेषकर फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिए, बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि देश की फलों तथा सब्जियों की

वास्तविक आवश्यकता इस समय के उत्पादन से कम से कम पांच गुनी अधिक हैं और निर्यात का मतलब भारत में इस समय उपलब्ध तुच्छ मात्रा को भी कम करना होगा;

(ग) क्या सरकार ने चावल की सुपर फाइन किस्मों और बीजों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है; और

(घ) क्या 1981-82 में कृषि निर्यात 20 प्रतिशत बढ़ा जबकि भारत में लोग पहले ही कुपोषण से पीड़ित हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) देश में कुल उत्पादन की तुलना में फल तथा सब्जियों के निर्यात नगण्य हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) गेहूं, दालें, खाद्य तेल आदि जैसी आम खपत की वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती।

गुजरात के जिला कच्छ में जब्त की गई चांदी

3318. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा गुजरात के जिला कच्छ में भारत-पाक सीमा पर चार करोड़ रुपए मूल्य की चांदी जब्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले को देखते हुए तन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 14 फरवरी, 1983 को गुजरात पुलिस ने कच्छ जिले में नलियां के निकट एक ट्रक को रोक कर उससे लगभग 3.48 करोड़ रुपए मूल्य की 10,558 किलोग्राम चांदी के 355 पैकेट पकड़े। पुलिस द्वारा बरामद उपर्युक्त चांदी को, बाद में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने कानून के तहत आगे कार्रवाई करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से, बाद में, एक व्यक्ति का, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, के अधीन नजरबन्द भी रखा गया था।

(ख) गुजरात, विशेषकर कच्छ क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियों से सरकार पूर्णतः सजग है तथा उक्त इलाके के क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क बने रहते हैं। उक्त क्षेत्र के सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को मजबूत बना दिया गया है तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के समन्वित सहयोग से तस्करी निवारक उपयुक्त उपाय अपनाए गए हैं। इस मामले की बराबर समीक्षा भी की जाती रहती है।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

3319. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री जगपाल सिंह
श्री अनन्त रामुलु मल्लू
श्री चित महाटा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिसम्बर, 1982 में सयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के समय दिए गए वक्तव्य (इन्डियन एक्सप्रैस, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982) की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिकांश पाकिस्तानी फौजें भारतीय सीमा पर जमा हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है जिसमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया है कि उनके देश की अधिकांश सशस्त्र सेना की डिवीजनों को भारतीय सीमाओं के निकट लगाया जा रहा है।

(ख) सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और हर समय पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

भारत द्वारा एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना

3320. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विभिन्न एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में स्थापित किए गए विशिष्ट संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संयुक्त उद्यमों के कार्यकरण के बारे में कोई अवलोकन किया गया है;

(ग) इन संयुक्त उद्यमों में कितने तकनीकी विशेषज्ञ तथा श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है;

(घ) क्या विदेशों में और अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए संयुक्त उद्यमों के संबद्ध ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6144/83]

(ख) वाणिज्य मंत्रालय में विद्यमान मानिटरिंग व्यवस्था सामान्यतः विदेशों में कार्य करने वाले संयुक्त उद्यमों से विदेशी मुद्रा के रूप में देश द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार की गई है। हाल का अनुभव यह बताता है कि विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों का निष्पादन पूंजीगत माल, प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के निर्यात के लिए अवसरों का सृजन करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त संतोषजनक रहा है। लाभांशों, जानकारी शुल्कों तथा अतिरिक्त निर्यातों से विदेशी मुद्रा आय में तीव्र वृद्धि हुई है जैसाकि संलग्न विवरण में उनके आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। (विवरण 2) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6144/83]

(ग) विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यमों में भारतीयों के रोजगार के बारे में जानकारी नहीं रखी जा रही है। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में स्थापित संयुक्त उद्यमों की इक्विटी शेयर पूंजी में भारतीय निवेश के सम्बन्ध में जानकारी प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में संलग्न किए गए विवरण 1 में शामिल की गई है।

(घ) तथा (ङ) जब कभी विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार को भारतीय कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन पर विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। फरवरी, 1983 के अन्त में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यमों के लिए सरकार के विचाराधीन 7 प्रस्ताव थे। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण 3 में दिए गए हैं।

आर्मी एक्ट का पुनर्विलोकन

3321. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने आर्मी एक्ट का पुनर्विलोकन करने तथा कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध न्यायपालिका में अपील करने की व्यवस्था करने तथा कोर्ट मार्शलों के निर्णयों के समर्थन में उनके आदेशों के कारण बताए जाने (स्पीकिंग आर्डर्स) की सिफारिश की है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपरोक्त सिफारिशों पर सेना अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की सभी संबंधितों से परामर्श करके और भारत के संविधान की धारा 33 के सन्दर्भ में जांच की जा रही है।

दार्जिलिंग चाय का पैकटों में संयुक्त विपणन करने हेतु कार्यक्रम

3322. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टी बोर्ड" ने स्थानीय बिक्री और निर्यात के लिए दार्जिलिंग चाय का पैकेटों में संयुक्त विपणन करने हेतु एक कार्यक्रम बनाया था;

(ख) क्या चाय के लिए पैरिस और सिडनी में नए भाण्डागार बनाने के बारे में भी विचार है;

(ग) विभिन्न देशों में स्थित भाण्डागारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उत्पादन शुल्क में छूट मांगने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों से परामर्श करके चाय बोर्ड ने एक विपणन समिति स्थापित की है जिसके उद्देश्यों में निम्नोक्त शामिल हैं :—

1. उत्पादकों के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त कराने के लिए दार्जिलिंग चाय की खपत तथा बिक्री को बढ़ाना;

2. भारत तथा विदेशों में दार्जिलिंग चाय के लाजवाब क्वालिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना;

3. दार्जिलिंग चाय के विपणन का उत्तरदायित्व उठाना;

4. दार्जिलिंग चाय की क्वालिटी तथा स्तर में सुधार लाना।

स्थानीय बिक्रियों तथा निर्यातों के लिए पैकट में दार्जिलिंग चाय के संयुक्त विपणन के लिए अब तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चाय बोर्ड ने ब्रिटेन, नार्वे, आस्ट्रिया तथा आस्ट्रेलिया में भारतीय चाय रखने वाले कतिपय विदेशी गोदामों को सहायता प्रदान की है।

(घ) जब उत्पाद शुल्क छूट योजना पहले पहल लागू की गई तो चाय निर्यातकों को

प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना अब निर्बाध रूप से कार्य कर रही है।

अभ्रक व्यापार में श्रमिकों को राहत देने हेतु सहकारी संस्थाओं का गठन

3323. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के गठन के समय (1972) तत्कालीन मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि निगम निर्धन अभ्रक श्रमिकों तथा छोटे-छोटे अभ्रक व्यापारियों को राहत तथा कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दे सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि अभ्रक निर्यात व्यापार के सरणीबद्ध होने के 10 वर्ष बाद भी 1000 लोग ही नियुक्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वयं रोजगार तथा अभ्रक तैयार करने के लिए सहकारी संस्थायें गठित करके, और उनके द्वारा तैयार समस्त अभ्रक को खरीद कर श्रमिकों को राहत देने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम 1974 में निगमित हुआ था। भूतपूर्व वाणिज्य मन्त्री द्वारा कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) प्रत्येक उद्योग अपनी जरूरत के अनुसार कामगारों की संख्या का निर्धारण करता है और न कि किसी पूर्व-निर्धारित संख्या के सन्दर्भ में। सीधे तौर पर 900 कामगार नियुक्त होने के अलावा भारतीय अभ्रक व्यापार निगम में इसके पास पंजीकृत 1000 लघु व्यापारी भी हैं जिनमें से प्रत्येक कुछ कामगारों को रोजगार प्रदान करते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में लदान तथा उतरान कार्य के लिए ठेकेदार

3324. **स्वामी इन्द्रवेश : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राणिकरण दिल्ली द्वारा लदान तथा उतरान कार्य के लिए नियुक्त किए गए ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है और वे कब से नियुक्त हैं;

(ख) ठेके देने की प्रक्रिया क्या है और उनके द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों को किस दर पर अदायगी की जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धन मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए मामले में गुप्त जांच करने का है; और

(घ) क्या ये ठेकेदार अपने काउंटरों पर विदेशी आगुन्तुकों को विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा देते हैं और इस प्रकार विदेशी आगन्तुकों को धोखा देते हैं तथा यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) दिल्ली विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मैसस बाहुबली को-ऑपरेटिव इन्डस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड दिनांक 16·12·1975 से लदान और उतराई सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अंतर्देशीय उड़ानों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट लेबर एण्ड कस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड दिनांक 24·11·1980 से लदान और उतराई सेवा उपलब्ध करवा रही है।

(ख) लदान-उतरान ठेके खुली निविदाओं के आधार पर दिए गए थे। ठेकेदारों को लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देनी आवश्यक है। इस समय लगाए गए श्रमिकों को इन ठेकेदारों द्वारा निम्नलिखित दर से मजदूरी दी जाती है :—

बी०बी०सी०आई० सोसाइटी	:	12·00 रुपये प्रतिदिन
डी०ए०पी०एल० एंड सी०सी० सोसाइटी	:	11·60 रुपये प्रतिदिन

(ग) जी, नहीं। तथापि अगर शोषण का कोई विशेष मामला भारत अतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उस मामले की जाँच की जाएगी।

(घ) इस प्रकार की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्यात बाजार विकास भत्ता

3325. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात बाजार विकास भत्ते के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 ख के अन्तर्गत कुल कितनी राशि की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार इस योजना के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो मूल्यांकन/निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं

है क्योंकि आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन कटौतियों की अलग-अलग मदों से सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय से आय की संगणना से सम्बन्धित आंकड़े संकलित नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम की धारा 35 ख के अन्तर्गत, निर्यात बाजार विकास छूट जैसी कर रियायतों के प्रभाव और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए कोई मूल्यांकन-पद्धति लागू नहीं की गई है। तथापि, विभिन्न कर प्रोत्साहनों, जिनमें अधिनियम की धारा 35-ख के अधीन दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी शामिल है, की प्रभावकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को सौंप दिया गया है।

वित्त विधेयक, 1983 के खंड 13 के अनुसार, आयकर अधिनियम में एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1983 के बाद किए गए खर्च के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 35 ख के अन्तर्गत कोई कटौती मंजूर नहीं की जाएगी।

सरकार द्वारा बेचा गया सोना

3326. **श्री सुभाष यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79, 1980-81 और 1981-82 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितना सोना बेचा गया;

(ख) जिन व्यक्तियों/फर्मों को सोना बेचा था उनके नाम और पते क्या हैं;

(ग) सोना किस दर पर बेचा गया था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा बेचे गए स्वर्ण से यदि कोई विदेशी मुद्रा/भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई, तो कुल कितनी प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) वर्ष 1977-78, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा सोने की कोई बिक्री नहीं की गई थी। तथापि वर्ष 1978-79 के दौरान, 86·5 करोड़ रुपए के मूल्य का 12·956 टन सोना, 3 मई, 1978 से 23 अक्तूबर 1978 के बीच 14 नीलामियों में बेचा गया था। प्रत्येक बोली के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सूचियाँ प्रकाशित की गयी थीं जिनमें सफल बोली लगाने वालों के नाम और उनके पतों, बेचे गए सोने की मात्रा तथा भाव, जिस पर सोना बेचा गया। के बारे में ब्यौरा दिया गया था। इन सूचियों की प्रतिलिपियों को माननीय सदस्यों के अवलोकन के लिए संसद पुस्तकालय में रखा गया था। विदेशी मुद्रा के रूप में कोई रकम प्राप्त नहीं हुई थी।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की मांगें

3327. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

श्री के० ए० राजन :

श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम फैडरेशन ने हाल ही में सरकार को एक माँगपत्र पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र में निहित मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही/निर्णय किया है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई/निर्णय नहीं किया गया है, तो ऐसा कब तक कर लिया जाएगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी फैडेरेशन से एक ज्ञापन मिला है जिसमें जीवन बीमा निगम के विभाजन, निवेश, कार्य-निष्पादन तथा सरकार और निगम के विचारार्थ कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

उपर्युक्त मामलों में से किसी एक मामले पर नीति सम्बन्धी निर्णय करते समय सरकार उपलब्ध सभी दृष्टिकोणों और सुझावों पर यथोचित ध्यान देती है।

भारतीय चाय की मांग

3328. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश अन्य देशों से चाय का आयात करते हैं;

(ख) इस प्रकार के देशों में भारतीय चाय की मांग तथा साथ ही वार्षिक रूप से प्राप्त विदेशी मुद्रा के औसत के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से देश भारत से काली चाय और हरी चाय का आयात कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विश्व के प्रमुख आयातक देश हैं : ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, पाकिस्तान, सोवियत संघ, मिस्र का अरब गणराज्य, इराक, पोलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान तथा सऊदी अरब।

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 में इन देशों को भारतीय चाय के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :—

देश का नाम	मात्रा एम० किग्रा० में		मूल्य करोड़ रु० में	
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
ब्रिटेन	49.668	41.087	93.99	75.49
सं० रा० अमरीका	5·912	3.590	8.74	6.83
पाकिस्तान	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सोवियत संघ	46.765	65.940	85.48	128.62
अरब का मिस्र गणराज्य	15.509	21.071	28.47	28.70
इराक	7.354	6.221	11.22	8.94
पोलेंड	7.554	13.824	12.66	23.97
आस्ट्रेलिया	2.921	1.964	4.25	2.75
ईरान	9.272	11.755	22.24	28.36
सऊदी अरब	1.273	2.347	2.97	5.92

(ग) भारत से काली चाय आयात करने वाले प्रमुख देश हैं : सोवियत संघ, ब्रिटेन, मिस्र का अरब गणराज्य, पोलेंड, ईरान, ईराक, सं० रा० अमरीका, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया तथा जर्मन जनवादी गणराज्य।

हरी चाय मुख्यत: अफगानिस्तान, सोवियत संघ, यू० ए० ई०, संयुक्त राज्य अमरीका, ए० आर० ई०, सूडान, नेपाल, जापान, मोरक्को तथा जर्मन जनवादी गणराज्य।

पश्चिम बंगाल से निरीक्षण नियंत्रणालय (छोटे अस्त्र) का प्रस्तावित स्थानान्तरण

3329. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिम बंगाल से निरीक्षण नियन्त्रणालय (छोटे अस्त्र) के स्थानान्तरण की योजना बना रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य बल मशीनों और कच्चे माल की कमी के कारण निरीक्षण नियन्त्रणालय (धातु) में उत्पादन गम्भीर रूप से कम हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन दो यूनिटों के विकास के लिए भली भांति योजना तैयार करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं। निरीक्षण नियन्त्रणालय (धातु) उत्पादन यूनिट नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दोनों निरीक्षण नियन्त्रणालय अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से विकसित हैं ।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन न्यायालयों में फंसा राजस्व

3330. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क नियमों के अधीन सरकार के निर्णयों को चुनौती देने वाले अनेक मुकदमों के तर्कों को अमान्य करने हेतु मंत्रालय द्वारा नया कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विधान को भूतलक्षी प्रभाव दिया जायेगा और उससे न्यायालयों में मुकदमों के कारण फंसी 1700 करोड़ रुपये की राशि के काफी बड़े भाग की वसूली में सुभीता हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा और विधान कब तक बनाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाना

3331. **श्री के० टी० कोसलराम : :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एसोसिएशन द्वारा समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और इस मामले में पत्तनों के कार्य में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न के भाग (क) में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का उल्लेख है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं : विदेशों में विशेषीकृत व्यापार मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दलों की प्रतिनियुक्ति, भारत में समुद्री खाद्य पदार्थ मेलों का आयोजन करना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रमुख देशों में समुद्री खाद्य पदार्थ कार्यशालाओं का आयोजन करना, बाजारों तथा उत्पादों का विविधीकरण करना, मत्स्य जलयानों को किराये पर लेना, प्राउन कल्चर का प्रचार करना, अखबारों तथा विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों का प्रचार करना और क्वालिटी नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करना। यह प्राधिकरण मछली उतारने के प्लेटफार्मों/घाट आदि बनाने के लिए समुद्रवर्ती राज्यों की सरकारों को सहायता भी प्रदान करता है।

फेरा कम्पनियों द्वारा विदेशी साम्य पूंजी का कम किया जाना

3332. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फेरा' कम्पनियों द्वारा हाल ही में विदेशी साम्य पूंजी कम किए जाने के कारण उनके लाभों, लाभांशों तथा पूंजी में वृद्धि हुई है;

(ख) यूनियन कार्बाइड, हिन्दुस्तान लीवर, सीएट टायस, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, मैकलियड रसल हिन्दुस्तान बार्नर, सीबा और जानसन एण्ड जानसन के मामलों में संगत आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त कम्पनियों को साम्य पूंजी में विदेशी निवेश समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप कितनी धनराशि विदेशों को भेजी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी सामान्य शेयरधारिता को कम करने का उद्देश्य विदेशी सामान्य शेयरधारिता को औद्योगिक नीति में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित करना है, न कि कम्पनियों के कारबार या उनके उत्पादन को सीमित करना।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित आठ कम्पनियों में से, केवल चार निम्नलिखित कम्पनियों ने हाल ही में, अर्थात् पिछले तीन वर्षों में सामान्य शेयरों का विनिवेश करके अपनी विदेशी सामान्य शेयरधारिता में कमी की है, अर्थात् :

1. सीएट टायर्स आफ इंडिया मिमिटेड।
2. ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज (इंडिया) लि०।
3. मैक्लीड रसल (इंडिया) लि०।
4. वारनर हिन्दुस्तान लि०।

(ग) उपर्युक्त कम्पनियों की सामान्य शेयरधारिता में से विदेशी शेयरों के विनिवेश के परिणामस्वरूप उद्भूत धनराशियों की मात्रा इस प्रकार है:—

कम्पनी का नाम	विनिवेश से उद्भूत धनराशि
1. सीएट टायर्स आफ इंडिया लिमिटेड	119.90 लाख रुपए
2. ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज (इंडिया) लि०	420.00 लाख रुपए
3. मैक्लीड रसल (इंडिया) लि०	102.00 लाख रुपए
4. वारनर हिन्दुस्तान लि०	50.68 लाख रुपए

पूर्वोत्तर प्रदेशों को आने वाले पर्यटकों के लिये सुविधाएं तथा आवास

3333. **श्री अजय विश्वास :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर प्रदेशों के राज्यों का दौरा करने वाले यात्रियों को आवास तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) सरकार का उन राज्यों में जाने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में राज्य-वार, सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में पर्यटन आधारित संरचना के विकास की अपनी नीति के एक अंग के रूप में, विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटकों की सुविधा के लिए भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनेक स्कीमें प्रारम्भ की हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा विवरण "क" पर दिया गया है।

विवरण 'क'

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रारम्भ की जाने वाली/प्रस्तावित स्कीमों की सूची।

1. असम

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गोहाटी में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला है जिसका प्रधान एक निदेशक है।

(ख) 1981-82 के दौरान 1·99 लाख रुपए की लागत से काजीरंगा में वे-साईड सुख-सुविधाओं की व्यवस्था।

(ग) गोहाटी में 31.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल का निर्माण प्रस्तावित है ।

(घ) मानस में 50.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक वनगृह के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(ङ) आई०टी०डी०सी० की राज्य सरकार के सहयोग से 150.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर गोहाटी में एक होटल बनाने की योजना है । आई०-टी०डी०सी० ने गोहाटी में एक परिवहन यूनिट खोली है परन्तु राज्य सरकारों से परमिटों के अभाव के कारण अभी इसने कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

2. **मेघालय**

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने शिलांग में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला है ।

(ख) शिलांग में 33.42 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है ।

3 **अरुणाचल प्रदेश**

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने इटानगर में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला है ।

(ख) इटानगर में 36.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल बनाने का प्रस्ताव है ।

(ग) आई०टी०डी०सी० की भी राज्य सरकार के सहयोग से इटानगर में 55.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक होटल के निर्माण की योजना है ।

3. **त्रिपुरा**

(क) अगरतला में 42.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक टूरिस्ट होस्टल बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) आई०टी०डी०सी० की राज्य सरकार के सहयोग से अगरतला में एक होटल बनाने की योजना है ।

5. **मिजोरम**

(क) ऐजुल में 37.77 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है ।

6. मणिपुर

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने इम्फाल में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय की मंजूरी दे दी है।

(ख) इम्फाल में 27.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल का निर्माण। इसके प्रयोजनार्थ 1982-83 के दौरान 8.00 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई है।

(ग) 1982-83 के दौरान मेले और त्योहारों के आयोजन के लिए 0.50 लाख रुपए की एक धनराशि मणिपुर सरकार को रिलीज की गई है।

(घ) आई०टी०डी०सी० की राज्य सरकार के सहयोग से इम्फाल में एक होटल के निर्माण की योजना है।

7. नागालैंड

(क) दीमापुर में 27.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक टूरिस्ट होस्टल का निर्माण। 1982-83 के दौरान 8.00 लाख रुपए की एक राशि रिलीज की गई है।

(ख) मेले और त्योहारों के आयोजन के लिए नागालैंड सरकार को 0.45 लाख रुपए की एक राशि रिलीज की गई है।

काशीनाथ सेठ बैंक, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के लाकर से चोरी

3334. **श्री अकबर अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशीनाथ सेठ बैंक, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के लाकरों से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार चोरियाँ हुईं;

(ख) क्या सरकार ने इन चोरियों में अंतर्ग्रस्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का पूरा ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान काशीनाथ सेठ बैंक लिमिटेड की शाहजहाँपुर शाखा में लाकरों, से कथित चोरियों के दो मामले हुए हैं। इन लाकरों के सम्बद्ध धारकों द्वारा स्थानीय पुलिस में क्रमश: 6-6-81 और 4-11-81 को प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई गई थी तथा इस मामले के न्यायाधीन होने की सूचना मिली है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिना गारंटी के छोटे किसानों को ऋण देना

3335. **श्री केशवराव पारधी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों को बिना किसी गारन्टी के 5000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में, जिलावार, कितनी धनराशि के ऋण दिए गए और कितने व्यक्तियों को दिए गए;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत वे लोग भी आते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, लेकिन उनको बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाते हैं और वे उन्हें इस सम्बन्ध में बार-बार पंचायत समितियों और बैंकों के पास जाना पड़ता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को आसानी से ऋण मिले और उन्हें इस सम्बन्ध में कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, 5000/- रुपये तक के, कृषि-क्षेत्र में निवेश-ऋणों से व्युत्पन्न परिसम्पत्तियों के दृष्टिबधक रखे जाने के अलावा कोई और प्रतिभूति न मांगी जाने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । अन्य प्रयोजनों के वास्ते कम राशि के ऋणों के लिए, बैंक, सम्बद्ध योजनाओं की अर्थक्षमता द्वारा निर्देशित होते हैं और वे प्रतिभूति पर जोर नहीं देते ।

(ख) अलग-अलग बैंकों के जिलेवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अलबत्ता, निम्नलिखित सारणी में महाराष्ट्र राज्य में लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या और जुटाए गए सावधि ऋणों के बारे में अनन्तिम सूचना दी गई है :—

	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या	जुटाए गए सावधि ऋण (लाख रुपए)
1980-81	1,25,969	3133·31
1981-82	1,53,330	3423·15
1982-83 (जनवरी 1983 तक)	1,09,415	2137·96

(ग) और (घ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) एक

निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है, जो मुख्य रूप से निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों की सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने के बाद से इस कार्यक्रम के लाभान्वितों को ऋणों के प्रवाह में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण-प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ऋणों के वास्ते प्रतिभूति मानदण्डों में छूट देना, भागग्राही बैंकों की विशिष्ट शाखाओं में इस कार्यक्रम के अधीन निर्धारित गांवों तथा परिवारों का आबंटन, ऋणों के लिए आवेदनों के निपटारे की समय सीमा राजसहायता (सब्सीडी) को प्रशासित करना और विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना आदि शामिल हैं। सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को यदि किसी विशिष्ट कठिनाई/देरी की सूचना दी जाती है तो सम्बन्धित बैंकों से इस बारे में बातचीत करने के बाद इस बारे में सुधारात्मक तथा निरोधक उपाय किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के दल विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे है और इनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अर्द्ध-सरकारी विभागों/सस्थानों के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता दिया जाना

3336. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत ऐसे कितने अर्द्ध-सरकारी विभाग, संस्थान हैं जिनके कर्मचारियों को विभिन्न दरों पर आवास किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जो कि केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक अर्द्ध-सरकारी कार्यालय है कर्मचारियों को कितने प्रतिशत आवास किराया भत्ता दिया जाता है तथा क्या यह इसी प्रकार के अर्द्ध-सरकारी संगठनों में दिए जाने वाले आवास किराया भत्ता के समनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी अदायगी कब तक तथा किस प्रकार की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) स्वायत्त निकायों/संस्थाओं के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की मंजूरी उनके सम्बद्ध उपनियमों द्वारा विनियमित होती है। इसलिए, इस संबंध में उनके बीच कोई समानता नहीं है। विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थाओं के कर्मचारियों को दिए जा रहे मकान किराए भत्ते की दरों के सम्बन्ध में सही सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में उनमें से अनेक निकाय/संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने उपनियमों के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी अपने कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए भारत सरकार के नियमों का अनुपालन कर रही है।

अन्य हवाई अड्डों पर भीड़ के कारण विदेशों से आने वाले जहाजों को कलकत्ता भेजा जाना

3337. **श्री रेणुपद दास :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा दिल्ली जैसे हवाई अड्डों पर जहां सुबह के समय थोड़े से अन्तराल के बीच विदेशों से आने वाले बहुत से जहाज उतरते हैं स्थान की कमी के कारण भीड़-भीड़ हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कुछ को कलकत्ता न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) यूरोप तथा सुदूर पूर्व में एयरलाइनों पर विमानों के रात में उतरने और प्रस्थान पर लगे प्रतिबन्धों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत की भौगोलिक अवस्थिति के कारण भारत से होकर बड़े सवेरे गुजरना पड़ता है जिसके फलस्वरूप इस सबसे अधिक व्यस्त समय में भीड़भाड़ हो जाती है।

(ख) भारत सरकार विमान परिचालनों को दिल्ली तथा बम्बई से बदलकर कलकत्ता कर दिए जाने का स्वागत करेगी। विदेशी विमानों को उस विमान क्षेत्र का चयन करने का विकल्प होता है जिससे होकर वे परिचालन करना चाहते हैं तथा सरकार उन्हें उनके द्वारा न चुने गए विमान क्षेत्रों पर परिचालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तथापि, कलकत्ता को सभी द्विपक्षीय प्रबन्धों में प्रस्तावित किया जाता है।

सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से जब्त माल बेचा जाना

3338. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीति यह है कि जब्त किए गए माल को जनता में सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से बेचा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सहकारी सोसाइटियों को ढेर में माल पर सीमाशुल्क हटाने के लिए कहा गया है और उस माल में अनेक बिना बिक्री योग्य वस्तुएं होती हैं तथा सोसाइटियों को उन वस्तुओं को चुनने की अनुमति नहीं दी जाती है जो तुरन्त बेचने योग्य होती हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके पास बिना बिक्री के माल का संग्रह जमा होता है सहकारी सोसाइटियों का धन अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का सहकारी सोसाइटियों को केवल उन वस्तुओं को उठाने की

अनुमति देने पर विचार करने का है जो बिक्री हेतु तैयार हैं ताकि उनका धन अनावश्यक रूप से रुका पड़ा न रहे और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) संश्लिष्ट वस्त्रों, इलेक्ट्रोनी माल जैसे अभिगृहीत/जब्तशुदा उपभोक्ता माल और उसकी अन्य विविध मदों के निपटान का एक तरीका उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिये वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचे जाने हेतु उसकी बिक्री भारत का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड को करना है ।

(ख) भारत का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड को जब्तशुदा उपभोक्ता माल की बिक्री किए जाने सम्बन्धी शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क विभाग माल की बिक्री की पेशकश लाटों में करता है, और उक्त महासंघ को किसी प्रकार की छंटाई के बिना ही माल के लाट उठाने होते हैं परन्तु लाट में क्षतिग्रस्त पाई जाने वाली माल की मदों को उठाना आवश्यक नहीं होता । सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या भारत का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड ने सीमाशुल्क विभाग से माल की महंगी और न बेचे जाने योग्य वस्तुओं की खरीद में अपना पैसा फंसा लिया है ।

(ग) जी नहीं, भारत का राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड सीमा-शुल्क विभाग से जब्तशुदा माल का प्रमुख थोक खरीदार है और इस प्रकार उसे माल छांट कर लेने की अनुमति देना इस कारण से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे सीमा शुल्क विभाग के पास अभिगृहीत/जब्तशुदा माल का बहुत बड़ा भण्डार जमा हो जाएगा ।

गुट निरपेक्ष सम्मेलन के लिए नये होटल

3339. **श्री रतन सिंह राजदा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन नये होटलों के नाम क्या हैं (जिन्हें विशेष सुविधायें प्रदान की गई) और जो एशियाड के लिए तैयार थे ;

(ख) उन नये होटलों के क्या नाम हैं (जिन्हें एशियाड के लिए स्वीकृत किया गया था) और जिसका उपयोग गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए किया जाएगा ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित होटलों का उपयोग गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एशियाड 1982 की आवश्यकताओं सहित अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के

लिए होटल आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित 9 नए होटलों और एक होटल के विस्तार की मंजूरी दी गई थी :—

1. भारत होटल
2. पार्क होटल
3. सूर्य इन्टरनेशनल होटल
4. एशियन होटल
5. सेंटौर होटल
6. ताज पैलेस होटल
7. सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल होटल
8. मेरीडियन होटल
9. सम्राट होटल
10. मौर्य शेराटन (विस्तार)

इन होटलों को सभी लाभ/सहायता सामान्य नियमों के अनुसार प्रदान की गई थी ।

इनमें से कुछ एशियाड से पहले पूरे होने थे जबकि अन्य होटलों को न्यूनतम सुविधाओं सहित एक निश्चित प्रतिशत तक कमरे प्रदान करने थे और शेष बचा हुआ निर्माण खेलों के बाद होना था । नए होटलों में से मौर्य, कनिष्क और सम्राट होटलों में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की बुकिंग की गई थी । बहुत-बहुत महत्वपूर्ण फ्लाइट क्रयू को सेंटौर होटल में बुक किया गया था और विदेशी मीडिया को सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल, सूर्य इन्टरनेशनल और ताज पैलेस में ठहराया गया था। अन्य होटल पूर्णरूप से तैयार नहीं थे और इसलिए सम्मेलन के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया ।

फ्रांस से ऋण

3340. **श्री भीमसिंह**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने फ्रांस से हाल ही में 79 करोड़ रुपए का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस ऋण का उपयोग फ्रांस से सामान खरीदने और परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) उस ऋण पर ब्याज सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी वापसी की विधि क्या होगी; और

(ङ) वह ऋण किस अवधि तक वापस किया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां, भारत को फ्रांसीसी ऋण देने के लिए 18.11.1982 को 57 करोड़ 50 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (79 करोड़ रुपए) की राशि के एक नयाचार (प्रोतोकोल) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस ऋण का उपयोग भारत सरकार द्वारा फ्रांसीसी सामान की खरीद और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

(ग) इस ऋण में 67 करोड़ रुपए का उपयोग औद्योगिक उपस्कर परियोजनाओं तथा परामर्श सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाना है। 12 करोड़ रुपए की शेष राशि छोटे उपस्करों सहित वस्तुओं के आयात के लिए उपलब्ध होगी।

(घ) और (ङ) यह ऋण राजकोषीय उधारों और बैंक ऋणों का 50:50 का मिश्रण है। राजकोषीय उधारों पर 3 प्रतिशत ब्याज लगेगा और 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित इसकी वापसी अदायगी 28 वर्षों में की जाएगी। बैंक ऋण पर वही ब्याज दर लगेगी जो निर्यात ऋणों पर लागू होती है, जिनमें ऋण बीमा की लागत जोड़ी जाती है, और इसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष में की जा सकेगी।

आयकर विभाग (दिल्ली) के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा धरना

3341. **श्री रामजी भाई मावणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) दिल्ली आयकर अराजपत्रित कर्मचारी एसोसिएशन और (2) दिल्ली आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ (आयकर फैडरेशन से सम्बद्ध) के तत्वाधान में कर्मचारी ने 23 फरवरी, 1983 को आय कर कार्यालय के मैदान, इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली में धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके धरना देने और आंदोलन करने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त धरना और आंदोलन में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया;

(घ) क्या उन्होंने दिनांक 23 फरवरी 1983 को भी केन्द्रीय राजस्व भवन में मध्याह्न भोजन में एक घंटे का प्रदर्शन किया था; और

(ङ) उनकी मांगें मानने और उनकी शिकायतें दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह धरना आयकर कर्मचारी संघ द्वारा 23 फरवरी 1983 को 'मांग दिवस' के रूप में मनाए जाने के अनुसरण में दिया गया था।

(ग) अधिकांशत: संघ के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) कर्मचारियों की मांगें विचाराधीन हैं। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना के अन्तर्गत स्थापित वित्त मन्त्रालय की विभागीय परिषद में अधिकांश मांगों पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा के भण्डार तथा कर वसूली की दर

3342. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के भण्डार तथा कर वसूली की दर बजट प्राक्कलनों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट आंकड़ों सहित दोनों मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी पूरी करने के लिए सरकार के प्रयासों के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बजट अनुमानों में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई घटबढ़ को राशियों के रूप में नहीं दिखाया जाता। तथापि 28 फरवरी, 1983 को विदेशी मुद्रा भण्डार की राशि 4166 करोड़ रुपए थी, जबकि 31 मार्च, 1982 को यह राशि 3354 करोड़ रुपए थी। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किए गए लेन-देनों को शामिल न किया जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी तक भण्डार में 1082 करोड़ रुपए की कमी होती, जबकि इसकी तुलना में 1981-82 की इसी अवधि में तुल्य आधार पर इसमें 2257 करोड़ रुपए की कमी हुई थी। करों में राज्य सरकारों का हिस्सा देने के बाद करों से केन्द्र को 13271 करोड़ रुपए की निवलकर आय होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 13363 करोड़ रुपए का था। इसके ब्यौरे संसद में प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों और 1982-83 की आर्थिक समीक्षा में दिए गये हैं।

बैंक डकैती मामलों में मुकाबला करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3343. **श्री दीनबंधु वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय बैंक डकैतियों अथवा राहजनी के मामलों

में मुकाबला करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकारों से जो कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, कहा गया है कि वे उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय करें । सरकार ने भी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने परिसरों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करें । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले विशिष्ट अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में भी सरकार ने उन्हें व्यापक अनुदेश जारी किए हैं । सरकार ने बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करने तथा उपयुक्त सुझाव देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति भी स्थापित की है ।

चीनी निर्यात में राज सहायता

3344. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को चालू वर्ष में चीनी के निर्यात के लिए काफी बड़ी धनराशि राज सहायता के रूप में देनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है और निर्यात की जाने वाली चीनी और देश में चीनी का प्रति क्विन्टल अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा 1983 में भारत को लगभग 6.50 लाख मै० टन चीनी का कोटा आबंटित किया गया है । निर्यात की जाने वाली वास्तविक मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगी ।

पश्चिम एशियाई देशों को प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों तथा खनिज जल का निर्यात

3345. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई देशों को प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों तथा

खनिज जल का निर्यात करने की सम्भावनाओं के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पश्चिम एशियाई देशों को कोई अध्ययन दल भेजने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 1978 में साधित फलों तथा सब्जियों के निर्यात की संभावनाओं का एक अध्ययन किया गया था। व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा 1981 में सऊदी अरब तथा कुवैत को साधित फलों तथा सब्जियों के लिए एक संपर्क संवर्धन कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

(ख) पैकेजिंग तथा क्वालिटी सुधारने, समुचित नौवहन सुविधाएं प्रदान करने तथा इन देशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

भुगतान शेष

3346. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान शेष की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयात में उदारता ही इस दयनीय स्थिति का मुख्य कारण है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आयात की उदार नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले कुछ वर्षों में भुगतान शेष की स्थिति चिन्ता का विषय रही है, लेकिन यह खराब नहीं है। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुमुखी नीति अपनाई है और इस नीति को कार्यान्वित करने में काफी सफलता भी मिली है।

भुगतान शेष सम्बन्धी घटनाचक्र का ब्यौरा 1982-83 की आर्थिक समीक्षा में देखा जा सकता है।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट मुख्य रूप से 1979 से तेल की

कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण हुई जिससे तेल का बिल 1978-79 में 1687 करोड़ रुपए से बढ़कर 1980-81 में 5587 करोड़ रुपए हो गया इस अवधि के दौरान आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई। ऐसा उस समय हुआ जब निर्यात को विश्व के बाजार में मांग शिथिल होने और बढ़ती हुई संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले बाहरी दबाव का सामना करना पड़ रहा था।

आयात को उदार नहीं बनाया गया है। आयात नीति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कच्चे माल और पूंजीगत माल के आयात को उदार बनाए रखने की आवश्यकता के साथ-साथ आयातों की वृद्धि को कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। जहाँ कहीं उपयुक्त होता है स्वदेशी उद्योगों की ओर संरक्षण प्रदान करने के लिए टैरिफ सम्बन्धी नीतियों का कारगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

कुल आयात बिल

3347. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1982 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में आयात का कुल बिल क्या था तथा विदेशी ऋण पर उसी अवधि के दौरान कुल कितना ब्याज था;

(ख) दिसम्बर, 1981 में समाप्त होने वाले पिछले वित्तीय वर्ष के आयात बिल आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यदि कोई प्रतिकूल अन्तर है, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजकोषीय वर्ष 1981-82 के दौरान तथा 1982-83 के पहले नौ महीनों, अर्थात्, अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के सम्बन्ध में कुल मिलाकर भारत का आयात बिल अनन्तिम रूप से क्रमश: 13,638 करोड़ रुपए तथा 10,178 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल-दिसम्बर, 1982 में आयातों में राजकोषीय वर्ष 1981-82 की इसी अवधि के मुकाबले 8 प्रतिशत की वृद्धि होने का पता चलता है। जिन प्रमुख मदों के आयातों में मूल्य के रूप में इस अवधि में वृद्धि हुई, वे हैं; कच्चा तेल (क्रूड) और पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनें और परिवहन उपस्कर, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न, लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं, रसायन, गेहूं आदि। दिसम्बर, 1981 के साथ समाप्त हुए कैलेन्डर वर्ष तथा दिसम्बर, 1982 के साथ समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में सरकारी खाते के विदेशी ऋणों पर दिए गए ब्याज की कुल राशि क्रमश: 271 करोड़ रुपए और 286 करोड़ रुपए थी। विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ होने तथा ऋणों में निबल वृद्धि होने के कारण इस अवधि में ब्याज की देनदारी में वृद्धि हुई।

रक्षा कर्मचारियों को "युद्ध जागीर" भत्ते का भुगतान

3348. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में रक्षा विभाग के कर्मचारियों को "युद्ध जागीर" भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दिल्ली में भी यह भता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) सेवारत कार्मिकों के मां-बाप को "युद्ध जागीर" देना राज्य सरकार का काम है। केवल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य ही सशस्त्र सेनाओं के सेवारत कार्मिकों के मां-बाप को "युद्ध जागीर" भत्ता दे रहे हैं।

(ख) से (घ) राज्य सैनिक बोर्ड, दिल्ली के इस मामले को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया है।

बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता में एयर इण्डिया के चूककर्ता एजेंट

3349. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान एयर इण्डिया में चूककर्ता एजेंटों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता तथा अन्य नगरों में इन एजेंटों सम्बन्धी पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में एयर इंडिया के जिन एजेंटों ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों में भुगतान नहीं किया है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	स्टेशन	एजेंट का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1979-80	—	—	—शून्य—
1980-81	बम्बई	पोलारिस ट्रैवल्स	25·76
	मद्रास	हैपी ट्रैवल्स	3·28
	नई दिल्ली	हैपी ट्रैवल्स	2·89
	कलकत्ता	ओरियन्ट्रल ट्रैवल्स सर्विस	0·96
1981-82	—	—शून्य—	—
कुल			32·89

इस अवधि में देश के अन्य शहरों में भुगतान न किए जाने के कोई मामले नहीं हैं।

"कन्सर्न ओवर ग्रोथ आफ पियरलेस" शीर्षक से समाचार

3350. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 फरवरी, 1983 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में कन्सर्न "ओवर ग्रोथ आफ पियरलेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) "पियरलेस" की वर्तमान स्थिति का पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) यदि सरकार कोई छानबीन करा रही है, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीमें (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 (जो 12-12-78 से प्रवृत्त हुआ) के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सितम्बर, 1979 को, इस कम्पनी को नोटिस जारी किया कि वह अपना समापन कार्यक्रम प्रस्तुत करे। किन्तु इस कम्पनी ने यह दावा किया कि इसका कारोबार उक्त अधिनियम से व्याप्त नहीं होता और उसने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजव बैंक के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1970 और अप्रैल, 1979 के बीच इस कम्पनी की हिसाब बहियों का निरीक्षण किया था। कम्पनी कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने भी कम्पनी अधिनियम की धारा 209 'क' के अधीन 1979 में इस कम्पनी की हिसाब बहियों और अन्य रिकार्डों का निरीक्षण किया था। इन निरीक्षणों से उस समय कम्पनी के कामकाज में कुछ अनियमितताओं और प्रतिकूल बातों का पता लगा था। जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि पश्चिम बंगाल सरकार 10 सितम्बर, 1979 को इस कम्पनी को समापन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी थी और यह मामला न्यायाधीन है।

यात्री निवास होटलों में ठहरने के बारे में शर्तें

3351. **श्री जय नारायण रौत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन स्थानों पर यात्री निवास होटलों का निर्माण किया गया है; और

(ख) इन होटलों में ठहरने के बारे में शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इस समय नई दिल्ली में अशोक यात्री निवास का निर्माण कर रहा है। होटल आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है।

(ख) अशोक यात्री निवास में कमरे, अग्रिम रूप में आरक्षण कराए जाने के मामलों में अग्रिम भुगतान करने पर, अथवा अतिथियों की "चैकिंग-इन" के समय नकद भुगतान करने पर, अलाट किए जाते हैं जिनकी दरें निम्नलिखित हैं :

सिंगल आक्पेंसी	— 50 रु०
डबल आक्पेंसी	— 60 रु०
4 बैड वाला कमरा	— 72 रु (18 रु० प्रति बैड)

कैफेटेरिया में खाद्य केवल नकद भुगतान करने पर ही परोसा जाता है।

ऋण वितरण की कार्य विधि को सुचारु बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

3352. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले लोगों को, उनके आर्थिक उन्नयन हेतु ऋणों के वितरण की कार्यविधि को सुचारु बनाए और समय पर ऋण के वितरण को सुनिश्चित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए उनके मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकार किए हैं और अनुदेश जारी किए हैं ;

(ग) चूंकि समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं का कार्य और कार्यभार बढ़ गया है, उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन शाखाओं की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों ने क्या भूमिका निभाई और इनके राष्ट्रीयकरण के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा बैंकों को समय-समय पर ऋण-प्रक्रियाओं को सरल बनाने

और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण स्वीकार करने के वास्ते अनुदेश जारी किए जाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को ऋण सहायता प्रदान करने में पूरी भागीदारी निभाने के लिए भी बेंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं। सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में विलम्ब की जो घटनाएं आती हैं उनके बारे में अलग-अलग बैंकों के संदर्भ में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। बैंक ऋणों की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए केन्द्र के दल भी दौरे करते हैं।

(ग) और (घ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और 20-सूत्री योजना जैसे नए कार्यक्रमों के लिए नए कौशल, नवोन्मेष, और पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन स्तरों पर कर्मचारियों की पर्याप्तता के बारे में सावधिक समीक्षा और वहां पर्याप्त संख्या में स्टाफ की भर्ती और तैनाती के अलावा बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन कम बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में शाखा विस्तार की जोरदार नीति का अनुसरण करें। उक्त शाखा लाइसेंसिंग नीति का लक्ष्य यह है कि मार्च, 1985 के अन्त तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में औसतन 17,000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक शाखा की व्यवस्था हो जाए। बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सगोष्ठियां आदि भी आयोजित की जाती हैं। प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से, उपेक्षित क्षेत्रों के वित्तपोषण और बिना बैंक वाले/कम बैंक वाले स्थानों में, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में उक्त बैंकों की अन्तर्ग्रस्तता काफी बढ़ गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋणों की मात्रा जो कि जून, 1969 में उनके कुल ऋणों के 14·6 प्रतिशत के बराबर थी, दिसम्बर 1981 की स्थिति के मुताबिक बढ़कर 37·7 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या जून, 1969 के 5,154 से बढ़कर, जून, 1982 की स्थिति के मुताबिक, 29,128 हो गई।

पियरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी को बन्द किया जाना

3353. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी को अपना व्यापार बन्द करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीमें (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 (जो कि 12-12-78 से प्रवृत्त हुआ) के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सितम्बर, 1979 को, इस कम्पनी को नोटिस जारी किया कि वह

अपना समापन कार्यक्रम प्रस्तुत करे। किन्तु इस कम्पनी ने यह दावा किया कि इसका कारोबार उक्त अधिनियम से व्याप्त नहीं होता और उसने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट-याचिका दायर की और स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

सेना में घोड़ों का उपयोग

3354. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में केवलरी रेजीमेंट के लिए कोई महत्वपूर्ण सैनिक भूमिका न होने के कारण सेना में घोड़ों का उपयोग घटता जा रहा है जिसके फलस्वरुप देश में घुड़सवारी के स्तर में गिरावट आती जा रही है;

(ख) भारत में घोड़ों के लिए ब्रीडिंग डिपुओं का प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पुलिस तथा सेना को कितने घोड़ों की जरूरत रहती है; और

(घ) देश में घुड़सवारी के लिए लोगों में रुचि पैदा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) थल सेना में घोड़ों की अधिकृत संख्या कम नहीं हो रही है। इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं है कि सेनाओं में घुड़सवारी का स्तर घट रहा है।

(ख) थलसेना के पास :—

(1) बाबूगढ़ में एक अश्व प्रजनन केन्द्र है और दूसरा हिसार में है।

(2) सहारनपुर में एक रीमाउंट प्रशिक्षण स्कूल और डिपो है और दूसरा हेमपुर में है; और

(3) प्राइवेट प्रजनकों को स्टालियन पावर उपलब्ध कराने के लिए जालंधर में एक घोड़ा और खच्चर प्रजनन क्षेत्र है ?

(ग) थल सेना की घोड़ों की अधिकृत आवश्यकता 1309 है। पुलिस के बारे में इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) देश में घुड़सवारी के प्रति रुचि पैदा करने का काम इक्वेस्टेरियन फेडरेशन आफ इंडिया देखता है। थल सेना में घुड़सवारी का उच्च स्तर बनाए रखने के बारे में सेनाकार्मिकों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाता है

ओर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में इनके भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता है।

आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन का मांग पत्र

3355. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने उनको एक मांग पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए० आई० बी० ई० ए०) ने जनवरी 1983 में वेतन और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन की कुछ मांगें भारतीय बैंक संघ को भेजीं। इन मांगों का ब्योरा **विवरण** में दिया गया है। इस मामले पर आई० बी० ए० और ए० आई० बी० ई० ए० के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है। आई० बी० ए० ने ए० आई० बी० ई० ए० से कहा है कि वह इन दोनों पक्षों के बीच हुए और तीसरे द्विपक्षीय समझौते में रिकार्ड किए गए करार के अनुरूप बकाया बची माँगों और मुद्दों को निपटायें। आई० बी० ए० का मत है कि नई मांगों पर बातचीत द्विपक्षीय समझौते को पूरी तरह लागू कर दिए जाने के बाद ही की जानी चाहिए।

विवरण

मांगें

1. पूरे शून्यीकरण के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) के 400 के अंक तक महंगाई भत्ते के विलय के साथ वेतन में, ऊपर की ओर समुचित और संतोषजनक रूप से संशोधन।

2. (क) 10,000 से कम की जनसंख्या वाली सभी जगहों पर मकान किराये भत्ते की अदायगी।

   (ख) सभी स्थानों पर मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि।

3. (क) सभी राज्यों की राजधानियों और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में नगर प्रतिपूरक भत्ता शुरू करना।

   (ख) नगर प्रतिपूरक भत्ते के वर्तमान केन्द्रों पर नगर प्रतिपूरक भत्ते की दरों में वृद्धि।

4. विशेष भत्तों की योजना और 'अन्य भत्तों' में संशोधन और सुधार ।

5. सभी बैंकों में पेंशन स्कीम शुरू करना ।

6. देसाई एवार्ड के अंतर्गत मौजूदा भविष्य निधि और ग्रेच्युइटी स्कीमों में सुधार ।

7. किसी भी समय अधिक से अधिक 12 महीनों की छुट्टी के एकत्रीकरण की शर्त के साथ, सेवा के प्रत्येक वर्ष के वास्ते एक महीने का बीमारी अवकाश ।

8. चिकित्सा सहायता:

(क) 5 वर्षों तक के एकत्रीकरण के साथ सभी कर्मकार कर्मचारियों के वास्ते 500/- रुपये वार्षिक तक के डोमिसिलयरी व्यय ।

(ख) सभी बीमारियों को व्याप्त करते हुए अस्पताल में भर्ती की स्कीम—स्वयं के वास्ते 100 प्रतिशत और निर्भर परिवार सदस्यों के वास्ते 75 प्रतिशत ।

अवशिष्ट मांगें :

1. शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की समाप्ति ।

2. मुअत्तली के दौरान कर्मचारी को अदा किए जाने वाले निर्वाह भत्ते में वृद्धि ।

3. वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) की अवस्था में वेतन वृद्धियां ।

4. जिस महीने में कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर पहुंचे अथवा पूरी करे उस महीने की आखिरी तारीख को उसे सेवा-निवृत्त करना ।

5. वेतन वृद्धि को, देयता के महीने की पहली तारीख से प्रभावी करना ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणों का पुनः निर्धारण किया जाना

3356. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणों का पुनर्निर्धारण किए जाने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने पुनर्निर्धारण की इस मांग का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विशेष सुझाव क्या दिए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) अंतरिम समिति की हाल में समाप्त हुई बैठक में विकासशील देशों ने कम आय वाले देशों को उनकी भुगतान शेष सम्बन्धी समस्याओं से निपटने में सहायता देने के लिए सरकारी वित्तपोषण के स्तर को

बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोष की मध्यावधिक विस्तारित सुविधा तथा प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कोष की शर्तों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि असंतुलनों के कारणों और विकासोन्मुखी नीतियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए समायोजन कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से तैयार किया जा सके। भारत सरकार ने इन विचारो का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्योग

3357. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में कुल कितने उद्योग हैं और उनमें कार्य कर रहे, बंद हो गए और रुग्ण उद्योगों की अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इन औद्योगिक एककों को सहायता देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ग) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में कुल कितने औद्योगिक भूखंड हैं और उनमें से कितने भूखंडों पर उद्योग स्थापित हो गए हैं अथवा स्थापित किए जा रहे हैं और क्या खाली भूखंडों को, जिन पर मूल आवंटियों द्वारा उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है, अन्य व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अनुमोदित एककों की कुल संख्या 184 है जिसमें इस समय 82 एकक कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे एककों में से 5 एकक रुग्ण और निष्क्रिय और इस समय आंशिक रूप से बन्द पड़े हैं। शेष 102 अनुमोदित एकक कार्यान्वयन को विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) सरकार द्वारा रुग्ण एककों को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई सहायता देने का इरादा नहीं है क्योंकि वे विभिन्न कारणों से रुग्ण एवं निष्क्रिय हैं अथवा निर्यात आदेश न मिलने से बन्द पड़े हैं।

(ग) वर्तमान क्षेत्रों में प्लाटों की कुल संख्या 147 है।

प्लाटों में स्थापिता स्थापित किए जा रहे उद्योग 106 हैं।

40 प्लाट खाली पड़े हैं जिसमें से एक छोड़ दिया गया है। चककर्ता आबंटितयों को समय समय पर अनुस्मारक दिया जा रहा है कि या तो वे उद्योग स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें अथवा प्लाटों को छोड़ दें।

भारत और ताइवान के बीच व्यापार

3358. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ताइवान के बीच गत तीन वर्षों के दौरान के व्यापार के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) दोनों देशों के बीच किन-किन मुख्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है ; और

(ग) भारत उस देश को मुख्य रूप से क्या निर्यात करता है उससे किसका आयात करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और ताइवान के बीच व्यापार सम्बन्धी आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	ताइवान को निर्यात	ताइवान से आयात
1978-79	1782	1475
1979-80	3254	3495
1980-81	4358	4429

(ख) तथा (ग) भारत से ताइवान की निर्यात की मुख्य मदें रुई, लौह अयस्क तथा सांद्रण, अनिर्मित तम्बाकू, मशीनें तथा परिवहन उपस्कर आदि हैं। ताइवान से आयात की मुख्य मदें हैं वस्त्र यार्न, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, लोहा तथा इस्पात और संश्लिष्ट रबड़।

गैर सरकारी क्षेत्र के कागज कारखानों से टेण्डर प्रणाली के बारे में शिकायतें

3359. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कागज कारखानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनको जारी किए गए टैन्डरों, का बहिष्कार करने की धमकी दी गई;

(ख) क्या इसका कारण कुप्रबन्ध तथा सम्बद्ध विभाग द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने हैं कि टैन्डर प्रणाली का उल्लंघन, जिसके कारण सरकार के क्रेता संगठन की साख समाप्त होती है, रोका जाए ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) जी, हां। लेखन तथा मुद्रण सम्बन्धी कागज की कुछ एक किस्मों जैसे अनब्लीच्ड प्रिंटिंग, ग्राजूग्लेड तथा डूप्लीकेटिंग ब्लीच्ड कागजों के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों से शिकायतें तथा ये धमकियाँ प्राप्त हुई है कि वे, उन्हें जारी किए गए टेंडरों का बहिष्कार करेंगी।

(ख) जी, नहीं। यह विभाग, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यविधि तथा इस नीति का पालन कर रहा है कि बड़े क्षेत्र की गैर-सरकारी फर्मों की दरों की तुलना में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, सप्लाई के लिए सहमत मात्रा के लिए, मूल्य में 10 प्रतिशत तक का अधिमान दिया जाए।

(ग) निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन करने में टेंडर प्रणाली का उल्लंघन नहीं किया जाता है। अत: परिवर्तन लाने के लिए किसी प्रकार के उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

इलाहाबाद बैंक की इलाहाबाद शाखा से राशि का गुम हो जाना

3360. **श्री राम लाल राही :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक की इलाहाबाद शाखा से 12 लाख 75 हजार रुपए गुम हो रहे हैं जैसाकि 1 फरवरी, 1983 से दैनिक 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कौन-कौन अधिकारी अंतर्ग्रस्त हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान देश में ऐसी कितनी अन्य घटनाएं हुई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इलाहाबाद बैंक ने सूचना दी है कि 29/30 जनवरी, 1983 की रात को इसकी इलाहाबाद मुख्य शाखा से 12.74 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण आभूषण चुरा लिए गए। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है और उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) बैंक ने सूचना दी है कि शाखा के मुख्य प्रबंधक और मुख्य खजांची को निलबित कर दिया गया है और आरोप पत्र भी दिया गया है। एक दूसरे अधिकारी को भी आरोप-पत्र दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार 1982 में (30.9.82) तक धोखाधड़ियों के 1574 मामले हुए। बैंक इन मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

टिप्पणी : 'बैंक धोखाधड़ी' में सामान्यतः मिथ्या-निरूपण, विश्वास भंग, लेखा-पुस्तकों में हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनिमय पत्रों जैसी लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, अपकरण, गबन, चोरी, राशियों का मिथ्या निरुपण, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कमियाँ, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

इन धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त राशि अनिवार्यतः बैंकों को हुई हानि की राशि की द्योतक नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों और बैंकों में खोले गए बचत खाते

3361. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में डाकघरों और बैंकों में अलग-अलग खोले गए बचत खातों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जमा राशि में से कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए; और

(ग) उपरोक्त जमाराशि में से कितने कारखानों और निगमों को धनराशि दी गई और उस राशि की वापसी हेतु क्या शर्तें रखी गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान हिमाचल प्रदेश में खोले गए डाकघर बचत खातों की संख्या क्रमशः 31,498 और 34,492 थी।

हिमाचल प्रदेश में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं के पास बचत खातों की संख्या दिसम्बर 1979 और दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्रमशः 4,97,460 और 6,03,643 थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां और अग्रिम नीचे लिखे अनुसार थे :—

	(करोड़ रुपए)	
	जमा राशियाँ	अग्रिम
दिसम्बर, 1979	96·06	29·32
दिसम्बर, 1980	124·94	40·83
दिसम्बर, 1981	161·39	61·46

डाकघरों द्वारा जुटाई गई अल्प बचत जमा राशियां विकास योजनाओं के वित्तपोषण के वास्ते इस्तेमाल की जाती है। राज्य सरकारों को, प्रत्येक राज्य में जुटाई गई छोटी बचत जमा राशियों की शुद्ध दो तिहाई सीमा तक दीर्घावधि-सावधि ऋण दिए जाते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ, इनसे, राज्य आयोजनाओं के संसाधनों में अंशदान भी दिया जाता है।

गुजरात में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

3362. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्रामीण बैंकों की कम शाखाएं खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) छठी पचवर्षीय योजना के अंत तक गुजरात में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखायें और किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में इस समय पाँच जिलों को व्याप्त करते हुए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। इनमें से दो बैंक दिसम्बर 1978 में, एक बैंक नवम्बर 1981 में और अन्य एक बैंक की स्थापना मार्च 1982 में हुई। ये बैंक 79 शाखाएं खोल चुके हैं। 1982 से 85 तक की अवधि के दौरान राज्य में इस समय कार्यरत चार क्षेत्रीय बैंकों की शाखाएं खोलने के वास्ते 83 अतिरिक्त केन्द्रों का आवंटन किया गया है। इनका बैंकवार आबंटन नीचे दिया गया है :—

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	आवंटित केन्द्रों की संख्या
1.	जामनगर ग्रामीण बैंक	10
2.	कच्छ ग्रामीण बैंक	10
3.	बनासकांठा महसाणा ग्रामीण बैंक	39
4.	पंचमहाल ग्रामीण बैंक	24
	जोड़	83

अपने देशों में धन भेजने के लिए विदेशी कंपनियों/राष्ट्रिकों द्वारा पालन किए जाने वाले विनियम

3363. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों/राष्ट्रिकों द्वारा अपने देशों में धन भेजने के मामले में पालन किए जाने वाले कोई विनियम हैं; और

(ख) क्या अपने देश में धन भेजते समय उन्हें भारत में बैंकों से कोई अनुमति लेनी पड़ती है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। चाहे भारतीय कम्पनियां हों या विदेशी एवं भारतीय राष्ट्रिक हों अथवा विदेशी, भारत से बाहर धन भेजने के सभी प्रकार के मामलों का विनियमन प्रत्येक प्रेषणा के प्रयोजन को देखते हुए निर्धारित विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

(ख) भारत से बाहर सभी प्रेषणाएं सामान्य बैंकिंग सरणियों से भेजी जाती हैं। ये प्रेषणाएं उन बैंकों द्वारा भेजी जाती है जो उन्हें सौंपे गए सामान्य प्राधिकार के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत होते हैं या जहाँ कहीं जरूरी हो, भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति लेकर भेजी जाती हैं।

सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण लिया जाना

3364. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भ में सरकार ने कितना ऋण सार्वजनिक लिया है;

(ख) क्या वर्ष के दौरान कोई नए ऋण जारी किए गए हैं;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है तथा नए ऋण जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी राशि के सार्वजनिक ऋण प्राप्त होंगे,

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अनन्तिम रूप से लगाए गए हिसाब के अनुसार बाजार ऋणों की बकाया रकम चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 18,512·07 करोड़ रुपए थी।

(ख) तथा (ग) चालू वर्ष के दौरान अभी तक बाजार ऋणों की 3563·05 करोड़ रुपए की 6 किस्तें जारी की गई हैं; जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

पंचवर्षीय आयोजनाओं में बाजार ऋणों की परिकल्पना आयोजना-परिव्यय के वित्त-पोषण के एक साधन के रूप में की गई है और इसी के अनुसरण में समय-समय पर ऋण जारी किए जाते हैं।

(घ) अनुमान है कि अब तक जारी किए गए ऋणों और मार्च, 1983 की समाप्ति से पहले लिए जाने वाले लगभग 603 करोड़ रुपए के ऋणों को हिसाब में लेने पर और चालू वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले 365.54 करोड़ रुपए के ऋणों की वापसी-अदायगी के बाद चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय बाजार ऋणों की बकाया राशि 22,312·53 करोड़ रुपए होगी।

विवरण

1982-83 में जारी किए गए बाजार ऋण

जारी किए गए ऋण	राशि (करोड़ रुपए)
I से v किस्तें :	3139·55
6·25 प्रतिशत ऋण, 1986	233·14
6·75 प्रतिशत ऋण, 1989	97.27
7·25 प्रतिशत ऋण, 1992	558·11
7·75 प्रतिशत ऋण, 2002	64·56
8·25 प्रतिशत ऋण, 2005	164·79
8·75 प्रतिशत ऋण, 2010	400·21
9·00 प्रतिशत ऋण, 2013	1621·47
VI. किस्त :	
6.75 प्रतिशत ऋण, 1989 (दूसरा निर्गम) 9·00 प्रतिशत ऋण, 2013 (पांचवां निर्गम)	423·50
जोड़	3563·05

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन

3365. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन कब किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्तमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड 24-4-1982 को गठित किया गया था जिसमें बाद में कुछ रिक्तियाँ भरी जाती थीं।

(ख) सदस्यों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सदस्य

1. श्री एस०के० मिश्र,
विकास आयुक्त (हथकरघा)
तथा उपाध्यक्ष,
इसके अतिरिक्त कार्यवाहक अध्यक्ष
वस्त्र विभाग, वाणिज्य मंत्रालय ।
2. श्री एस० कृष्णामूर्ति,
उप सचिव (वित्त),
वस्त्र विभाग,
वाणिज्य मंत्रालय ।
3. श्री ए०पी० भाटिकर,
सचिव,
केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।
4. डा० ए० कलानिधि,
संसद सदस्य ।
5. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद,
संसद सदस्य ।
6. श्री समिनुद्दीन,
संसद सदस्य ।
7. श्री गंगाधर एस० कुछान,
संसद सदस्य ।
8. श्री एम० मदन्ना,
संसद सदस्य ।
9. श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल,
संसद सदस्य ।
10. सचिव, कर्नाटक सरकार,
वाणिज्य तथा उद्योग विभाग,
बंगलौर ।
11. निदेशक रेशम उद्योग,
कर्नाटक सरकार,
बंगलौर ।
12. पदधारी की मृत्यु के कारण
रिक्ति ।
13. श्री एम० नारायनन,
निगम पार्षद,
बंगरापेट, जिला कोलार ।
14. श्री हाजी सैयद मुनीर,
प्रैसीडेंट सिल्क रीलर्स,
एसोसिएशन, रामनगरम्,
जिला बंगलौर ।
15. निदेशक रेशम उद्योग,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास ।
16. निदेशक रेशम उद्योग
तथा रेशम वीविंग
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

16 (क) श्री डी०सी० जोरदार
भूतपूर्व संसद सदस्य,
जिला माल्दा,
पश्चिम बंगाल ।

17. निदेशक, रेशम उद्योग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद ।
18. औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार सरकार,
पटना ।
19. निदेशक रेशम उद्योग तथा वीविंग,
असम सरकार,
गोहाटी ।

20. मध्यप्रदेश सरकार के सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, भोपाल।
21. हथकरघा तथा वस्त्र निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर।
22. निदेशक कुटीर उद्योग तथा औद्योगिक निगम, गुजरात सरकार, अहमदाबाद।
23. सलाहकार, रेशम उद्योग, विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर।
24. निदेशक वस्त्र, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
25. निदेशक रेशम उद्योग, मणिपुर सरकार, इम्फाल।
26. निदेशक, रेशम उद्योग तथा वीविंग मेघालय सरकार।
27. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक रेशम उद्योग निगम, बंगलौर।
28. डा० एस० कृष्णास्वामी, सेवा निवृत, निदेशक सी०एस०आर० एंड टी०आई० मैसूर तथा उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रेशम उद्योग अनुसंधान समन्वय समिति मद्रास।
29. डा० एम०एस०राव, डीन, कृषि, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची कृषि कालेज, रांची।
30. कु० के० चौधरी, उप सचिव, वस्त्र विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार।

मिलों द्वारा कच्चे पटसन माल की सूची में कमी करना

3366. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च से जून तक के कमी वाले महीनों में मिलों द्वारा कच्चे पटसन माल की सूची में चरणबद्ध रूप से कमी किए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पटसन मिलों को क्या अनुदेश दिए गए हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह देखने के लिए किसी तंत्र का गठन किया है कि पटसन मिलें अपनी सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ।

(ख) पटसन (लाइसेन्सिंग तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत पटसन आयुक्त, कलकत्ता द्वारा 28 फरवरी, 1983 को सम्बन्धित पटसन मिलों को इस सम्बन्ध में

आवश्यक निदेश जारी किए गए कि वे 1.4.83 की स्थिति के अनुसार कच्चे पटसन का 12 सप्ताह की अपनी खपत आवश्यकताओं से अधिक का तथा इसके पश्चात् 1.5.83 को स्थिति के अनुसार आठ सप्ताह की अपनी खपत आवश्यकताओं से अधिक का स्टाक अपने पास न रखें।

(ग) पटसन (लाइसेन्सिंग तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत यह एक सांविधिक निदेश है और इस सांविधिक आदेश का अतिक्रमण करने वाली दोषी मिलों के विरुद्ध सरकार द्वारा कारंवाई की जा सकती है।

प्रचलन में करेंसी नोट

3367. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1983 में कुल कितने मूल्य के 100, 50, 20, 5, 2 तथा 1 रुपए के मूल्य वाले अलग-अलग करेंसी नोट तथा सिक्के प्रचलन में थे तथा जनवरी, 1982 की तुलना में उनके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ जाली नोट भी प्रचलन में हैं तथा यदि हां, तो ऐसे कितने नोट हैं तथा उनका मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि करेंसी और बैंक नोटों तथा एक रुपए के सिक्कों के लिए अद्यतन आंकड़े जून, 1982 के लिए ही उपलब्ध किए गए हैं। तथापि कम मूल्य वर्गों के सिक्कों के लिए सितम्बर, 1982 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। इस आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है :

नोट : (लगभग करोड़ रुपयों में)

मूल्य वर्ग	जनवरी, 1982	जून, 1982	जनवरी, 1982 को तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
भारत सरकार के एक रुपए के नोट	210·81	215·05	2·01
1 रुपए (पुराने)	0·31	0·31	—
2 रुपए	377·32	420·29	11·39

1	2	3	4
5 रुपए	672·87	729·19	8·37
10 रुपए	2063·22	2075·20	0·58
20 रुपए	1152·57	1311·87	13·82
50 रुपए	2607·72	2865·91	9·90
100 रुपए	7398·16	8639·07	16·77
सिक्के :			
एक रुपए के सिक्के	152·54	158·63	3·99

कम मूल्य वर्ग के सिक्के : (लगभग करोड़ रुपए)

मूल्य वर्ग	जनवरी, 1982	सितम्बर, 1982	प्रतिशत वृद्धि (+) / प्रतिशत कमी (—)
1	2	3	4
50 पैसे और अठन्नी	84.48	87·82	(+) 3.95
25 पैसे और चवन्नी	91·15	97·10	(+) 6·53
20 पैसे	8·08	8·09	(+) 0·12
2 आना	1·47	1·47	—
10 पैसे	55·45	57·58	(+) 3·84
1 आना	3·76	3·76	—
5 पैसे	31·72	32·44	(+) 2·27
अधन्ना	3·01	3·01	—
3 पैसे	4·44	4·42	(—) 0·45
2 पैसे	10·00	9·99	(—) 0·10
1 पैसा (आना पाई वाला सिक्का)	3·49	3·49	—
एक पैसा (दशमिक)	5·67	5·67	—

(ख) नोटों की जालसाजी के मामलों का समय-समय पर पता लगाया जाता है

किन्तु यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि प्रचलन में आए हुए जाली नोटों की संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है।

कांडला पत्तन पर आयात शुल्क की अदायगी के बिना इंजेक्शन/दवाइयों का आयात

3368. **डा० महिपतराय एम० मेहता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयात शुल्क की अदायगी किए बिना केवल कच्चे माल/उपकरणों के आयात की ही अनुमति दी जाती है ।

(ख) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर दवाइयों की गोलियां इन्जेक्शन तथा अन्य दवाइयों के तैयार रूप को आयात शुल्क की अदायगी किए बिना आयात किया जाता है तथा समाजवादी देशों को उसका पुनर्निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार के आयात कच्चे माल/उपकरणों के वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में, किन मदों का उनके मूल्य सहित, आयात किया गया तथा ऐसे आयातों पर सीमा शुल्क वसूल न किए जाने पर सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयात शुल्क की अदायगी किए बिना न केवल कच्चे माल/संघटकों के आयात की ही अनुमति दी जाती है बल्कि भारत सरकार की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 77/80 दिनांक 17-4-80 के अनुसार काफट्ज में आयात शुल्क के बिना सभी माल के आयात की अनुमति दी जाती है ।

(ख) काफट्ज में सम्बन्धित एककों के क्रयबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार शुल्क की अदायगी किए बिना अधूरी पैकिंग के रूप में तैयार रूप में विशेष भेषजीय इन्जेक्शन वायलों का आयात किए जाने की अनुमति दी गई थी । अब तक आयात की गई मात्रा समाजवादी देशों को निर्यात की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1981-82 में—कुछ नहीं ।

1982-83 में 19 लाख सेफामाइजिन तथा सेफालोसपोरिन इन्जेक्शन के वायल आयात किए गए जिनका मूल्य 3,51,67,209 रु० था । शुल्क के रूप में सरकार को हुई राजस्व हानि शून्य है क्योंकि सभी आयात किए गए माल का पुनर्निर्यात किया जाता है ।

आयकर विभाग में कर्मचारियों की मंजूर संख्या

3369. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री आयकर विभाग में कर्मचारियों की मन्जूर संख्या के बारे में 19 मार्च 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में विभिन्न संवर्गों में मंजूर कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयकर विभाग के विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के अभी तक लम्बित पड़े प्रस्ताव क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार उपर्युक्त (ख) के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) आयकर विभाग के विभिन्न संवर्गों में मन्जूर किए गए कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या
1	आशुलिपिक (550—900 रु०)	61
2	आशुलिपिक (425—700 रु०)	24
3.	हैड क्लर्क (425—700 रु०)	58
4.	कर सहायक (380—640 रु०)	499
5.	उच्च श्रेणीलिपिक (330—560 रु०)	768
6.	आशुलिपिक (330—560 रु०)	85
7.	अवर श्रेणी लिपिक (260—400 रु०)	528
		2023

(ख) और (ग) निरीक्षकों, आशुलिपिकों, नोटिस तामीलकर्त्ताओं, दफ्तरियों, फराशों, चौकीदारों और सफाई वालों के संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के प्रस्तावों की विभिन्न पहलुओं से समीक्षा तथा जाँच की जा रही है। यह कहना कठिन है कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा।

सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन में राहत

3371. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सेना के उन कार्मिकों को जो 1979 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, पेंशन में राहत देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सैनिक कार्मिकों को चाहे वे 1979 से पहले या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, पेंशन में पहले से ही राहत दी जा रही है जो सूचक अंक में प्रत्येक 8 अंक की औसत वृद्धि पर कम से कम 2·50 रुपए और अधिक से अधिक 12·50 रुपए प्रति माह दी जाती है।

लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य

3372. श्री जयपाल सिंह

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह-अयस्क के निर्यात का यदि कोई लक्ष्य था, तो क्या था तथा वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान निर्यात लक्ष्य की किस सीमा तक प्रगति हुई;

(ख) निर्यात लक्ष्यों में यदि कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं तथा उसके परिणामस्वरूप निर्यात से होने वाली आय में कितनी गिरावट आने की संभावना है; और

(ग) लौह-अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) नीचे दी गई सारणी में गत दो वर्षों के लौह-अयस्क के निर्यात आंकड़े दिए गए हैं :

मात्रा मिलियन मी० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

	लक्ष्य		वास्तविक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1981-82	29·00	364·69	25·97	374·72
1982-83 (अनुमानित)	28.00	404·30	22·74	399·81

हालांकि दोनों वर्षों में परिमाणात्मक कमियां हुई हैं लेकिन 1981-82 में विदेशी मुद्रा वसूली लक्ष्य की तुलना में अधिक थी और 1982-83 के दौरान केवल मामूली रूप से कम हो सकती है। ऐसा इन दो वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए अधिक इकाई मूल्य वसूली के कारण सम्भव हो सका।

(ख) कमी के दो मुख्य कारण :

(1) इस्पात उद्योग में विश्वव्यापी मंदी के कारण लौह-अयस्क की मांग में कमी।

(2) जापान तथा रुमानिया जैसे प्रमुख क्रेताओं द्वारा संविदा की गई मात्राओं से कम मात्रा का उठाया जाना।

(ग) नये बाजारों का पता लगाने और विद्यमान बाजारों में बिक्रियां बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

नव वर्ष के अवसर पर होटलों को विदेशी कैबरे सितारे लाने की अनुमति

3373. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी और अन्य स्थानों पर यथा बम्बई और कलकत्ता में कुछ 5-सितारा होटलों को नव वर्ष के अवसर पर विदेशों से कैबरे सितारे मंगाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न होटलों द्वारा कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई और इन विदेशी कलाकारों को कितनी धनराशि देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या इनमें से कुछ होटलों ने सजावट और अन्य विलास सुविधाओं के लिए विदेशी तकनीकी के आयात पर बहुत अधिक व्यय किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे खर्चों के प्रदर्शनों पर सार्वजनिक धन का अपव्यय करने का क्या औचित्य है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। नव वर्ष की पूर्व संध्या से सम्बन्धित समारोहों की सजावट और अन्य विलास सुविधाओं के लिए किसी विदेशी तकनीकी के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसालों का आयात

3374. श्री जेवियर अराकल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक मसालों के आयात का सम्बन्ध है सरकार की क्या नीति है, किस प्रकार के मसालों का आयात किया जाता है तथा/अथवा उनका पुन: निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार विदेशों से इलायची के आयात का विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में इलायची के आयात पर जोर दिया है तथा आयात के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार को इलायची उगाने वालों तथा इलायची बोर्ड से इलायची आयात करने के इस विचार के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन तथा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1982-83 की आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दालचीनी/केसिया जायफल/जावित्री तथा लौंग का आयात करने की अनुमति है । आयातित मसालों के पुनर्नियात की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । अत: मसालों का पुनर्निर्यात, यदि कोई हो, निर्यात, सीमा शुल्क तथा विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित सामान्य नियमों द्वारा किया जाएगा ।

पंजीकृत निर्यातकों सम्बन्धी आयात नीति के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए मसालों का आयात करने की अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) से (घ) विदेशों से इलायची के आयात की अनुमति देने के लिए सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । 1983-84 की आयात नीति तैयार की जा रही है और इस अवस्था में और ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में कि क्या इलायची के लिए कोई आयात लाइसेंस जारी किया गया है, जानकारी आयात नियंत्रण लाइसेंसिग प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई खेल, 1982 के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों का आयात

3375. श्री उत्तम राव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम एशियाई खेल, 1982 के लिए सीमा शुल्क की छूट की अवधि के दौरान कितने रंगीन टेलीविजन सेट आयात किए गए;

(ख) छूट की अवधि समाप्त होने के समय कितने रंगीन टेलीविजन सेट सीमा शुल्क निकासी के लिए पड़े हुए थे; और

(ग) टेलीविजन सेटों पर सीमा शुल्क की छूट के कारण राजस्व के रूप में सीमा शुल्क की कितनी हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) निर्बन्धित सामान्य लाइसेन्स उपहार योजना लागू होने दौरान 62,3 0 रंगीन टी०वी० सेट आयात किए गए थे।

(ख) दिनांक 4 दिसम्बर, 1982 को उक्त योजना की समाप्ति के समय 1551 रंगीन टी०वी० सेट निकासी के लिए बाकी थे।

(ग) प्रभावी अवधि में रंगीन टी०वी० सेटों पर टैरिफ शुल्क दर उस स्थिति में 190·375 प्रतिशत थी जब उनका आयात कार्गो के रूप में किया गया हो। चूंकि कुल मिलाकर उक्त योजना के अधीन टी०वी० सेटों का आयात कार्गो के रूप में किया गया था और ऊपर उल्लिखित टैरिफ दर पर उन पर शुल्क लगाया गया था, इसलिए उक्त रंगीन टी०वी० सेटों के बारे में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

सेना के बाहर कार्यरत सेना अधिकारी

3376. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेवाओं में अधिकारियों की कमी है;

(ख) मेजर/ले० कर्नल/कर्नल/ब्रिगेडियर तक के कितने अधिकारी सेना के बाहर कार्यरत हैं;

(ग) इनमें से कितने अधिकारी इस समय (एक) निरीक्षण महानिदेशालय (दो) अनुसंधान तथा विकास संगठन (तीन) रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत योजना और समन्वय (चार) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं;

(घ) उक्त भाग (ग) में उल्लिखित पदों पर सशस्त्र सेना के अधिकारियों की नियुक्ति किन बातों को ध्यान में रखकर की जाती है और जबकि इन पदों पर सिविलियन अधिकारी काम कर रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का है जहां उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संगठनों में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) तीनों सेनाओं में अफसरों की सामान्य कमी है, यह कमी अधिकतर कनिष्ठ स्तर पर है।

(ख) और (ग) इस समय मेजर और ब्रिगेडियर रैंक के बीच के कुल 488 अफसर, वायु सेना और नौसेना में इनके समकक्ष क्रमशः 272 और 103 अफसर अपनी सेवा से बाहर कार्य कर रहे हैं। इनमें से, रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण महानिदेशालय, अनुसंधान और विकास संगठन, योजना और समन्वय निदेशालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तीनों सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

	थल सेना	वायु सेना	नौ सेना
निरीक्षण महानिदेशालय	173	3	46
अनुसंधान और विकास संगठन	135	69	39
योजना और समन्वय	24	2	1
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	86	33	17
जोड़	418	107	103

(घ) जिन अफसरों को सम्बन्धित सेनाओं से अन्यत्र पोस्ट किया जाता है उन्हें मुख्यतः रक्षा प्रयासों में लगे हुए उन संगठनों से प्राप्त मांग के आधार पर भेजा जाता है जो प्रौद्योगिकी के विकास और अत्याधुनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए उनके विशिष्ट तथा फील्ड अनुभव का लाभप्रद उपयोग करने के लिए उनकी सेवाएं चाहते हैं। इन एजेंसियों में इन अफसरों की सेवाएँ लोक-हित में उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हरियाणा में हवाई अड्डों का निर्माण

3377. **श्री निहाल सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में गत तीन चार वर्षों के दौरान निर्मित हवाई अड्डों का उपयोग निजी विमान मालिकों द्वारा समीपवर्ती शहरों में बेचने हेतु तस्करी का सामान लाने के लिए किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1983 तक के गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक हवाई अड्डे पर कितने विमान उतरे तथा वहां से उड़े और प्रत्येक हवाई अड्डे से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) हरियाणा में हिसार, करनाल, पिंजौर, जींद, भिवानी तथा नारनौल नामक सभी 6 विमान पट्टियां हरियाणा राज्य सरकार की हैं।

सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तकनीकी सहायकों के पद के लिए पदोन्नति हेतु संयुक्त बीजांक ब्यूरो में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित न करना

3378. **श्री हीरालाल आर० परमार:** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में अगले एक वर्ष में संभावित रिक्तियों को भरने के लिए वरिष्ठता तथा भर्ती नियमों की तैयार अन्तिम सूची रखी जानी तथा प्रत्येक वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए;

(ख) तकनीकी सहायकों के पद पर जिसके लिए मई, 1972 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब तक न बुलाए जाने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक बुलाए जाने का विचार है; और

(ग) कर्मचारियों की योग्य वरिष्ठ श्रेणियों को तकनीकी सहायकों के पद पर कब तक पदोन्नति दी जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संयुक्त बीज लेख ब्यूरो में तकनीकी सहायकों के पद के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है लेकिन वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के पूर्व तीन फीडर ग्रेडों की आपस में वरिष्ठता निर्धारित करने की पद्धति को हल करना था । यह कार्य अब निपटा दिया गया है और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जा रही है ।

भारत में पर्यटक आवागमन की वृद्धि दर में गिरावट

3379. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटक आवागमन की वृद्धि दर में कोई गिरावट पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में (जिसमें पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिक भी शामिल हैं) पिछले वर्ष की तुलना में 0· प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है; पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को शामिल करते हुए यह वृद्धि दर 0·8 प्रतिशत थी। इसके मुख्य कारण प्रमुख रूप से पर्यटकों को भेजने वाली मार्केटों में विश्वव्यापी मंदी तथा साथ ही साथ पड़ोसी देशों में गड़बड़ी के हालात थे।

(ग) सरकार द्वारा जो कदम उठाने की परिकल्पना है उसमें चार्टर ट्रैफिक का संवर्धन करना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समागमों को निमंत्रित करना, विदेशों में अधिकाधिक मार्किटिंग और संवर्धन, श्री लंका, कुआलालम्पुर और खाड़ी क्षेत्र में नये विदेश-स्थित कार्यालय खोलना, निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास, विद्यमान हवाई अड्डों का विस्तार और नए एयर टर्मिनल्ज का निर्माण, पश्चिम एशिया के देशों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय पर्यटन का संवर्धन, आदि।

इंडियन एयरलाइन्स को 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान लाभ हानि

3380. **श्री पी० नामग्याल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स को वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में (जनवरी 1983 के अन्त तक) कितना वार्षिक लाभ/हानी हुई;

(ख) उन रूटों/सेक्शनों के नाम क्या हैं जिनमें हानि हो रही है और उपर्युक्त अवधि में कितनी हानि हुई; और

(ग) हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1981-82 में 11 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। वर्ष 1982-83 में 13 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। अप्रैल 82 से जनवरी, 83 तक की अवधि में 11·43 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1981-82 में जिन विमान मार्गों/क्षेत्रकों पर कुल परिचालन लागत पर घाटा हुआ उनकी सूची विवरण में दी गई है। वर्ष 1982-83 के लिए विमान मार्ग के अनुसार लाभ/हानि का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स ने भार अनुपात में सुधार/वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं, ऐसे उपाय किए गए हैं जिनके कारण ईंधन की खपत में कमी होगी और विमान बेड़े के इष्टतम उपयोग के लिए योजना कर रही है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्रक	कुल प्रचालन लागत पर घाटा
1	2	3
1.	बम्बई-पूना	28·15
2.	बम्बई-अहमदाबाद	2·08
3.	बम्बई-इन्दौर-भोपाल	58·32
4.	बम्बई-राजकोट	21·46
5.	बम्बई-अहमदाबाद-उदयपुर-जोधपुर/जयपुर/दिल्ली	48·21
6	बम्बई-हैदराबाद	44·49
7.	बम्बई-नागपुर	26·98
8.	बम्बई-भावनगर (अक्तूबर, 81 से बम्बई-भावनगर-राजकोट)	58·37
9.	बम्बई-केशोद-पोरबन्दर	57·99
10.	बम्बई-बड़ौदा	29.02
11.	बम्बई-जामनगर-भुज	41·19
12.	बम्बई-बेलगाम	24·28
13.	बम्बई-पूना	28·56
14.	बम्बई-डबोलिम	9·18
15.	बम्बई-मंगलौर	7·54
16.	कलकत्ता-गोहाटी-मोहनबाड़ी	48·10
17.	कलकत्ता-गोहाटी-तेजपुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी-मोहनबाड़ी	120·23
18.	कलकत्ता-जोरहाट-मोहनबाड़ी	62·11
19.	कलकत्ता-गोहाटी	7·47
20.	कलकत्ता-गोहाटी-इम्फाल	38·37
21.	कलकत्ता-बागडोगरा	23·73

1	2	3
22.	गोहाटी-अगरतला (जून, 81 तक, अक्तूबर, 81 से मन्जूर की गई)	16.15
23.	गोहाटी-सिल्चर	21.37
24.	कलकत्ता-अगरतला	11·96
25.	कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर	67·14
26.	गोहाटी-दीमापुर	27·01
27.	कलकत्ता-अगरतला (जून, 1981 से)	9·63
28.	कलकत्ता-गोहाटी (अक्तूबर, 81 से कलकत्ता-अगरतला-गोहाटी नवम्बर, 81 तक, दिसम्बर, 81 से कलकत्ता-गोहाटी-तेजपुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी-मोहनबाड़ी)	59·75
29.	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल	85·45
30.	कलकत्ता-भुवनेश्वर-विजाग	59·92
31.	कलकत्ता-दिल्ली	15·61
32.	कलकत्ता-मद्रास-भुज (मई, 81 से कलकत्ता-मद्रास)	20·25
33.	कलकत्ता-भुवनेश्वर (मई, 81 से कलकत्ता/विजाग)	15·23
34.	कलकत्ता-इम्फाल-गोहाटी (मई, 81 से कलकत्ता-इम्फाल)	17·19
35.	कलकत्ता-पोर्टब्लेयर	14·64
36.	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी	104·50
37.	दिल्ली-लखनऊ-पटना-रांची-कलकत्ता	182·81
38.	दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-गोरखपुर-वाराणसी-कलकत्ता	177·54
39.	दिल्ली-ग्वालियर-नागपुर (मई, 81 तक, 1 जून, 81 से दिल्ली-ग्वालियर, जुलाई, 81 से दिल्ली-ग्वालियर-नागपुर, 15 अक्तूबर, 81 से दिल्ली-ग्वालियर-इन्दौर)	17·16
40.	दिल्ली-चंडीगढ़-जम्मू-श्रीनगर	98·80

1	2	3
41.	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर	46·60
42.	दिल्ली-भोपाल (जून, 81 से दिल्ली-भोपाल-नागपुर, 15 अक्तूबर, से दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल)	64·60
43.	दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास	57·51
44.	दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर (अक्तूबर, 81 से दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल)	46·11
45.	भोपाल-जबलपुर-रायपुर	45·34
46.	दिल्ली-चंडीगढ़-कुल्लू (नवम्बर, 81 तक)	15·80
47.	दिल्ली-चंडीगढ़ (जून, 81 से दिल्ली-चंडीगढ़-कुल्लू) (जुलाई, 81 से दिल्ली-चंडीगढ़)	6·61
48.	दिल्ली-आगरा-जयपुर	17·16
49.	दिल्ली-चंडीगढ़-लेह	6·28
50.	दिल्ली-चंडीगढ़	12·42
51.	दिल्ली-लखनऊ-पटना-बागडोगरा-गोहाटी-इम्फाल	184·74
52.	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई	143·68
53.	दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी-भुवनेश्वर (26 अप्रैल, 81 तक, 27 अप्रैल 81 से दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर, अक्तूबर, 81 से दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर-रांची-वाराणसी-दिल्ली)	83·74
54.	मद्रास-मदुराई	34·90
55.	मद्रास-बंगलौर-कोयम्बतूर-कोचीन	49·53
56.	त्रिवेन्द्रम-कोचीन	15·70
57.	मद्रास-बंगलौर	14·23
58.	हैदराबाद-नागपुर-दिल्ली अप्रैल, 81 से (मई, 81 से काट दिया और फिर अक्तूबर, 81 से मन्जूर कर दिया)	0·16
59.	मद्रास-तिरुपति-हैदराबाद	47·58
60.	मद्रास-बंगलौर	47·10

1	2	3
61.	बंगलोर-डबोलिम (मई, 81 में बंगलोर-डबोलिम-बेलगाम, अक्तूबर, 81 से बंगलोर-डबोलिम बेलगाम-बंगलोर)	13·29
62.	मद्रास-त्रिवेन्द्रम	69·19
63.	बंगलोर-कोयम्बतूर	34·23
64.	मद्रास-कोचीन (27.4.81 से मद्रास-बंगलोर-कोचीन)	57·12
65.	मद्रास-हैदराबाद	14·99
66.	त्रिची-बंगलोर	10·15
67.	बंगलोर-मंगलोर	22·56
68.	हैदराबाद-विजयबाड़ा-विजाग	58·76
69.	मद्रास-कोयम्बतूर	14·11
70.	मद्रास-त्रिची-(मद्रास-त्रिची-मदुराई सितम्बर, 81 से)	29·13
71.	मद्रास-त्रिची	1·86
72.	मद्रास-बंगलोर (27·4·81 से लागू)	39·42
73.	मद्रास-मदुराई (27·4·81 से लागू)	8·20
74.	पटना-काठमान्डू	33·42
75.	कलकत्ता-काठमान्डू	97·03
76.	दिल्ली-करांची	33·03
77.	त्रिची-कोलम्बो	2·29
78.	कोलम्बो-बम्बई	6·19

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को कृषि ऋण

3381. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को वर्ष 1981-82 और 1982-83 में कितना कृषि ऋण दिया गया है;

(ख) क्या किसानों की ऋण की वास्तविक वार्षिक मांग और उन्हें प्राप्त ऋण की धनराशि का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या इस ऋण को लेने से किसानों की स्थिति में सुधार आया है;

(घ) कितने प्रतिशत सुधार हुआ है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले दो वर्षों (सबसे हाल के उपलब्ध आँकड़े) में उड़ीसा राज्य में ऋणकर्ताओं की कुल संख्या और बकाया कृषि अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

	मार्च 1980	जून 1981
खातों की संख्या (हजारों में)	253	377
बकाया राशि (करोड़ रुपए)	40·76	58·52

(ख) जिलों के लीड बैंक, जिलों की संभाव्यताओं और संसाधनों की उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर, उनको आबंटित जिलों के विकास के वास्ते ऋण आयोजनाएं तैयार करते हैं। वार्षिक कार्य आयोजनाएं, जो जिला ऋण आयोजनाओं का एक भाग है, कृषि विकास के वास्ते किसानों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती हैं। वार्षिक कार्य आयोजना में, अलग-अलग जिले में, नियमित आधार पर, जिला स्तर पर, की गई प्रगति को देखा जाता है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा राज्य में, कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या और बैंक अग्रिमों में बराबर वृद्धि हो रही है। जिस रूप में पूछा गया है, उस रूप में किसानों की दशा में सुधार की मात्रा का आकलन संभव नहीं है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अपने द्वारा स्वीकृत चालू और समाप्त, दोनों प्रकार की स्कीमों की प्रगति पर नजर रखने के वास्ते मूल्यांकन अध्ययन करता है। उड़ीसा में स्कीमों में, आमतौर पर प्रगति हुई है। अलबत्ता, इन स्कीमों के क्रियान्वयन में अपेक्षित धीमी प्रगति मुख्यत: मूलभूत सुविधाओं, किसानों से अपेक्षित सहयोग न मिलने और कच्चे माल और विपणन सुविधाओं की अनुपलब्धता की वजह से हुई। नाबार्ड द्वारा स्कीमें अर्थक्षमता को सुनिश्चित करते हुए ही स्वीकृत की जाती हैं ताकि किसान अपने निवेश पर समुचित वृद्धिशील आय प्राप्त कर सकें।

बैंकों में डकैतियां

3382. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में बैंकों की विभिन्न शाखाओं में बड़ी संख्या में डकैतियां और लूटपाट होने के मामलों की जानकारी है;

(ख) 1982 के दौरान तथा इस वर्ष अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; उन में कितनी धनराशि लूटी गई और उसमें से कितनी धनराशि बरामद की गई है; और

(ग) इन घटनाओं को कम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा दी गई (अब तक की) सूचना के अनुसार 1982 और 1983 के दौरान लूटपाटों/डकैतियों की संख्या, उनमें अन्तर्ग्रस्त कुल राशि तथा बरामद हुई रकम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	घटनाओं की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	लूटी हुई रकम में से बरामद हुई राशि
1982	77	140.48 लाख रु० (लगभग) तथा 16.36 लाख रु० मूल्य का स्वर्ण	38.18 लाख रु० (लगभग) तथा 3479 ग्राम वजन का स्वर्ण
1983 (अब तक की सूचना के मुताबिक)	8	22.11 लाख रु० (लगभग)	10,775 रुपए लगभग

(ग) उन राज्यों सरकारों से, जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुनियादी रूप से जिम्मेदार हैं, उपयुक्त निरोधक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से अपने परिसरों के भीतर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त विशिष्ट सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में भी विस्तृत अनुदेश जारी किए गये हैं। बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए, सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गई है।

होटलों के निर्माण पर सरकार दिल्ली महानगर प्राधिकारियों प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खर्च की गई धनराशि

3383. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई खेल के लिए पाँचतारा होटलों के निर्माण पर भारत सरकार, दिल्ली महानगर प्राधिकरण और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : एशियाई खेलों के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर द्वारा पाँच-तारा होटलों के निर्माण की अनुमानित लागत निम्नलिखित है :

	(करोड़ रुपयों में)
पब्लिक सेक्टर :	
1. सेंटौर होटल (भारत होटल निगम)	20·26
2. सम्राट होटल (भारत पर्यटन बिकास निगम)	19·70
प्राइवेट सेक्टर :	
1. एशियन होटल (एशियन होटल्स लि०)	33·68
2. सूर्य इन्टरनेशनल (कास्मोपोलिटन होटल्स)	15·50
3. सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल (जय प्रकाश एन्टरप्राइजिज)	9·90
4. भारत होटल्स (दिल्ली ओटोमोबाइल्स)	25·03
5. मेरीडियन होटल (सी०जे० इन्टरनेशनल)	44·86
6. पार्क होटल (नार्थ इण्डिया होटल्स)	13·05
7. मौर्य शेराटन (आई०टी०सी०लि०) (विस्तार)	6·40
8. ताज पैलेस (इन्डियन होटल कम्पनी/डी०डी०ए०/एन०डी०एम०सी०)	33·00

जहां तक दिल्ली महानगर प्राधिकरण का सम्बन्ध है, वह एशियाड के लिए किसी भी होटल के निर्माण में शामिल नहीं थी।

यूरोप के पर्यटक लाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही

3384. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप से पर्यटकों के समूह में लाने की सरकार की योजना नहीं चल पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) यूरोप सहित विश्व के सभी भागों से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लगातार प्रयत्न किए गए हैं। तथापि, यूरोप से आने वाला पर्यटक यातायात प्रक्षिप्त वृद्धि की अपेक्षा कम हुआ है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में आर्थिक मन्दी और गड़बड़ी के हालात है।

(ग) यूरोप में संवर्धनात्मक और विपणन की गतिविधियों को फिर से सघन बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा अन्य कदम उठाने की जो परिकल्पना की गई है उनमें चार्टर यातायात का संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों को निमन्त्रण, निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास, विद्यमान हवाईअड्डों का विस्तार और नए एयर टर्मिनल्स का निर्माण समुद्र तटों पर सुविधाओं का प्रबन्ध आदि हैं।

निलम्बित कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह भत्ता

3385. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निलम्बित कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह भत्ता देने में तथा निलम्बन की तारीख के 90 दिन के पश्चात् उसके पुनरीक्षण में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या इस बारे में जारी किए गए अथवा इससे पूर्व विद्यमान आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) महोदय, जब तक किसी मामले में विलम्ब के कोई वैद्ध कारण न हों तो आमतौर से जीवन-निर्वाह भत्ते को मन्जूर करने में कोई विलम्ब नहीं होता है। इस समय निलम्बन के मामलों की हर छः महीने बाद पुनरीक्षण की जाती है। रक्षा सिविलियनों पर लागू होने वाले सम्बन्धित नियमों को संशोधित किया जा रहा है ताकि जीवन-निर्वाह भत्ते की हर तीन महीने में पुनरीक्षा की जा सके।

(ग) जीवन-निर्वाह भत्ते की हर तीन महीने में पुनरीक्षा करने के बारे में संशोधित आदेश शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

भारत द्वारा लिया गया दीर्घावधि तथा वाणिज्यिक ऋण

3386. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा लिए गए दीर्घावधि ऋण तथा वाणिज्यिक ऋणों का राज्यवार ब्यौरा (नवीनतम आंकड़े) क्या हैं; और

(ख) उनके लिए अलग-अलग ऋण दरें क्या थीं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार और गैर-सरकारी ऋणों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

जहाँ तक वाणिज्यिक ऋणों का सम्बन्ध है, 1975-76 से लेकर दिसम्बर, 1982 तक लगभग कुल 2415 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक उधारों/सभरक ऋणों का उपयोग किया गया । जहाँ वाणिज्यिक उधार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम के लिए जाते हैं वहाँ संभरक ऋणों की व्यवस्था अलग-अलग संभरकों से की जाती है।

वाणिज्यिक ऋणों के ब्याज की दरें अलग-अलग ऋणों के लिए अलग-अलग होती हैं । अधिकांश मामलों में वे दरें लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दरों या निर्यात ऋणों के लिए यूरोपीय सहयोग और विकास संगठन की मानक शर्तों से कुछ अधिक होती हैं ।

विवरण

क्र०सं०	देश/संस्था का नाम	ऋणों अर्थात् विदेशी ऋणों का 31.12.82 तक उपयोग (अनन्तिम)		ब्याज की दर (प्रतिशत)
		सरकारी (करोड़ रुपए)	गैर-सरकारी	
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रिया	39.82	—	2 से 5.5 तक
2.	आबूधाबी	14.27	—	4
3.	बेल्जियम	74.37	—	शून्य से 3 तक
4.	कनाडा	520.98	4.76	शून्य से 6 तक
5.	चेकोस्लोवाकिया	98.04	—	2.5
6.	डेनमार्क	39.19	—	4 से 5 तक (इस समय ब्याज-मुक्त)
7.	फ्रांस	545.81	—	राजकोष भाग : 3 से 3.5 तक बैंक भाग : 6.85 से 10.65 तक
8.	जर्मन संघीय गणराज्य	1642.89	116.17	0.75 से 6.75 तक
9.	हंगरी	12.27	—	2.5 से 4.5 तक
10.	इराक	157.15	—	2.5 (ब्याज मुक्त, चालू ऋण के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार)
11.	इटली	35.82	—	2.5 से 5.00 तक

1	2	3	4	5
12.	जापान	907.54	1.70	2.5 से 6.25 तक
13.	कुवैत निधि	88.00	—	4
14.	नीदरलैंड्स	554.63	—	0.75 से 5.5 तक
15.	"ग्रोपेक" निधि	74.70	—	0.5 से 0.75 तक (सेवा प्रभार)
16.	पोलैंड	29.96	—	2.5
17.	सऊदी निधि	75.41	—	4
18.	स्विटजरलैंड	38.17	—	1 से 3 तक
19.	ब्रिटेन	1211.06	—	1965 से ब्याज-मुक्त
20.	संयुक्त राज्य अमेरिका	4436.30	370.42	0.75 से 8 तक
21.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	967.11	—	2.5
22.	यूनाइटेड अरब अमीरात	61.44	—	2.5
23.	यूगोस्लाविया	18.18	—	3
24.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक	1087.39	745.94	4.875 से 11.6 तक
25.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5218.84	—	0.75 (सेवा प्रभार)
26.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्यक्रम ऋण)	41.68	—	0.75 (सेवा प्रभार)
27.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	30.04	—	1.00 (सेवा प्रभार)
28.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	537.51	—	0.5
29.	ईरान	882.11	—	2.5 से 5 तक
	जोड़ (करोड़ रुपए)	19440.68	1238.99	

भारतीय चाय का खो जाना

3387. श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1983 के "बिजनेस स्टण्डर्ड' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि 140 लाख कि०ग्रा० भारतीय चाय खो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) लेख में यह सुझाव दिया गया है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1982 में चाय के उत्पाद में हुई वृद्धि मुख्य नीलामी केन्द्रों पर बिक्री के लिए आफर की गई चाय की मात्रा में नहीं दिखाई गई है। चाय बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में 1982 के दौरान चाय के उत्पादन का अनुमान 564 एम० कि०ग्रा० लगाया गया है जबकि 1981 में यह 560.72 एम० कि०ग्रा० था। 1981 तथा 1982 के उत्पादन आंकडे दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण निम्नोक्त प्रकार है :

अवधि	(मात्रा एम० कि०ग्रा०)
क) जनवरी-अक्तूबर 1981	484.49
ख) नवम्बर-दिसम्बर 1981	76.23
ग) योग	560.72
घ) जनवरी-अक्तूबर 1982	473.73
ङ) नवम्बर-दिसम्बर 1982	90.27
च) योग	564.00

अक्तूबर 1982 तक चाय के उत्पादन में गिरावट प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण आई।

उस चाय के अतिरिक्त जो नीलामी केन्द्रों पर आकर की जाती है, काफी मात्रा में चाय बागान से निकलते समय की बिक्रियों के माध्यम से तथा गैर सरकारी बिक्रियों और वायदा संविदाओं के माध्यम से भी बेची जाती है। बिक्री अथवा निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन केन्द्रों से चाय के ऐसे संचलन को मानीटर करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

नेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०) में आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

3388. **श्री एन० ई० होरो :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भ में नेशनल कैडेट कोर आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (पूर्णकालिक) की नियुक्ति के समय सेवा-निवृत्ति की आयु 55 वर्ष दी गई थी जिसे 57 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है;

(ख) क्या 1980 में इन अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति करते समय उनसे ऐसी सेवा शर्तों के एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जिनका अभी निर्णय किया जाना था;

(ग) क्या इन नेशनल कैडेट कोर के अधिकारियों (पूर्ण कालिक) की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई जबकि अन्य सभी सिविल विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है;

(घ) यदि हाँ, तो सिविलियन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सशस्त्र सेनाओं के इसी रैंक के कम सेवा अवधि वाले अधिकारियों को पूरी पेंशन मिलती है जबकि एन० सी० सी० के अधिक सेवा अवधि वाले अधिकारियों को उनसे बहुत कम पेंशन मिलती है; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भेद-भाव करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भूतपूर्व आपात कमीशन अफसरों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में लेते समय उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष रखी गई थी, उनकी उम्र 55 से 57 वर्ष तक बढ़ाई जा सकने की व्यवस्था नहीं की गई थी और आज भी उन्हें स्थायी कमीशन देने के बाद उनकी सेवा निवृत्ति की आयु वही है।

2. 1980 में इन अफसरों से केवल यह पूछा गया था कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नीति पत्र के अनुसार वे राष्ट्रीय कैडेट कोर में स्थायी कमीशन पाने के इच्छुक हैं या नहीं और क्या वे राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए, समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन शासित होने के इच्छुक हैं।

3. इन अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष रखी गई है क्योंकि इन्हें

विभिन्न व्यापक शारीरिक और साहसिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना होता है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति की दृष्टि से यह जरूरी है कि उनका यथोचित युवास्वरूप बना रहे।

4. यह सम्भव है कि सशस्त्र सेनाओं के किसी दिए हुए रैंक के अफसर को वह पेंशन मिलती है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के उसी रैंक के पूर्वकालिक अफसर को कुछ अधिक समय की सेवा के लिए मिलने वाली पेंशन से कुछ अधिक है। इसका कारण यह है कि इन दो वर्गों के अफसरों पर दो भिन्न प्रकार के पेंशन नियम लागू होते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्ण कालिक अफसरों को उन कठिन परिस्थितियों, जोखिमों और संकटों का सामना नहीं करना पड़ता जो सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को आमतौर पर करना पड़ता है। अतः यह स्वाभाविक है कि यह अन्तर इन अफसरों की सेवानिवृत्ति पूर्व और बाद की हकदारियों में प्रतिबिंबित हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्ण कालिक अफसर हमेशा अलाभकर स्थिति में होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्ण कालिक अफसर 55 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं जबकि सेनाओं के उसी रैंक के अफसर 50-52 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा सेना के अफसरों को पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 वर्ष की सेवा करनी होती है जबकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालिक अफसरों के मामले में जो सेवा में आमतौर पर देर से भर्ती होते हैं, यह आयु सीमा केवल 10 वर्ष है।

वायुदूत सेवा द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

3389. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1981-82 में वायुदूत सेवाओं द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या के क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) 1981-82 में वायुदूत सेवाओं से यात्रा/यातायात से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) क्या वायुदूत सेवा से प्राप्त राजस्व इन सेवाओं के संचालन तथा अन्य खर्चों से भी कम है;

(घ) क्या उक्त सेवा से राजस्व का कोई लाभ नहीं हुआ है या लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी कुल राशि कितनी है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :

(क) वायुदूत द्वारा वर्ष 1981-82 में ले जाए यात्रियों की कुल संख्या 21,203 थी। इसके क्षेत्रकवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

गोहाटी/बारापानी/गोहाटी	2639
गोहाटी/कैलाशहर/गोहाटी	1970
कैलाशहर/अगरतला/कैलाशहर	4825
गोहाटी/रूपसी/गोहाटी	1750
गोहाटी/कमालपुर/गोहाटी	1296
कमालपुर/अगरतला/कमालपुर	20*2
चाबुआ/तेजू/चाबुआ	5235
दिल्ली/लुधियाना/दिल्ली	1426

(ख) वर्ष 1981-82 में यात्री यातायात से अर्जित किया गया कुल राजस्व 13·44 लाख रुपये था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वायुदूत को वर्ष 1981-82 में अपने परिचालनों पर 66·6 लाख रुपये की निवल हानि हुई।

वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

3390. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की वर्ग वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है और प्रत्येक वर्ग में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो बाकी कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है जो अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी ऐसे-ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझ कर नियुक्त नहीं करते; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का क्रियान्वयन

3391. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने सामान्य आदेश जारी किए गए और उनमें से कितने आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया;

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन, पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और उनमें से कितने हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए;

(घ) वर्ष 1968 के पश्चात् कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और उनमें से कितनों को आरम्भ से ही भारतीय नाम दिए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन किया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशों में होटल उद्योग में भारतीय राष्ट्रिक

3392. **श्री एन० डेनिस :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोग विदेशों में होटल उद्योग चला रहे हैं अथवा इसमें विदेशी लोगों के साथ हिस्सेदार बने हुए हैं;

(ख) क्या भारतीय फर्में ऐसा कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय फर्म/होटल का नाम	हिस्सेदारी का स्वरूप और विदेशी फर्म का नाम
1	2
मैसर्स ओबराय होटल (I) प्राइवेट लिमिटेड	(I) होटल मेना हाऊस ओबराय-काहिरा, मिश्र और (II) होटल ओबराय असवन, मिश्र के लिए मैसर्स इजिप्शियन फार टूरिज्म होटल्स के साथ होटल परिचालन करार।
	होटल लंका ओबराय-कोलम्बो, श्रीलंका के लिए मैसर्स एशियन होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलम्बो, श्रीलंका साथ होटल परिचालन करार।
	क्वींज होटल-कैंडी, श्रीलंका के लिए कैंडी होटल्स कम्पनी लिमिटेड, कैंडी, श्रीलंका के साथ होटल परिचालन करार।
	होटल सोलटी ओबराय-नेपाल के लिए सोलटी होटल्स लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल के साथ संयुक्त उद्यम।
	होटल बाली ओबराय बाली, इंडोनेशिया के लिए मैसर्स पी० टी० विधा पुत्रा कर्या, बाली, इंडोनेशिया के साथ सदस्यता और सेवा करार।
	(I) होटल ओबराय एडीलेड आस्ट्रेलिया और (II) विंडसर होटल मेलबोर्न के लिए मैसर्स टांमिमि एंड फाउंड एसोसिएट्स डमम, सऊदी अरब के साथ संयुक्त उद्यम।
	(I) होटल डमम ओबराय डमम और (II) डमम होटल, डमम के लिए मैसर्स सिविल वर्कस कम्पनी, सऊदी अरब के साथ संयुक्त उद्यम।

1	2
	होटल ओबराय इम्पीरयल-सिंगापुर के लिए मैसर्स हिन्द होटल्स इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के साथ होटल परिचालन करार ।
	होटल बेबीलोन ओबराय-बगदाद, ईराक के लिए स्टेट आर्गनाइजेशन आफ टूरिज्म, ईराक साथ होटल परिचालन करार ।
ईस्ट इंडिया होटल्ज लिमिटेड	होटल या बवावानी, जंजीबार, तंजानिया के लिए दी ईस्ट इंडिया होटल्ज लिमिटेड जंजीबर सरकार का परिचालन करार है ।
इंडियन होटल कम्पनी (दी ताज ग्रुप आफ होटल्ज)	रॉयल गैस्ट पैलस मस्कट के लिए ओमान की सल्तनत के साथ होटल परिचालन करार ।
	ताज शेबा होटल, साना (उत्तरी यमन) के लिए शेबा होटल्ज कम्पनी लिमिटेड के साथ होटल परिचालन करार ।
	बेलोज होटल, लंदन के लिए बेलोज होटल लिमिटेड के साथ होटल परिचालन करार ।
	लेक्सिंगटन होटल, न्यूयार्क के लिए लेक्सिंगटन होटल कार्पोरेशन इंकार्पोरेटेड न्यूयार्क के साथ होटल परिचालन करार ।
	ताज लंका होटल्ज लिमिटेड श्रीलंका द्वारा 560 कमरे के होटल की स्थापना के लिए श्रीलंका सरकार से संयुक्त उद्यम ।
भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०)	लिमासल (साइप्रस) में मैसर्स लोटस होटल्ज लिमिटेड के साथ आई० टी० डी० सी० की एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना है ।

सोने के आभूषणों को संपत्ति कर से मुक्ति

3393. श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कोल्हापुर इन्जीनियरिंग एसोसिएशन बिल्डिंग, शिवाजी उद्यम नगर, कोल्हापुर द्वारा माननीय मंत्री जी को 500 ग्राम तक के सोने के आभूषणों पर "स्त्री धन" के रूप में सम्पत्ति कर से

पूरी छूट देने तथा सम्पत्ति कर के हेतु सोने के आभूषणों के 501 ग्राम से 2 कि० ग्राम तक वर्ष 1971 की दर को आधार मान कर उनका मूल्यांकन करने के बारे में दिनांक 20 नवम्बर, 1982 को कोई अभ्यावेदन दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसमें बताए गए सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो वित्त मन्त्री जी द्वारा कितने सुझाव स्वीकृत किए गए हैं और कितने अस्वीकृत ; और

(घ) सुझावों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) यह सच है कि मेसर्स कोल्हापुर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से, धन कर के प्रयोजनार्थ 500 ग्राम तक स्वर्णाभूषणों को 'स्त्री धन' के रूप में पूर्ण रूप से छूट दिए जाने तथा 501 ग्राम से 2 कि० ग्रा० तक के स्वर्णाभूषणों का मूल्य वर्ष 1971 की प्रचलित दर को आधार मान कर, लिए जाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका से कम्प्यूटरों का आयात

3394. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रक्षा उत्पादन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कर्मचारियों के प्रबन्ध को दक्ष बनाने हेतु अमरीका से नए कम्प्यूटर (संगणक) आयात किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की कुछ यूनिटों में भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इस समय दो प्रकार के कम्प्यूटर (संगणक) अधिष्ठापित किए जा रहे हैं ; और

(ग) ये अमरीकी कम्प्यूटर (संगणक) किस हद तक भारत के रक्षा उत्पादन में वृद्धि करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी हाँ । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपनी विभिन्न डिवीजनों के लिए कम्प्यूटरों का आयात किया है । कम्प्यूटरों के लग जाने से उत्पादन योजना तथा नियन्त्रण प्रबन्ध सूचना पद्धति, सामान सूची नियन्त्रण और सामान प्रबन्ध आदि को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी ।

जी० ए० टी० टी० की बैठक

3395. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 88 देशों के जो "जनरल एग्रीमेण्ट भ्रान टैरिफ्स एण्ड ट्रेड, (जी० ए० टी० टी०) की पार्टियां हैं व्यापार अधिकारियों की विश्व के बड़े व्यापार करने वाले देशों में जो भावी व्यापार व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, बहुत अधिक अन्तर, को कम करने के लिए अन्तिम निर्णय लेने हेतु गत नवम्बर, में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) बैठक में भाग लेना भारत के लिए कहां तक सफल सिद्ध हुआ और अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए तथा सभी राष्ट्रों के लाभ के लिए इस प्रणाली का समर्थन करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए संविदाकारी पक्षकारों के सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए 88 गाट संविदाकारी पक्षकारों का अड़तीसवां सत्र मंत्री स्तर पर नवम्बर, 1982 में जनेवा में हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इन विचार-विमर्शों में प्रमुख भूमिका निभाई।

इस बैठक ने सर्व-सम्मति से एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा पारित की जिसमें यह अभिज्ञात किया गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नीतियों में अभिसरण की कमी, संरक्षणात्मक दबाव, गाट नियमावलियों की अवहेलना तथा गाट प्रणाली के कार्यचालन में कमियों की वजह से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को गम्भीर खतरा है। तदनुसार, गाट के सदस्य देशों ने बहुत से विनिश्चय स्वीकार किए जिसमें इन समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इन विनिश्चयों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं ; संरक्षात्मक दबावों को रोकने के लिए वचनबद्धता, ऐसे कोई भी उपाय न करना जो गाट के अनुसार न हों तथा ऐसा कोई भी उपाय न करना जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित करें या उसे विकृत करे। हालांकि मंत्रिस्तरीय बैठक के समग्र परिणाम सन्तुलित रहे, फिर भी विश्व की वर्तमान मन्दी वाली आर्थिक और व्यापारिक स्थिति में यह समझा जाता है कि इस बैठक में विकासशील देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, की विशेष चिन्ताओं की ओर ध्यान दिलाया गया। संरक्षणवाद को रोकने के लिए सामान्य वचनबद्धताओं के अतिरिक्त, पूर्वोपाय के लिए समझौता करने, वस्त्रों तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के व्यापार पर और आगे विचार करने, मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों तथा अन्य गैर टैरिफ उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने और साथ ही साथ गाट की विवाद निपटान व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए विशिष्ट निर्णय लिए गए, ये सभी विकासशील देशों के लिए लाभ के द्योतक हैं।

विदेशी ऋण

3396. **श्री के० प्रधानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1983 के अन्त तक विदेशी ऋण के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन बाहरी देशों ने सहायता दी है, उनके नाम क्या हैं और उनके द्वारा परियोजना-वार कितनी सहायता दी गई तथा वर्ष 1982-83 के अन्त तक विश्व बैंक, आई० डी० ए०, आई० एफ० सी० और आई० एम० एफ० से कितनी-कितनी सहायता मिली है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 15 मार्च, 1983 को विदेशी ऋणों की राशि की जानकारी उस अवधि के लेखाओं के अन्तिम रूप से बन्द किए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी। इस समय दिसम्बर, 1982 तक के अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं तथा दिसम्बर, 1982 के अन्त तक कुल 20533·17 करोड़ रुपए के ऋण का अनुमान है।

(ख) विदेशों और संस्थाओं से भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय सरकार के 1983-84 के बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध चार में दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं के अन्तर्गत की गई खरीदें परियोजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती। विभिन्न वित्तीय सुविधाओं के अतर्गत 31950 लाख एम० डी० आर० की राशि की कुल खरीद की गई, जिनमें शामिल हैं :—

(क) प्रतिपूर्तिक वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत (26·60 करोड़ एम० डी० आर०)।

(ख) ट्रस्ट कोष ऋण के अन्तर्गत (52·90 करोड़ एम० डी० आर०)।

(ग) विस्तारित वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत (240·00 करोड़ एम० डी० आर०)।

इन राशियों का उद्देश्य भुगतान शेष की आवश्यकताओं को पूरा करना और भारत के समायोजन कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना है।

30 सितम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वांशिगटन) के संवितरित ऋण की बकाया राशि 266 लाख अमेरिकी डालर थी। यह ऋण गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया गया था।

वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

3397. **श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भारत से वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो वस्त्रों के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त न किए जा सकने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि सूती रेशों के निर्यात पर अत्यधिक बल दिया जाना भी निर्यात में गिरावट आने का एक कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति की पुनरीक्षा करने और एक ऐसी नीति अपनाने का है जो वस्त्र निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर मिश्रित कपड़ा उपलब्ध कराने में सक्षम हो ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान भारत से सिले सिलाए परिधानों के निर्यात में 1981 की इसी अवधि के दौरान इन मदों के निर्यात की तुलना में कुछ गिरावट आयी है। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के दौरान परिधानों के निर्यात 428·39 करोड़ (अनन्तिम) के हुए जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि में 463·75 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे ।

(ख) वर्तमान कमी के लिए प्रमुख आयातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के रुख और मांग के रुख में परिवर्तन मोटे तौर पर जिम्मेवार माने गए हैं ।

(ग) जी नहीं । सरकार विभिन्न वस्त्र उत्पादों के जिनमें सूती वस्त्र और सिले सिलाए परिधान शामिल हैं, निर्यातों को प्रोत्साहन देती है ।

(घ) परिधानों के पुनर्निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तगत परिधान निर्यात उद्योग द्वारा प्रयोग में लाने के लिए चालू आयात नीति में मिश्रित ब्लेन्डेड कपड़े के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है ।

जनवरी, 1983 में पालम हवाई अड्डे पर दो विमानों में टक्कर

3398. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1983 को पालम हवाई अड्डे में दो महीनों में दूसरी बार दो विमानों में टक्कर की घटना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार

इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया, नागर विमानन विभाग के अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) अपनी ड्यूटी की उपेक्षा करने में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने देने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। पालम हवाई अड्डे पर 7 जनवरी, 1983 को दो विमानों के टकराने की कोई घटना नहीं हुई। पालम हवाई अड्डे पर 28 जनवरी, 1983 को एयर इण्डिया के बोइन्ग 747 विमान की इण्डियन एयरलाइन्स के खड़े हुए एयरबस विमान से टक्कर हुई।

(ख) इस घटना का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

उड़ान संख्या आई० सी०-406 का परिचालन करने वाला इण्डियन एयरलाइन्स का एयरबस विमान वी० टी०-ई० एफ० वी० 28 जनवरी, 1983 को भारतीय मानक समय के अनुसार 19·02 बजे दिल्ली विमान क्षेत्र पर उतरा। कलकत्ता के लिए उड़ान संख्या आई० सी०-264 का परिचालन करने के लिए यह विमान तब आवंटित "वे" संख्या 12 पर खड़ा किया गया था। एयर इण्डिया का विमान वी० टी०-ई० एफ० ओ० उड़ान संख्या ए० आई०-306 का परिचालन करते हुए, 28 जनवरी, 1983 को भारतीय मानक समय के अनुसार 20·10 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। इस विमान को "वे" संख्या 17 आवंटित की गई थी तथा इसे आवंटित स्थान पर पहुंचने के लिए उक्त एयरबस विमान के पीछे से होकर जाना था। जब यह विमान उक्त एयरबस विमान के पीछे से होकर गुजर रहा था तब इस बोइन्ग 747 विमान का 'पार्ट विंग टिप" उक्त एयरबस विमान के पिछले भाग से टकरा गया।

नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए एक दुर्घटना निरीक्षक ने इस घटना की जाँच की। इस दुर्घटना निरीक्षक द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा इस जांच रिपोर्ट पर विचार कर लेने और इसे स्वीकार कर लेने के बाद ही सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स ने सम्बन्धित कर्मचारियों को कड़े अनुदेश जारी कर दिए हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए परिष्कृत/नवीनतम धावनपथ, आवीक्षण उपस्कर लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाईंस के विमान की एक मिनी बस से टक्कर

3399. श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इण्डियन एयरलाइन्स का एक विमान पालम हवाई अड्डा, दिल्ली में उतरते समय एक मिनी बस से टकरा गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में यात्रियों और विमान की सुरक्षा के लिए अन्य क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। 15 दिसम्बर, 1982 को अनुसूचित उड़ान आई० सी०-494 का परिचालन करते समय इण्डियन एयरलाइन्स का बोइंग 737 विमान बी० टी०-ई० सी० एस० दिल्ली हवाई अड्डे पर जब उतरने ही वाला था, एक मिनी बस से टकरा गया। विमान तथा वाहन की टक्कर वाहन चालक द्वारा अनाधिकृत रूप से धावनपथ पार करते समय हुई जब विमान जमीन पर उतरने ही वाला था।

(ग) इस घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। उसे निलम्बित भी कर दिया गया है। अभद्र व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई भी आरम्भ की गई है।

(घ) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने पालम के पुलिस उपायुक्त को विशेष अनुदेश जारी कर दिए हैं कि विमान यातायात नियंत्रण से अनुमति लिए बिना किसी भी स्थिति में कोई पुलिस वाहन धावनपथ पार नहीं करेगा और वह भी जब ड्यूटी पर पुलिस उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त व्यक्तिगत रूप से वाहन में बैठे हों। पालम के पुलिस उपायुक्त को कड़ी निगरानी रखने के लिए हिदायत दे दी गई है ताकि ऐसी घटनाएं दुबारा न हों।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान अर्जित किया गया राजस्व

3400. श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स को वर्ष 1981-82 में अर्जित 11 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में वर्ष 1982-83 में 13 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार निकट भविष्य में इण्डियन एयरलाइन्स के किराया-भाड़ा में प्रस्तावित वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1982-83 में अर्जित किए गए कुल राजस्व का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण ईंधन अधि-प्रभार में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स को वर्ष 1982-83 में लगभग 455 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित करने की आशा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों को सीमान्त धन का वितरण करना

3401. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में आर्थिक तौर पर व्यवहारिक कार्यक्रमों के सन्दर्भ में शिड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस कोआपरेटिव कारपोरेशन से अनुसूचित जातियों के लोगों को सीमान्त धन देने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सीमान्त धन दिया जाना चाहिए लेकिन सीमांत धन की वसूली का मामला अभी तक नहीं निबटाया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात भी है कि कुछ को छोड़ कर शेष सभी वाणिज्यिक बैंक सीमांत धन के वितरण और वसूली का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निदेश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) यह सूचित किया गया है कि उड़ीसा शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस कारपोरेशन की एक ऐसी स्कीम है जिसके अधीन वह अपने द्वारा बैंकों को प्रायोजित किए गए अनुसूचित जाति के लाभप्राप्तकर्ताओं

को मार्जिन मनी प्रदान करता है। यह कारपोरेशन अपेक्षा करता है कि बैंक उसकी ओर से मार्जिन मनी को वसूल करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के अनुरोध पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि यदि वे चाहें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों द्वारा उधार दी गई मार्जिन मनी की वसूली के वास्ते विभिन्न राज्यों के निगमों के साथ एक करार कर लें। सरकार को यह सूचना दी गई है कि उड़ीसा में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम के साथ एक ऐसा ही प्रबन्ध किया है। यह निगम, मार्जिन मनी देने की अपनी स्कीम के अधीन, अनुसूचित जाति के लाभप्राप्तकर्ताओं को इन बैंकों को प्रायोजित कर सकता है।

स्विटजरलैंड के साथ समझौता

3102. **श्री अनन्त रामलु मल्लु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड ने भारतीय निर्यातकों को पैकिंग की किस्म और बाजार खोजने के बारे में तकनीकी सलाह के माध्यम से सहायता करने का प्रस्ताव रखा है ताकि वे (निर्यातक) उस देश को और अधिक सामान बेच सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) स्विट्जरलैंड को भारतीय निर्यातों का विस्तार करने के लिए समुचित सहायता देने के मामले पर भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आयोग की फरवरी, 1983 में हुई बैठक के दौरान सामान्य तौर पर विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड पक्ष ने आश्वासन दिया कि स्विटजरलैंड स्विस आफिस फार दि डेवलपमेंट आफ ट्रेड (एस० ओ० डी० टी०) की मार्फत निर्यात संवर्धन में भारत की सहायता करना जारी रखेगा। यह सुझाव दिया कि भारतीय इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और एस० ओ० डी० टी० को विपणन जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। स्विट्जरलैंड ने भारत में चुनिंदा फुटवियर विनिर्माण एककों की उत्पादन टैक्नालोजी के स्तर को बढ़ाने हेतु एक परियोजना चालू करने के लिए कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमति प्रकट की है, और इस परियोजना के ब्यौरों पर बातचीत की जा रही है। संयुक्त आयोग की बैठक में स्विस पक्ष ने ऊनी कालीन धोने के लिए भारत में सुविधाएं स्थापित करने में सहायता देने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए भी स्वीकृति दी। इन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में भी अभी तक दोनों सरकारों द्वारा किसी विशेष करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा की गई नए ट्रैवल एजण्टों की नियुक्तियां

3403. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इण्डियन एयरलाइन्स के टिकटों की बिक्री के लिए नए एजेण्टों की नियुक्तियों को रोक लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश कब से प्रभावी हुआ है ;

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स में इन नियुक्तियों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (घ) सीधे बिक्री बढ़ाने के लिए तथा बुकिंग एजेंसी कमीशन के भुगतान में कमी लाने के लिए, इण्डियन एयरलाइन्स ने 1980 में नई एजेंसियों की नियुक्तियों पर नए सिरे से प्रतिबन्ध लगाए हैं। भारत में इसके बाद से कोई नई नियुक्तियां नहीं की गई। तथापि प्रतियोगिता के कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रकों के लिए तथा भारत से बाहर नियुक्तियां होती रहीं।

जीवन-बीमा निगम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया गया व्यवसाय

3404. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जीवन बीमा निगम द्वारा 1 जनवरी, 1983 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और वेतन भोगी और गैर-वेतन भोगियों के बीच किए गए व्यवसाय के अलग-अलग आंकड़े हैं ; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में कितने एजेंटों को नियुक्त किया गया अथवा इस काम पर लगाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम का विशिष्ट झुकाव शहरों की ओर है जिससे इसका व्यवसाय सीमित दायरे तक सीमित हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा

1979-80 से लेकर 1981-82 तक के वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए गए नए व्यवसाय के अलग-अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	ग्रामीण व्यवसाय		शहरी व्यवसाय	
	पालिसियों की संख्या	बीमे की राशि (करोड़ रुपए)	पालिसियों की संख्या	बीमे की राशि (करोड़ रुपए)
1979-80	5,91,332	603·77	15,04,507	2129·34
1980-81	5,79,863	675·32	13,74,561	2207·40
1981-82	6,88,568	926.51	14 14,566	2552·41

31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसी प्रकार के आंकड़े वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही प्राप्त होंगे।

जीवन बीमा निगम वेतन बचत योजनाओं के अन्तर्गत किए गए व्यवसाय से संबंधित आंकड़ों के अलावा वेतनभोगियों के बीमे के आंकड़े अलग से नहीं रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों सहित वेतन बचत योजनाओं के अन्तर्गत नए व्यवसाय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमे की राशि (करोड़ रुपए)
1979-80	6,44,199	585·31
1980-81	5,57,804	551·67
1981-82	5,65,526	601·77

(ख) पिछले तीन वर्षों की समाप्ति के समय जीवन बीमा निगम में ग्रामीण एजेंटों की संख्या निम्न प्रकार थी :

वर्ष	संख्या
1979-80	32,436
1980-81	38,045
1981-82	36,698

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम का अधिकांश व्यवसाय शहरी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम समुचित प्रचार अभियान तथा प्रीमियम संग्रह की उन्नत सुविधाओं द्वारा उन जिलों में जहाँ कोई शाखा नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं और एजेंसियों का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नई शाखाएं खोला जाना

3405. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कितनी नई शाखाएं खोली गयीं और तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1983 तक कितने गाँव बैंक सेवा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाए गए हैं और कितने गांवों को छोड़ दिया गया है;

(ग) ये बैंक सेवाएं देश के सभी गाँवों को कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या गांव के लिए बैंक सेवा हेतु शाखा कार्यालय से 15 किलोमीटर तक का कार्य क्षेत्र होना अभी भी जारी है जिससे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कठिनाई पैदा हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है :—

वर्ष	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की कुल संख्या	इनमें से ग्रामीण स्थान
1978	2516	1721
1979	2058	1653
1980	3033	2312
1981	3467	2752
1982 (जून तक)	1 33	936

(ख) और (ग) जून, 1 82 के अन्त की स्थिति के मुताबिक देश में वाणिज्यिक बैंकों की 39177 शाखाएं काम कर रही थीं। जिनमें से 20,394 ग्रामीण स्थानों पर अवस्थित थीं। बैंक शाखाओं से केवल उसी स्थान की बैंकिग आवश्यकताएं पूरी करने की अपेक्षा नहीं की जाती जहां वे अवस्थित हों बल्कि उनसे अपने आसपास के क्षेत्रों के गांवों की आवश्यकताएं भी पूरी करने की आशा की जाती है। यद्यपि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में शाखा जाल को मजबूत बनाया जा रहा है, अर्थक्षम परिचालनों की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि सभी दूरदराज के गांवों में शाखा खोल सके या उन्हें सीधे व्याप्त कर सके। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि इस प्रकार के गांवों के निवासियों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध हों, कृषि प्राथमिक समितियाँ, कृषक सेवा समितियाँ और एल० ए० एम० पी० एस० आदि के गठन और उनके निकटवर्ती बैंक शाखा से सम्बद्धन पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) यद्यपि बैंकों से, सामान्य रूप से यह कहा गया है कि वे केवल इस आधार पर कि ऋण के आवेदन उनकी शाखा से 16 किलोमीटर दूर के स्थान से आये हैं, खास तौर से जहां ऋणकर्त्ता समूहों में उपलब्ध हों और ऋण के अन्तिम उपयोग की निगरानी और उसकी वसूली सुनिश्चित की जा सकती हो, ऋणकर्त्ताओं के आवेदनों को नामंजूर न किया जाए, यह बात भी माननी होगी कि बहुत दूर तक बिखरे हुए अथवा अकेले स्थान पर ऋण देना भी बैंकों के परिचालनों की दृष्टि से कोई अच्छी नीति नहीं होगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग व्याप्ति को सुधारने के लिए 1982-83 से 1984-85 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह रखा गया है कि बैंकिंग की व्याप्ति को, 1981 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 17 हजार की आबादी के लिए एक बैंक शाखा और अर्ध-शहरी इलाकों में प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक शाखा तक पहुंचा दिया जाए। शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन जन जाति इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इन इलाकों में शाखा विस्तार का आधार अपेक्षित रूप से अधिक उदार रखा जाएगा।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रतिनिधियों के लिए प्राइवेट होटलों की बुकिंग

3406. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजधानी में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए तीन गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों (अर्थात् ओबराय, इन्टरकांटिनेन्टल ताज और मौर्य) को किन शर्तों पर बुक किया है और सरकारी क्षेत्र के होटलों को किन शर्तों पर बुक किया है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें भोजन और आवास तथा अन्य सेवाओं के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या उनके ठहरने के दौरान खर्च का कोई भाग प्रतिनिधियों अथवा उनकी सरकारों द्वारा वहन किया गया था; यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए होटलों की बुकिंग होटलों द्वारा चार्ज की जाने वाली वर्तमान कीमतों पर की गई थी।

(ख) और (ग) होटलों से बिलों की प्रतीक्षा है। भोजन और आवास के लिए अदायगी अभी नहीं की गई है।

भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्षों और विदेश-मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के 4 अन्य प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया गया था। आतिथ्य में लांड्री शामिल थी लेकिन ड्रिंक्स, सिगरेट, ट्रंक काल्ज, और टैलेक्स चार्जेज शामिल नहीं थे। उपयुक्त 5 सदस्यों के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधियों ने क्रमशः अपने-अपने आवास और भोजन के लिए अदायगी की।

स्केण्डिनेविया देशों में चार्टर यात्रा से एयर इण्डिया को लाभ

3407. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में भारत और स्वीडन द्वारा द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद स्केण्डिनेविया देशो में एयर इण्डिया को समृद्ध चार्टर यात्रा में भागीदारी लेने से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पहले से ही लागू नागर विमानन समझौते के माध्यम से बराबर लाभ हेतु जोर देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। स्कैंडीनेवियन देशों और भारत के बीच फिलहाल कोई टूरिस्ट चार्टर आपरेशंस नहीं हैं। इस अतिरिक्त, स्कैंडीनेवियन देशों और भारत के बीच द्विपक्षीय विमान सेवा करार में, जो केवल अनुसूचित सेवाओं पर ही लागू होता है, चार्टरों का आपरेशन शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान सेवा करार एयर इंडिया को स्कैंडीनेवियन देशों तक परिचालन करने की अनुमति देता है। तथापि, स्कैंडीनेवियन देशों और भारत के बीच अपर्याप्त वर्ष-पर्यंत यातायात के कारण एयर इंडिया ने अभी तक इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। तथापि, किसी हालत में भी एयर इंडिया स्कैंडीनेवियन देशों से यातायात को भारत तक और यूरोप में विभिन्न स्थलों और आगे की अपनी सेवाओं के अन्य गंतव्यों तक ले जाता है।

गुट निरपेक्ष सम्मेलन हेतु राज्याध्यक्षों सरकारों के प्रमुखों के लाने वाले हवाई जहाजों का किराया

3408. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बैठक में भाग लेने वाले देश/सरकार के विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कुल कितने हवाई जहाज लाए हैं;

(ख) क्या हवाई जहाजों को टिकाने और भूमि पर उनकी सेवाओं (ग्राउन्ड सपोर्ट सर्विस) के लिए उन पर कोई कर लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है और क्या इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में होगा अथवा भारतीय मुद्रा में ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विशेष चार्टरों सहित, 109 ।

(ख) और (ग) प्रभार विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये—दोनों में ही एकत्र किए गए। विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई/बिलों में लाई गई कुल राशि इस प्रकार है :—

एयर इंडिया (स्थलीय सेवाएं, इंजीनियरी सेवाएं तथा खानपान सेवाएं)	44·45 लाख रुपये (लगभग)
नागर विमानन विभाग (मार्ग निर्देशन प्रभार)	3·12 लाख रुपये (लगभग)
भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (विमानों के उतरने और ठहरने के प्रभार)	10·00 लाख रुपये (लगभग)

औद्योगिक आंकड़े बैंक स्थापित करना

3409. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1983-84 में कुछ औद्योगिक आंकड़े बैंक स्थापित करने का है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पहले ऐसे बैंक खोले गए थे;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वित्तीय वर्ष में उपयुक्त केन्द्रीय औद्योगिक आंकड़े बैंक खोले जाने हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार में प्रशासनिक विभागों/संगठनों, अर्थात् औद्योगिक विकास विभाग, इलैक्ट्रोनिक विभाग, सांख्यिकी विभाग, विज्ञान और टेक्नोलोजी विभाग तथा योजना आयोग ने, जिनका सम्बन्ध औद्योगिक आंकड़ों के एकत्रीकरण से है, सूचित किया है कि उनके द्वारा अभी तक अलग से

औद्योगिक आंकड़ा बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं। योजना आयोग सहित, इन विभागों ने यह भी बतलाया है कि 1983-84 में अलग से औद्योगिक आंकड़ा-बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

भारत-हंगरी संयुक्त परिषद् की बैठक का दिल्ली में आयोजन

3410. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-हंगरी संयुक्त परिषद् की दिल्ली में अभी हाल की बैठक में हंगर के साथ व्यापार में भारत के वर्तमान प्रतिकूल सन्तुलन को मोड़ देने के तरीकों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और इनसे भारतीय निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : जी हां।

(ख) अन्य बातों के साथ निम्नोक्त प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया :—

(1) वस्त्र मशीनों, मशीनी औजारों, घड़ियों, औद्योगिक फास्टनरों, खाद्यान्न प्रोसेसिंग मशीनों, बाइसिकलों, जोड़ रहित इस्पात की ट्यूबों आदि जैसी उन 16 मदों की एक निदर्शी सूची तैयार की गई जिन्हें भारत से हंगरी को निर्यात किया जा सकता है, बशर्ते कि भारतीय निर्यातकों ने आवश्यक बिक्री संवर्धन प्रयास किए हों।

(2) हंगरी ने अपने घरेलू उपयोग के लिए तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए बाइसिकल तथा बाइसिकल के हिस्से पुर्जों के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिकी में रुचि दर्शाई।

(3) दोनों देशों से परियोजना निर्यातक तीसरे देशों में संयुक्त बिडिंग पर विचार कर सकते हैं।

'क्या लक्ष्मी कामर्शियल बैंक बिकेगा" शीर्षक से समाचार

3411. **श्री भीखा भाई :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1983 के हिन्दी नव भारत टाइम्स में प्रकाशित "क्या लक्ष्मी कामर्शियल बैंक बिकेगा" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या बैंक के उच्च पदाधिकारियों द्वारा लगातार अनियमितताएं की गई हैं;

(ग) उच्च पदाधिकारियों ने कितनी अनियमितताएं की हैं; और

(घ) प्रबन्धक मण्डल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा किए गए इस बेंक के निरीक्षण के समय, अग्रिमों की स्वीकृति आदि में बेंक की कुछ अनियमितताओं का पता चला था। रिजर्व बेंक इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है और वह आगे यथोचित कार्रवाई करेगा। इस बीच, इस बेंक की, कार्यकुशलता को सुधारने के वास्ते, रिजर्व बेंक ने बेंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 के अनुसरण में इस बेंक के बोर्ड में तीसरा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर दिया है।

नौसेना द्वारा केरल के मुख्य मन्त्री को किराये पर हेलीकाप्टर देना

3412. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नौसेना राज्य के मुख्यमन्त्री को किराए पर हेलीकाप्टर दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या;

(एक) हेलीकाप्टर कितनी बार किराये पर दिया गया है;

(दो) नौसेना ने हेलीकाप्टर किस दर पर किराए पर दिया है;

(तीन) राज्य सरकार से वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा;

(चार) हेलीकाप्टर किराए पर लेने का उद्देश्य;

(पांच) हेलीकाप्टर में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या और उनका विवरण;

(छः) नौसेना के हेलीकाप्टर को किराए पर देने के नियम आदि की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इस प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपेक्षित सूचना किस विशेष अवधि के बारे में मांगी गई है।

2. केरल के मुख्य मंत्री के सरकारी दौरे के दौरान और विशेषकर केरल के उस तटीय क्षेत्र के दौरे के लिए जिनमें भारतीय वायु सेना के अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले वायुयान उपलब्ध नहीं होते हैं। मुख्य मन्त्री को नौसेना के हेलीकाप्टर द्वारा जाने की सुविधा भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार दी गई है इस तरह के उड़ान की सुविधाएं केरल सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर दी जाती है।

3. केरल के मुख्य मन्त्री को नौसेना के हेलीकाप्टरों द्वारा उड़ान की सुविधा निर्धारित

दरों पर अदायगी पर दी जाती है। इस तरह के हवाई उड़ान की दरें समय-समय पर वित्त मंत्रालय की सलाह से निर्धारित की जाती है। हवाई उड़ान उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार को बिल दे दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री-वायु-थल सीमा शुल्क अधिकारियों की बैठक

3413. **श्री भीखा भाई :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले दिसम्बर में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समुद्री-वायु-थल सीमा शुल्क अधिकारियों की कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) बैठक में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं और इस बैठक में क्या सिफारिशें की गई थी; और

(ग) उनकी गतिविधियों के बारे में सर्वसम्मति कहाँ तक थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं। इस विभाग ने नई दिल्ली में दिसम्बर, 1982 में समुद्री-वायु-भू सीमाशुल्क अधिकारियों की अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) भाग के दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बेकार व्यय को रोकने के उपाय

3414. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयं सरकार में बेकार के व्यय को रोकने वाले उपायों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है (दिनांक 8 फरवरी, 1983 के टाइम्स आफ इंडिया के माध्यम से);

(ख) क्या सरकार को पूरे देश में सरकारी/सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग और भारी व्यय की जानकारी है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में मन्त्री और मंत्रालय स्तर पर अधीनस्थ और सरकारी क्षेत्र के एककों से स्टाफकारों को गैर-सरकारी रूप से उधार लेकर दुरुपयोग किया जाता है; और यदि हाँ, तो दिल्ली में प्रत्येक मंत्रालय द्वारा इस प्रकार उधार लिए गए वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि रक्षा सेवाओं में भी व्यक्तिगत तथा परिवार के लिए वाहनों का दुरुपयोग शुरू हो गया है; और

(ङ) कौन से उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) व्यय में किफायत से सम्बन्धी अनुदेशों के अलावा जोकि पहले से विद्यमान है, सरकार ने किफायत करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अभी हाल में मार्ग-दर्शी सिद्धान्त/अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों को बताने वाला एक **विवरण-एक** संलग्न है। जहाँ तक सरकारी वाहनों का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उचित प्रयोग हो, समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में जारी किए गए नवीनतम अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें **विवरण-दो** में दी गई हैं। इस मंत्रालय के ध्यान में दुरुपयोग के ऐसे कोई दृष्टांत नहीं लाए गए हैं जिनका उल्लेख भाग (ख), (ग) और (घ) में किया गया है। यदि दुरुपयोग के कोई मामले सरकार के ध्यान में आते हैं तो यह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का काम है कि वह उचित कार्रवाई करे।

विवरण—एक

मंत्रालयों/विभागों को व्यय में किफायत करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं:—

(1) मन्त्री और अधिकारीगण केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा पर जाएं। ऐसे मामलों में भी प्रतिनिधिमण्डलों का आकार और विदेश में उनके ठहरने की अवधि यथा सम्भव कम से कम हो।

(2) भविष्य में विदेश जाने वाले केवल मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों को ही अपने साथ अपना निजी सचिव ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य मंत्रीगण जिन देशों का दौरा करें वहाँ के मिशनों से निजी सहायकों/आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग करें।

(3) भविष्य में, निवास स्थानों पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों और अन्य समान स्तर के व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी। अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों में जिन्हें पहले ऐसी सुविधा की अनुमति दी गई थी, केवल रात के समय ही गार्ड की व्यवस्था होगी।

(4) भारत में विदेशी दूतावासों को निरन्तर सशस्त्र गार्ड देने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जहाँ कहीं आवश्यक हो विशिष्ट अवसरों पर दूतावासों के लिए सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाए, लेकिन यदि दूतावासों द्वारा अनुरोध किया जाए तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन प्रबन्ध, भुगतान के आधार पर किया जाए।

2. इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वस्तु बोर्डों आदि, जिनके विदेश में कार्यालय हैं, से इन कार्यालयों की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा करने और

व्यय में किफायत करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय भी अपने अधीन ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जिनके एक जैसे कार्य हों, विदेश में संयुक्त कार्यालय रखने की सम्भाव्यता की जांच करें।

विवरण – दो

विभागीय वाहनों/स्टाफ कारों द्वारा पैट्रोल की खपत में कमी करने संबंधी अनुदेशों की मुख्य विशेषताएं

1. गैर-परिचालन वाहनों जिनमें सचिवालय, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखी गई स्टाफ कारें भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में वर्ष, 1978-79 के दौरान जितने पैट्रोल की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है उसका 66-2/3 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि द्वारा रखे जा रहे परिचालन वाहनों के सबंध में 85 प्रतिशत तक पैट्रोल का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाए। जहाँ तक सचिवालय का सम्बन्ध है, इन अनुदेशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार द्वारा निगरानी की जानी चाहिए जो कि प्रत्येक गाड़ी के लिए तिमाही की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे तथा जिन मामलों में अधिक पैट्रोल का इस्तेमाल हुआ हो वे सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग के सचिव तथा इस मन्त्रालय के सचिव (व्यय) के ध्यान में लायेंगे। जहाँ तक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रखे जा रहे वाहनों का सम्बन्ध है विभागाध्यक्ष अपने नियन्त्रणाधीन वाहनों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए स्थायी कदम उठायेंगे ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अधिक उपभोग के मामलों को मन्त्रालय/विभाग के सचिव तथा सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

2. इस मंत्रालय के 19.10.1973 के परिपत्र सं० एफ० 3(7)-संस्था० II(क)/73 (जो पुन: 7.5.1977 के परिपत्र सं० एफ० 3(7)-संस्था II(क)/73 द्वारा परिचालित किया गया था) में प्रति तिमाही 900 लिटर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी जो कि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 750 लिटर प्रति तिमाही होगी। इस सीमा के अन्तर्गत मन्त्रियों द्वारा तथा विभिन्न अवसरों पर उनके निजी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गाड़ियाँ शामिल होंगी।

3. नए संगठनों, जो कि भविष्य में स्थापित किए जाएं, के मामले को छोड़कर कोई नई स्टाफ कारें नहीं खरीदी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में खरीद करने के लिए इस मन्त्रालय के सचिव (वित्त) का अनुमोदन होना चाहिए तथा स्टाफ कार के स्थान पर तीन पहिए वाले वाहनों से आवश्यकता को पूरा करने के प्रश्न पर इस मंत्रालय के दिनांक 27.5.1977 के का० ज्ञा० सं० एफ० 14(4)-संस्था० (समन्वय)/77 के पैरा 2(Iv) (II) में दिए अनुसार विशिष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए।

4. जब कोई स्टाफ कार प्रतिस्थापन्न करने योग्य हो जाए तो पिछले पैरा में यथा लिखित तीन पहिये वाले वाहन खरीदने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। वित्त

मंत्रालय को प्रतिस्थापन्न करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले इस सम्बन्ध में निर्णय सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए कि क्या स्टाफ कार तीन पहिए वाले वाहन द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

5. मंत्रालयों से संबंधित वित्तीय सलाहकार मंत्रालयों/विभागों और उनसे संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखे गये परिचालनात्मक वाहनों सहित स्टाफ कारों और अन्य वाहनों की संख्या की तुरन्त समीक्षा करें और कम से कम 10 प्रतिशत वाहनों की संख्या कम करने की सम्भावना का पता लगाएं।

6. जहाँ पर कर्मचारियों को ड्यूटी पर छोड़ने या ड्यूटी के बाद वापस छोड़ने की प्रथा विद्यमान है वहाँ प्रशासनिक मन्त्रालय के सचिव द्वारा इस पद्धति की तुरन्त समीक्षा की जाए और निर्णय किया जाए कि क्या इस पद्धति को जारी रखा जाए।

7. अलग कारों में अकेले यात्रा करने की बजाए, स्टाफ कारें सरकारी यात्रा के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग की जानी चाहिए।

8. अधिकारियों या ड्राईवरों के निवास-स्थानों पर सरकारी कारों के पार्किंग पर पूरा प्रतिबन्ध होना चाहिए।

9. सरकारी कारों को सरकारी भवनों या निकट के भवनों में बन्द गैरजों में पार्क करके अनुपयोगी मील दूरी को जहाँ तक सम्भव हो अधिक से अधिक कम करना चाहिए। जहाँ पर बन्द गैरजें न हों, इस प्रयोग को पूरा करने के लिए वहाँ पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय से विचार-विमर्श करके गैरजों का निर्माण कराने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय के दिनांक 20.8.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 3(6)-संस्थापन II(क)/73 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

10. अदायगी के आधार पर भी गैर-ड्यूटी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों के प्रयोग को तत्काल से समाप्त कर दिया जाए।

बम्बई कपड़ा मिलों में हड़ताल

3415. **श्री बी० वी० देसाई :**

डा० वसन्त कुमार पण्डित :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कपड़ा मिलों की 11 महीने से चली आ रही हड़ताल से इस

उद्योग को बुरी तरह लड़खड़ा दिया है जिससे अब उत्पादन का नुकसान 1000 करोड़ रु० पहुंच गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कपड़ा मिलों को बम्बई से विभिन्न अन्य राज्यों में ले जाने का है ताकि स्थिति को बचाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इन मिलों को कौन से क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का विचार है; और

(घ) कपड़ा मिलों के उत्पादन में इस स्थानांतरण से किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बम्बई काटन टेक्सटाइल मिल उद्योग पर हड़ताल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) सरकार सूती मिलों को बम्बई से हटा कर दूसरे राज्यों में करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली छावनी में ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण/एकत्र करने सम्बन्धी रिपोर्ट

3416. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण/एकत्र करने को विनियमित करने के लिए दिल्ली नगर पालिका के नमूने पर उपनियम बनाने हेतु गठित उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छावनी कार्यपालक अधिकारी के बार बार अनुरोध करने तथा छावनी बोर्ड के निर्देश के बावजूद भी नियम बनाने के लिए उप समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

फिर भी, छावनी कार्यपालक अधिकारी ने बैठक की तिथि और समय निर्धारित करने के बारे में उप समिति को 22 फरवरी 1983 को फिर से अनुरोध किया है।

(घ) उपर्युक्त (क) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनकी निजी परिसंपत्तियों में वृद्धि

3417. **श्री ए० के० राय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने पदों का कार्यभार सम्भालने के बाद उनकी परिसंपत्तियों का वर्ष-प्रति-वर्ष मूल्यांकन किया जाता है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है;

(ख) क्या अपने पद पर बने रहने के दौरान पिछले तीन वर्षों में उनकी निजी परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सांविधिक छूटों को हिसाब में लेने के पश्चात भरी गई शुद्ध धन की विवरणियां, जिनके आधार पर वर्षानुवर्ष धन-कर निर्धारण किए जाते हैं, परिसंपत्तियों में सामान्य वृद्धि का पता लगाने के लिए एक सूचकांक है। कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 चालू है। अतः सूचना, कर-निर्धारण वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए किये गये कर-निर्धारणों के सन्दर्भ में एकत्र की जानी होगी। चूंकि, वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री मंडल के सदस्य पिछले तीन वर्षों के दौरान, लगातार मन्त्री पद पर नहीं बने रहे हैं, इसलिए उनके धन-कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता। जो मुख्यमंत्री आज मुख्य मन्त्री के पद पर है और जो कर-निर्धारण वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की संगत अवधि के दौरान लगातार उस पद पर बने रहे हैं, उनके धन-कर निर्धारणों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जाएगी और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली छावनी बोर्ड के खजांची द्वारा गबन और दुर्विनियोजन

3418. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गबन के मामले की, जिसमें दिल्ली छावनी बोर्ड का खजांची शामिल है, आन्तरिक जांच के दौरान हजारों रुपए के गबन और दुर्विनियोजन का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस गबन में नियन्त्रणा अधिकारी किस सीमा तक उत्तरदायी हैं और क्या

पहली बार किए गए गबन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति की जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 15 मई 1982 को छावनी बोर्ड दिल्ली के कर अधीक्षक ने छावनी कार्यपालक अधिकारी के पास रिपोर्ट की कि छावनी के एक निवासी मैसर्स चरण सिंह नाहर सिंह से छावनी बोर्ड के कर निरीक्षक ने जब कर की देय राशि अदा करने को कहा तो उसने अदा किए गए 1099·50 रुपए की रसीद सं० 643352 की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत कर दी। रसीद की काउण्टर फाइल में भी इस राशि की अदायगी दिखाई गई है। लेकिन उपर्युक्त रसीद की राशि के स्थान पर खजांची ने छावनी निधि के लेखे में एक कैप्टन एस० सी० शर्मा के नाम से वास्तव में केवल 15/- रु० ही जमा कराए।

2. दिल्ली छावनी बोर्ड ने 25 मई 1982 के संकल्प सं० 27 के अन्तर्गत इस मामले की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस खजांची को निलम्बित करने का भी निर्णय किया। समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया कि खजांची ने 1084·50 रु० का दुरुपयोग किया और गलती से 15/- रु० एक कैप्टन एम० सी० शर्मा के नाम में जमा करा दिए। एक अन्य रिपोर्ट में समिति के अध्यक्ष ने बोर्ड के लेखों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी पाई हैं।

3. बोर्ड ने इन दोनों रिपोर्टों पर विचार किया और गबन का मामला पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह मामला छावनी लेखा संहिता 1924 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम कमान, शिमला के पास अलग से भेज दिया गया है।

4. दिल्ली छावनी बोर्ड के छावनी कार्यपालक अधिकारी ने बोर्ड के लेखों की अलग से जांच की थी। नवम्बर 1982 में उन्होंने बोर्ड की वित्त समिति को बताया कि खजांची ने बोर्ड के 38501·50 रु० का दुरुपयोग/गबन किया था। यह राशि उसके पास अपनी डयूटी को पूरा करते समय आयी थी जिसे उसने विलम्ब से जमा किया या कम राशि जमा की। छावनी कार्यपालक अधिकारी ने आगे बताया कि इस गबन का पता लगने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली छावनी शाखा में 18 मई के बाद बोर्ड के लेखे में अलग-अलग तिथियों को 37,539·86 रु० जमा करा दिए गए। बैंक से इन डिपाजिटों के पूरे विवरण देने को कहा गया है।

5. छावनी कार्यपालक अधिकारी और समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने 15 फरवरी 1983 को खजांची को चार्जशीट कर दिया।

6. नियमों के अन्तर्गत, आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के धन की क्षति के बारे में रिपोर्ट मिलने पर जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ एक समिति द्वारा जांच के आदेश देंगे जिसमें रक्षा भूमि तथा छावनी सेवा का एक अधिकारी और उनके द्वारा नामित दो अन्य

अफसर होंगे। बोर्ड ने छावनी कार्यपालक अधिकारी की प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट अभी तक जनरल अफसर-इन-चीफ, पश्चिम कमान शिमला के पास नहीं भेजी है। इस अवस्था में यह नहीं बताया जा सकता कि इस गबन के लिए नियंत्रण अधिकारी कहाँ तक जिम्मेदार है क्योंकि इस मामले की अभी जनरल अफसर-इन-चीफ, पश्चिम कमान शिमला द्वारा जांच की जानी है।

पालम हवाई अड्डे के समीप बहुमंजिला होटल

3419. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रक्षा मंत्री पालम हवाई अड्डे के समीप बहुमंजिला होटल के बारे में 16 जुलाई और 8 अक्तूबर 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 1517 और 1064 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहराम नगर गांव में एक रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस दे दिया गया है जबकि गेस्ट हाउस चलाने का ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गेस्ट हाउस अवैध रूप से कैसे चल रहा है और क्या रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस चलाने के लिए दिए गए लाइसेंसों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जाएंगी ;

(ग) अवैध निर्माण गिराये जाने के लिए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या गेस्ट हाउस ने अवैध निर्माण में कुछ और मंजिलें बनाई हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) दिल्ली छावनी में मेहरम नगर स्थित मैसर्स "एयरपोर्ट रेस्टोरेंट एण्ड गेस्ट हाऊस" नामक आवेदक को संलग्न शर्तों के अनुसार तैयार भोजन के बिक्रेता के रूप में दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा एक लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस की एक प्रति विवरण "क" पर रखी है। लाइसेंस में वर्णित शर्तें विवरण "ख" में दी गई है। लाइसेंस छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 210 के अन्तर्गत जारी किया गया था। गेस्ट हाऊस को चलाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार छावनी बोर्ड, दिल्ली द्वारा इस तरह का लाइसेंस देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

2. दिल्ली छावनी बोर्ड ने जिस अनधिकृत निर्माण को नोट किया उसे गिराने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में की गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित पार्टी को नोटिस दिया गया था। लेकिन पार्टी ने छावनी बोर्ड द्वारा जारी इस आदेश के विरुद्ध अपीलेट प्राधिकारी के पास अपील कर दी है। यह अपील अपीलेट प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ी है।

3. जिन अनधिकृत निर्माणों को गिराने के नोटिस दिए गए हैं उनके अलावा और कोई अनधिकृत निर्माण नोटिस में नहीं आया है ।

विवरण 'क'

लाइसेंस

छावनी अधिनियम 1924 की धारा 210 के अधीन ट्रेड लाइसेंस
9(1924 का II)

पुस्तक सं० 2 **लाइसेंस सं० 66**

दिल्ली छावनी बोर्ड
1981-82 के लिए लाइसेंस

दिल्ली छावनी में स्थित परिसर सं० VIII/49 का संलग्न शर्तों पर तैयार भोजन विक्रेता के लिए प्रयोग करने के बारे में छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी एतत् द्वारा यह लाइसेंस मेहराम नगर दिल्ली कैंट (मालिक राजेन्द्र कुमार जैन) के मैसर्स एयर पोर्ट रैस्टोरेंट और गैस्ट हाऊस रेजीडेंट को मंजूर करती है ।

यह लाइसेंस 19 जुलाई, 1981 से लागू होकर 31 मार्च, 1982 तक, दोनों दिन शामिल है, लागू रहेगा ।

छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित

ह०/-जी० एस० सोहल
छावनी कार्यपालक अधिकारी
दिल्ली छावनी

दिनांक 21.8.81

टिप्पणी : लाइसेंस हस्तान्तरणीय नहीं है ।

विवरण 'ख'

होटल, रैस्टोरेंट, लंगर और तंदूर

शर्तें जिनके आधार पर छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 210(1) (1) के अधीन लाइसेंस दिया गया है ।

प्राधिकार :—भारत सरकार, रक्षा विभाग की दिनांक 19.4.1941 की अधिसूचना संख्या 630 ।

1. लाइसेंस धारी अपने परिसर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकारक स्थिति में रखेगा ।

2. आटा और अन्य खाद्य सामग्री तथा पेय पदार्थ उत्कृष्ट किस्म के होंगे और जो आदमी के खाने योग्य हो, जिन्हें स्वच्छ पात्र में साफ सुथरे ढक्कन से ढक कर रखा गया हो।

3. अल्पाहार कक्ष, पूरी बिल्डिंग, आउट हाउसों, खाना पकाने के बर्तन और अन्य सामग्री को स्वच्छ और स्वास्थ्यकारक हालत में रखा जाएगा तथा वर्ष में कम से कम दो बार सफेदी करानी होगी।

4. किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखा जाएगा जो छूत या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या खुले घाव से पीड़ित हो।

5. आदमी के उपभोग के अयोग्य खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा और उसे सहायक स्वास्थ्य अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी के निदेशानुसार निपटा दिया जाएगा।

6. किसी भी हालत में लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंटों आदि में भारतीयों को सुअर का पका हुआ मांस, पोर्क या गोमांस नहीं परोसा जाएगा।

7. खाने और पीने की सामग्री को बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति से प्राप्त करना होगा और पानी केवल नलों से लेना होगा।

8. खाने और पीने की सभी सामग्री ऐसी आलमारियों और रसोई घरों में रखी जाएगी जिनमें मक्खियां न जा सकें और भोजनालयों के दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए।

9. लाइसेंसधारी अपनी जरूरत के अनुसार जितने भी नौकर रखने हों रख सकेगा लेकिन इस प्रकार से रखे गए सभी नौकरों के नाम कार्यकारी अधिकारी को देने होंगे जो इनके नामों को लाइसेंस में दर्ज कर देगा। नौकरों के नामों में हुए परिवर्तनों की सूचना भी कार्यकारी अधिकारी को देनी होगी।

10. जब भी आवश्यकता पड़े होटलों, रेस्टोरेंटों आदि में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की चिकित्सा प्राधिकारियों से मेडीकल परीक्षा करानी होगी उन्हें टीका लगवाना होगा या इनोक्यूलेशन करवाना होगा। इन सभी लोगों को हर समय सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित एप्रोन पहनना होगा।

11. दुकान, होटल या रेस्टोरेंट आदि में कोई चारपाई गन्दे कपड़े वगैरा भीतर नहीं रखने होंगे और न ही किसी व्यक्ति को उनमें घूमने, सोने या धूम्रपान करने की इजाजत होगी तथा न ही इसका प्रयोग होटल या रेस्टोरेंट के अलावा किसी अन्य काम के लिए किया जाएगा।

12. मिलावटी खाद्य और पेय सामग्री को बेचने की आज्ञा नहीं होगी। इस

प्रकार की सामग्री यदि लाइसेंसधारी के परिसर में पाई गई तो उसको तत्काल सहायक स्वास्थ्य अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी के आदेश से लाइसेंस धारी की लागत पर नष्ट कर दिया जाएगा।

13. इनके परिसर में किसी प्रकार की शराब नहीं बेची जाएगी या प्रयोग की जाएगी।

14. लाइसेंस को सही ढंग से फ्रेम में लगाकर किसी ऐसे स्थान पर लटकाया जाएगा जहां से हमेशा निरीक्षण के लिए दिखाई दें। इसे मांगने पर कार्यकारी अधिकारी या सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

जुर्माना

15. यदि लाइसेंस धारी उपर्युक्त किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहरा दिए जाने पर उस पर जुर्माना कर दिया जाएगा। और यह जुर्माना 100·00 रुपये तक किया जा सकता और लगातार उल्लघन होने या असफल होने पर जुर्माना की यह रकम पहले जुर्माने के बाद से इस प्रकार के उल्लघन या असफलता के लिए 20·00 प्रतिदिन तक की जा सकती है।

टिप्पणी : इन शर्तों को बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बदला जा सकता है।

ह०/-जी० एस० सोहल
कार्यकारी अधिकारी
दिल्ली छावनी

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण तथा पदोन्नतियां

3420. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तथा उनकी पदोन्नतियों सम्बन्धी नीति क्रियान्विति के बारे में 22 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : साधारण बीमा निगम (जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन) द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में भर्ती के मामले में आरक्षण तथा पदोन्नतियों विषयक सामान्य नीति पर पहले ही अमल किया जा रहा है। संसद के सम्मानित सदस्यों ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को कुछ रियायतें देने के लिए अनुरोध किया गया था। साधारण बीमा निगम

ने इन पर समूची सरकारी नीति और अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया है। निगम तथा सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्मानित सदस्यों को पहले ही उत्तर भेज दिए हैं।

केरल के किसानों पर भारत सरकार की आयात नीति का प्रभाव

3421. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कृषि उत्पादों के बारे में भारत सरकार की आयात नीति से केरल के किसानों और इसकी कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात नीति की पुनरीक्षा न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के कुट्टानाड चावल क्षेत्र को रबड़ बागान में बदलना

3422. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कुट्टानाड चावल क्षेत्र को रबड़ बागान में बदलने के रबड़ बोर्ड के प्रस्ताव पर गम्भीर मतभेद ("15 फरवरी, 1983 का इण्डिया टुडे") की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कदम से बेरोजगारी होने के अतिरिक्त केरल चावल के मामले में बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) रबड़ बोर्ड ने केरल के कुट्टानाड चावल-क्षेत्र को रबड़ बागान में बदलने का कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में उत्पादित तम्बाकू की खरीद

3423. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उनमें से कितने राज्यों में तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से सहायता दी जाती है;

(ख) क्या तम्बाकू की इस किस्म का गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी उत्पादन किया जाता है परन्तु न तो वहां तम्बाकू बोर्ड का कोई कार्यालय स्थापित किया गया है और न ही कोई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से कोई सहायता नहीं दी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी किसानों का कई तरीकों से शोषण करते हैं और यदि हां, तो इस शोषण से किसानों की सुरक्षा की जाएगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में तम्बाकू की खरीद के लिए नीलामी केन्द्र बनाने और इसकी किस्म में सुधार करने तथा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की तरह तम्बाकू उत्पादकों को ऋण सहायता प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन मुख्यत: आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के राज्यों में होता है और गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में सीमित मात्रा का उत्पादन होता है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के राज्यों में तम्बाकू बोर्ड के कार्यालय हैं। शेष वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक राज्यों में स्टाफ भर्ती करने तथा तैनात करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तम्बाकू बोर्ड आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के वर्जीनिया तम्बाकू उपज कर्ताओं को कोई ऋण सहायता नहीं प्रदान कर रहा है। तम्बाकू बोर्ड क्वालिटी तम्बाकू के उत्पादन के लिए शेष राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उपजकर्ताओं की सहायता करने और जैसाकि आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक में किया जा रहा है राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई की व्यवस्था करने का विचार रखता है। पहले कर्नाटक में वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है और उस राज्य में अनुभव के आधार पर अन्य राज्यों में भी इसे शुरू किए जाने पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को सिक्किम में लागू करना

3424. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम को अन्य राज्यों के समान लाने के लिए वहां पर निर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अब लिया जाता है; और

(ख) इस नियम से राज्य को अपने स्रोतों से व्यय को पूरा करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में स्थित निर्माणकारी एककों से वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक भाग सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को प्राप्य है। चूंकि सिक्किम में अभी तक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया है, इसलिए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस राज्य को ऐसे शुल्क का कोई अंश प्राप्य नहीं है। तथापि, 1.2.83 से सिक्किम पर भी यह अधिनियम लागू कर दिया है, अतः वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो भी उक्त राशि इस राज्य को प्राप्य है वह उसे मिलेगी।

फेरा के अधीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई रियायतों की पुनरीक्षा

3425. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार 'फेरा' के अधीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुचित रियायतें देने सम्बन्धी वर्तमान नीतियों और निर्णयों की पुनरीक्षा करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : किसी भी औषध कम्पनी को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के प्रवर्तन से छूट नहीं दी गई है। फिजर जॉनसन एण्ड जॉनसन, सिनेमिड एण्ड-इ-मेरक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार, सम्बन्धित कम्पनी को ऐसा अवसर देना होता है जिससे वह अन्तिम निर्देश जारी होने से पूर्व अभ्यावेदन कर सके। इसी के अनुरूप अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

पोलैण्ड को अभ्रक का निर्यात

3426. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड को अभ्रक का निर्यात करने के सम्बन्ध में हाल ही में उस देश के एक व्यापारी दल ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो पोलैंड से आए शिष्टमंडल के नेता या अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया, भारतीय अधिकारियों के साथ क्या विचार-विमर्श हुआ और उसका क्या परिणाम रहा;

(ग) भुगतान की क्या विधि होगी, अर्थात् क्या भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा या विदेशी मुद्रा में; और

(घ) पोलैंड को कितनी मात्रा में अभ्रक निर्यात किया जाएगा और सप्लाई कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) पोलैंड को अभ्रक की सप्लाई के बारे में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के साथ विचार विमर्श

करने के लिए पोलेंड के एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिसमें श्री हेनरी कुल्का तथा श्रीमती एल० कालुसिका शामिल हैं, ने जनवरी, 1983 में कलकत्ता का दौरा किया। जून, 1983 तक 156 लाख रु० मूल्य के 662 मी० टन अभ्रक की सप्लाई किए जाने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गये।

(ग) भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

सरकारी उद्यमों में क्षमता से कम उत्पादन

3427. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के किस-किस उद्योग में बिजली में कटौती अथवा फेल हो जाने के कारण क्षमता से कम उत्पादन हुआ और उनमें से किस-किस ने पूरी क्षमता से उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षित विद्युत केन्द्रों की मांग की है अथवा बना लिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी, 1983 को संसद के सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 में पृष्ठ 261 से 273 पर सरकारी क्षेत्र के विनिर्माणकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन के समूहवार विश्लेषण की ओर दिलाया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, बिजली की कमी और गड़बड़ी के कारण क्षमता के उपयोग में कमी तथा निजी उपयोगार्थ बिजली संयत्र सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई गई पूंजी के साथ साथ सरकार द्वारा किये गये सदुपायों सम्बन्धी जानकारी दी गई है।

जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया असम एम्पलाईज यूनियन, गोहाटी द्वारा दिया गया मांग-पत्र

3428. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया असम एम्पलाईज यूनियन, गोहाटी ने सितम्बर, 1982 में अपना मांग पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संघ द्वारा क्या माँगें की गई थीं; और

(ग) उनकी मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

भारतीय जूट निगम असम कर्मचारी यूनियन की माँगें, संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

1. प्रारम्भिक जांच के बिना निगम के किसी भी कर्मचारी को निलम्बित न किया जाये।

2. कर्मचारियों की भर्त्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता टेस्ट के लिए 20 प्रतिशत के कोटे को कम करके 10 प्रतिशत किया जाये।

3. कलकत्ता में मुख्यालय को छोड़कर निगम के सभी कार्यालयों को फील्ड कार्यालयों के रूप में घोषित किया जाये।

4. जोनल कार्यालयों को सम्बन्धित राज्यों में स्थानान्तरित किया जाये;

5. जिन कैजुग्रल कर्मचारियों ने 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है उन्हें डब्ल्यू०सी०पी० के रूप में नियमित किया जाये;

6. कि क्षेत्रों में मकान किराया की दर 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जाये;

7. कि कोई स्वतन्त्र उपकेन्द्र नहीं होना चाहिए;

8. कि खरूपेटिया, ताजपुर तथा नगरखेड़ा में खरीद केन्द्र खोले जाएं; तथा

9. हाट में खरीदारियां करने के लिये जाने वाले कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट द्वारा अनिवार्य पुलिस संरक्षण का प्रबन्ध किया जाये।

2. भारतीय जूट निगम की असम कर्मचारी यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। केवल मान्यता प्राप्त यूनियन ही, जिसमें अखिल भारतीय स्तर स्टाफ के सदस्य शामिल हों, स्टाफ के सदस्यों से सम्बन्धित किसी सामूहिक अथवा सामान्य मामलों के बारे में एकमात्र समझौता कराने वाला अभिकर्ता है। तथापि, असम कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाए गये मामलों पर जे०सी०आई० मैनेजमेंट द्वारा पहले ही निर्णय लिया गया है और कार्यवाही की गई है तथा जिन मामलों के बारे में ध्यान नहीं दिया गया है उन पर जे०सी०आई० मैनेजमेंट बोर्ड विचार करेगा।

कपड़ा और कृत्रिम धागा उद्योगों में मन्दी

3430. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की उदार नीति तथा देश के बाजारों में क्रय शक्ति में ह्रास के कारण कपड़ा, कृत्रिम धागा आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को भारी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या देश के प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों ने भी एक विचारगोष्ठी में इस स्थिति का जायजा लिया है तथा सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्थिति की जाँच करनी होगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम कार्यालय, गोश्रा में नियुक्ति

3431. **श्री एडुग्रार्डो फैलीरो** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में अपने कार्यालय और अन्य कार्यों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या गोवा में आवास की कमी को देखते हुए एम०एम०टी०सी० को अपने कर्मचारियों को संघ शासित क्षेत्र में आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) लिपिकीय और अन्य कम वेतन वाले पदों तक के लिए संघ शासित क्षेत्र से बाहर से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (घ) गोश्रा स्थित एम०एम०टी०सी० के कार्यालय में सभी पद, जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रु० से अधिक नहीं है, स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों में से भरे जा रहे हैं ।

(ख) गोश्रा में आवास की कमी है ।

(ग) एम०एम०टी०सी० कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाने हेतु 5.7.1980 को तीन एकड़ भूमि प्राप्त की गई है । सी०पी०डब्ल्यू०डी० ने प्रथम चरण में 38 क्वार्टरों के निर्माण हेतु निविदायें निकाली हैं ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा यूरोपीय-मुद्रा बाजार से ऋण लिया जाना

3432. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का यूरोपीय मुद्रा बाजार में 500 लाख डालर के समतुल्य संसाधन बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कौन सी एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार का ऋण लिए जाने का विचार है;

(ग) क्या लायड्स बैंक इन्टरनेशनल और भारतीय स्टेट बैंक क्रमशः मुख्य प्रबन्धक और कम्पनी लीड मैनेजर की भूमिका निभाएंगे; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने आई०सी०आई०सी०आई० को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की अनुमति दे दी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लायड्स बैंक इन्टरनेशनल को आदेश-पत्र दे दिया गया है और भारतीय स्टेट बैंक तथा चार अन्य बैंक सहायक लीड मैनेजर होंगे।

(घ) इसके लिए विश्व बैंक के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेकिन अक्टूबर, 1981 में विश्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को 15 करोड़ डालर का जो चौदहवां ऋण दिया था उसमें निगम द्वारा इतनी ही राशि वाणिज्यिक रूप में जुटाने की परिकल्पना की गई थी। 500 लाख डालर के इस यूरो केरेंसी ऋण सहित निगम 15 करोड़ डालर के विदेशी वाणिज्यिक उधार के परिकल्पित स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच सका है।

नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड को दी गई धनराशि पर आय कर से छूट

3433. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड को दिए गए सम्पूर्ण दान पर आयकर से छूट देने के बारे में कोई योजना तैयार की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ में वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1 अप्रैल, 1983 से अन्तःस्थापित उप-खण्ड (iii ख) के कारण, राष्ट्रीय बाल निधि को किए गए सभी दान बिना किसी उच्चतम सीमा के 50 प्रतिशत की दर पर कटौती पाने योग्य होते हैं।

भारत द्वारा तीसरी बार राशि निकाले जाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का निर्णय

3435. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भारत द्वारा चालू वर्ष के 600 मिलियन एस०डी०आर० तीसरी बार निकाले जाने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किया गया था;

(ग) क्या इस बारे में निर्णय जनवरी, 1983 में किया जाना था लेकिन फरवरी 1983 में किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऋण किस सीमा तक दिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में निर्णय 18 फरवरी, 1983 को किया गया था।

(ग) और (घ) दूसरे वर्ष के दौरान खरीद का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया था : कोष द्वारा कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद 60 करोड़ एस० डी० आर० 9 अक्तूबर, 1982 के बाद और 30 करोड़ एस० डी० आर० 29 जनवरी, 1983 के बाद और 60 करोड़ एस० डी० आर० तथा 29 अप्रैल, 1983 के बाद और 30 करोड़ एस० डी० आर० कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई खरीदों की तीन किस्तों का ब्यौरा इस प्रकार था :

खरीद की तारीख	राशि (करोड़ एस०डी०आर०)
14 जुलाई, 1982	60
4 नवम्बर, 1982	30
24 फरवरी, 1983	60

मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं

3436. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इस बैंक की विभिन्न शाखाओं का 1981-82 के तथा 1982-83 के दौरान अब तक स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने में कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वित्त प्रदान करने के कितने मामले प्राप्त हुए तथा उपर्युक्त समय के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा वास्तविक तौर पर कितने धन की मंजूरी तथा वितरण किया गया; और

(घ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रस्तावों तथा उनकी प्रगति का शाखावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में उसकी 11 शाखाएं हैं। यद्यपि, बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त, स्वीकृत, लौटाये गए/अस्वीकृत तथा राजसहायता (सब्सीडी) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या आदि के सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास अधिकारियों को सूचना भेजने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए फार्म निचले स्तर पर कार्य कलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए है और सहायता से लाभान्वित होने वालों की संख्या एवं संवितरित

राशि से सम्बन्धित आंकड़ों को छोड़कर अन्य आंकड़े समेकित नहीं किए जाते। तथापि, बैंकों की शाखाओं से यथेष्ट सूचना इकट्ठी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यथा-उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यक्तियों और गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी निदेशकों द्वारा सरकारी क्षेत्र से लिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों की अदायगी

3437. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद एकाधिकार और बड़े व्यापारिक घरानों के व्यक्तियों/गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी निदेशकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों की अदायगी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो निम्नांकित राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् (1) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (2) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (3) बैंक आफ बड़ौदा (4) सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (5) इण्डियन ओवरसीज बैंक और (6) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा 1978-82 के दौरान दिए गए ऋणों का और आरम्भ की गयी अथवा कार्यरत वसूली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि एकाधिकारी और बड़े व्यापारी घरानों से सम्बन्धित प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के अनेक व्यक्तियों और निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से व्यक्तिगत तौर पर लिए गए ऋणों एवं अग्रिम राशियों की अदायगी नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके अलावा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों और साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शामिल करने वाली सांविधियों के उपबंधों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

कपड़ा मिलों को प्रोत्साहन

3438. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कपड़ा मिलों को कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों को प्राप्त करने वाली मिलों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सुलभ ऋण योजना, जो पहले से ही चल रही है, आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए है। उद्योग मण्डल समय-समय पर सुझाव देते हैं जिन पर लागू वस्त्र नीति के अनुरूप, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

ब्रिटेन में भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां

3439. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय व्यापार प्रदर्शनियों के लिए माल की निकासी तथा भण्डारण हेतु ठेकेदारों को वर्ष 1982 में स्टर्लिंग में भुगतान किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ठेकेदारों/एजेन्टों को भारतीय करेंसी में भुगतान स्वीकार करने पर बाध्य किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विजयवाड़ा का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3440. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक स्थान के आस-पास कृष्ण नदी और गांधी पहाड़ियां, दुर्गा मन्दिर आदि जैसे अनेक स्थान पर्यटन महत्व के हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता से इसका पर्यटन स्थान के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन विकास की नीति के अनुसार, एकीकृत ढंग से सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके आन्ध्र-प्रदेश में तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं। विजयवाड़ा को यात्रा परिपथ सं० 2 में शामिल किया गया है जिसमें शामिल केन्द्र हैं:—

हैदराबाद—मेडक—हैदराबाद—भौंगीर—यादागिरिकुट्टा—वारंगल—रामप्पा—

पाखन (झील और एथूनगरम वन्य जीव विहार-स्थल)-वारंगल—अमरावती (चिराला)—विजयवाड़ा—सूर्यपेट—हैदराबाद।

केन्द्रीय पर्यटक विभाग विभिन्न ब्रोशरों में विजयवाड़ा का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में प्रचार कर रहा है। इन ब्रोशरों में राइट प्लेस टूरिस्ट मैप और आन्ध्र प्रदेश फोल्डर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर से भी यह आशा की जाती है कि वे पर्यटक आधारिक संरचना को विकसित करने में अपना योगदान देंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों में कार्यालयों की स्थापना

3441. श्री **आर० पी०** गायकवाड़ : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विदेशों में कार्यालय स्थापित किए हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कार्यालयों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में स्थापित किए गए प्रमुख कार्यालयों सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा **विवरण** में दिया गया है।

इनमें से कुछ उद्यमों, जैसे एयर इण्डिया और राज्य व्यापार निगम का प्रचालन मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में है। कुछ विनिर्माणकारी तथा परामर्शदायी संगठनों के कार्यालय ऐसे देशों में है, जहां उन्हें प्रमुख परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है। ये कार्यालय उन स्थानों को छोड़कर जहां और अधिक कारोबार की सम्भावना हो, सामान्यतः वहां हाथ में ली गई परियोजनाओं का कार्य पूरा होने पर बन्द कर दिए जाते हैं।

सरकार ने इन विदेशी कार्यालयों की उपयोगिता तथा उनके उपयोग को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता की समीक्षा शुरू की है ताकि फालतू कर्मचारियों की छटनी, कार्यालय बन्द करने आदि के माध्यम से अधिकतम किफायत की जा सके। इन कार्यालयों को समन्वित करने की संभावनाओं की भी जाँच की जा रही हैं ताकि वे एकाधिक संगठनों का काम कर सकें।

विवरण

सरकारी उद्यमों के विदेशों में स्थापित प्रमुख कार्यालयों का विवरण

कम्पनी का नाम	विदेशों में स्थापित मुख्य कार्यालय
1	2
1. एयर इण्डिया	आस्ट्रेलिया : पर्थ, सिडनी
(मार्गस्थ नगर कार्यालय)	उ० पूर्वी एशिया : कुआलालम्पुर, सिंगापुर
	सुदूर पूर्व : बेंकाक, हांगकांग, ओसाका, टोकियो, ढाका
	यूरोप : एमस्टरडम, फ्रेंकफर्ट, जेनेवा, रोम
	ब्रिटेन : बरमिंघम, लन्दन
	अमरीका और कनाडा : न्यूयार्क, मांट्रियल
	खाड़ी : आबू धाबी, बगदाद, बहरीन, देहरान, दोहा, दुबई, जेद्दाह, कुवैत, मस्कत, रसलेख, शारजाह
	अफ्रीका : अकरा, आदिस अबाबा, अदन, दार-ए-सलाम, हरारे, लागोस, लुसाका, नेरोबी, सिसलीज, मारिशस
	सोवियत संघ : मास्को
2. राज्य व्यापार निगम (इनमें से कुछ कार्यालय सहायक कम्पनियों का भी कार्य करते हैं)	लन्दन, पेरिस, फ्रेंकफर्ट, पू० बर्लिन, मास्को, बुडापेस्ट, न्यूयार्क, नेरोबी, जिम्बाबवे, कुवैत, जेद्दाह, बगदाद, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, ढाका, कोलम्बो
3. भारतीय नौवहन निगम	लन्दन और मोम्बासा (केन्या)
4. खनिज एवं धातु व्यापार निगम	टोक्यो
5. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम	न्यूयार्क, पेरिस, हम्बर्ग, टोकयो, नेरोबी
6. इलेक्ट्रानिकी व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम	लास एंजल्ज, वारसा, मास्को
7. कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन	न्यूयार्क
8. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	न्यूयार्क, बगदाद

1	2
9. माझगांव डाक लि०	ग्लासगो, कैल, मास्को, हस्टन
10. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	लन्दन, मास्को
11. इण्डियन डेरी कारपोरेशन	ब्रुसेल्स
12. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	बगदाद, त्रिपोली
13 इंजीनियर्स इण्डिया लि०	लन्दन, टोकियो, अलजियर्स

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया राज्य व्यापार निगम भवन के निर्माण का ठेका

3442. **श्री जी० एस० निहालसिंह वाला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम ने अपने कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य मैसर्स इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया हैं जोकि परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही है;

(ख) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रति माह 1.25 लाख रुपए का पारिश्रमिक भुगतान करना होता है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को भुगतान की जा रही इतनी बड़ी राशि के बावजूद राज्य व्यापार निगम के कार्यालय कम्पलैक्स में कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने राज्य व्यापार निगम के स्थल पर केवल दो या तीन इजीनियर तैनात किए हैं;

(ग) क्या करोड़ों रुपयों की इस परियोजना का प्रमुख एक मुख्य प्रशासनिक प्रबंधक है जोकि एक गैर तकनीकी व्यक्ति है; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम, वास्तुकारों (आर्किटेक्ट्स) को परियोजना की कुल लागत की 4 प्रतिशत राशि का भी भुगतान कर रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राज्य व्यापार निगम के कार्यालय भवन के लिए इंजीनियर्स इंडिया लि० को परियोजना प्रबन्ध, अधिप्राप्ति सेवाओं (स्टील तथा सीमेंट के अलावा) तथा निर्माण प्रबन्ध के लिए परामर्शकों के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(ख) तथा (घ) इजीनियर्स इंडिया लि० का शुल्क परियोजना की कुल लागत द्वारा शासित होता है और न्यूनतम 1.25 लाख रु० प्रति मास की शर्त के अधीन 36 मास की अवधि के लिए परियोजना के मूल्य के 5 प्रतिशत तक सीमित है ।

इस परामर्शक की नियुक्ति के बाद कार्य में प्रगति हो रही प्रतीत होती है।

इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा राज्य व्यापार निगम के भवन स्थल पर तैनात तीन इंजीनियर अनन्य तौर पर निर्माण देखरेख के कार्य से संबंधित हैं। कार्यभार पर निर्भर करते हुए जब और जैसे ही आवश्यक होगा उनकी संख्या और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, ई० आई० एल० कार्पोरेट ढांचे के माध्यम से निविदा कक्ष, अधिप्राप्ति, आयोजना, कार्यक्रम निर्धारण तथा नियंत्रण आदि की अन्य सेवाए प्रदान कर रहा है।

(ग) मुख्य प्रशासन प्रबन्धक की मदद क्वालीफाइड तकनीकी कार्मिक द्वारा की जाती है और उनका कार्य राज्य व्यापार निगम की भवन समिति द्वारा नियंत्रित/पुनरीक्षित किया जाता है।

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाएं

3443. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 से भारतीय वायुसेना के विमानों की अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें विमान तथा कार्मिक नष्ट हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्घटनाओं के जिम्मेदार कारणों के अतिरिक्त अन्य संगत कारण ये हैं कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों की तुलना में वायुसेना के विमान चालकों का वेतन कम होने तथा पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण उनके मस्तिष्क में तनाव रहता है और साथ ही विमान चालकों को कड़ा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रशिक्षण के व्यय में भारी कमी कर दी है और आधी से अधिक दुर्घटनाओं में दो से पाँच वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त विमान-चालक ग्रस्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1982-83 के दौरान कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल और विमानों की हानि हुई।

2. भारतीय वायुसेना की सेवा शर्तें इन विमानों की दुर्घटना का कारण नहीं हैं। अपने सीमित साधनों से सरकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से समय-समय पर उनकी पुनरीक्षा करती रहती है। लेकिन कामर्शियल पायलेटों की सेवा शर्तों के साथ भारतीय वायु सेना के पायलटों, जो सशस्त्र सेनाओं के सदस्य होते हैं, की सेवा शर्तों की तुलना करना उचित नहीं होगा।

3. प्रशिक्षण व्यय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण पद्धति की संभावना की समीक्षा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हवाई अड्डों के चारों ओर पक्षियों की संख्या को नियंत्रित करके पक्षियों के टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की सम्भावनों का भी पता लगाया जा रहा है।

4. यह कहना सही नहीं है कि आधे से अधिक दुर्घटनाओं में वे पायलेट होते हैं जिन्होंने 2 से 5 वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है।

गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए बड़े व्यापारियों की गिरफ्तारी

3444. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुलशेर अहमद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन बड़े व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए के लगभग कथित गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था जैसाकि 20 फरवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार दिया गया और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने कौन-सी कार्यविधि अपनायी;

(ग) विदेशों में उनके सहयोगी कौन है;

(घ) इस प्रकार छिपे रूप से उल्लंघन करने को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के अधिकारियों ने कथित गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए 19 फरवरी, 1983 को बम्बई में तीन व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। इन तीन व्यक्तियों को मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा तीन-तीन लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया गया था। मुख्य मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा बाद में जमानत की रकम को प्रत्येक मामले में पांच-पांच लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व 17 फरवरी 1983 को इन तीन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी जिसके परिणामत: कुछ दस्तावेज पकड़े गए थे। मामले में अपनाई गई सही कार्यप्रणाली और विदेश में सहयोगी (सहयोगियों), यदि कोई हैं, के विवरणों का पता पकड़े गए दस्तावेजों की छान-बीन और आगे जांच पड़ताल के पूरा होने पर चलेगा और समुचित कार्यवाही की जायेगी। कारगर जांच पड़ताल के हित में, इस स्तर पर और आगे ब्यौरा देना समयोचित नहीं है।

ट्रेडर्स बैंक में कथित धोखाधड़ी

3445. श्री डी०एम०पुट्टे गौडा
श्री एच०एन० नन्जे गौडा
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री छोटे सिंह यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर राष्ट्रीयकृत ट्रेडर्स बैंक में 1.5 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी पूर्वक लेन देन के बारे में 24 फरवरी, 1983 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' 'ह्यूज फ्राड इन बैंक सप्रेस्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) ऐसी धोखाधड़ी में सम्मिलित अन्य बैंकों या व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और आयकर अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार इण्डियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में 24 फरवरी, 1983 को छपे "ह्यूज फ्राड इन बैंक्स सप्रेस्ड" शीर्षक समाचार से अवगत है। यह समाचार ट्रकों के ऋण की अदायगी में 5 बैंकों अर्थात् ट्रेडर्स बैंक लि०, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० (दोनों निजी क्षेत्र में है) और न्यू बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की जालन्धर स्थित शाखाओं द्वारा की गई तथाकथित धोखाधड़ी के सम्बन्ध में है। इसमें 'ट्रेडर्स बैंक लि० में कुछ और अनियमितताओं का भी उल्लेख है और इसमें, इस बैंक के बोर्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध भी कुछ आरोप लगाये गये है।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने सूचना दी है कि उसने जालन्धर में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी और जालन्धर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और न्यू बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों को बेचे गए ट्रकों के वित्त पोषण सम्बन्धी आरोपों के बारे में 7 मामले दर्ज किये हैं जिनके बारे में यह आरोप है कि वे कल्पित हैं और अस्तित्वहीन हैं। सी०बी०आई० ने जालन्धर में ट्रेडर्स बैंक लि० अथवा लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लि० के सम्बन्ध में किसी का मामला दर्ज नहीं किया है। सी०बी०आई० ने हाल ही में सूचना दी है कि उसने जो 7 मामले दर्ज किए थे उनमें से उसने न्यू बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध एक मामले को अन्तिम रूप दे दिया है और उसने सुझाव दिया है कि इस बैंक के अफसरों में से एक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। बैंक इसकी जाँच कर रहा है। इस मामले में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई जाँच अभी पूरी नहीं हुई है।

जहाँ तक ट्रेडर्स बैंक लि० का सवाल है इस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे एक पत्र में अपनी जालन्धर शाखा द्वारा दिए गए ऋणों की न्यायसंगतता बताई है और दावा किया है कि इन ऋणों में न तो धोखाधड़ी हुई है और न ये कल्पित ही हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक की कुछ अन्य शाखाओं के विरुद्ध शिकायतों की ब्यौरेवार जांच की है और उसने कुछ अनियमितता पाई है तथा उपयुक्त कार्रवाई करने की दृष्टि से उनकी ओर आगे ब्यौरेवार जांच की जा रही है। उक्त समाचार में उल्लिखित रिजर्व बैंक के अधिकारी अब इस बैंक के बोर्ड पर नहीं हैं।

गोआ, दमण और दीव में गिरफ्तार किए गए तस्कर

3446. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमण और दीव में गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितने तस्कर पकड़े गये;

(ख) उन्होंने कुल कितने मूल्य के सामान की तस्करी की थी; और

(ग) जब्त किए गए सामान का कुल मूल्य कितना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

3 4'. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तथा 1982-83 के दौरान कितने बैंक खोले जाने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्षेत्रवार तथा अन्य ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार जून 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 236 शाखाएं थीं :

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
1. भारतीय स्टेट बैंक	45
2. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी	5
3. इलाहाबाद बैंक	1
4. बैंक आफ बड़ौदा	25

1	2
5. बैंक आफ इण्डिया	24
6. बैंक श्राफ महाराष्ट्र	7
7. केनरा बैंक	19
8. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	21
9. कारपोरेशन बैंक	20
10. देना बैंक	16
11. इण्डियन बैंक	3
12. इण्डियन श्रोवरसीज बैंक	11
13. न्यू बैंक आफ इन्डिया	1
14. श्रोरियन्टल बैंक श्राफ कामर्स	1
15. पंजाब नेशनल बैंक	3
16. सिंडिकेट बैंक	17
17. यूनियन बैंक श्राफ इन्डिया	9
18. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	6
19. विजया बैंक	2
जोड़	236

इनके अलावा, संघ शासित क्षेत्र में शाखाए खोलने के वास्ते इनके पास 13 लाइसेंस/प्राधिकृतियां भी बकाया थीं। इनके श्रवस्थिति-वार ब्यौरे श्रनुबन्ध में दिये गये हैं।

विवरण

विवरण में उन केन्द्रों के नाम दर्शाए गये हैं जिनमें बैंकों के पास संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण श्रौर दीव में शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस/प्राधिकृतियां मौजूद हैं।

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	1. अगौडा
	2. नानस गांव
	3. श्रारामभोल
बैंक श्राफ इन्डिया	4. मंदूर
	5. सांकलीन

1	2
	6. नाचनोला
	7. मायेम (गोवा)
कारपोरेशन बैंक	8. मारझुनाब
	9. मोलम इन्डस्ट्रियल एस्टेट
यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	10. पणजी
सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	11. मेंकूरम
	12. डूमाकेम
बैंक आफ बड़ौदा	13. नेटरोलिन

गोवा में बैंकों में जमा राशि

3448. **श्री एडुआर्डो फैलोरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के अन्त में गोवा के बैंकों में कितनी धन राशि जमा थी; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल के उपलब्ध अंतिम आँकड़ों के अनुसार मार्च 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक केन्द्र शासित क्षेत्र गोवा, दमण व दीव में सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां 382·98 करोड़ रुपये की थीं।

(ख) गोवा, दमण व दीव में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां दिसम्बर 1978 के 216·36 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर 1981 में 375·46 करोड़ रुपये हो गई।

1-1-83 को बकाया कर

3449. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के क्या नाम हैं; जिन पर 1-1-1983 को आयकर, सम्पदा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 10 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया थी;

(ख) उनमें से कितनी फर्मों ने न्यायालयों से रोकादेश लेकर भुगतान टाल दिया है;

(ग) इन दोषी फर्मों से बकाया राशि वसूल करने और उन्हें दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) रोकादेश को निरस्त कराने हेतु न्यायालयों से सम्पर्क करने और समय समय

पर लोक लेखा समिति द्वारा सिफारिश किए गए तरीकों से वसूली करने हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) ऐसे फर्मों/कम्पनियों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके नाम आयकर सम्पदा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 10 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है। मांगी गयी सूचना को एकत्र करने उसका मिलान करने और उसे प्रस्तुत करने में अनुपातत: अधिक समय और श्रम लगेगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 1-4-1982 की स्थिति के अनुसार 279 ऐसी फर्में थीं जिनके नाम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 10 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि बकाया थी। प्रत्यक्ष कर पक्ष में, 30-3-1982 की स्थिति के अनुसार ऐसी कम्पनियाँ 577 थीं। इन मामलों में से कुछ मामलों के सम्बन्ध में अदालतों में मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा अदालतों द्वारा "स्थगन आदेश" दिये गये हैं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि इन फर्मों ने अदायगी को "टाला" है। सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए सरकार अदालतों द्वारा पारित स्थगन आदेशों को समाप्त करवाने के लिए अदालती मामलों पर तत्परता से कार्यवाही कर रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि प्रत्ययकारी तरीकों से तथा विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष अनिर्णीत अपीलों आदि के निपटान कराके बकाया को परिसमाप्त किया जाय। यह मोटे तौर पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।

राधा बीड़ी कम्पनी, नौगांव सादात, अमरोहा से बकाया उत्पाद शुल्क

3451. **श्री चन्द्र पाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राधा बीड़ी कंपनी, नौगाँव, सादात, तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद (उ० प्र०) से 1975-82 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा बनाई तथा बेची गई बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि तथा उक्त अवधि के दौरान वसूल की गई वास्तविक राशि का आकलन किया है; और

(ख) क्या उक्त कम्पनी के विरुद्ध 1975-82 की अवधि के दौरान बनाई गई तथा बेची गई बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का कोई मामला मिला है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा मामलों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 1.4.75 से 31.3.82 के दौरान उक्त कम्पनी द्वारा जिन बीड़ियों का निर्माण करके निकासी की गई थी, उन पर कम्पनी से वसूली गई शुल्क की राशि 14,14,398·36 रु० है।

(ख) 14.11.1980 को अभिगृहीत बीड़ियों के 100 खांचों में से 17 खांचे जब्त करके, शेष पाए गए शेष खांचे पार्टी को दे दिए गए। 17 खांचों की जब्ती के एवज में

1,000/- रु० का जुर्माना तथा 1,000/- रु० का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया। पार्टी ने जुर्माना तथा अर्थदण्ड चुका दिया है।

निर्यात बढ़ाने की योजना

3452. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 के दौरान निर्यात को बढ़ाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान निर्यातों को बढ़ावा देने की योजना पर इस समय विचार विमर्श किया जा रहा है।

एशियाड के दौरान होटल निर्माण के लिए गैरसरकारी पार्टियों को दिया गया अनुदान ऋण

3453. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाड के दौरान नये होटल निर्माण के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को दिये गये अनुदान और ऋण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन शर्तों पर अनुदान और ऋण दिया गया था ;

(ग) क्या उन शर्तों को पूरा किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने लगभग रु० 4360 लाख का रुपया ऋण मंजूर किया है। होटलों को विदेशी ऋण लगभग रु० 4410 लाख तक एकत्रित करने की अनुमति दी गई थी जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

संख्या लाखों में

होटल का नाम	रुपया ऋण	विदेशी ऋण
1. एशियन होटल लि०	1100/-	1100/-
2. कास्मोपालिटन होटल लिमिटेड	545/-	570/-
3. सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड	1200/-	1200/-
4. सिद्धार्थ इन्टरकान्टिनेन्टल होटल्स लि०	285/-	305/-
5. भारत होटल्स लि०	800/-	800/-
6. नार्दन इन्टरप्राइसेज कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	430/-	435/-

(ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ऋण की मंजूरी के लिए, इन छः मामलों में, शर्तें मुख्यतः वही हैं जो प्रायः होटल परियोजनाओं के लिए निर्धारित हैं। महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं :—

(i) सामान्यतः ब्याज की ऋण दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। तथापि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के ऋण-अंश के सम्बन्ध में होटल परियोजनाए ऋण की राशि (आई० एफ० सी० आई० द्वारा मंजूर की गई 75 लाख रुपये से अधिक की राशि) पर आई० एफ० सी० आई० से 1 प्रतिशत ब्याज इमदाद के लिए पात्र हैं, यदि उस राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और होटल परियोजनाएं ब्याज तथा मूलधन का भुगतान नियमित रूप से नियत तारीख को कर देती है और ऐसा करने में उनसे कोई चूक नहीं होती है।

(ii) चूक होने की स्थिति में, हानि की अवधि के लिए चुकाने में होने वाला हरजाना 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है।

(iii) संस्थानों को, उनकी इच्छा पर, निर्धारित अवधि में मंजूर किए गए रुपया-ऋण का 20 प्रतिशत ईक्विटी में बदलने का अधिकार है।

(iv) ऋण अचल परिसम्पत्तियों के हाइपोथिकेशन सहित संयुक्त ईक्विटेबल मोर्टगेज और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी आदि द्वारा सुरक्षित हैं।

(ग) और (घ) कुछ निर्धारित शर्तें प्रोजैक्ट कार्यान्वियन स्टेज के दौरान लागू होती हैं और दूसरी प्रोजेक्ट आपरेशन स्टेज के दौरान लागू होती हैं। अगुआ इंस्टिच्यूट के रूप में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आवधिक निरीक्षणों, रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की मानिटरिंग कर रहा है।

चण्डीगढ़ और शिमला के बीच विमान सेवा

3454. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर में पर्यटकों के आवागमन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़, जम्मू-श्रीनगर और अमृतसर हवाई अड्डों का विकास करने का है ताकि वे पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें; और

(ग) क्या सरकार चण्डीगढ़ और शिमला को विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत की तरफ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के आंकड़ों का संकलन अखिल भारत आधार पर किया जाता है न कि क्षेत्र/राज्य-वार आधार पर।

(ख) चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट पर विकास निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय पर्यटन योजनायें

3455. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में पर्यटन विकास के लिए भारत सरकार की क्या योजनायें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : पश्चिम बंगाल में पर्यटन विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्न-लिखित स्कीमें हाथ में ली गई/लिए जाने का प्रस्ताव है :—

(क) 1981-82 के दौरान 16.50 लाख रु० की लागत पर सुन्दर-बन में एक मोटर-लांच उपलब्ध कराना।

(ख) 1981-82 के दौरान 2.09 लाख रु० की लागत पर जलदापारा में मिनी बस उपलब्ध कराना।

(ग) मेले और त्यौहारों का आयोजन करने के लिए 1982-83 के दौरान 0.50 लाख रु० की राशि रिलीज की गई है।

(घ) 1.51 लाख रु० की अनुमानित लागत पर ट्रैकिंग उपस्कर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ।

(ङ) आई० टी० डी० सी० राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से अथवा स्वयं ही कलकत्ता में एक होटल का निर्माण करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ।

(च) मंत्रालय की केटरिंग टैक्नॉलोजी यूनिट दार्जिलिंग में एक नया फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार रखती है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें

3456. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री चित बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपने लंबित पड़े मसलों, मजूरी समानता, अंतरिम राहत, मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में वृद्धि आदि पर आंदोलन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वेतन समानता, अन्तरिम राहत, मकान किराए भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर में वृद्धि आदि जैसे उनके अनिर्णीत मामलों पर आन्दोलन करने सम्बन्धी उनके निर्णय के बारे में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, प्रैस रिपोर्टों तथा इश्तहारों से यह देखने में आया है कि वे 150/- रुपये प्रति मास की अन्तरिम राहत, मंहगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी, मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि आदि, जैसी मांगों के निपटान की मांग कर रहे हैं ।

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की घोषणा 28.2.83 को वित्त मन्त्री के वर्ष 1983-84 के बजट भाषण में की जा चुकी है । वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों की घोषणा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके यथा-सम्भव शीघ्र की जाएगी ।

भारत को अमरीकी निर्यात में गिरावट

3457. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष भारत को अमरीकी निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारत की व्यापार नीति को उदार बनाए जाने के बावजूद निर्यात में गिरावट आई है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) 1983 में इस स्थिति को सुधारने के लिए दोनों देश क्या कदम उठा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सं० रा० अ० से भारत को निर्यात और सं० रा० अ० को भारत के निर्यात निम्नलिखित है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1979-80	80-81	81-82 (अनन्तिम)
सं० रा० अ० से भारत को निर्यात	1608·79	1518·61	1421·34
भारत से सं० रा० अ० को निर्यात	805·68	743·34	881·59

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत से सं० रा० अमरीका को निर्यातों की तुलना में सं० रा० अमरीका से भारत को निर्यात अधिक होते रहे हैं। दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार को बढ़ाने हेतु दोनों पक्षों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।

ईराक द्वारा वस्तुओं की खरीद

3458. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार भारत से अधिक वस्तुओं को खरीदने पर सहमत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ईराक क्या-क्या मदें खरीदने को तैयार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इराक सरकार ने भारत से अपनी खरीदारियां बढ़ाने के लिए अभी तक कोई वचनबद्धता नहीं की है। तथापि, फरवरी, 1983 में बगदाद में हुए विचार विमर्शों के दौरान इराक ने

आस्थगित भुगतान के आधार पर इस्पात, सीमेन्ट, सैनिटरी का सामान, जी० आई० पाइप, टाइल, दरवाजे तथा फिटिंग्स एवं अन्य उत्पादों जैसे विनिर्माण सामग्री की खरीदारी में अपनी रुचि व्यक्त की। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, विशेषज्ञ स्तर के विचार विमर्श करने पर भी सहमति हुई।

यूरो-मार्किट से धनराशि उधार लेने का प्रस्ताव

3459. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरो-मार्केट से धनराशि उधार लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यूरो-मार्केट से कितना "सिंडिकेटेड" ऋण लेने का विचार है;

(ग) उक्त "सिंडिकेटेड" ऋण लेने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) यूरो-मार्केट से ऋण किस प्रयोजन के लिए लिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। सरकार का यूरो बाजार से उधार लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए राज्यों से विशेष विभागों की स्थापना

3460. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से कृषि-उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष विभाग स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारें इस प्रकार के विभाग स्थापित करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों का कब तक पृथक् विभाग गठित करने का विचार है और इन विभागों के कृत्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति तैयार करने के संदर्भ में 18 तथा 19 दिसम्बर, 1982 को राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के कृषि मंत्रियों के साथ वाणिज्य-मन्त्री द्वारा बुलाई गई बैठक में यह सहमति थी कि राज्यों में निर्यात संवर्धन कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए। निर्यात संवर्धन कक्षों का कार्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यातों

के संवर्धन से सम्बन्धित सभी मामलों पर कार्यवाही करना होगा। सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि क्या राज्य सरकारों ने ऐसे कक्ष पहले ही स्थापित कर दिए हैं।

हिन्दुस्तान लीवर में यूनीलीवर की पूंजी

3461. **श्री नारायण चौबे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में शेयरों के आवंटन, बोनस शेयरों तथा नकदी से भिन्न अन्य आधारों पर किए गए सभी सौदों को छोड़कर "यूनीलीवर" का आज तक का कुल पूंजी निवेश कितना है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि बोनस शेयर जारी किए जाने के परिणामस्वरूप यूनीलीवर पहले ही 16 गुणा लाभ कमा चुका है, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लगातार आगे बोनस शेयर जारी किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 31 दिसम्बर, 1981 तक के सबसे हाल के उपलब्ध लेखे के अनुसार, मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में, मेसर्स यूनीलीवर पी०एल०-सी० यूनाइटेड किंगडम का निवल पूंजी निवेश, जिसमें बोनस शेयरों का आबटन तथा नगदी से भिन्न एवजाने के लिए जारी किए गए शेयर शामिल नहीं हैं, 68.44 लाख रुपए का है।

(ख) कम्पनी ने, पिछले चार वर्षों के दौरान, बोनस शेयर जारी किए जाने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाना

3462. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने हेतु उनके मंत्रालय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) 1977 में व्यापार के पुन: आरम्भ होने के बाद से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार हुआ है। निर्यात/आयात हित की मदों का पता लगाने के लिए सरकारी स्तर की वार्ताएं आयोजित की गई हैं। व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का भी आदान प्रदान हुआ है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वाणिज्यिक आदान-प्रदान बढ़ाया जाना

3463. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वाणिज्यिक आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन-किन मदों और क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकारी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार का विचार है कि दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार दोनों के बीच वाणिज्यिक आदान प्रदान को सरल करेगा। जनवरी, 1978 में भारत-पाकिस्तान व्यापार करार समाप्त हो जाने के बाद नया व्यापार करार जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार हो सके करने के लिए पाकिस्तान के साथ कई बार बातचीत हो चुकी हैं। तथापि, अभी तक ऐसे किसी करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है हालांकि राजनयिक माध्यमों से बातचीत जारी है। एक व्यापार करार की अनुपस्थिति में दोनों देशों की विद्यमान आयात-निर्यात नीतियों के अनुसार पाकिस्तान के साथ व्यापार चल रहा है।

दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र का पता लगाने के लिए दोनों देशों की पार्टियों के लिए मार्ग खुला है।

रुपए में भुगतान करने पर राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेंट का आयात

3464. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ देशों से रुप में भुगतान प्राप्त करके सीमेंट का आयात करने का विचार है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को रुपए में भुगतान करने वाले देशों से सीमेंट आयात का व्यापार करने हेतु निदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में 1983-84 में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी

हाँ। राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में, जून 1983 तक पोत लदान के लिए रुमानिया तथा पोलेंड से सीमेंट आयात करने के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) 1983-84 के दौरान सीमेंट का आयात, आयात तथा निर्यात नीति, 1983-84 पर आधारित होगा।

सामान्य बीमा निगम में वर्ग तीन तथा चार के कर्मचारियों की भर्ती

3465. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आम बीमा निगम में वर्ग तीन तथा चार के कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार/आम बीमा निगम द्वारा लगाई गई एकतरफा रोक के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार द्वारा भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन कर्मचारियों की इन श्रेणियों की सेवा की संशोधित शर्तों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दे दिए जाने के कारण निगम तीसरी और चौथी श्रेणियों के संवर्ग में नई भर्ती नहीं कर सका।

सरकारी क्षेत्र की समस्याओं तथा सम्भावनाओं पर सम्मेलन

3467. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में 'सरकारी क्षेत्र की समस्याओं तथा संभावनाओं' पर कोई सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) कुछ उपक्रमों को हुई हानि रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और सरकारी क्षेत्र को परिस्पर्धी बनाने और औद्योगिकी, प्रबन्ध व्यवस्था तथा उत्पादकता में हुए विकास की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सभी क्षेत्रों में सरकारी निजी क्षेत्र के बीच स्वास्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय मई 1981 में सरकारी उद्यम कार्यालय तथा कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित "उद्देश्यों, उपलब्धियों एवं संभावनाओं" संबंधी सम्मेलन से है।

(ग) सरकारी उद्यमों की कार्यकुशलता बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए सदुपायों का ब्यौरा "लोक उद्यम सर्वेक्षण

1981-82" (खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या 269 में दिया गया है, जिसे 25 फरवरी 1983 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(घ) सरकारी उद्यमों को प्रचालन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत होता है जहाँ कुछ उद्यमों को स्वदेश तथा आयात, दोनों में ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। एकाधिकार की स्थिति में चालू सरकारी उद्यमों के मामले में भी सरकार उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था के हित संरक्षण की आवश्यकता का ध्यान रखती है, ताकि वे अपनी एकाधिकार की स्थिति से उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा कर अधिक लाभ न उठा सकें।

चूककर्ता धर्मार्थ न्यास

3468. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के अधीन जिन न्यासों को धर्मार्थ न्यास घोषित किया गया है वे अपनी आय को धर्मार्थ प्रयोजनों पर खर्च नहीं करते जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन न्यासों के बारे में संबंधित तथ्य क्या हैं, विशेषकर कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) इस समय ऐसे न्यासों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें आयकर अधिनियम की उक्त धारा के अधीन धर्मार्थ न्यास घोषित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में, किसी न्यास को धर्मार्थ घोषित किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, ऐसे न्यासों/संस्थाओं के लिए, जो धर्मार्थ प्रयोजनों अथवा पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए हों और जिन्हें, निर्धारित कानूनी शर्तें पूरी किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत आयकर से छूट की व्यवस्था है। ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है जिसमें धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना को इस कारण रद्द कर दिया गया हो कि अधिसूचित न्यास/संस्था अपनी आय को अपने घोषित प्रयोजनों के लिए खर्च नहीं कर रही थी। धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत अधिसूचित न्यासों की कुल संख्या 620 है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत

3369. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान के स्वीकृत कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए गए अनुसंधानों पर भारित कटौती की अनुमति है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रमों की स्वीकृति के लिए कभी कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में आज की तारीख तक कितने कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं;

(ङ) क्या अनुसंधान कार्यों पर निगरानी की कोई व्यवस्था है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 क) के अन्तर्गत, अनुमोदित अनुसंधान शालाओं में प्रवर्तित अनुसंधान पर करदाता द्वारा अदा की गई रकम की एक सही एक बटा तीन के बराबर की रकम कटौती के रूप में मंजूर की जाती है। इस प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान देश की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत, अधिनियम धारा 35(i) (ii) में उल्लिखित अनुसंधान संस्था अथवा विश्व विद्यालय अथवा कालेज अथवा अन्य संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 ख) के अन्तर्गत, देश की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित प्राधिकारी इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर करदाता द्वारा खर्च की गई रकम के एक सही एक बटा चार के बराबर की रकम कटौती के रूप में मजूर की जाती है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 35 (2 क)/35 (2 ख) के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं। तथापि, ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त विहित अधिकारी अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 35 (2 क) और 35 (2 ख) के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रतिलिपियां अनुबंधों (अनुबंध I और II) में दी गई हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6145/83**]

(घ) 31 दिसम्बर, 1982 तक, आयकर अधिनियम की धारा 35 (2 क) के अन्तर्गत 126 कार्यक्रमों को और धारा 35 (2 ख) के अन्तर्गत 236 कार्यक्रमों को अनुमोदन जारी किया गया था।

(ङ) और (च) प्रवर्तित अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 क) के अन्तर्गत अनुमोदन मंजूर किए जाने के बाद, सम्बन्धित संगठन को उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट, विहित प्राधिकारी अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, को प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रगति रिपोर्ट की विभाग में यह देखने के लिए जांच की जाती है कि क्या वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है और उन पर अपेक्षित व्यय किया गया है।

अधिनियम की धारा 35 (2 ख) के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम, 1961 में यह निर्धारित किया गया है कि कर-निर्धारिती, एक वर्ष की अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी से इस आशय की एक समाप्ति रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि विशिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पूरा कर दिया गया है। इस समाप्ति प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने से पूर्व, कर-निर्धारिती को अनुसंधान कार्य और उस पर किए गए व्यय के ब्यौरे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होते हैं। इन विवरणों की जांच की जाती है और, यदि आवश्यक समझा जाता है तो, सम्बन्धित एकक का दौरा करने की व्यवस्था की जाती है। किए गए विश्लेषण के आधार पर, समापन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

"कोफेपोसा" के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

3470. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान "कोफेपोसा" के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया;

(ख) सलाहकार बोर्डों द्वारा (वर्ष वार) उनमें से कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया; और

(ग) केन्द्र ने वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को रिहा किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) वर्ष 19-80-81, 1981-82 और 1982-83 में क्रमश: 321, 308 और 380 व्यक्ति नजरबन्द किए गए थे ;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में सलाहकार बोर्डों ने क्रमश: 71,88 और 91 व्यक्ति रिहा किए थे; और

(ग) न्यायालयों द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में क्रमश: 143,86 और 86 व्यक्ति रिहा किए गए।

ऋण सीमा से धन लेने के सम्बन्ध में राज्य सहकारी बैंकों को दिक्कत

3471. **श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि राज्य सहकारी बैंक ऋण सीमा से धन लेने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि धन लेने की मंजूरी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी जाती है और चैक भारतीय रिजर्व बैंक के नाम दिये जाते हैं;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के कारण राज्य सरकारी बैंकों को विलम्ब तथा दिक्कत का सामना करना पड़ता है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस दिक्कत को दूर करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान प्रबन्धों के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण सीमाओं पर आहरण आवेदन, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों पर, राज्य सहकारी बैंकों के पक्ष में चेक जारी करते हैं। अलबत्ता, इस सम्बन्ध में, यदि कोई राज्य सहकारी बैंक कठिनाइयाँ व्यक्त करता है तो उस राज्य सहकारी बैंक द्वारा परस्पर सुविधाजनक आने जाने वाले भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी कार्यालय पर निधियों की निकास करने के वास्ते, नाबार्ड द्वारा विशेष प्रबन्ध किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक मण्डल की नियुक्ति

3472. **श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक के निदेशक मण्डल की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो निदेशक मण्डल नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नीतिपरक निर्णय किए जा रहे हैं और यदि हां तो वे किस प्रकार के हैं; और

(घ) निदेशक मण्डल की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक बोर्ड के गठन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा इस बोर्ड का शीघ्र ही गठन कर दिए जाने की आशा है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3473. **श्री सुभाष यादव**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या उस संगठन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनेक कार्मिकों को उच्च अधिकारियों द्वारा पदोन्नति से वंचित रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि उपर्युक्त (ग) का उत्तर हां, में है, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 14.3.1983 को स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या 40437 है ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 4975 और 932 है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रुपए के मूल्य में गिरावट

3474. **श्री सुभाष यादव**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी

श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विश्व बाजार में रुपये का मूल्य घटा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1980, 1 अप्रैल, 1981 तथा 1 अप्रैल, 1982 को भारतीय रुपए का मूल्य क्या था और इस समय क्या है; और

(ग) विश्व बाजार में रुपये के मूल्य को ऊपर उठाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जब विनिमय दरें मुक्त होती हैं तब उस समय करेंसियों के मूल्य में घटबढ़ होना सामान्य सी बात है। आप देखेंगे कि 15 मार्च, 1983 तक के पिछले तीन वर्षों में रुपए का मूल्य अमेरिकी डालर, जापान येन, स्विस फ्रांक के मुकाबले घटा है जबकि इसकी अवधि में पौन्ड स्टलिंग, ड्यूशमार्क, फ्रांसीसी फ्रांक और इतालवी लीरा जैसी अन्य मुख्य करेंसियों के मुकाबले बढ़ा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि विश्व बाजार में रुपए का मूल्य गिरा है। पहली अप्रैल 1980, पहली अप्रैल 1981, पहली अप्रैल, 1982 और 15 मार्च 1983 की मुख्य करेंसियों के मुकाबले रुपए की विनिमय दर इस प्रकार थी :

करेंसी	पहली अप्रैल, 1980 को दर	पहली अप्रैल, 1981 को दर	पहली अप्रैल, 1982 को दर	15 मार्च 1983 को दर
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
पौण्ड स्टलिंग				
1 पौन्ड = रुपए	17·70	18·50	16·70	15·10
अमेरिकी डालर				
1 अमेरिकी डालर = रुपए	8·1774	8.2442	9.3689	9.9719
ड्यूश मार्क				
1 ड्यूश मार्क = रुपए	4.1968	3.9157	3.8826	4.1817
स्विस फ्रांक				
1 स्विस फ्रांक = रुपए	4.4278	4.2880	4.8441	4.8636
फ्रांसीसी फ्रांक				
1 फ्रांसीसी फ्रांक = रुपए	1.8191	1.6642	1.4969	1.4784
जापानी येन				
100 येन = रुपए	3.2669	3.9130	3.7830	4.1963
इतालवी लीरा				
100 लीरा = रुपए	0.9119	0.7880	0.7082	0.7070

सितम्बर, 1975 से रुपए की विनिमय दर मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियों की तुलना में पौन्ड स्टलिंग को मध्यवर्ती (इन्टरवेन्शन) करेन्सी मानते हुए निर्धारित की जाती है। इसलिए, अन्य करेंसियों के साथ रुपए की विनिमय दर में सम्बन्धित परिवर्तनों से मध्यवर्ती करेन्सी के मुकाबले रुपए का मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की गई करेंसियों की डाली के मूल्य में हुई घटबढ़ तथा इन अन्य करेन्सियों के मुकाबले पौन्ड स्टलिंग की विनिमय दरों में हुई सम्बन्धित घटबढ़ परिलक्षित होती है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा निवेश

3475. **श्री बापू साहिब परूलेकर**
श्री मोतीभाई ग्रार० चौधरी
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा देश की विकास योजनाओं में निवेश करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस प्रयोजन के लिए भारत में ग्राए व्यक्तियों को हो रही कठिनाइयों की ग्रोर दिलाया गया है ग्रौर यदि हां, तो वे कठिनाइयां किन कारणों से पैदा हुई हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में दिनांक 4.3.1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया जाता है जिसमें देश में ग्रनिवासी भारतीयों को निवेश करने के लिए प्रदान की गई उदार सुविधाग्रों का ब्यौरा दिया गया है। उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्त मन्त्रालय (ग्रार्थिक कार्य विभाग) में एक विशेष कक्ष गैर-ग्रौद्योगिक प्रस्तावों को निपटाने के लिए ग्रौर एक कक्ष उद्योग मन्त्रालय (एस०ग्राई०ए०) में ग्रौद्योगिक प्रस्तावों को निपटाने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय निवेश केन्द्र उन्हें मार्गदर्शी सेवा प्रदान करेगा। इनमें से ग्रधिकांश सुविधाग्रों का निर्माण ग्रप्रैल, 1982 में किया गया था इसलिए इतनी जल्दी इनके परिणामों का मूल्यांकन करना अभी कुछ समय पूर्व होगा।

निःशुल्क व्यापार क्षेत्रों के लिए कच्चे माल ग्रौर मशीनरी का ग्रायात

3476. **श्री एम० एम० लारेन्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 ग्रौर 1982 में देश में प्रत्येक निःशुल्क व्यापार क्षेत्र हेतु कितना कच्चा माल ग्रौर कितनी मशीनरी ग्रायात की गई तथा उन्हें किन देशों से ग्रायात किया गया;

(ख) इन ग्रायातों पर दुर्लभ मुद्रा के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; ग्रौर

(ग) रुपए के रूप में भुगतान किए जाने वाले देशों से आयात करने हेतु देश-वार कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन जोन

(क) सीप्ज में कच्चे माल (मशीनरी के देशवार आयात

देश	आयातों का मूल्य 1979-80	1980-81	1981-82
सं० रा० अमरीका	399·45	617·96	1084·59
जापान	36·17	458·96	618·64
ब्रिटेन	102·70	79·58	82·17
प० जर्मनी	11·57	50·71	65·33
फ्रांस	6·92	3·75	7·11
इटली	0 07	0·01	4·87
हालेंड	—	—	9·34
डेनमार्क	36·68	36·08	118·91
स्विटजरलैंड	5·77	—	18·57
खाड़ी के देश	—	—	1·89
हांगकांग	—	—	36·50
अन्य देश	—	—	4·64

ख) दुर्लभ मुद्रा में इन आयातों के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि। = दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से 1978-79 से 1981-82 तक के दौरान आयातों का कुल मूल्य 4471.99 लाख रु० है।

ग) रूपया भुगतान देशों से आयातों के लिए व्यय की गई कुल राशि = शून्य

कांडला मुक्त व्यापार जोन (को एफ०टी०जेड०)

(लाख रु० में)

(क)	'80-81	'81-82	'82-83
(1) कच्चे माल का आयात	1263·20	3913.93	(2183 तक) 82!8·24
(2) मशीनरी का आयात	163·00	172·38	349·87

(ख) कांडला मुक्त व्यापार जोन में सभी आयात दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में होते हैं, और अधिकांशतः हांगकांग, जापान, प० जर्मनी, ताईवान, कोरिया, स० रा० अमरीका, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड आदि से होते हैं।

(ग) शून्य

आगरा छावनी क्षेत्र में सिविलियनों को रिहायशी मकानों के लिए बेची गई भूमि

3477. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिविलियनों के नाम क्या हैं जिन्हें जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक आगरा छावनी क्षेत्र में रिहायशी मकानों के लिए भूमि बेची गई है तथा बिक्री की अवधि वर्ग गजों में क्षेत्रफल और भूमि की दरों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आगरा छावनी में भूमि के आबंटन के लिए किए गए आवेदकों को 1981-82 में इस दलील पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि सशस्त्र सेनाओं की भूमि को बेचा नहीं जाता; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित सूचना सही है तो क्या सरकार का विचार अन्य आवेदकों को भी भूमि आबंटित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) प्राइवेट व्यक्तियों को रक्षा भूमि की सीधी बिक्री नहीं की जाती हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अन्तर्गत इस प्रकार के ग्रांटी/पट्टेदार को वैकल्पिक रिहायशी प्लाट बेचा जा सकता है। रिज्यूमेवेबिल टेन्योर के आधार पर ली गई जिसकी भूमि को रक्षा कार्यों के लिए वापस ले लिया गया हो किसी ऐसे प्लाट को फ्री होल्ड प्लाट में बदलने के बारे में जो ओल्ड ग्रांट की शर्त या पट्टे पर लिया गया हो और जिसकी जरूरत रक्षा कार्यों के लिए न हो उसे भुगतान करने पर फ्री होल्ड में बदलने की मन्जूरी दी जा सकती है। जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि में आगरा छावनी में इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6146/83)**।

(ख) मौजूदा सरकारी नीति के अन्तर्गत न आने वाले प्रार्थना पत्रों को रद्द कर दिया गया है।

(ग) भूमि आबंटित करने के बारे में केवल उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाएगा जो कि सरकार की मौजूदा नीति के अन्तर्गत आते हैं।

'एक्सपोर्ट एजेंसीज वर्क बोइंग रिव्यूड' शीर्षक समाचार

3478. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1983 के 'इकानिमिक टाइम्स' में प्रकाशित 'एक्सपोर्ट एजेंसीज वर्क बोइंग रिव्यूड' शीर्षक समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण और विदेश व्यापार संस्थान का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह सुनिश्चित करने के

लिए कि क्या वे संस्थान समय की मांग के अनुसार निर्यात संवर्धन के लिए अधिक समय देते हैं, उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा था; और

(ख) क्या सरकार वस्त्र और सिले-सिलाए वस्त्रों सम्बन्धी सभी निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची और उनके कर्मचारियों की कुल संख्या और निर्यात संवर्धन कार्य की तुलना में निर्यात कोटा प्रशासन जैसे गैर निर्यात संवर्धन कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की अलग-अलग संख्या सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रखेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वस्त्रों तथा परिधानों सम्बन्धी कार्य करने वाली पात्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। परिषदों (जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं) के नाम तथा प्रत्येक में स्टाफ एवं अधिकारियों की स्थिति के बारे में सम्बन्धित जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :

परिषद का नाम	अधिकारी	स्टाफ	योग
1	2	3	4
1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद :			
(क) निर्यात हकदारी और सम्बद्ध गतिविधियों का प्रशासन	2	19	21
(ख) निर्यात संवर्धन गतिविधियां और सामान्य सेवाएं	18	83	101
योग (क)+(ख)	20	102	122
2. अपैरल निर्यात सवर्धन परिषद			
(क) निर्यात हकदारी और सम्बद्ध गतिविधियों का प्रशासन	24	175	199
(ख) निर्यात संवर्धन गतिविधियां एवं सामान्य सेवाएं	14	49	63
योग (क)+(ख)	38	224	262

1	2	3	4
3. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	7	23	30†
4. रेशम तथा रेशम वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	8	31	39††
5. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद	6	52	58††

टिप्पणी : † ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद में कोई स्टाफ पूर्णतः निर्यात हकदारी कार्य के प्रशासन में नहीं लगा है ।

†† रेशम तथा रेशम वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात हकदारी से सम्बन्धित किसी कार्य को नहीं देखते ।

वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा जब्त की गई धनराशि

3479. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा 31 दिसम्बर, 1982 को स्थिति के अनुसार, प्रतिभूति जमा राशि तथा बैंक गारन्टी बांड के रूप में, अलग-अलग, कितनी धनराशि जब्त की गई तथा उस पर वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद को कितना ब्याज मिला;

(ख) क्या सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि उपर्युक्त मूलधन अथवा ब्याज के किसी भी अंश का उक्त परिषद द्वारा अभी तक उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त परिषद को निदेश दिए हैं कि वह निर्यात संवर्द्धन कार्य पर धन इन धनराशियों में से खर्च करने हेतु विपणन विकास सहायता समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने प्रतिभूति जमा राशियाँ/बैंक गारंटियां जब्त करके 31.12.82 तक 1.28 करोड़ रु० (अनन्तिम) वसूल किये थे और उस पर अर्जित ब्याज की राशि 10·43 लाख रु० (अनन्तिम) है ।

(ख) परिषद के अनुसार, उपर्युक्त मूलधन अथवा ब्याज के किसी अंश का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ।

(ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को सलाह दी गई है कि वे इस धन को निर्यात संवर्धन कार्यों के लिए अलग रखे ।

निर्यात संवर्धन योजना को मंजूरी दिया जाना

3480. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या 'मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी' के समक्ष वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद नई दिल्ली से उसके द्वारा वसूल की गई अर्थ दण्ड की राशि में से निर्यात संवर्द्धन योजना मंजूर किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ख) उसका ब्यौरा तथा राशि क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात

3482. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय, काफी, मसाले, रुई तथा पटसन जैसे परम्परागत कृषि जन्य वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन कदमों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों के साथ समझौता करके इन वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने का प्रयास किया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार चाय, काफी, मसाले रुई तथा जूट जैसी वस्तुओं के, विशेष रूप से मूल्य वर्धित रूपों में, यथा संभव उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करती रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1979-80 से 1981-82 अवधि के उत्पादन तथा निर्यात आंकड़े दर्शाए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने उस करार का अनुसमर्थन किया है जिसमें व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्थापित वस्तुओं के लिए सामान्य निधि की स्थापना की गई है और बहुपक्षीय वस्तु करारों के निष्कर्षों पर नियमित आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। अंकटाड की वस्तुओं सम्बन्धी समेकित कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ 18 प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने की भी व्यवस्था है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय का सदस्य है जो कि काली मिर्च उत्पादक देशों की निर्यात आय स्थिर करने के लिए प्रयास करता रहा है। भारत, इलायची समुदाय बनाने के लिए पहल करता रहा है इसमें इलायची के प्रमुख उत्पादक शामिल हैं।

विवरण

चाय, काफी, मसाले, रुई तथा पटसन का वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक उत्पादन तथा निर्यात

वस्तु	अवधि	उत्पादन		निर्यात	
				मात्रा	मूल्य
				(मि० किग्रा)	(करोड़ रु० में)
		(मि० किग्रा)	(पंचाग वर्ष)		
1. चाय	1978-79	543·78	(1979)	177·33	359·12
	1979-80	571·66	(1980)	208·45	376·90
	1980-81	560·72	(1981)	231·74	435·27
	1981-82	564·00	(1982-अनुमानित)	223·09 (अनन्तिम)	404·61 (अन०)
		(यह आंकड़े पंचाग वर्षों से सम्बन्धित हैं)			
		(000 मै० टन)		(000 मै० टन)	
2. काफी	1978-79	110·49		66·0	143·95
	1979-80	149·84		61·8	163·31
	1980-81	118·60		87·3	214·24
	1981-82	155·00		64·5	132·47

3. मसाले	वर्ष	उत्पादन		निर्यात (कुल मसाले)	
	(सितम्बर अगस्त)	(मै० टन में)	वर्ष	मात्रा	मूल्य
				(000 मै० टन)	(करोड़ रु० में)
(क) इलायची	1979-80	4500	1979-80	110·1	149·36
	1980-81	4400	1980-81	84·2	111·41
	1981-82	4100	1981-82	85·7	112·54
		(000 मै० टन)			
(ख) अन्य मसाले	1979-80	9320·00			
	1980-81	9000·00			
	1981-82	1080·17			
		(प्रत्येक 170 किग्रा की लाख गांठें)		(000 मै० टन)	
4. कपास	1978-79	79·58		11·8	16·02
	1979-80	76·98		65·6	75·10
	1980-81	78·00		131·6	164·88
	1981-82	84·00		30·0	35·00
		(प्रत्येक 180 किग्रा की लाख गांठें)		(000 मै० टन)	
5. कच्चा जूट तथा मेस्टा	1978-79	82·94		2·2	0·77
	1979-80	80·28		5·8	1·77
	1980-81	81·95		13·4	4·88
	1981-82	84·00		47·8	15·03

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3483. **श्री अमल दत्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि समुद्र उत्पादों विशेष रूप से झींगा मछली, जिसकी अन्तर-स्थलीय मत्स्य पालन केन्द्रों में भी पैदावार की जा सकती है, का बहुत अधिक निर्यात क्षमता होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या सरकार ने वास्तविक उत्पादकों को बिचौलियों और बड़े निर्यातकों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) पीलिंग शेडों/संसाधन संयंत्रों में संसाधन के बाद पंजीकृत निर्यातकों के जरिए श्रिम्पों के निर्यात किए जाते हैं। अतः प्रमुख उत्पादकों को, जो सम्पूर्ण समुद्र तट पर फैले हुए हैं, संसाधकों अथवा बिचौली सप्लायरों को श्रिम्पों को बेचना पड़ता है। उनके उत्पादों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के विचार से प्रमुख उत्पादकों के संगठन को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम० पी० ई० डी० ए०) द्वारा आवश्यक बाजार जानकारी प्रदान की जाती है।

बम्बई में कपड़ा मिलों को हाथ में लेना

3484. **श्री गुलशेर अहमद** :
श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1983 के "ब्लिट्ज वीकली" में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि सरकार बम्बई की कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ख) बीमार कपड़ा मिलों की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) हड़ताल पर चल रही मिलों में बैंकों का कितना धन अवरुद्ध है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सन्दर्भाधीन समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इस समय बम्बई में वस्त्र मिलों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) रुग्ण वस्त्र मिलों की मरम्मत आधुनिकीकरण करने के लिए अपेक्षित राशि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) इस मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार बम्बई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नकद ऋण सीमा की बकाया राशि जो 36 वस्त्र मिलों (एन० टी० सी० मिलों को छोड़कर) को मंजूर की गई है, 3 दिसम्बर, 1982 को 178.66 करोड़ रु० थी।

जीवन बीमा निगम की नीति में परिवर्तन के कारण महाराष्ट्र कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड की वित्तीय कठिनाइयां

3485. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड ने, जीवन बीमा निगम की नीति में परिवर्तन के कारण पैदा होने वाली अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सरकार को सूचित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महाराष्ट्र कोआपरेटिव हाऊसिंग फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड की मांगों को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड द्वारा सरकार को भेजे गए 22 अक्तूबर, 1982 के अभ्यावेदन में जिस मुख्य बात पर जोर दिया गया था वह यह है कि जीवन बीमा निगम पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि वह समिति को वर्ष 1982-83 में समिति द्वारा किए गए 25 करोड़ रुपए के ऋण के अनुरोध के आधार पर अधिकतम ऋण की राशि मंजूर करे ।

जीवन बीमा निगम की धनराशियों के उपयोग के लिए अन्य विभिन्न अत्यावश्यक मांगों को ध्यान में रखते हुए शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियों को निगम की सहायता अनिवार्यतः सीमित रहती है । वर्ष 1982-83 के लिए जीवन बीमा निगम ने इन समितियों के लिए जिनकी संख्या पूरे देश में अठारह है, 75 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं । इस रकम में से जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र की समिति के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है ।

भारतीय तम्बाकू का चीन को निर्यात करने में दोषी निर्यातक

3486. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन दोषी निर्यातकों का पता लगाएगी जिन्होंने 1981 में चीन को 10000 टन भारतीय तम्बाकू भेजा था और जो चीन पत्तन पर पहुंचने पर मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन निर्यात घरानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का अब उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) 1981-82 के दौरान विभिन्न भारतीय निर्यातकों द्वारा चीन को तम्बाकू की 28,841 मे० टन की मात्रा का निर्यात किया गया। छः भारतीय निर्यातकों द्वारा चीन को निर्यात किए गए तम्बाकू की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें/दावे आए हैं। निर्यातक शिकायतों/दावों को निपटाने के लिए चीन के आयातकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तम्बाकू बोर्ड ने आयातकों से दावा को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कहा है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्योगों द्वारा तकनीकी जानकारी का आयात

3487. **श्री एम० एम० लारेन्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वर्ष 1981, 1982 और 1983 में अब तक तकनीकी जानकारी के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में ट्रेड जोन उद्योगों में विदेशी विशेषज्ञों को शुल्क के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुक्त व्यापार क्षेत्र से निर्यात

3488. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने, वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान मुक्त व्यापार क्षेत्र से किए गए निर्यात का कुल मूल्य क्या है तथा निर्यात किन-किन देशों को किया गया; और

(ख) हमारे देश को प्रत्येक देश से दुर्लभ मुद्रा तथा रुपये के रूप में कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन

(क) 14 सितम्बर से 28 फरवरी, 1983 तक क्षेत्र से निर्यातों का कुल मूल्य = 12128·98 लाख रु०
1981-82 के दौरान निर्यात = 2962·13 लाख रु०
देशवार निर्यात इस प्रकार है :—

देश	निर्यातों का मूल्य (आंकड़े लाख रु० में) 1981-82
सं० रा० अमरीका	982·14
पश्चिम यूरोप तथा ब्रिटेन	685·12
पूर्वी यूरोप तथा रूस	270·78
हौंगकांग सिंगापुर	827·04
जापान	94·76
आस्ट्रेलिया	0·23
अफ्रीका	15·89
अन्य देश	86·17
	2962·13

(ख) (1) दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को निर्यातों का मूल्य 2691·35

(2) रुपया भुगतान देशों को निर्यातों का मूल्य 270·78

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र

शुरू से फरवरी 83 तक कुल निर्यात = 25111 लाख रु०
1981-82 में
निर्यात = 7004 लाख रु०

1980-81 से 1982-83 तक निर्यात मूल्य :

सोवियत संघ को और शेष मध्यपूर्व, सं०रा० अमरीका, ब्रिटेन, हौलेंड आदि को हुए।

(ख) 1982-83 से फरवरी, 83 तक दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को निर्यातों का
मूल्य 1248 लाख रु०
उक्त अवधि में रुपया भुगतान क्षेत्रों को निर्यातों का मूल्य 12021 लाख रु०

बीजों का निर्यात

3489. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का बीजों का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश वार उन बीजों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने शुरू में निर्यात किए जाने का निर्णय किया है; और

(ग) कितनी मात्रा में बीजों का निर्यात किया जाता है तथा उनकी दरें क्या होंगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) बीजों के निर्यात के लिए कोई देश-वार आबटन नहीं किया जाता है । निर्यात नीति के अन्तर्गत खाद्यान्न बीजों, आलू बीज, प्याज बीज, सब्जी बीज, फूलों के बीज तथा सजावटी पौधों के निर्यात की अनुमति है । गेहूं के बीज तथा वन सम्बन्धी बीजों के निर्यात की अनुमति गुणावगुण आधार पर दी जाती है ।

(ग) 100 मे० टन आलू बीज के निर्यात की अनुमति है । प्याज बीज की प्रमाणित किस्मों के 50 किग्रा० तथा अप्रमाणित किस्मों के 50 मे० टन के निर्यात की अनुमति है ।

पाकिस्तान द्वारा माल वाहक यान खरीदना

3490 **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है और एक माल वाहक यान खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान और अन्य देशों के द्वारा पैदा की गई चुनौती से निबटने और देश सोया हुआ न मिले, के लिए भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार ने पाकिस्तानी नौसेना को मजबून किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्टें देखी हैं । पाकिस्तानी नौसेना के इस प्रकार से मजबूत किए जाने से देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है ।

'टैक्सेशन आफ फर्म इन्कम सजेस्टिड' शीर्षक समाचार

3491. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मन्त्री "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 में "टैक्सेशन आफ फर्म इन्कम सजेस्टिड' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कृषि आय पर कर लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव के ब्यौरे क्या हैं और उसने उसके लिए क्या कारण बताये हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां। पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने, वर्ष 1983-84 के अपने बजट पूर्व ज्ञापन में कृषि-जन्य आय पर कर लगाने का सुझाव दिया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) "कृषि-जन्य आय पर कर" का उल्लेख सूची 11, अर्थात् भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के रूप में है। तदनुसार, कृषि-जन्य आय पर करों के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए केवल राज्य विधानमंडल ही सक्षम हैं।

विवरण

(ख) पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा दिया गया सुझाव नीचे उद्धृत किया गया है :—

"कराधार का विस्तार—कृषि-जन्य आय को शामिल करना"

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से विकास संसाधन जुटाए जाते हैं और इसके लिए यह अनिवार्य है कि कराधार का विस्तार किया जाए ताकि कृषि-जन्य आय भी उसके अंतर्गत आ जाए। वर्तमान में, कृषि-कार्यों में लगे व्यक्तियों तथा अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बीच विशिष्ट असन्तुलन का एक स्पष्ट मामला है। इसलिए, प्रत्येक कर-निर्धारिती/परिवार के लिए 50,000/- रु० की प्रारम्भिक छूट की व्यवस्था करने के बाद कृषि-जन्य आय पर कर लगाया जाय। अर्थ व्यवस्था के लिए संसाधनों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार का उपाय करना अपरिहार्य है चाहे इसके लिए संविधान में कोई संशोधन ही करना पड़े।

जीवन-निर्वाह की बढ़ती हुई लागत को निष्प्रभावी करने हेतु फार्मूला तैयार करने के लिए विशेष समिति

3492. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह की बढ़ती जा रही लागत को निष्प्रभावी करने हेतु एक फार्मूला तैयार करने के प्रयोजन से अर्थशास्त्रियों की कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) क्या 1 रु० 30 पैसे प्रति बिन्दु का वर्तमान फार्मूला कर्मचारी संघों को स्वीकार्य नहीं है;

(ग) क्या उक्त विशेषज्ञ समिति के उस समिति के साथ सहयोग करते हुए कार्य किए जाने की संभावना है जोकि एक राष्ट्रीय मजूरी नीति तैयार करने हेतु बनाई गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) सरकार ने न तो बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक सूत्र ढूंढ़ निकालने हेतु अर्थशास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और न उसने राष्ट्रीय मजूरी नीति के लिए कोई पेनल गठित किया है। सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मंहगाई भत्ता सूत्र की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने के लिए श्रमिक संघों के कुछ नेताओं से प्राप्त सुझाव पर ध्यान दे रही है।

———

दिनांक 25-2-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 और अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : 25-2-1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 के अंग्रेजी पाठ के भाग (ख) के उत्तर के नीचे निम्नलिखित जोड़ें :—

"(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नवीनतम तकनीक-युक्त मुख्य लड़ाकू टैंकों (एम० बी० टी०) का विकास करने का काम शुरू कर दिया है। इस तरह विकसित होने पर यह टैंक देश में ही निर्मित किया जायेगा।"

गलती का पता लगने के तुरन्त बाद उत्तर को ठीक करने की कार्रवाई शुरू की गई।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : दिनांक 25 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के भाग (घ) के दिए गए उत्तर की अन्तिम पंक्ति (हिन्दी पाठ) में उल्लिखित आंकड़ों को टाइप करते समय दशमलव बिन्दु गलत स्थान पर लग गया था। 14·23 लाख रुपए के स्थान पर 142·3 लाख रुपए पढ़े।

टाइप में हुई इस गलती के लिए खेद है।

———

12.00

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आज समाचार पत्रों में पंजाब में एक धार्मिक स्थान के अपवित्रीकरण के बारे में एक अत्यन्त दुखद समाचार है। यह बहुत गंभीर बात है। इस पर यहाँ चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई प्रस्ताव दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम में से अनेक ने दिया हुआ है;

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आप मुझ से सहमत होंगे, यदि आप मेरी बात आराम से सुनें कि हावड़ा में रेलवे दुर्घटना के बारे में खबर छपी है। सरकार ने घोषणा की है कि दिवंगत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को केवल 1,000 रुपये दिए जाएंगे। सभा में कल दिए गए अपने वक्तव्य में रेल मंत्री ने यह कहा है:—

"मैंने सभी प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल अनुग्रह-पूर्वक-भुगतान करने का भी आदेश दे दिया है।"

अध्यक्ष महोदय : उसका ध्यान रखा जाएगा। यह अनुग्रह-पूर्वक भुगतान है। आप मुझे लिखित रूप में दीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप एक लाख रुपये क्यों नहीं देते ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह दावा आयुक्त को करना है।

अध्यक्ष महोदय : बाद में, जब ये नहीं देते तो आप इन्हें पूछ सकते हैं। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते। कृपया बैठ जाइए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस आशय की घोषणा की जानी चाहिए कि एक लाख रुपये अनुग्रह-पूर्वक भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बेकार में सभा का समय ले रहे हैं ? यह अभी समय से पूर्व है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री द्वारा यहाँ घोषणा की जानी चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल से हूं। अतः, अनेक लोग मरे हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर दो-तीन दिन से बराबर इस बात की चर्चा चल रही है कि गन्ने का बकाया काफी बाकी है।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कई बार इसके बारे में डिस्कशन करवा चुका हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गन्ने की कीमत सही नहीं मिल रही है और तीन-तीन साल का किसानों का पैसा मिलों पर बकाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत गम्भीर इशू है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा होता हूं। यदि आप एक माननीय सदस्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप तो स्कूल टीचर की तरह डांट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने ही मुझे स्कूल टीचर बनाया है। क्या आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया है ? मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए; फिर भी आप नहीं मानते। यह क्या बात है।

दूसरी बात यह है कि आप जब कहते हैं, मैं डिस्कशन करवा देता हूं। आप इस तरह से करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप कोई मोशन दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कब इस पर डिस्कशन करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : तीन दफा करवाया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बताइये कि इसके लिए क्या कोई और तरीका हो सकता है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मंत्री जी से कहकर उनको पैसा दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में आपने क्या कहा मैं समझ नहीं सका हूं। मुझे यह कहना है कि पंजाब में बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कोई प्रस्ताव दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने, इस घटना के बाद श्री भिंडरावाले द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में पहले ही आपको एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : भलाई के लिए, हम नहीं चाहते कि पंजाब दूसरा असम बने।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दे दिया है कि इस पर मैं सक्रियता से विचार कर रहा हूं। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थिति शान्त हो जाए, संसद के पास जो भी प्रभाव है हमें वह डालना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरे पास एक अखबार है···

अध्यक्ष महोदय : अखबार से कोई बात मत कीजिए, यह कोई बात नहीं है। आप भी ऐसा करते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है।

श्री रामावतार शास्त्री : एक साल में 2,439 बच्चे अस्पताल में मर गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप भेज दीजिए, हम देख लेंगे। आप मेरे से बात क्यों नहीं कर लेते ? आप मुझे समझा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से थोड़े ही होता है।

एक माननीय सदस्य : वह गलत अखबार पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : यू०पी०, बिहार, राजस्थान और दिल्ली के चार छात्र फरवरी से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं···अनुमति नहीं है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में दो हजार झोंपड़ियां जल चुकी हैं। आपने ठीक कहा कि झोंपड़ियां जलना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सरकार का है कि उनको राहत प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दीजिए, और मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरेक इम्पार्टेंट बात, जो देश के हित की बात है, उसको करने में न मुझे कोई एतराज है, न गवर्नमेंट को कोई एतराज है।

श्री राम विलास पासवान : सब के सब गरीब लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : झुग्गी गरीब की हो सकती है, अमीर थोड़े ही झुग्गी बनायेगा।

श्री राम विलास पासवान : आप सरकार को डायरेक्ट कीजिए कि वह उनके लिए व्यवस्था करे। 377 में तो आप करेंगे लेकिन सरकार का भी दायित्व हो जाता है कि वह वहां जा कर के कम से कम राहत प्रदान करे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई मोशन होगा तो उसके बारे में आप मुझ से डिस्कस करें। यहाँ ऐसे करने से क्या होता है। मुझे लिख कर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताइये कि आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं?

मैंने इसके एक भी शब्द को सभा की कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति नहीं दी है।

आप मेरे पास आइये, मुझे बताइये, मैं फेक्ट्स मांग लूंगा।

मुझे तथ्य मिलने चाहिए और तब मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबार तो रोज छपते रहते हैं। रोज अगर आप लोग यहाँ अखबार पढ़ने लग जाएं तो कैसे काम चलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि माननीय सदस्यगण, सारे वही सज्जन, रोजाना खड़े होते हैं, कम से कम कभी तो सोचा कीजिए कि हाउस का समय आपका अपना समय है, मेरा कोई कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल बेकार है, अर्थहीन है। देखिए अर्थहीन तब नहीं हो जब मैं आपकी बात नहीं मानूं, जब मैं किसी इम्पार्टेंट डिस्कशन से आपको इन्कार करूं। मैं बिल्कुल ओपन किताब की तरह हूं, खुली किताब हूं। आप मुझे बताइये कि कौन-सा इम्पार्टेंट सब्जेक्ट होगा, कौन-सा इम्पार्टेंट सब्जेक्ट आप समझते हैं। जिसको मैं इम्पार्टेंट सब्जेक्ट समझता हूं, क्या मैंने उस पर डिस्कसन नहीं करवाया? अब यहाँ हमारा आधा घंटा जाया हो जाता है। मैं आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द

प्रिंसिपल्स। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा-सा स्वयं ध्यान दीजिए कि रोजाना इसके करने का कुछ अर्थ नहीं है। मैं आपकी बात को मानने के लिए बैठा हूं।

(व्यवधान)

श्री बी० डी० सिंह : वहां पर दस दिन से 50 किसान आमरण अनशन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात हुई ?

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : यह बात ही नहीं है, दस दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह 70 करोड़ का देश है। इसमें किसी को भी कोई तकलीफ हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे श्री आर० वेंकटरामन।

(व्यवधान)

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1983-84 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें रक्षा सेवायें प्राक्कलन, 1983-84।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1983-84 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 6095/83]

(2) रक्षा सेवायें प्राक्कलन, 1983-84 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल०टी० संख्या 6096/83]

(व्यवधान)

वायुयान नियम, 1982; इंडियन इन्स्टीच्यूट ग्राफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलौर, तथा इंडियन इन्स्टीच्यूट ग्राफ ज्योमैगनेटिज्म बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा; इंडियन इन्स्टीच्यूट ग्राफ ट्रौपिकल मैट्रालाजी, पुणे का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा ग्रौर वार्षिक लेखे ग्रौर सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण।

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद ग्रालम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान ग्रधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण), जो 11 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 685(ग्र) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये एल० टी० संख्या 6097/83]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिच्यूट ग्राफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाग्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिच्यूट ग्राफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये एल० टी० संख्या 6098/83]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ ज्योमैग्नेटिज्म, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिच्यूट ग्राफ ज्योमैग्नेटिज्म, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ ज्योमैग्नेटिज्म, बम्बई, के वष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये एल० टी० संख्या 6099/83]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ ट्रौपिकल मेट्रालोजी, पुणे, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ ट्रौपिकल मेट्रालोजी, पुणे, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ ट्रौपिकल मेट्रालोजी, पुणे, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (2) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये एल० टी० संख्या 6100/83]

चाय अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ङ की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 709(अ) से 711(अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 5 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो पाशोक, लूकसान और वाह-तुकवर चाय संपदाओं के प्रबंध-ग्रहण की पांच वर्षों की मूल अवधि और एक वर्ष के विस्तारण की समाप्ति होने पर प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के बारे में है, सभापटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-6101/83]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी।

(व्यवधान)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर एकीकृत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6102/83]

(व्यवधान)

प्लास्टिक और लिनोलियम पदार्थ-निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, पटसन उत्पाद विकास परिषद्, कलकत्ता और रेशम तथा रेयन वस्त्र समिति, बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) प्लास्टिक और लिनोलियम पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक और लिनोलियम पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6103/83]

(2) (एक) पटसन उत्पाद विकास परिषद, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन उत्पाद विकास परिषद, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6104/83]

(3) (एक) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6105/83]

(4) (एक) वस्त्र समिति, बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6106/83]

(व्यवधान)

———

लोक लेखा समिति

(124वां और 125वां प्रतिवेदन)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) मिलिटरी फार्मों के कार्यकरण के बारे में समिति के 78वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 124वां प्रतिवेदन।

(दो) दोषपूर्ण बरसाती कोटों की सप्लाई और फालतू पुर्जों की खरीद के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 125वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री नारायण चौबे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सड़ा-गला गेहूं मिल रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण—श्री नारायण चौबे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : किसानों के हित के लिए क्या इस सदन में कुछ नहीं हो पाएगा ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात आप ध्यान से सुन लीजिए और सरकार से कहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसान की भलाई के लिए जितने आप उतावले हैं मैं भी शायद उतना ही उतावला हूं। मैंने हमेशा बात सुनी है हर बार डिस्कशन करवाया है। अब अगर कोई और तरीका है तो कश्यप जी मुझे बता दें मैं उस तरीके से करवा दूंगा। कौन सा तरीका है ? कश्यप जी पुराने माननीय सदस्य हैं। मैं उनसे राय ले रहा हूं। मैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। कश्यप जी कृपया बता दें कि मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमको आश्वासन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट मत बोलिए। मुझे कश्यप जी से बात कर लेने दीजिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : किसान ने अपना गन्ना दे दिया है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जोर से बोलने के लिए नहीं कहा । मैं बिल्कुल ठीक सुनता हूं । मैं आपकी राय मानने के लिए तैयार हूं । आप राय दीजिए ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप इस पर ब्यान दिलवा दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने रूल तो पढ़े होंगे । उसके हिसाब से मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं । मैं आपका मोशन एडाप्ट कर सकता हूं । कालिंग अटेंशन करवा दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो सरकार जाने, मंत्री जी बैठे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने इस पर एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन कैसे आ सकता है ? श्री नारायण चौबे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह फिजूल बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हम आपको सुना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक सुनता हूं मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मेरी आत्मा भी शुद्ध है ।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आप दरें के बारे में कालिंग अटेंशन क्या आपके विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं मना न कर दूं तब तक यही समझिए कि मेरे अंडर कंसीडरेशन में है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपके कंसीडरेशन में है तो अब हमें शांति है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सड़ा गला गेहूं वितरित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने 377 दिलवा दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश में नया गंदम आ गया है मैं देख कर आया हूं।

श्री नारायण चौबे ।

(व्यवधान)

12.14

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

अनेक सदस्य उठे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है हम अगली मद पर आ गए थे—श्री नारायण चौबे और अन्य द्वारा दिया गया ध्यानाकर्षण। आप सब लोग कृपा करके बैठ जाइए—श्री नारायण चौबे के अतिरिक्त···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए। श्री नारायण चौबे के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। श्री व्यास कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

———

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अनेक राज्यों में सूखा की स्थिति

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

"आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति के समाचार और प्रभावित लोगों को राहत पहुचाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने देश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में इस सदन में 20 जुलाई, 4 तथा 14 अक्तूबर और 3 नवम्बर, 1982 को एक वक्तव्य तथा 14 और 15 अक्तूबर, 1982 को इस सम्बन्ध में हुई बहस का उत्तर दिया था। आज की स्थिति यह है कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी में सूखे की स्थिति होने की सूचना मिली है।

इन राज्यों ने सूखे के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के लिए विभिन्न तारीखों को ज्ञापन भेजे हैं। सूखे से प्रभावित इन राज्यों में कुल 428·73 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र तथा 26·16 करोड़ व्यक्तियों के प्रभावित होने की सूचना मिली है।

केन्द्रीय दलों की रिपोर्टें तथा राहत कार्यों से सम्बन्धित उच्च-स्तरीय समिति की स्वीकृति मिलने पर 407·05 करोड़ रुपए की कुल सहायता मंजूर की गई थी जो कि अब तक मंजूर की गई सबसे अधिक रकम है। तथापि उत्तर प्रदेश के लिए कोई सहायता मंजर नहीं की गई क्योंकि ऐसा सोचा गया कि अगस्त और सितम्बर के महीने में हुई वर्षा से, इससे पहले सूखे से प्रभावित बताए गए जिलों को सूखे से राहत मिल गई होगी। राज्य सरकार ने भी राहत सम्बन्धी कोई उपाय नहीं किए तथा केन्द्रीय दलों के राज्य का दौरा करने के समय तक इस सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया गया था। केन्द्रीय दलों, जिसने कर्नाटक तथा तमिलनाडु का दौरा किया था, कि रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं और इन पर राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति द्वारा कब विचार किया जाएगा। राज्यों को दी गई सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ पेय जल की आपूर्ति, रोजगार के अवसर पैदा करना, निःशुल्क राहत, बच्चों तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषक आहार और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था तथा छोटे और सीमान्त किसानों को आदानों के लिए सहायता शामिल है।

सूखा राहत के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी के लिए एक भाग के रूप में भुगतान किए जाने हेतु राज्यों को खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा का नियतन करने की एक नई योजना आरम्भ की है। खाद्यान्नों का यह अतिरिक्त नियतन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत किए गए नियतन से अलग है।

बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा पांडिचेरी राज्यों से अनुपूरक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय दल बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों का क्रमशः दूसरी और तीसरी बार दौरा करेंगे। उनके शीघ्र दौरा किए जाने की सम्भावना है। मध्य प्रदेश तथा पांडिचेरी सरकारों के अनुरोध पर 21 तथा 22 मार्च, 1983 को होने वाली अन्तः मंत्रालय दल की बैठक में विचार किया जाएगा, जिसमें इन राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि सूखे से प्रभावित राज्यों में रबी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्परता से एक जुट होकर कार्रवाई करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। सर्दियों में हुई वर्षा से रबी फसल के आसार और अच्छे हो गये हैं।

केन्द्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के प्रति भी जागरुक है तथा प्रभावित व्यक्तियों को पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्माण और आवास, रक्षा और रेलवे मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी पानी की ढुलाई करने की आकस्मिकता पैदा होती है वहाँ संस्वीकृति में ऐसी व्यवस्था की गई है। सुनियोजित ढग से पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को जारी रखने में मदद देने के लिए जून, 1983 तक बढ़ाई गई अवधि के लिए सहायता दी गई है।

भारत सरकार विभिन्न जिलों में संकट की गंभीरता तथा मात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता के समुचित तथा प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है। केन्द्र सरकार का यह विश्वास है कि इस आपदा से निपटने का युक्तिसंगत उपाय केवल यही है कि समस्या का जिले-वार तथा क्षेत्र-वार जायजा किया जाए तथा लोगों को राहत देने के लिए तद्नुसार संसाधनों का नियतन किया जाए। इस संबंध में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय दलों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं और अब राहत की इस पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय केन्द्रीय सहायता के उपयोग की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्यों में अनुवर्ती दल भी भेज रहा है। जैसे ही संसद में मेरे मंत्रालय की मांगों पर बहस समाप्त होगी, मैं भी कुछ राज्यों का दौरा करना चाहूंगा।

सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों को भरसक सहायता देना हमारा प्रयास रहा है और प्रयास करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चौबे) : केवल श्री नारायण चौबे का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नियमों को नहीं पढ़ते तो मैं मजबूर हूं। यद्यपि आप आते हैं और यहाँ बैठते हैं, आप यह नहीं कर सकते। कृपया बाधा मत डालिये। हमें सदन को नियमों के अनुसार चलाना है। मैं श्री ईरा अनबारासु से नियमों को पढ़ने के लिये अनुरोध करूंगा। यदि वे चाहते हैं तो मैं उन्हें एक प्रति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि सदन का समय मूल्यवान है इसे नहीं समझा जाता।

अब, श्री चौबे

श्री नारायण चौबे : मन्त्री महोदय के वक्तव्य में आत्म-सन्तुष्टि की बू है। आत्म-संतुष्टि की यह भावना शायद इसी कारण आयी है कि एशियाड और गुट-निरपेक्ष सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गये हैं। हमारे उद्यानों को हरा रखने और सार्वजनिक उद्यानों को सुन्दर बनाने तथा राजमार्गों के विद्युतीकरण में उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। आपने विशाल तीन-तारा और पांचतारा होटेल बनाये हैं जिन पर आपने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं परन्तु यह हमारे गाँवों का चित्र नहीं है। हमारे गाँवों की छवि वास्तविक रूप से डरावनी है। जो पानी हमारे सार्वजनिक उद्यानों और घास को सदाबहार रखने में खर्च किया जाता है, वह केन्दुझर के आदिवासियों को मिलन वाले पीने के पानी से अच्छा है। मैं यह नहीं कहता कि मन्त्री रोम के नीरो जैसे हैं। रोम जब जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। मैं यह नहीं कहता कि वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं। ऋषि बंकिम चन्द्र ने गाया था 'सुजलाम् सुफलाम, शस्य श्यामलाम'। अब यह 'जलं' नहीं है 'फलं' नहीं है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने गाया—पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंगा। अतः यह समग्र भारतवर्ष है। समग्र भारत भयंकर सूखे की चपेट में है। इस में कोई सन्देह नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर उचित रूप से विचार करेंगे और मैं आशा करता हूं कि वे आत्म-संतुष्ट नहीं होंगे। केवल आज के 'इकनॉमिक टाइम्स' में कुछ तथ्य प्रकाशित किये गये हैं। मैं निश्चित हूं कि सभी मंत्रियों ने उसे पढ़ा है। यह बताया गया है

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि लगभग 480 लाख हैक्टर का फसल-क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया है। आपके आंकड़े अपूर्ण हैं। हो सकता है कि आप सही हों या हो सकता कि वे सही हैं, यह मैं नहीं जानता। कुल 185 जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं और समूचे देश में खाद्यान्न की कमी 70 लाख टन तक की होगी। यहां तक कि रबी फसल की कमी 50 लाख से 80 लाख टन तक की होगी। आप ने विभिन्न राज्यों का हवाला दिया है जहाँ अभी भी सूखे की स्थिति मौजूद है। उन्होंने अपने वक्तव्य में उड़ीसा के बारे में कहा है। उड़ीसा का समूचा क्षेत्र, जो कुल खाद्यान्न की तीन चौथाई पैदा करता है, भयंकर सूखे की चपेट में है। हमारा दल, पहले ही, उस राज्य में एक विशाल आन्दोलन चला रहा है। यदि सरकार तत्काल सहायता के लिये नहीं आती और उस क्षेत्र को खाद्यान्न नहीं भेजती, तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी। उड़ीसा में कुल 314 ब्लाकों में से 283 ब्लाक भयंकर सूखे से प्रभावित हैं। उड़ीसा सरकार ने राहत कार्यों के लिए केन्द्र से 338·86 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। बहुधा यह होता है कि वास्तव में हम जितना मांगते हैं, उतना नहीं मिलता। हम वास्तव में जो मांगते हैं और वे वास्तविक रूप से जितना देते हैं। उनमें बहुत अन्तर होता है। फिर, भारत सरकार जो मंजूर करती है और जितना उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से पहुंचता है, उनमें बहुत अन्तर होता है। उड़ीसा में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। उस राज्य में प्रति वर्ष आमतौर पर 42 लाख टन खाद्यान्नों का सामान्य उत्पादन होता है। परन्तु इस वर्ष का उत्पादन केवल 28 लाख टन है। बलांगीर, सबलपुर, केन्दुझर जिले भयंकर सूखे की चपेट हैं। दिनांक 30 अक्तूबर, 1982 के समाचार पत्र में यह बताया गया था कि केन्दुझर में आदिवासी लोग अपने बच्चों को बे-सहारा छोड़ देते हैं।

अब, केरल में कृषि उत्पादन की कमी 25 करोड़ रुपए तक की है। वर्ष 1981-82 के दौरान धान का औसतन उत्पादन 12 लाख टन था। इस वर्ष यह केवल 4 से 5 लाख टन है। उस राज्य में पीने के पानी की कमी है। अपरंच, केरल में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता था। परन्तु पीने के पानी की कमी के कारण पहली बार केरल में भी बिजली की कमी हो रही है। अब वे आन्ध्र प्रदेश से बिजली मांग रहे हैं। वहाँ की यह स्थिति है। यहाँ तक कि कांग्रेस (एम) के अध्यक्ष श्री प्रो० लुकोज ने भी मांग की है कि केरल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश का छत्तीस गढ़ क्षेत्र भयंकर सूखे से प्रभावित है। मध्य प्रदेश के कुल 45 जिलों में से 26 जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। अकाल की स्थिति से निबटने के लिए उस क्षेत्र में जो भी धन व्यय किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई धनराशि में से सरकारी कर्मचारी तथा राजनैतिक नेता एक बहुत बड़ा हिस्सा खा गये हैं।

राजस्थान में भी भयंकर सूखे की स्थिति है जिससे पिछले चार-पांच वर्षों से

लगातार बहुत जिले प्रभावित हो रहे हैं। कोटा, बून्दी, बाड़मेर, जोधपुर जैसे जिलों में अकाल पड़ रहा है। राजस्थान के 25 जिलों में लगभग 2043 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं।

अब, तमिलनाडु में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से 190 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। समझा जाता है कि राव वीरेन्द्र सिंह चुनाव अभियान के लिये, हाल ही में, तमिलनाडु गये और उन्होंने वहाँ राजनैतिक चाल चली। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु की जनता को चावल उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व स्वीकार करती है। ऐसा अभी किया जाना चाहिए। यदि अभी नहीं तो उन्हें कब चाहिए। तमिलनाडु अति गम्भीर स्थिति की चपेट में है। तांजावुर जिला तमिलनाडु का अन्न भंडार माना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : दक्षिण का अन्न भंडार।

श्री नारायण चौबे : परन्तु लोगों ने उस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया है। दुखी होकर मवेशियों का बेचा जाना भी शुरू हो गया है। मद्रास शहर में थोड़ा सा पानी पाने हेतु छेद खोदने के लिए लोग समुद्र के किनारे जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मद्रास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको दे सकता हूं। मद्रास मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है। पानी की सप्लाई तीन दिन में एक बार अति अनुग्रहपूर्वक की जा रही है।

श्री नारायण चौबे : सरकार कुछ करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल तथ्यों के बारे में बता रहा हूं। मद्रास के नागरिक के रूप में मुझे पानी तीन दिन में केवल एक बार मिलता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कितने घंटों के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह-केवल तीन घंटों के लिए। जब, मैं वहां था, मैं केवल तीसरे दिन ही नहा सका।

श्री नारायण चौबे : क्या आप नहीं मानते हैं कि वक्तव्य आत्म-सन्तुष्टि से भरा लगता है ? इसमें मद्रास के बारे में एक भी शब्द नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको पूछना चाहिए। मैं नहीं पूछ सकता।

श्री नारायण चौबे : तब तो कर्नाटक में केवल 18 प्रतिशत सिंचित जमीन को ही इस समय पानी उपलब्ध हुआ है। कर्नाटक के 19 जिलों में से 16 जिलों में रबी

की फसल 85 प्रतिशत तक असफल रही है। 3000 गांवों के पास पानी के कोई स्रोत नहीं हैं।

महाराष्ट्र के पुरी, अहमद नगर, शोलापुर, अकोला, सांगली, नारीकेट आदि स्थानों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में से 46 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी उल्लेख न किए जाने का क्या कारण है, मैं नहीं जानता। क्या ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह आए हैं। आप आंकड़ों से स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। सामान्यतया उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल 120 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है। परन्तु इस वर्ष यह फसल केवल 28.14 लाख हेक्टेयर जमीन में हुई है। आप स्थिति समझ सकते हैं और फिर भी इन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया है।

बिहार के बारे में मेरे मित्र अधिक बतायेंगे। फिर भी मैं इतना बता देना चाहता हूं कि वहाँ पर 1967 से भी भयंकर सूखा पड़ा है। सथाल परगना में लोगों ने भोजन के लिए एक जुलूस निकाला पर उन पर गोलियाँ चलाई गई। मैंने केरल और राजस्थान के बारे में पहले ही उल्लेख किया है।

पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत गम्भीर है। इस वर्ष खरीफ की फसल में 16 लाख टन का नुकसान हुआ है...(व्यवधान)...पश्चिम बंगाल में इस शताब्दी का यह सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। केन्द्र के वहाँ अध्ययन दल गए थे, हमने 205 करोड़ रुपयों की माँग की थी लेकिन 31.3.1983 तक हमें केवल 70 करोड़ रुपये मिले हैं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने की पुन: माँग की है और उन्होंने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए पुन: 95.58 करोड़ रुपयों की माँग की है जो कि अभी तक बनी हुई है और यह स्थिति अप्रैल, मई तथा जून, जब तक मानसून नहीं आ जाता, जारी रहेगी। उस समय तक हमारी स्थिति संकटपूण रहेगी पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में पेय जल की स्थिति भी बहुत गम्भीर बनी हुई है उदाहरण के लिए मिदनापुर जिले का एक भाग पुरुलिया, बांकुरा और अन्य स्थानों को इसमें शामिल किया जा सकता है, दल आते हैं और चले जाते हैं पर होता कुछ नहीं। अब मैं आपको कुछ आँकड़े दूंगा।

पश्चिम बंगाल सरकार को आप वास्तविक रूप में जो आबंटन करते हैं उससे भिन्न मात्रा मिलती है। हमने अनेक बार राव वीरेन्द्र सिंह से इस बारे में पहले भी शिकायतें की हैं कि हम जितनी मांग करते हैं आप हमें उससे कम आवंटन करते हैं और उसमें भी आप काफी मात्रा देते ही नहीं हैं। इस मामले में मैं आपके सामने आँकड़े पेश करूंगा। वर्ष 1982 में, जो कि सूखे का वर्ष है, हमें जनवरी माह के लिए कुल दो लाख 20 हजार टन अनाज आवंटित किया गया था। परन्तु हमें वास्तव में एक लाख सत्तर हजार टन अनाज उपलब्ध हुआ जबकि हमारी वास्तविक मांग तीन लाख 20 हजार टन

की थी। वास्तव में कभी-कभी हम अपनी आवश्यकता से अधिक भी माँग करते हैं परन्तु आप देते नहीं हैं क्योंकि आपके पास अपना आकलन है परन्तु कम से कम आप जो मात्रा हमें आवंटित करते हैं वह मात्रा तो हमारे पास पहुंचनी ही चाहिए।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री के सामने कुछ प्रश्न रखूंगा।

माननीय मंत्री सहित प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि सूखे की स्थिति का सामान्य स्थिति बन जाने का कारण बनों का कटान है। परसों ही मैंने एक खबर में पढ़ा है कि दक्षिणी भारत में यदि इसी प्रकार कटान जारी रहा तो, एक मरुस्थल बन जाने की सम्भावना है। अगर वन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को मन मानी करने की छूट इसी प्रकार दी जाती रही तो यह बढ़ता जायेगा और सारे भारत में फैल जायेगा। वनों के कटाव का लाभ उठाते हुए वे अपनी आमदनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस धन राशि में कुछ धनराशि विशेष रूप से पेड़ों को लगाने के लिए आवंटित की जायेगी जो देश को भावी संकट से बचाने का एक मात्र साधन है। यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद इससे हमें इस समय लाभांश न मिले परन्तु दीर्घकाल पश्चात हमें इसका लाभांश उपलब्ध होगा।

महोदय, इसके बाद में केन्द्रीय दल के बारे में कहना चाहूंगा, यह शोचनीय स्थिति है कि हमारी मांग 500/- करोड़ रुपयों की है और आप हमें 250 करोड़ रुपये देते हैं, हो सकता है हमारी मांग अधिक हो और आप कम देते हों, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि काम ठप्प हो जाता है, खाली जेब हम कोई काम नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है और काम की गति को कायम रखा जा सकता है। माना—इस समय केन्द्रीय दल यहाँ पर नहीं जाता है और शीघ्र धनराशि मंजूर नहीं करता है हमारी सारी जमा पूंजी 31 मार्च तक खर्च हो जायेगी। अब वे कह रहे हैं कि केन्द्रीय दल का विचार पश्चिम बंगाल और बिहार जाने का है। आज 18 तारीख है, ऐसी स्थिति में वे कब तक हमें धन देंगे? यदि अन्य स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया तो हमारे सारे काम ठप्प पड़ जायेंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार को धन्यवाद देता हूं जो केवल केन्द्र से मिलने वाली धनराशि पर ही केवल निर्भर नहीं रहती है, उन्होंने अन्य विभागों के स्रोतों से धन लिया है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र से मिलने वाली धनराशि से दुगनी धनराशि खर्च की है। इसलिए इसमें और आगे विलम्ब न होने देने हेतु सरकार का विचार किस किस्म की कार्य पद्धति अपनाने का है, मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों और वास्तविक रूप से उपलब्ध आंकड़ों में हमेशा बहुत अधिक अन्तर पाया जाता है। हकीकत यह है कि वास्तव में जो देते हैं वह वास्तविक आंकड़ों में नहीं होता है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध

करता हूं कि आप सभी राज्य सरकारों को स्थिति से निबटने हेतु उनकी मांग के अनुसार धन दें।

एक प्रश्न भ्रष्टाचार के बारे में है। इस मामले में विभिन्न किस्म के भ्रष्टाचारों के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार आते रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, अखबारों में एक खबर छपी है कि मध्य प्रदेश में एक स्थान पर 19 सिंचाई परियोजनाओं के लिए पहले ही 3 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं उस स्थान का नाम भूल गया हूं लेकिन मैं इसका नाम बता सकता हूं, लेकिन तीन करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद एक हेक्टेयर जमीन की भी सिंचाई नहीं हो सकी है। सिंचाई के लिए दिया गया धन कुछ लोगों की जेबों में पहुंच गया है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि वे भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों से निबटने के लिए क्या कार्यवाही करने वाले हैं, ऐसे मामलों में माननीय मंत्री को किसी भी किस्म की छूट नहीं देनी चाहिए।

दो प्रश्न और हैं, जिनमें से एक पेय जल के बारे में है। वर्ष 1982 में हमने एक से अधिक बार सूखे की स्थिति पर चर्चा की थी। 1983 में हमने चर्चा की शुरूआत सूखे से ही शुरू की है फिर भी अभी तक सरकार लोगों तक पेय जल पहुचाने में असफल रही है। दिल्ली में बर्तनों को धोने के लिए भी पर्याप्त पानी है परन्तु पश्चिम बंगाल सहित भारत के विभिन्न भागों में पेय जल उपलब्ध नहीं है यद्यपि अभी गर्मी का मौसम नहीं आया है। सरकार का विचार इस वर्ष की गर्मियों के दौरान सभी लोगों तक पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का है? आपको यह देखना चाहिए कि इस मामले में युद्ध स्तर के प्रयास होने चाहिए।

अन्त में, जानवरों के बारे में कहना चाहता हूं, जानवर बोल नहीं सकते हैं। मैं बोल सकता हूं लेकिन जानवर नहीं बोल सकता, जानवरों की दुर्भाग्यपूर्ण बिक्री शुरू हो गई है, आप इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि गरीब लोगों तक चारा पहुंच सके। एक ऐसी खबर है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में लोग 700/- अदा नहीं कर सके जो उनकी तरफ बिजली की अदायगी की बकाया धनराशि थी, उस गांव के लोगों को छः माह से बिजली नहीं मिली है। आप धरम तेजा जैसे करोड़पति को क्षमादान दे सकते हैं जो भारत आया और फिर बाहर चला गया। मैंने समाचारों में इसे पढ़ा है। सरकार उसकी तरफ 1 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि को क्षमादान करने की कृपा कर सकती है। परन्तु आप चारे की इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विभिन्न राज्यों में पड़े सूखे तथा राहत कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता से सम्बन्धित है। महोदय, मैं आपकी

अनुमति से केवल विषय के सम्बन्ध में ही बोलूंगा। जो प्रश्न विषय से भिन्न हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा।

उड़ीसा राज्य को दी गई सहायता के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है। राज्य से हमें अगस्त और नवम्बर के महीने में दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा राज्य में जून, 1983 तक खर्च करने के लिए 33·34 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पहले ज्ञापन में 57·93 करोड़ रु० और दूसरे ज्ञापन में 329·17 करोड़ रुपये की मांग की गई है। केन्द्र सरकार के पास असीमित संसाधन नहीं हैं और सारा देश लगभग सभी राज्य, सूखे की चपेट में हैं। हमारे पास असीमित संसाधन नहीं हैं। कुछ निर्धारित मार्ग निदेश और मानदण्ड हैं। राज्य द्वारा भेजी गई मांग पर एक उच्च स्तरीय समिति, विशेषज्ञों और अन्तर मंत्रालय ग्रुप की समिति, द्वारा विचार किया जाता है और उसके बाद वे मार्ग निदेशों तथा मानदण्डों के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद राहत कार्य के लिए मंजूर की जाने वाली धनराशि के बारे में निर्णय किया जाता है।

श्री नारायण चौबे : मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है। 386 करोड़ रु० की मांग की गई है जबकि केवल 33 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि ऐसा केवल पश्चिम बंगाल के साथ किया गया है तो श्री चौबे की शिकायत सही है। यह केवल पश्चिम बंगाल के ही साथ नहीं किया गया है। हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने यह बात कही है। लगभग सभी राज्यों के साथ ऐसा किया गया है। मांग केन्द्र सरकार से सहायता के लिए आती है। इसके बाद हम उनकी मांग का मूल्यांकन करते हैं।

आबंटन हमारे पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि उड़ीसा के मामले में केवल सूखे के लिए ही नहीं बल्कि समुद्री तूफान के बाद राहत कार्यों के लिए 56·54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, बाढ़ राहत के लिए 113·95 करोड़ रुपये और इसके बाद जून 1983 तक खर्च करने के लिए 22·97 करोड़ रुपये और मंजूर किए गए हैं। एक शीर्ष के अन्तर्गत ही नहीं बल्कि सरकार ने राहत कार्यों के लिए अन्य शीर्षों के अन्तर्गत भी धनराशि मंजूर की है।

दूसरा विशिष्ट प्रश्न तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। तमिलनाडु से हमें 24 जनवरी, 1983 को ज्ञापन प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य यह फैसला स्वयं ही करें कि इसमें विलंब हमने किया है या राज्य सरकार ने ज्ञापन प्रस्तुत करने में किया है। साधारणतया, सूखा राहत के लिए सहायता हेतु ज्ञापन अक्तूबर से नवम्बर तक प्रस्तुत किए जाते हैं, परन्तु उन्होंने 24 जनवरी, 1983 को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस पर हमने इस कार्य में जल्दी करने का प्रयास किया परन्तु राज्य सरकार केन्द्रीय दल द्वारा वहां के दौरे में विलम्ब चाहती थी क्योंकि वे अन्य कार्यों में व्यस्त थे। कुछ कारणों से हम उनसे इस आधार पर स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : इसका कारण क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में होना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बेहतर होगा कि यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी प्रश्न वहाँ उठाएं, यहाँ नहीं। आप इन प्रश्नों के उत्तर इस सदन से बाहर मांगें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय दल के दौरे में विलम्ब किया गया। यद्यपि, अब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और कल एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी और वह अपनी सिफारिशें भेजेगी और इसके बाद हम कह सकते हैं सारा मामला अन्तिम चरण में है और शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया तमिलनाडु के साथ न्याय करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम सभी राज्यों के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : आप कितनी अतिरिक्त धनराशि चाहते हैं ?

श्री के० मायातेवर : प्रश्न यह है कि क्या वे पश्चिम बंगाल के साथ न्याय करना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपने राज्य के लिए मैं इस प्रकार अनुरोध नहीं कर सकता।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसारावपेट) : वे न्याय नहीं चाहते हैं, वे केवल तरफदारी चाहते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : प्रत्येक राज्य के साथ उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम पश्चिम बंगाल के हक में हैं। हम पश्चिम बंगाल में तीसरी बार दल भेज रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : धन्यवाद

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपको मेरा पत्र मिला है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उत्तर प्रदेश के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सूखे की चपेट में है तथा काफी बड़ा क्षेत्र और काफी जनसंख्या इससे प्रभावित है, परन्तु केन्द्र सरकार ने कोई सहायता उपलब्ध नहीं की है। मैं पुनः यह नहीं बता सकता कि कसूर किसका है परन्तु उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन जुलाई मास में प्रस्तुत किया था। यह अनुमान लगाकर कि अगस्त और सितम्बर में सूखा पड़ेगा और पानी की कमी होगी, एक केन्द्रीय दल उत्तर प्रदेश गया था परन्तु राज्य सूखे की बजाय बाढ़ की चपेट में आ गया। यद्यपि, केन्द्रीय दल ने उन भागों का दौरा किया था परन्तु इसी दौरान उन्होंने बाढ़ सहायता के लिए दूसरा ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस बात पर आ रहा हूं।

केन्द्रीय दल के वहाँ पहुंचने से पहले ही बाढ़ राहत के लिए केन्द्र सरकार को दूसरा ज्ञापन प्राप्त हुआ और दोनों ज्ञापनों पर विचार किया गया। केन्द्रीय दल ने जब उत्तर प्रदेश का दौरा किया तो उसने बताया कि हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई थी परन्तु उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सूखा पड़ा हुआ था। केन्द्रीय दल वहाँ का दौरा करना चाहता था परन्तु वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस तारीख तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है उस तारीख तक राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि कौन से क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं, और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उस तारीख तक कोई तैयारी नहीं की गई थी। राज्यों ने कोई धनराशि खर्च नहीं की थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश को धनराशि मंजूर न किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इससे पता लगता है कि कांग्रेस (आई) सरकार का कार्यकरण कैसा है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकरण कैसा है और आप अभी भी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं जाऊंगा...**(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : कृपया आप वहाँ जाएं परन्तु आते समय बिहार होकर आएं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पश्चिम बंगाल के बारे में श्री चौबे जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि केन्द्रीय सरकार उन्हें बड़ी उदारता से सहायता दे रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इस सहायता के हकदार हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बहुत अच्छा। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि आप किसी पक्षपात या अनुचित व्यवहार की शिकायत नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप सभी मुद्दों पर बोल चुके हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया तो उन्हें पता लगा कि पूर्णिया और बांकुरा जिलों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने हेतु मंजूर की गई 70 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया था। हमने उस ज्ञापन पर विचार किया जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा हेतु दी गई स्वीकृति की उन्होंने जानकारी दी है और इसका क्रियान्वयन तथा इन धनराशियों का व्यय अभी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है तथा यह उनकी ड्यूटी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी० जे० कुरियन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने राजस्थान का उल्लेख किया है।

एक माननीय सदस्य : मैं चाहता हूं कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप देख सकते हैं कि धनराशि मार्च से पूर्व खर्च हो जाए, मेरा मतलब यह है कि आप इस संदेश को ले जा सकते हैं और यह देख सकते हैं कि धनराशि खर्च हुई है। वह केवल आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपसे धनराशि खर्च करने हेतु कह रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपने राज्य को कहिए कि धनराशि को तत्काल 31 मार्च तक खर्च कर दें।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : श्री चौबे ने पहले ही देश के विभिन्न भागों में व्याप्त गम्भीर समस्याओं के बारे में कहा है। इसलिए मुझे इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है जो उन्होंने कहा है। मैं अपने आपको अपने राज्य और पड़ोसी राज्य तक ही सीमित रखता हूं।

माननीय मन्त्री द्वारा पढ़कर सुनाए गए विवरण में केरल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। वहां बहुत गम्भीर स्थिति है। सूखे से पीड़ित राज्यों में से केरल एक राज्य है। किन्तु केरल राज्य द्वारा राज्य में सूखा राहत कार्य के लिए क्या सहायता मांगी गई है और उन्हें कितनी धनराशि इसके लिए दी गई है, ऐसा यहां कोई उल्लेख नहीं है। अब केरल की स्थिति भयंकर हो गई है। केरल नदियों, झीलों और प्राकृतिक जल धाराओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। पर्याप्त पानी प्रत्येक वर्ष

पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर पर्याप्त मानसून होने के कारण इसे सदाबहार माना जाता था। परन्तु केरल में वर्तमान स्थिति बिल्कुल भिन्न है। नदियां और नहरें सूख रही हैं। यहां तक कि कुएं भी तेजी से सूख रहे हैं। अब केरल में पेयजल प्राप्त न होने का सवाल पैदा हो गया है। कोचीन और त्रिवेन्द्रम मे नगर निगमों ने पहले ही पेयजल की सप्लाई पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ किए हैं। केरल में लगभग सभी जिले सूखे से प्रभावित हैं। आज के समाचार में मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार समस्त राज्य में सभी जिलों के 800 गांव गम्भीर रूप से प्रभावित हैं और राज्य सरकार द्वारा 600 गांवों को पहले ही सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। जलाशयों में पानी के स्तर में भारी गिरावट आने के कारण केरल, जो विद्युत उत्पादन में अत्यधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य था और जो आपके राज्य तथा कर्नाटक की बिजली की सप्लाई करता था, वहां अधिक बिजली प्रयोक्ताओं पर पहले 20 प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की गई है जिसे बाद में बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। यही कटौती हाल ही में लघु उद्योग क्षेत्र पर भी लागू की गई है। राज्य के बिजली मन्त्री ने हाल ही में कहा है कि जब तक मानसून नहीं आ जाते, तब तक वहां राहत नहीं मिलेगी। राज्य के विशेष रूप से दो मुख्य अन्न भण्डार के क्षेत्रों में अर्थात् अलेप्पी में कुट्टनाड और पालघाट जिले के पालघाट क्षेत्र में सूखे की स्थिति बहुत गम्भीर है।

वहां दो चावल उत्पादक खंड हैं। ये चावल उत्पादक खण्ड पूर्णतः सूख गए हैं। तेज गर्मी और पानी की कमी के कारण हरे भरे स्थल समाप्त हो गए हैं। केवल धान ही नहीं बल्कि रबड़, इलायची, नारियल आदि बारहमासी फसलों पर भी 50 से 75 प्रतिशत तक उत्पादन में प्रभाव पड़ा है। उत्पादन में 50 से 70 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। केरल में यह स्थिति है। इससे भी अधिक हमारा राज्य घाटे वाला राज्य है, यदि राज्य में धान के उत्पादन में इतना नुकसान होता रहा तो हमें केन्द्र पर और अधिक निर्भर होना पड़ेगा क्योंकि हमारा घाटे का राज्य है और हमारे राज्य का अधिकांश कृषि योग्य क्षेत्र का वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, जिसमें से अधिकांश का निर्यात किया जाता है और जिससे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कायम रखने हेतु 1,30,000 टन चावल की मांग करते आ रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि संभवतः केरल मात्र ऐसा राज्य है जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से और सन्तोषजनक ढंग से चल रही है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में चावल की सामान्य कीमत में कटौती हुई है, लेकिन पिछले कई महीनों से चावल की सप्लाई की कमी के कारण यह स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गई है। केन्द्र ने इसकी सप्लाई 1,30,000 टन से कम करके 90,000 टन कर दी है। (व्यवधान)

श्री ईरा अनबरासु (चिंगलपट्टू) : क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आई है।

श्री पी०के० कोडियन : माननीय सदस्य के राज्य से भी चावल प्राप्त करते हम

थे किन्तु उनके अपने ही रा य में भयंकर सूखे की स्थिति है, इसलिए हम तमिलनाडु से चावल प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अधिक विकट स्थिति में हैं। जब तक केन्द्र हमें पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई नहीं करता तब तक राज्य में खाद्य स्थिति खराब रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना प्रश्न रखिए।

श्री पी०के० कोडियन : मैं अब कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं मैं पहले एक सामान्य प्रश्न पूछूंगा। सामान्य प्रश्न यह है कि देश के कई भागों में गत दो-तीन वर्षों से सूखे की स्थिति व्याप्त है। पिछले साल भी देश के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में मध्य प्रदेश आदि में सूखे की गम्भीर स्थिति थी। मेरे एक माननीय साथी द्वारा उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने केन्द्र से सूखा राहत हेतु अनुरोध किया था और माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि केन्द्र वहां टीम भेजने को तैयार था किन्तु उस समय स्थिति बदल गई थी। उस समय सूखे के बजाए वहां बाढ़ आ गई थी। ऐसी स्थिति कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में है। राज्य के एक हिस्से में सूखे की स्थिति होती है तो दूसरे हिस्से में बाढ़ की स्थिति। मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने हेतु स्थायी हल ढूंढने के लिए कोई योजना है।

श्री ईरा अनबरासु : गंगा कावेरी नहर से इस समस्या का स्थायी हल हो सकता है।

श्री पी०के० कोडियन : दीर्घकालीन योजना क्या है? संभवतः आपके पास संचालन प्रणाली है। संचालन का क्या उद्देश्य है, प्रत्येक वर्ष आप संचालन करते हैं। जिस प्रकार बाढ़ और सूखा स्थायी कारक हो गए हैं उसी प्रकार यह भी एक स्थायी कारण हो गया है। इस समस्या का स्थायी हल क्या है? दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने प्राकृतिक विपत्तियों को दूर करने हेतु कुछ आकस्मिक योजना बनाई है। लेकिन आकस्मिक योजना को क्रियान्वित करने में काफी समय लगता है। पहले, राज्य को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, फिर केन्द्रीय दल राज्य का दौरा करता है और रिपोर्ट तैयार करता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : केरल के मामले में इस तरह से इतना अधिक समय नहीं लगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हाथ के संकेत को कार्यवाही में नहीं लाया जाएगा। इसे रिकार्ड करना कठिन है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह केवल उनकी जानकारी के लिए है।

श्री पी०के० कोडियन : दूसरी बात यह है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कतिपय राहत कार्य चल रहे हैं और केन्द्र कुछ सहायता दे रहा है। मुझे कई क्षेत्रों से रिपोर्ट मिली है कि राहत कार्यों में रोजगार पर लगे श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी तक नहीं दी जाती है। वस्तुत: उन्हें न्यूनतम मजूरी से काफी कम मजूरी दी जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सामान्य रूप से वर्तमान दर 9 रुपए है। किन्तु कुछ स्थानों में वे केवल 2 रुपए प्रतिदिन की मजूरी प्राप्त कर रहे हैं।

केरल सरकार द्वारा सूखा राहत के लिए किस तरह की और कितनी सहायता मांगी गई और कितनी सहायता दी गई ? कुछ रिपोर्टों के अनुसार केरल को 9 करोड़ रुपए अथवा 9·5 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री इस सम्बन्ध में आंकड़े बताएंगे।

श्री पी०के० कोडियन : ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट के लिए समायोजन करने हेतु इसे कुछ अन्य कारण से परिवर्तित किया गया था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमें 3 जनवरी, 983 को केरल राज्य से एक ज्ञापन मिला और सूखा राहत कार्यों पर व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में अन्तिम निर्णय 14 फरवरी, 1983 को लिया गया था। अधिकतम सीमा 4·10 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। यह धनराशि कम लगती है किन्तु राज्य सरकार के कथनानुसार केरल में प्रभावित आबादी 16 लाख की तथा एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ था। 4·10 करोड़ की यह अधिकतम सीमा वर्ष 1982-83 के लिए है। 5·31 करोड़ रुपए की अन्य सीमा मई, 1983 तक के खर्च के लिए निर्धारित की गई है। पेयजल के प्रयोजन हेतु जल सप्लाई के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे और रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 4·55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। जहां तक श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न करने का सम्बन्ध है, क्रियान्वयन और धनराशि का खर्च सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार करती है। यदि हम से कोई विशेष शिकायत की जाती है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसको देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर......

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री मधुकर, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं......

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी रिकार्ड न करें। आप बैठ जाइए। क्या आपको अपने ही साथी को अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका नाम मतपत्र में आया है ? कृपया आप बैठिए। कृपया रिकार्ड न करें। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि यह कोई तरीका नहीं है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। कृपया बैठ जाइए······

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। श्री बालन, यदि आप यह नहीं जानते कि आपको मेरी बात का पालन करना चाहिए तो आप एक सफल संसदविज्ञ नहीं बन सकते हैं। मुझे खेद है। आप बैठ जाइए। हर चीज नियमानुसार किया जाना चाहिए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चौबे जी ने सारे देश के विषय में कहा है, मैं भी जानता हूं कि हिन्दुस्तान में 26 करोड़ लोग आज अकाल से पीड़ित हैं। जिन इलाकों का नाम श्री चौबे और श्री कोडियन ने लिया है, उनके अलावा मैं बिहार की ओर आपका ध्यान मुखातिब करना चाहता हूं।

बिहार के 32 जिलों में 24 जिले अकाल पीड़ित हैं और इसमें 387 प्रखंड अकाल से पीड़ित हैं। और जिलों को लिया जाए तो पूर्वी चम्पारन, संथाल परगना, मुंगेर, रांची, रोहतास, सिहभूम, भागलपुर, नालन्दा, गया, पलामू, समस्तीपुर, हजारीबाग, औरंगाबाद, सासाराम नवादा, पटना वगैरह सब अकाल से पीड़ित है। स्थिति यह है कि केवल गोपालगंज में एक करोड़ क्विंटल गन्ना सूख गया है। गोपालगंज का इलाका गंडक प्रोजेक्ट में पड़ता है। गंडक प्रोजेक्ट का काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं दी गई है इसलिए सुखाड़ है। इसके चलते धान, रबी और अगहन मास में जो मकई होती है, ये सब फसलें बर्बाद हो गई हैं।

हम लोग इस बारे में क्या कहें, बिहार विधान-सभा में कांग्रेस आई के सदस्यों ने भी कहा है कि बिहार को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करो, लेकिन बिहार की सरकार ऐसी है, जिसे आप खुद जानते हैं, बहुत भ्रष्ट सरकार है, उसे हटाना चाहिए। हम पिछले डेढ़ बरस से अभियान चला रहे हैं। वहाँ 4146 गांवों में अभी भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। रिग मशीनें लगी हैं। 500 ट्यूबवेल खोदने की उनकी क्षमता है लेकिन 4146 गांवों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं आपने क्या मूल्यांकन किया है लेकिन बिहार सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और मुख्य मन्त्री के जो कुछ गुर्गे लोग हैं, वही उसका फायदा उठा रहे हैं और सही रूप में राहत का काम नहीं चल रहा है। इसलिए केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडू और राजस्थान में जो अकाल की भयंकरता है, उससे कम

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भयंकरता बिहार में नहीं है लेकिन वहाँ की सरकार भी और यहाँ की सरकार भी अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। बिहार की सरकार ने आपसे कितनी सहायता की मांग की है, आपने जो मूल्यांकन किया है उसके अनुसार आपने कितना दिया है और आगे कितना देने जा रहे हैं, त कि बिहार के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में कोई भी आदमी भूख से न मर सके ?

पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आप जो सहायता दे रहे हैं, जिसका आपने एलान भी किया है, उसके सम्बन्ध में क्या गारन्टी है कि भ्रष्टाचार तथा अफसरों की लूट के चलते सही मानों में गांवों तक पानी पहुंच सकेगा ?

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य इलाकों में सब-स्वायल वाटर, जमीन के नीचे के पानी की जो क्षमता है, उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ताकि परमानेन्टली अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए जिससे कि वहाँ कभी अकाल न पड़े ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आप कंजम्शन लोन कितना देने जा रहे हैं जिसके द्वारा अकाल-पीड़ित क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम दो जून रोटी की व्यवस्था हो सके ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत बिहार सरकार ने आपसे कितना लोन मांगा है और कितना आप देने जा रहे हैं ? साथ ही केन्द्रीय सरकार की ओर से क्या गारन्टी की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में एक भी आदमी भूख से नहीं मरने पायेगा ? इसके अलावा अकाल से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग खेत मजदूर है और उनको काम नहीं मिल रहा है अतः उनको काम देने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे बिहार राज्य को अकाल-पीड़ित घोषित कर दिया गया है, केवल उन क्षेत्रों छोड़ कर जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है।··· **(व्यवधान)**

श्री कमला मिश्र मधुकर : पूर्वी चम्पारन जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि मधुबन तथा अन्य बहुत से क्षेत्र अकालग्रस्त हैं इसलिए आप स्पेसिफिकली बताइये कि कौन-कौन से जिले घोषित किए गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह हमें राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने जिलों के केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें सिंचाई की निश्चित व्यवस्था है, बाकी सभी जिलों को अकाल पीड़ित घोषित कर दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अकालग्रस्त या अभावग्रस्त ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हां, अभावग्रस्त। आपने ठीक कहा है, मैं अपने आपको ठीक करने के लिए तैयार हूं। मुझे सही करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार ने पहला ज्ञापन 8.9.1982 को दिया था, जिस पर 25 करोड़ रुपया सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया। इसके अलावा दूसरा ज्ञापन 2 मार्च, 1983 को मिला है, जोकि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा टीम उन अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाने वाली है। मामला विचाराधीन है। इस पर भी जल्दी ही निर्णय होने की सभावना है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : कब भेजिएगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : प्रोसेस में है। देर नहीं लगेगी हमारी तरफ से। जल्दी से जल्दी ही करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो तरीका है कायदा है, नियम है, उसी के अनुसार ही काम को आगे बढ़ायेंगे।

... (व्यवधान) ...

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात का जवाब न दें, केवल श्री मधुकर का जवाब दें। आपको सामान्य चर्चा के लिए कहना चाहिए। क्या आपने सामान्य चर्चा के लिए कहा था, आप में से प्रत्येक सदस्य इसमें भाग ले सकता है अथवा प्रश्न पूछने की स्थिति में हो सकता है, आपको नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए कहना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूं ? ध्यानाकर्षण के अंतर्गत मुझे नियमानुसार चलना पड़ता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस दल के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि वह दल बना दिया गया है और वह 21 मार्च को बिहार का दौरा करने के लिए जा रहा है। एन०आर०ई०पी० के सम्बन्ध में जो पूछा गया है, यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित है और इस प्रश्न से सीधा उसका सम्बन्ध नहीं है, फिर भी हम जो सहायता देते हैं, उस सहायता में एम्प्लायमेंट जनरेशन का भी हैड होता है, ऐसा काम करने के लिए जिससे रोजगार मिल सके, लेकिन रुपए को खर्च करना और कार्यान्वयन का काम प्रदेश सरकार का ही है। वह उन्हीं को देखना होता है।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि बिहार सरकार ने कितनी मांग की है ? बिहार सरकार ने अपने पहले ज्ञापन में 234 करोड़ रुपए की मांग की थी और दूसरे ज्ञापन में 74 करोड़ 57 लाख रुपए की मांग की है। मैं समझता हूं कि बिहार सरकार ने अपने एसेसमेंट के मुताबिक पैसा मांगा था, उसी के हिसाब से हमने भी अपनी गाइड लाइन्स के हिसाब से फैसला किया है। जहां तक स्टारवेशन से सम्बन्ध में निश्चित प्रश्न पूछा गया है—इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में

कहीं इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा भी बिहार प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत के पास खाद्यान्न की एक मात्रा उपलब्ध कराई है, उनके लिए जो अपने साधन नहीं जुटा सकते हैं। ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने अब जो तरीका अपनाया है वह यह है कि हमारी टीम इस बात का भी जायजा लेती है कि हर एक जिले में कितना-कितना नुकसान हुआ है और इस बात के लिए एहतियात बरतती है कि नुकसान के हिसाब से प्रपोर्शनेट जो एसैसमेंट है, खर्च किया जाए। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की टीम 21 मार्च को बिहार प्रदेश में जा रही है। मेरी आनरेबिल मैम्बर्स से दरख्वास्त है कि यदि कहीं अपने हल्के और अपने जिले की कोई बात हमारी टीम के नजर में नहीं आती है, तो वे टीम के नोटिस में ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले को कुछ-न-कुछ इन्साफ के साथ मिले। पहले यह तरीका नहीं होता था। हमने यह नया तरीका अपनाया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप उनको डायरेक्टिव्ज दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं कि आनरेबिल पार्लियामेंट मैम्बर्स को जब हमारी टीम जाती है, उस इलाके में इत्तिला दे, जहाँ सूखा पड़ा है और फ्लड आया है। हम राज्य सरकारों को लिखते हैं, लेकिन अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उसमें दिलचस्पी लें, ताकि हमारा इंतजाम और बेहतर हो सके।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : हमें मालूम ही नहीं होता कि आपकी टीम कब और कहाँ जा रही है। हमसे सम्पर्क नहीं करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस टीम की तारीख मैंने बतला दी है। दूसरी जगह जाएगी तो मैं इत्तिला दे दूंगा।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ता है। कुछ राज्यों को चक्रवातों, कुछ को बाढ़ों तथा अधिकतर राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें इन तीनों प्रकार के प्रकोपों का सामना करना पड़ता है। कुछ को इनमें से केवल दो का तथा कुछ राज्यों को केवल सूखे का सामना करना पड़ता है।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि जो राज्य इन तीनों प्रकार के प्रकोपों, अर्थात् चक्रवात, बाढ़ और सूखे से पीड़ित हैं उन्हें वह क्या दे रहे हैं ? जो राज्य केवल दो प्रकार के प्रकोपों से पीड़ित हैं, उनमें जो लोग सूखे के साथ-साथ, पहले ही बाढ़ अथवा चक्रवात से सब कुछ खो बैठे हैं, उन्हें वह क्या राहत देने जा रहे हैं ?

महोदय, योजना के प्रारम्भ से ही हम ऐसी योजनाएं तैयार करने के प्रयत्न कर रहे

हैं जो अल्प-कालिक तथा दीर्घ-कालिक हैं। जहाँ तक चक्रवात का सम्बन्ध है हमने देखा है कि कोटिस्वरम् समिति नियुक्त की गई थी उसने सरकार को कुछ सिफारिशें भी कीं थीं। उनमें से कुछ सिफारिशों को कतिपय राज्यों ने कार्यान्वित किया है। लेकिन कुछ सिफारिशों को कुछ अन्य राज्यों ने समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है और यही कारण है कि हम पाते हैं कि वही राज्य अत्यधिक पीड़ित हैं। मैं माननीय मन्त्री से चाहता हूं कि वह हमें यह बताएं कि क्या उनके पास कोई निगरानी एजेंसी है जो यह सुनिश्चित करती हो कि, जहाँ तक चक्रवात का प्रश्न है, उचित कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ? जहाँ तक बाढ़ तथा सूखे का प्रश्न है, हमने इन दोनों कार्यक्रम को एक साथ मिला दिया है। सिंचाई प्रणालियां इस ढंग से नियोजित की गई हैं कि वे बाढ़ से हमारी रक्षा करेंगी और साथ ही वे हमारी भूमि में भी सिंचाई करेंगी ताकि हम अपने देश में अधिक अनाज पैदा कर सकें। हमें खाद्यान्नों की अत्यधिक जरूरत थी। हमने खाद्यान्नों का आयात किया। अतः, स्वाभाविक है कि हमने यह सोचा कि हमें बड़ी योजनाएं बनानी चाहिएं ताकि हम अपनी भूमि की तत्काल सिंचाई कर सकें और हमें आमदनी हो। यह बहुत अच्छा विचार था।

लेकिन, अब जब हमने लगभग 1,500 बड़ी परियोजनाए पूरी कर ली है, हमने समूची प्रक्रिया के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया है। भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री, श्री सिंह देव द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश से एक लेख प्रकाशित किया गया है। वह यह प्रश्न करते हैं कि क्या हम सभी बड़े डेमों को अपनी पीढ़ी के दौरान पूरा कर लेंगे ? क्या हम किसी डेम को अपनी भावी पीढ़ी द्वारा पूरा किए जाने के लिए तो नहीं छोड़ जाएगे ? इन बड़े डेमों से अनेक समस्याए पैदा होती हैं। एक संसद सदस्य के नाते, मैंने देखा है कि इससे वनों का विनाश होता है और गाद एकत्र हो जाती है। हमने यह सोचा था कि भाखड़ा-नंगल बांध 600 अथवा 500 वर्षों की अवधि में गाद से पूर्णतया भर जाएगा। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि 30 वर्ष में इसका एक-तिहाई भाग गाद से भर गया है। क्या इस बांध का लाभ 100 वर्ष से अधिक अवधि के बाद उठाना संभव होगा ? यदि ऐसी बात है तो हमें फिर से सोचना होगा और हर चीज की फिर से योजना बनानी होगी। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि बड़े बांध बनाने के बजाए हम मझौले तथा छोटे बांध बनाएं। मझौले बांधों के लिए भी आपको केन्द्रीय सरकार के पास जाना पड़ेगा। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग बहुत समय लेता है और इससे हमारी प्रगति में विलम्ब होता है। अतः मेरा सुझाव है कि उन परियोजनाओं को तत्काल मंजूरी दी जानी चाहिए और छोटी परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति होनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार उनके लिए धन दे।

मणिपुर राज्य में हमने यह देखा है कि लोगों ने स्वयं तालाबों तथा नहरों का निर्माण किया है और हर चीज का प्रबन्ध वे स्वयं करते हैं। इसके लिए उनके पास सरकारी कार्मिक नहीं हैं। जो सोसायटियां इन तालाबों तथा नहरों का प्रबन्ध करती हैं उन्हें सहकारी

सोसायटियों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता लेकिन फिर भी वे पीढ़ियों से कार्य कर रहीं हैं। महाराष्ट्र में, नासिक तथा धुलिया जिलों में 'फाड' (पी०एच०ए०डी०) प्रणाली है। यह प्रणाली पिछली दो सदियों से कार्य कर रही है, जिसमें नहर का पानी लाभार्थी स्वय लेते हैं। इन नहरों का सुधार, निर्माण और मरम्मत कार्य स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। इसमें बिचौलिये, अर्थात सरकारी कार्मिक, नहीं हैं, जो परियोजनाओं में विलम्ब करने का प्रयास करते हैं; लोगों के लिए कष्ट पैदा करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं।

एक अन्य सूखा प्रवण क्षेत्र (डी०पी०ए०) कार्यक्रम है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि जहां तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का प्रश्न है, माननीय मंत्री तथा उनके विभाग ने महाराष्ट्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने उन्हें सूखा प्रवण क्षेत्रों की एक सूची दी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में, केवल कुछ क्षेत्रों, कुछ जिलों को ही इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, अर्थात् जिला उस्मानाबाद, को पूर्णतया छोड़ दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह, अथवा उनके सहायक से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने श्री शिवराज पाटिल, जो उसी क्षेत्र के हैं, से यह जानने के लिए कभी परामर्श किया है कि वह सूखा-प्रवण क्षेत्र है अथवा नहीं तथा उस क्षेत्र में वस्तुस्थिति क्या है?

मैं एक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आन्नेवाड़ी 4 आन्ना अथवा 6 आन्ना से नीचे चली जाती है तो वे इसे सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देते हैं, वे हर प्रकार की सहायता देते हैं, निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, श्रम नियोजन क्षमता पैदा की जाती है; वे उन्हें मकान देते हैं; चारा देते हैं; वे पीने का पानी तथा हरेक वस्तु देते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां फसल की पैदावार अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, फसल को पानी अथवा वर्षा की जरूरत कुछ खास अवधि तक, अर्थात् दो महीने अथवा ढाई महीने की अवधि तक होती है और उसके बाद उसे पानी की जरूरत नहीं होती। यदि आप पीने का पानी बचाए रखना चाहते है तो इसके लिए बाद में भी काफी वर्षा की जरूरत होती है। अनेक मामलों में ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि मद्रास में पीने के पानी का अभाव रहता है; यही कारण है कि राजस्थान तथा महाराष्ट्र में पीने के पानी का अभाव रहता है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह उन राज्य सरकारों को, जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, कोई सहायता दे रहे हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिन्हें सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अन्नेवाड़ी 8 आन्ना से अधिक हो सकती है। लेकिन वहाँ पीने का पानी नहीं है। वास्तव में, लोग ट्रकों तथा बैलगाड़ियों द्वारा पीने का पानी ढो रहे हैं। महाराष्ट्र में इनकी संख्या पिछले महीने के दौरान 500 से बढ़कर 1200 हो गई है।

ये तीन प्रश्न हैं जो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं और मेरा अनुरोध है कि वह इनका उत्तर दें।

आरिफ मोहम्मद खां : सर्वप्रथम, माननीय सदस्य ने उन क्षेत्रों के बारे में पूछा है जो चक्रवात, बाढ़ तथा सूखा, तीनों प्रकार के प्रकोपों से पीड़ित हैं। सामान्यतया, प्रथा यह है कि सम्बन्धित सरकारें सूखा, बाढ़ अथवा चक्रवात के सम्बन्ध में अपने-अपने ज्ञापन भेजती हैं। तब उन पर एक अन्तर मंत्रालय दल जो कि एक उच्च स्तरीय समिति है, द्वारा विचार किया जाता है तथा निर्धारित मानदण्डों और मार्ग निर्देशों के अनुसार कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा निर्णय लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अनेक राज्यों के मामले में हमने उन्हें बाढ़ राहत कार्यों, सूखा राहत कार्यों, के अधीन खर्च को वहन करने के लिए सहायता दी है.......।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अलग-अलग दी जा रही हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हाँ, महोदय; अलग-अलग दी जा रही हैं।

जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का प्रश्न है, इस सभा ने पिछले अवसरों पर बाढ़ अथवा सूखा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने सम्बन्धी दीर्घ-कालिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव दिए हैं हमने उन्हें नोट कर लिया है और हम इन सुझावों को सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज देंगे। ये सुझाव मुख्यतया सिंचाई मंत्रालय से सम्बन्धित हैं। हम इन्हें सिंचाई मंत्रालय को भेज देंगे।

जहाँ तक बिचौलिये का प्रश्न है, भारत सरकार की नीति यह है कि किसी भी प्रकार की अभाव ग्रस्तता की स्थिति में जहाँ तक राहत कार्यों का प्रश्न है, कोई बिचौलिया न रखा जाए। यदि कोई विशिष्ट शिकायत की जाती है अथवा कोई बात हमारे ध्यान में लाई जाती है तो हम निश्चय ही उस मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों से कार्यवाही करेंगे।

श्री उत्तम राठौर : महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के उन सूखा प्रवण क्षेत्रों की क्या स्थिति है जिन्हें आपने छोड़ दिया है ? महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में आपका क्या उत्तर है ? राजस्थान भी उसी समस्या का सामना कर रहा है। इसके बारे में आपने क्या किया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक अलग कार्यक्रम है। यहाँ हमारा सम्बन्ध सूखा की स्थिति में दी जा रही राहत से है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी मद को ले रहा हूं।

(व्यवधान)

———

समिति के लिए निर्वाचन

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

****(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात स्पष्ट करता हूं कि मैं सदन को नियमों के अनुसार चला रहा हूं। आपकी इच्छाओं के अनुसार मैं सदन को नहीं चला सकता। किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

****(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बजट की अनुदान मांगों और प्रत्येक बात के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत से अवसर हैं। आप उस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

****(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। कुछ भी नहीं। मैंने अगली मद नियम 377 ले ली हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

****(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी।

**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी निवेदन की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना है।

**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी बात के लिए किसी भी अवसर का उपयोग नहीं कर सकते। किसी अन्य अवसर का लाभ उठाएं।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) रेलगाड़ियों में महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु कदम

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : 121-डाउन तमिलनाडू एक्सप्रेस में 17 मार्च, 1983 को झांसी से आगरा के बीच एक खौफनाक हादसा हुआ। एक युवा महिला 10.35 बजे झांसी से दिल्ली के लिए ट्रेन में सवार हुई। दिल्ली में उसके परिवारीजन उसे स्टेशन पर लेने के लिए आने वाले थे। झांसी और आगरा के बीच कुछ अनधिकृत वेंडर्स तथा अन्य व्यक्ति डिब्बे में घुस आए तथा उस युवती के साथ बलात्कार किया तथा उसकी हत्या कर दी। बहुत ही खौफनाक हादसा था यह, क्योंकि लगभग साढ़े तीन घंटे तक उसके साथ पाशविक व्यवहार होता रहा। यह घटना दिन में हुई थी। ट्रेन के गार्ड की सहायता से ही यह हो सका कि उनमें से एक अपराधी पकड़ा गया। आगरा में घटना की मैं साक्षी रही हूं और आगे कार्यवाही कराने की व्यवस्था की क्योंकि उस युवती के साथ चार महीने का बच्चा था जिसे उसके रिश्तेदारों को, जो कि देर गए रात में आगरा पहुंचे, सौंपा जाना था।

जब तक कि एक महिला कांस्टेबल तक तैनात करके किसी स्लीपर में निश्चित पर्याप्त आरक्षण नहीं किया जाता तब तक किसी अकेली महिला का सुरक्षित रूप से यात्रा करना पूर्णतः मुश्किल है। अनधिकृत विक्रेताओं के डिब्बे में प्रवेश पर सख्ती के साथ प्रतिबंध भी आवश्यक है। जहां महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाएं वहां प्रत्येक डिब्बे में पुलिस रक्षकों की पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह मामले को तत्काल आगे बढ़ाएं और बिना समय गंवाए अपराधियों को दण्ड दें।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस प्रकार की किसी अमानवीय दुर्घटना पर मन्त्री महोदय कुछ टिप्पणियां करने और आश्वासन देने जैसा कुछ महसूस नहीं करते।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : रेल मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं। **(व्यवधान)**

(दो) दिल्ली में डा० राजेन्द्र प्रसाद की एक प्रतिमा लगाना तथा उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर समारोह आयोजित करना

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : डा० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह 3 दिसम्बर 1983 से मनाया जा रहा है। डा० राजेन्द्रप्रसाद स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्रिया कलाप में उनकी गहरी छाप है। देश के प्रत्येक कण में उनके आदर्श और स्वप्न की झलक है। अपने आदर्शों और सिद्धान्तों के माध्यम से उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया वह आज भी हमारे लिए हितकर है। उनकी वाणी हमारे ज्योति स्तम्भ हैं। उनकी यादगारी के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके सिद्धान्तों को अपनाएं। हमारे देश को शक्तिशाली बनाने और एकता के सूत्र में बांधने के लिए उनके आदर्शों को अपनाना जरूरी है। वर्तमान राष्ट्रपति जी के शब्दों में स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी का जीवन और आदर्श आज के युवा वर्ग के लिए महान प्रेरणादायक है। देश की आजादी और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राजेन्द्र प्रसाद जन्म शताब्दी समारोह में भरपूर योगदान दें और राजधानी में उपयुक्त स्थान पर उनकी सुन्दर और भव्य मूर्ति स्थापित करें। बिहार सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव भी केन्द्र के समक्ष भेजा है। मैं केन्द्र सरकार से पुन: प्रार्थना करती हूं कि राष्ट्र नायक और महान नेता श्री राजेन्द्र प्रसाद के जयन्ती समारोह को सुन्दर और शानदार बनाने में पूरी रुचि लेकर राष्ट्रीय स्तर पर समिति का निर्माण कर इसे एक अविस्मरणीय घटना का रूप दिया जाए।

(तीन) दिल्ली टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में त्रुटियां

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाता हूं :

दिल्ली में टेलीफोन की क्रासबार प्रणाली सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है। जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को कनेक्शन मिलने पूर्व काफी देर तक लाइन पर रुके रहना पड़ता है अथवा 'एंगेज्ड' की आवाज सुनाई पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली को संशोधित किए जाये अथवा इसको बदले जाने की आवश्यकता है।

टेलीफोन के जाम हो जाने अथवा टेलीफोन लाइनों के आपस में मिल जाने अथवा लाइन कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से टेलीफोन के अनधिकृत प्रयोग की, जिसके परिणामस्वरूप एस०टी०डी० सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है

और एक प्रयोक्ता के बिल दूसरे तथा कुछ निर्दोष प्रयोक्ताओं के बिलों में लगा दिए जाते हैं। बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। इसी तरह कुछ इस प्रकार के उदाहरण भी हैं कि ट्रंक कालों के बिल में कुछ ऐसी कालों की भी चार्ज शामिल है जो कभी बुक नहीं कराए गये। इस सबके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को भारी असुविधा होती है और अनेक मामलों में विभाग को राजस्व की भारी हानि होती है।

टेलीफोन सेवा नम्बरों 177, 198 और 199 तथा खास तौर पर सुबह की अलार्म सेवा के नम्बर 173 की सेवा और कुशलता का स्तर अत्यन्त खराब है।

टेलीफोन विभाग की कुशलता और कार्य निष्पादन का स्तर सुधारने की दृष्टि से इन सभी मामलों में संगठित कार्यवाही की आवश्यकता है।

(चार) कोल इण्डिया लिमिटेड के बढ़िया किस्म के कोकिंग कोल की बरबादी

श्री ए०के० राय (धनबाद) : श्रीमन्, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाता हूं।

एक मिलियन टन से भी ज्यादा फाइन कुकिंग कोल अर्थात् विभिन्न इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किए गए धुले कोयले के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत की 10 धोवनशालाओं से निकाला जाता है। इस अपशिहार्य अपशिष्ट (वेस्ट) पर देश की प्रतिवर्ष देश को 50 करोड़ लागत होती है। हानि होने के अलावा, कोकिंग कोल की भारी मात्रा से, झरिया कोयला क्षेत्र में पेयजल के एकमात्र स्रोत दामोदर नदी का पानी दूषित होता है। कोल इण्डिया लिमिटेड की धोबन शालाओं के अतिरिक्त, टिस्को की दो धोबनशालाएं और चासनाला में टिस्को की धोबनशाला भी अपशिष्टपूर्ण प्रदूषण में अंतर्ग्रस्त हैं।

इस अपशिष्ट का महत्व और कोकिंग कोल फाइन की उपयोगिता छोटा नागपुर में सूखे के कारण अचानक सामने आई जब सूखी नदी के तल में मीलों तक लम्बे रेत के मैदान में फाइन कोकिंग कोल की मोटी पर्तें जमा हो गई और निर्धन ग्रामवासियों ने उसमें से कुटीर उद्योग के रूप में सोफ्ट कोक बनाना शुरू कर दिया।

जबकि सूखे से पीड़ित ग्रामवासियों को, दामोदर के निकटवर्ती सुदामादीह धोबनशाला तक के मैदानों से कोकिंग कोल फाइन की मोटी-मोटी परतों तक पहुंचने से रोक दिया गया है, तो इसकी प्राप्ति (कोल की) रोक दी गई है क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ है और कि दामोदर के मैदानों का यह कोयला किसका है। सम्पूर्ण देश और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में बिना काम वाले लोगों की रुचि इस बात में है कि पहले नदी के तल से कोयला प्राप्त किया जाना चाहिए अन्यथा करोड़ों रुपए का

फाइन कोकिंग कोल पानी में बटकर बिल्कुल बेकार चला जाएगा, केवल गाद बढ़ती जाएगी।

कोयला मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि दामोदर के शुष्क मैदान से करोड़ों रुपए का मूल्यवान कुकिंग कोल तत्काल प्राप्त कर लिया जाए ?

(पांच) बरना नदी पर एक नया पुल बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद की हण्डिया एवं फूलपुर तहसीलों के उत्तरी क्षेत्र से होकर बरना नदी बहती है। यह एक छोटी नदी है, जिसमें केवल वर्षा के दिनों में ही पानी रहा करता था। लगभग तीन वर्ष पूर्व से इस नदी में शारदा सहायक नदी का पानी गिरा दिया गया है, जिससे उसमें अब बारहों महीने पानी रहने लगा है। नदी काफी उथली हो गई है, जिससे उसका पानी दोनों तटों के बाहर दूर-दूर तक फैल जाता है। पानी का फैलाव बराबर बना रहने से हजारों हेक्टेयर भूमि की फसलें बरबाद हो जाया करती हैं। कुछ समय पूर्व नदी को गहरी करने के लिए दस लाख से अधिक की धनराशि व्यय की गई थी, परन्तु कार्य नहीं हुआ। परिणामस्वरूप आज बरना नदी आसपास के गांवों के किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी है।

इसी क्षेत्र में बरिया रामपुर रेलवे स्टेशन एवं थाना सराय ककरेज एक मार्ग जोड़ता है। बहुत समय पूर्व से इस मार्ग में बरना नदी पर एक छोटे आकार का पुल था, जो कुछ समय पूर्व से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब नदी में बारहों महीने पानी रहने से दोनों ओर के निवासियों के समक्ष आवागमन का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है।

जिससे समाज के कमजोर लोगों को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज आने जाने एवं सामान ले जाने की विकट समस्या उपस्थित है। क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर अथवा समीप एक पुल के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उपर्युक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि नया पुल जल्दी बन जाये।

(छः) लोगों को, विशेषकर किसानों को, बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :

तमिलनाडु में पावर और बिजली संकट के कारण प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्र, फर्में, मिलें कारखाने पहले से बन्द थे। लगभग सात लाख कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। किसानों को भी अपने पम्प सेटों के लिए बिजली की सप्लाई नहीं रही। इसलिए, तमिलनाडु में किसान अपने कृषि कार्य नहीं कर सके। न वे वर्तमान फसल को बचा सके और न नई फसल तैयार कर सके। खेती की समस्त भूमि तेजी से रेगिस्तान होती जा रही है।

किसानों के पास रोज की रोटी कमाने अपने परिवारों तथा मवेशियों की रक्षा करने के लिए कोई कार्य अथवा नौकरी नहीं है। तमिलनाडु के लोगों खासतौर पर किसानों और गरीब लोगों को अकाल और सूखे की गम्भीर स्थिति से बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को इस बात के निदेश दे कि वह लोगों को सम्पूर्ण कृषि और औद्योगिक तबाही से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बिजली प्रदान करने के लिए कदम उठाए।

(सात) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर का राष्ट्रीयकरण

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : 1977 में कानपुर स्थिति स्वदेशी काटन मिल्स में गभीर घोटाला हुआ था। वहां पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर मारे गए थे। वहां आंदोलन और हड़ताल हुई और इसके परिणामस्वरूप 1978 में देश के विभिन्न भागों में स्थापित मिल के सभी एककों को भारत सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया था और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के अंतर्गत रखा इन मिलों का अधिग्रहण पाँच वर्षों के लिए किया गया था। अप्रैल, 1983 को ये पाँच वर्ष पूरे हो जाएगे। अभी तक, इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने अथवा अधिग्रहण की अवधि बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। मजदूर अत्यन्त बेचैन हैं। यदि मिल को वापस इसके मूल स्वामियों को दे दिया जाता है तो हर सम्भव तरीके से मजदूर इसका विरोध करेंगे और वहां असन्तोष की भारी आशका है।

मैं सरकार से जोर देकर यह कहता हूं कि वह इन काटन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

बजट (सामान्य) १९८३-८४ सामान्य चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य) पर विचार करेंगे। मैं वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी से उत्तर देने हेतु अनुरोध करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : प्रारम्भ में ही मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा और······

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : और उन सदस्यों के प्रति भी जो इसमें भाग लेना चाहते थे मगर ले नहीं सके।

श्री प्रणब मुखर्जी : वे वित्त विधेयक के अवसर पर इसमें भाग ले सकते हैं।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सुने गीत मधुर होते हैं लेकिन अनसुने गीत उनसे भी मधुर होते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : उन्होंने चर्चा में भाग लिया है और बजट प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अपना योगदान किया है। इसके साथ ही, मान्य सदन के प्रतिष्ठित सदस्यों ने सम्पूर्ण कार्यनिष्पादन और आर्थिक प्रबन्ध की संवीक्षा की है। मन्त्रालय के मेरे दो साथियों सहित 59 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और, माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मुद्दों का उन सदस्यों के नामों का उल्लेख करते हुए, उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि—यदि उसमें कोई चूक रह गई हो तो उन्होंने कोई मूल्यवान योगदान नहीं दिया है। प्रत्येक सदस्य ने अपने तरीके से अपना योगदान दिया है।

उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा शुरू करने से पूर्व, जिन पर टिप्पणी की गई हैं, मैं कुछ सामान्य टिप्पणियां करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि प्रत्येक वित्त मन्त्री का कार्य कष्टकर होता है और जिस दिन मैंने यह कार्य लिया मेरे लब्धप्रतिष्ठ पूर्ववर्ती मन्त्री ने यह कहते हुए चेतावनी दी थी कि "अब मैं अपनी रातें, जिनमें नींद नहीं आती थी, आपको सौंपता हूं।" श्रीमन्, किसी भी वित्त मन्त्री के लिए सभी को सन्तुष्ट करना आसान होता यदि वह ऐसा कर सकता······

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बिना नींद की आंखें और सपने।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसलिए, श्रीमन् जैसा कि मैं कह रहा था, यदि किसी वित्त मन्त्री के पास जादू का डंडा होता जिससे कि वह करों को कम कर सकता और विनियोग बढ़ा सकता तो वह हरेक को प्रसन्न कर सकता था लेकिन वास्तव में ऐसा सम्भव नहीं है। मुझे संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न उपाय् करने पड़े। मुझे कुछ कष्टकर निर्णय लेने पड़े और उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट है।

उस प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि जब सदस्यगण चर्चा में अपना योगदान कर रहे थे, मैंने खासतौर पर कुछ व्यावसायिक आलोचकों के संदर्भ में, पता

करने की कोशिश की, और यह पाया कि न केवल समकालीन अवधि में अपितु लब्ध-प्रतिष्ठ टी०टी० कृष्णामाचारी और मोरार जी देसाई के समय से एक ही प्रकार का मुहावरा बहुधा इस्तेमाल होता रहा है—नीरस बजट······

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : दोनों ओर से एक ही प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल होता रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : 'दिशाहीन बजट', 'ध्येयहीन बजट', 'आम आदमी पर चोट पहुंचाने वाला बजट' और बिना किसी धारिता के इसी प्रकार की और बातें······

एक माननीय सदस्य : 'पूंजीवादी बजट'।

श्री प्रणब मुखर्जी : उदाहरण के लिए मेरे प्रतिष्ठित साथी, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने, जिन्होंने वाद-विवाद में दूसरे दिन भाग लिया, अपना योगदान चर्चा में करते हुए कहा—यदि मैं सही नहीं हूं, तो वह मुझे सही कर सकते हैं—1963, लगभग दो वर्ष पूर्व और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए······

एक माननीय सदस्य : वह एक नोजवान आदमी है।

श्री प्रणब मुखर्जी : कम्पनी पर सुपर टैक्स के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं किया गया हैं तथा और अधिक किया जाना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मेरे कथन को अच्छी तरह उद्धृत कर सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसमें और अधिक समय लगेगा। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि कमोवेश आलोचना का ढर्रा वैसा ही रहता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे नियंत्रित किया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन् किसी ने कहा है कि यह ध्येयहीन बजट है। इसको कोई दिशा नहीं है। श्रीमन् मैं नहीं जानता कि योजना परिव्यय में 26 प्रतिशत के लगभग वृद्धि करने के लिए क्या यह बजट दिशाहीन अथवा ध्येयहीन है। किसी ने इस पर टिप्पणी करते हुए इसे 'संकीर्ण मन' का बताया। एक सम्पादकीय में यह सुझाव भी दिया गया था कि 28 फरवरी की शाम को पांच बजे से पहले किसी ने वित्त मंत्री के कानों में फुसफुसाहट करके कहा 'बड़े स्तर पर सोचिए और साहसी बनिए।'

श्रीमन्, निगमित क्षेत्र में न्यूनतम कर की अवधारणा करने के लिए जिस पर बाहर से नहीं तो इस सदन के प्राय: प्रत्यक सदस्य द्वारा टिप्पणी की गयी है, अथवा सुव्यवस्थित (क्लोजली होल्ड) कम्पनियों फिर से धन कर लगा कर बचाव के रास्तों को समाप्त करने के लिए अथवा धर्मंदा न्यासो के नाम से बचाव के रास्तों को समाप्त करने के लिए, जिनके सम्बन्ध में टिप्पणियाँ की गयी हैं और लगभग एक दशाब्दी पूर्व अध्ययन किए गए

हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन बचाव के रास्ते पहले किसने बनाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : उस प्रणाली में बचाव के रास्ते पैदा किए जा रहे हैं जिसे हम देखते हैं कि कामरेड इन्द्रजीत गुप्त प्रकाशित करने वाले हैं। उन्होंने मेरे बजट के बारे में कहा कि यह बजट बिल्कुल नहीं है। यह तो कर समाहर्ताओं की एक रद्दी किताब है। और इस प्रणाली में हम देखते हैं कि एक अत्यन्त लब्ध-प्रतिष्ठित क्रांतिकारी एक रद्दी किताब प्रकाशित कर रहे हैं। जिसमें कि रंगीन टी० वी० और फिल्मों को छोड़ कर जीवन की दैनिक आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुओं, सूजी, आटा आदि पर कर लगाया गया है। अतः यह प्रणाली है जिसमें ऐसा होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका प्रभाव क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इसमें मुश्किल से ऐसी कोई मद छूटी होगी जिसे अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग में न लाते हों। मैं समझता हू बतायी गई स्थिति में यह आवश्यक था। जो बात मैं कहना चाहता हू वह है प्रणाली में ऐसा होता है। मैं समझता हू कि यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त सिर्फ अपनी स्थिति बदल दें वहाँ से यहाँ आ जाए तो उनके सामने सामने एक दूसरी रद्दी (स्क्रैप) किताब प्रकाशित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। और संभवतः उसमें इस कदर ढीलापन हो कि उसमें व्यावसायिकता पुट ही न आए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन्, अपने बजट प्रस्तावों में मैंने एक दिशा प्रदान करने की कोशिश की है—दिशा जिसका कि मैंने उल्लेख किया—और किसी ने इस बात पर आपत्ति की है कि मैं इसे अपने बजट का 'दर्शन' क्यों कह रहा हूं। मैं एक दिशा देना चाहता था कि जिस स्थिति में हम रह रहे हैं उसमें हम आडम्बरपूर्ण खर्चों की अनुमति नहीं दे सकते। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें लोगों को बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेंगे और उसमें खर्चों को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में बीस प्रतिशत भत्ता-निषेधन जो मैंने शुरू किया है और जिसकी वास्तव में बड़े पैमाने पर और स्पष्ट रूप से निगमन क्षेत्र द्वारा आलोचना की गई है, मैं इन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं समझता। मैं आपको सिर्फ दो उदाहरण दूंगा।

हाल ही में हमने अपनी घरेलू एयरलाइन्स में कार्यकारी श्रेणी आरम्भ की है।

आप पाएगे कि कम्पनी के लेखे में वे सभी भरी हुई हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैं नहीं समझता कि कम्पनी के कार्यकारियों को परेशानी हुई अथवा उनकी कार्य क्षमता कम हो गई क्योंकि उन्हें कार्यकारी श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा नहीं है। हम अंग्रेजी दैनिकों में बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन का विषय होता है कि हरियाणा के किसान द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक द्वारा कौन से पम्पसेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। पम्पसेट अथवा कृषि उपकरणों का उपयोग कौन करेगा ? क्या वह राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित विज्ञापन को पढ़कर ऐसा करेगा ? और यदि मैं यह प्रस्ताव रखूं कि इस प्रकार के व्यय को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मेरा विचार है, मैंने ठीक काम किया है। ऐसा करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। वर्तमान कानून के ढांचे के भीतर भी मैं कुछ प्रकार के व्यय-कर को सीधे लागू करना चाहूंगा क्योंकि आज व्यय को रोकना आवश्यक है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि केवल खर्च करने से हम अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएगे। हमारी प्रणाली में हमारे पास अन्तर्निमित प्रबन्ध होने चाहिए जिनमें व्यय को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक मैंने निर्यात क्षेत्र को भी दिया था। निर्यातक यह शिकायत कर रहे हैं कि मैंने रियायत वापस ले ली है। मेरी मंशा उन्हें कठिनाई में डालने की नहीं है। विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए जो भी व्यय आवश्यक होगा उसका 100 प्रतिशत काटा जाएगा। उन्हें भत्ता मिलेगा। परन्तु यह कहना ठीक न होगा कि यदि आप 100 खर्च करते है, तो आपको 105 अथवा जमा 100 मिलेगा। अर्थात्, आय पर नहीं बल्कि खर्च पर कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं इसे केवल युक्तियुक्त बनाना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि ये उपाय केवल एक टैक्स कलेक्टर का काम है अथवा रद्दी के रूप में कुछ प्रस्ताव रखना है।

मैंने 20-सूत्री कार्यक्रम के परिव्यय पर व्यय बढ़ा दिया है; यह 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। यह छोटी राशि नहीं है। कोई भी संकुचित दिमाग वाला वित्त मंत्री उन क्षेत्रों के लिए इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकता है—जो सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाने से सम्बद्ध हैं। यह कहना विपक्ष के लिए सदैव एक फैशन रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है। आज सुबह भी हमने यही सुना था; वे ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं—यह भिखारियों का देश है, 'हमारी पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है' आदि-आदि। वे कहते हैं, हम अपनी ऋण वचनबद्धताओं को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ देर बाद मैं उस पर भी बात करूंगा। परन्तु मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के आरम्भ से ही हमने इस देश का निर्माण किया है यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है; हमने अपने संगठित प्रयासों से देश का निर्माण किया है। हमने सरकारी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जहाँ आर्थिक संदर्भ में निवेश लगभग 24 अथवा 25 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। हमने इस प्रणाली का निर्माण किया

जिसमें हमारे विकास प्रयास के लिए किए जा रहे कुल निवेश में से विदेशी सहायता का भाग केवल 2 प्रतिशत है। भारत बहुत थोड़े विकासशील देशों में से एक है जिसमें हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। हम इस पर गर्व कर सकते हैं। कभी-कभी कहीं-कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमने कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं की है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सके हैं। अपेक्षा और उपलब्धि में सदैव एक अन्तर रहेगा। मैं ऐसे किसी समाज को नहीं जानता हूं जिसमें अपेक्षा और उपलब्धि में कोई अन्तर न हो। जो उपलब्धि हमने प्राप्त की है हम उस पर गर्व कर सकते हैं और भूतकाल से आगे बढ़ने का सबक ले सकते हैं।

महोदय, कतिपय विशिष्ट मुद्दों के विषय में, जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, विशेषकर इस मुद्दे पर कि क्या हमने अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से सवारा है और सूखे, जो हमारे वश से बाहर है, के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति से उबारा है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जनता पार्टी के शासनकाल और हमारे शासनकाल की कोई तुलना करूं। परन्तु इसकी कुछ सम्बद्धता है इसीलिए मैं इसका यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं। यदि आप 1979 के सूखे का प्रभाव देखें तो आप पाएगे कि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। 1970-80 में कृषि में 15·5 प्रतिशत की नकारात्मक विकास दर थी। इस वर्ष प्रत्याशित गिरावट केवल 3·0 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर 1·4 प्रतिशत थी। 1982-83 में उपलब्ध 8·6 प्रतिशत अधिकतम विकास दर की तुलना में हमारी विकास दर 4·6 प्रतिशत है और उस समय जब सूखा पड़ा था, थोक मूल्य सूचकांक 21 प्रतिशत के अंक पर था और यह वर्ष अद्यतन था, यह बहुत कम है सरकार की ओर से किसी ने भी इस मूल्य स्तर का दावा अथवा उल्लेख नहीं किया था क्योंकि इसका ऊपर नीचे होना अवश्यंभावी था। एक दिन अपनी टिप्पणी करते हुए श्री मैत्रा कह रहे थे कि यह फरवरी में अधिक हो सकता था। परन्तु यह इस वर्ष अधिक हो सकता था। अतः प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष के अपवाद को छोड़कर, जब यह अवनति पर था, जहाँ तक थोक मूल्य का सम्बन्ध है, यह बढ़ता है, यह ऊपर चढ़ना आरम्भ कर देता है इसलिए, ऐसा हो सकता है, परन्तु यदि आप वार्षिक समग्र औसत लें, तो आप पाएंगे कि जब यह लगभग 21 प्रतिशत था, अर्थात 1979-80 के पूरे वर्ष में, 1982-83 में बहुत कम है यह लगभग 2·8 प्रतिशत है। इसलिए कुप्रबध और सुप्रबंध के बीच अन्तर होते हैं। यदि हमने अर्थव्यवस्था को सुधारा न होता तो स्थिति और बिगड़ जाती और हम स्वयं को नकारात्मक विकास में पहुंचा देते। हम स्वयं को मुद्रास्फीति की स्थिति में पहुंचा देते, 20 से 21 प्रतिशत की स्थिति में और हम स्वयं को और अधिक कठिन स्थिति में डाल देते। फिर भी हम थोड़ी बहुत सफलता पाने में समर्थ हुए हैं।

महोदय, अब मैं कतिपय विशिष्ट प्रस्तावों और विशिष्ट टिप्पणियों पर आता हूं जो मेरे पुराने मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने उठाई थी। उन्होंने एक विशेष मुद्दा उठाया था, मेरा विचार है, जिसकी मुझे थोड़े विस्तार से व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा यह

कहा है कि बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों में एक अन्तर होता है और मुझे नहीं मालूम कि क्या किसी विशिष्ट वर्ष में ऐसा नहीं हुआ हो। एक अथवा दो वर्षों में अपवाद हो सकता है, परन्तु पिछले 25 अथवा 30 वर्षों की पूरी अवधि के दौरान यदि आप देखें, तो आप पाएंगे कि ऐसा सदैव होता है और तीन वर्ष की उस अवधि में भी ऐसा हुआ जब वे सरकार का एक अंग थे, तब भी अन्तर था। जो अन्तर था, वह मैं उद्धृत करता हूं क्योंकि हमारा अन्तर सर्वविदित है। 1977-78 में बजट प्राक्कलनों में अन्तर 84 करोड़ रुपये था और संशोधित प्राक्कलनों में यह 975 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था। 1978-79 में यह 1071 करोड़ रुपए से 1590 करोड़ रुपए तक बढ़ गया और 1979-80 में, जिसके लिए आप पूरा उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं···श्री वर्मा क्या आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : बजट से पूर्व और बजट के बाद जो बताया गया है उसका अर्थ क्या है और घाटे के बजट प्राक्कलन और वास्तविक घाटे के बीच अन्तर को बढ़ाने या घटाने से उस राशि का क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उस पर भी बात करूंगा। 1979-80 में, यह 1382 करोड़ रुपए से 2100 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था। मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं देता क्योंकि वह थोड़े से जिम्मेदार थे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : और आंशिक रूप से आप।

श्री प्रणब मुखर्जी : जी हाँ, कम से कम तीन महीने के लिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उनको साथ लेने के लिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : यहाँ मैं आप से सहमत नहीं हूं, किसने किसको साथ लिया।

फिर 1979-80 में आंकड़े 1382 करोड़ रुपए से 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गए।

कतिपय क्षेत्रों तक में, जिनका आपने संचालन करना चाहा, कतिपय महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों में अन्तर था। ऐसा आपके काल में हुआ था और ऐसा ही हमारे काल में भी हुआ है। मुझे भय है, हमारी प्रणाली में, यह जारी रहेगा, कहीं यह बढ़ेगा कहीं यह घटेगा।

दूसरे, आपत्ति की गई कि हम बजट से पूर्व मूल्य समायोजन क्यों करते हैं मेरा विचार है मैंने पिछली बार उस समय इसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया था, जब मैं वाद-विवाद का उत्तर दे रहा था; और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं कि हमारी प्रणाली में यह बिल्कुल आवश्यक है, यदि हम अपने

सरकारी क्षेत्र के एककों को व्यवहार्य बनाना चाहते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अपने अंशदान को पूरा करना है। आपने भी ऐसा किया था, और आपने कितनी बार जानना चाहा।

वर्ष 1978 में आपने इस्पात की कीमत में दो बार वृद्धि की। वर्ष 1978-79 में इस्पात से एल्यूमिनियम तक और अनेक अन्य वस्तुओं की कीमत आपने 3-4 बार बढ़ाई। प्रश्न यह हो सकता है कि वह इतनी अधिक नहीं हो और स्पष्ट है कि इतनी अधिक नहीं होगी। आपके समय पेट्रोल पर इतनी अधिक राशि नहीं मिल सकती थी जबकि आपका उत्पादन लगभग 100 लाख टन था और आज यह लगभग 210-220 लाख टन है। निश्चित रूप से आज उससे अधिक राशि प्राप्त होगी जितनी आपके समय में होती थी। जब कोयले का आपका उत्पादन कम था तो निश्चित रूप से उससे कम राशि प्राप्त होगी जितनी हमें आज प्राप्त हो रही है जबकि हम अपने उत्पादन को 1250-1300 लाख टन तक बढ़ा रहे हैं। परन्तु ऐसा नहीं है कि आपने यह नहीं किया। आपको करना पड़ा और मैं इसका समर्थन करता हूं कि आपको करना पड़ा था और यह आवश्यक था और हमें भी करना पड़ा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बजट प्रस्तुत किए जाने के कुछ समय पूर्व।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बजट के पूर्व अथवा पश्चात् की बात नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मूल्य-तंत्र एवं कराधान प्रस्तावों को आपस में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनको जोड़ा भी नहीं जा सकता। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को अपने उत्पादों के मूल्य नियत करने का अधिकार है तो सरकारी क्षेत्र को भी निश्चित रूप से वह अधिकार होना चाहिए। संसद संवीक्षा कर सकती है, संसद अपना निर्णय दे सकती है कि यह ठीक है अथवा नहीं। संसद को सूचित भी किया जाना चाहिए परन्तु आप इसे उसी रास्ते से नहीं देख सकते। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं, सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा उत्परित उत्पाद, यदि आप उनको लाभ सेवाओं और समान के लिए अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों के अनुसार देखना चाहते हैं तो मूल्य तन्त्र और सेवाओं के सम्बन्ध में भी आपको उनको गैर-सरकारी उपक्रमों के बराबर मानना होगा।

जहां तक श्री रवीन्द्र वर्मा की बात है, वह हमारे अच्छे मित्र हैं और इस सदन के बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके भाषण को सुन कर हमेशा खुशी होती है और कभी-कभी जब मैं उनका भाषण सुनता हूं...

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अब उनको चुप करा दिया गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनको चुप नहीं करा रहा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि..

श्री प्रणब मुखर्जी : अपने भाषण के अन्त में उन्होंने मुझे सलाह दी "भगवान के लिए आप पद त्याग दीजिए।"

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपसे मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे से नहीं हम सबसे है।

मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जब मैंने "मुझे" कहा है तो मेरा मतलब "हम" से है। हमें कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि हमें विश्वास हो कि देश श्री रवीन्द्र वर्मा के हाथों में सुरक्षित होगा। परन्तु दुर्भाग्य से वह ऐसी स्थिति में नहीं है, सुदृढ़ विपक्ष की स्थिति में भी नहीं है, शासन चलाने की स्थिति की बात ही दूर है। इस देश का यह वास्तविक दुर्भाग्य है। जब जनता ने विपक्ष को शासन करने के लिए चुना तो उनको शासन के प्रमुख के रूप में एक परम्परागत कांग्रेस जन को ही चुनना पड़ा। उनको श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री एच० एन० बहुगुणा अथवा श्री जगजीवन राम अथवा चौधरी चरण सिंह को चुनना पड़ा और यह प्रक्रिया अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अभी-अभी हमारी ओर से उस ओर श्री मगनभाई बरोट के रूप में एक और वृद्धि हुई है। इस देश में विपक्ष का यह वास्तविक दुख है कि हमें उनको अपने पास से लोग देने पड़ते हैं। इसलिए मुझे यह त्याग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे देश का शासन श्री रवीन्द्र वर्मा अथवा उनके किसी साथी के हाथों में सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि वे उसे स्वीकार करने की स्थिति में हों।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इस प्रक्रिया के अनुसार एक दिन आप भी इधर आ जायेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : इस प्रक्रिया से हम यहाँ से वहाँ होंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। किसी ने कहा है कि हमने आन्ध्र में अपना किला खो दिया है। ठीक है कि आन्ध्र में हमने अपना किला खो दिया है। अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ता के रूप में मुझे दुख है। परन्तु एक भारतीय के रूप में मुझे प्रसन्नता है कि मतदाताओं ने और आन्ध्र के निर्वाचकों ने अपनी इच्छा के अनुसार पार्टी का चयन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के रूप में हमें प्रसन्नता है कि हम इस देश में इस प्रकार की लोकतान्त्रिक परम्पराएं स्थापित कर सके कि इस देश में कोई भी व्यक्ति और कोई भी पार्टी अपरित्याज्य नहीं है।

(व्यवधान)

एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के रूप में हमें प्रसन्नता है कि हम इस देश का निर्माण कर सके हैं।

कुछ दिन पूर्व श्री बहुगुणा ने कहा था—इस समय वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे—वे यहाँ पर अब किस प्रकार भाषण कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी बौने बैठे हैं। बौने क्या कर सकते हैं? जब उनके जैसे व्यक्ति ही बौने के रूप में व्यवहार करने लगते हैं तो बौने उनके स्थान पर आते ही हैं। अतः इस देश की समस्या यह है कि जब हम बोलते हैं तो हम अपना उत्तर दायित्व पूरी तरह से भूल जाते हैं।

मार्क्सवादी पार्टी के नेता कांग्रेस द्वारा जिले को खो देने की बात बहुत जोर शोर से कर रहे थे। परन्तु वह 1952 को भूल गये। उस समय साम्यवादी आन्दोलन का वह गढ़ था और राष्ट्रीय पार्टियों का भी वहाँ से सफाया हुआ है। अतः आपको कुछ सान्तवना हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी का आन्ध्र से सफाया हो गया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम आपकी हार चाहते थे इस कारण हमें प्रसन्नता है।

एक माननीय सदस्य : उनकी पार्टी का भी पूरी तरह से सफाया हो गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : बंगाल में एक मुहावरा है कि पागल व्यक्ति गाय को मार कर खुश होता है। उस प्रकार के सन्तोष पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमारा सफाया इस कारण हुआ क्योंकि हमने कर्नाटक की ओर ही ध्यान दिया।

श्री प्रणब मुखर्जी : अब मैं श्री मैत्रा द्वारा सरकारी एककों के बारे में कही गई बात को लेता हूं। मैंने केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में कुछ श्रेय लिया है और मैं समझता हूं कि मैंने ठीक ही किया है, क्योंकि हम उनके कार्य निष्पादन को सुधार रहे हैं और हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संस्कृति की स्थापना करना चाहते हैं। हम ऐसी जीवन्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर हो।

वर्ष 1982-83 के पहले 9 महीनों में लाभ अर्जित करने वाले कुल एककों की संख्या 87 एकक है और उनके द्वारा अर्जित लाभ 1255·78 करोड़ रु० है। हानि पर चलने वाले एकक भी हैं। 76 एककों की कुल हानि 896·34 करोड़ रु० है। कुल लाभ की राशि 359·44 करोड़ रुपये है। यह सच है कि इसमें से ज्यादा हिस्सा तेल कम्पनियों का है। परन्तु अन्यों के बारे में यह भी सच है, कि जो हानि पर चल रहे हैं, क्योंकि हमें उनका उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ा इसका कारण उनकी आर्थिक लाभप्रदता नहीं परन्तु अपने

सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना मात्र था। बंगाल में हमने काफी संख्या में इंजीनियरिंग एककों को अपने अधिकार में लिया, काफी संख्या में बीमार पटसन मिलों को अधिकार में लिया, काफी संख्या में बीमार चाय-बागान को अधिकार में लिया, कपड़ा मिलों को अधिकार में लिया ताकि उनके कर्मचारी बेरोजगार न हो जायें। इस सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हमें इस बात को पूरी तरह से जानते हुए भी कि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं उनको सरकारी अधिकार में लेना पड़ा। और यदि हम उस स्थिति को स्वीकार करें तो आप किस प्रकार से यह शिकायत कर सकते हैं कि ये एकक लाभ पर नहीं चल रहे ? एक ही समय पर हम दो बातें नहीं प्राप्त कर सकते।

परन्तु, महोदय, सबसे मजेदार बात यह है कि श्री सुनील मैत्रा ने दावा किया है कि यदि वह सत्ता में आएंगे, तो वह यह दिखा देंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कैसे चलाया जाता है। यदि मैंने उन्हें गलत नहीं सुना है तो, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे— वह हैं—"हम उन्हें दिखा देंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे चलाया जाता है।" और मैं इस सदन को केवल यह बता रहा हूं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों को किस प्रकार चला रहे हैं। मैं केवल दो यूनिटों के बारे में बताऊंगा। पहला राज्य विद्युत बोर्ड, पश्चिम बंगाल है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बंगालियों का आपसी झगड़ा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : योजनावधि के दौरान योजना में उनका अंशदान—अंशदान का अर्थ है घाटा कम, अर्थात् नकारात्मक – 230 करोड़ रुपये और 140 करोड़ रुपयों की नकद हानि। सड़क परिवहन निगम की भी यही कहानी है। उनका नकारात्मक अंशदान क्या है ? 92 करोड़ रुपये। पश्चिम बंगाल, वह राज्य है, जहां मैंने स्वयं मुख्यमन्त्री को सलाह दी थी कि वह प्रशुल्क दरें बढ़ाए; और उन्होंने विद्युत के लिए प्रशुल्क में वृद्धि की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने ही उन्हें सलाह दी, और आप ही उनकी आलोचना कर रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने यह नहीं कहा था। मैं कह रहा हूं कि यह औचित्यपूर्ण है; लेकिन क्या परिणाम रहे हैं ? यह अधिकतम है अर्थात् 55 पैसे प्रति यूनिट; और इससे उजाले से अधिक अंधेरा होता है। यह मामला है। आपको सबसे अधिक शुल्क देना पड़ता है और फिर भी आपको विद्युत उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप मुझे केवल आधे मिनट लिए के सुनेंगे ? भारत के वित्त मंत्री के रूप में, यदि आप पश्चिम बंगाल सरकार के कार्य निष्पादन की आलोचना कर रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसा है तो, क्या हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, महोदय, वह एक अत्यधिक उच्च पद पर हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह एक छोटी सी टिप्पणी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो भी उपाय किए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं; और मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल गलत समझते हैं। आप इसके व्यंगात्मक स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। मेरी यह मंशा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप राज्य सरकार के उपक्रमों के काम की आलोचना कर रहे हैं। मैं इस मामले पर सदन में चर्चा करने को तैयार हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, मैं न तो पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और न ही पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन निगम की आलोचना कर रहा हूं। जो, मैं ध्यान में लाना चाहता था वह यह है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में न तो सराहना की अनुमति है और न ही आलोचना की अनुमति है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं न तो सराहना कर रहा हूं और न आलोचना। जो मैं सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि श्री मैत्रा ने कहा है; "हम आपको दिखा देंगे कि हम किस प्रकार प्रबन्ध करेंगे।" मैंने केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि वह किस प्रकार का प्रबन्ध चला रहे हैं (व्यवधान) मैं अब आपकी ओर से बोल रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री प्रणब मुखर्जी यह जानते हुए भी कि उन्होंने वहां कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया हुआ है, ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्हें कहना चाहिए कि (व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उसी पर आ रहा हूं (व्यवधान) यह कई प्रमुख कारणों में से एक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय असफलताओं से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष कितनी राजसहायता की अदायगी की जाती है? 20 करोड़ रुपये।

श्री प्रणब मुखर्जी : एक कारण, जो मैं जानता हूं वह यह है कि पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन निगम में प्रति बस वे बारह व्यक्ति नियुक्त करते हैं, जबकि वे यदि छः व्यक्ति नियुक्त करके मितव्ययता बरत सकते हैं। इसीलिए मैं 'किस प्रकार चलाया जाए' के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप इसे अधिक लोगों से चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इनसे कहिए कि वह ईमानदारी से बोलें। उन लोगों को किसने नियुक्त किया ? इन्हें आरोप नहीं लगाते रहना चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं यह नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल पश्चिम बंगाल को ही कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती, मन्त्री महोदय मान गए हैं। आप इसके नियम के अन्तर्गत मांग करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नियम 376 के अन्तर्गत।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : यह बिल्कुल लागू नहीं होता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इसे समझेंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल में वे घाटे में चल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस सदन में केन्द्रीय बजट पर चर्चा हो रही है और हमारे वित्त मंत्री अपने ही बजट का बचाव कर रहे हैं। (व्यवधान) वह एक राज्य के बजट पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं परन्तु उस राज्य के वित्त मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है या नहीं। यदि आप कहते हैं कि इसकी अनुमति है तो आप हमें पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि होने के नाते बजट के पक्ष में बोलने और उन पर आरोप लगाने का एक अवसर अवश्य दें। (व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती और श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह निर्णय कैसे ले लिया है कि 'पश्चिम बंगाल' शब्द का प्रयोग करना भी असंसदीय है। (व्यवधान) मैं पश्चिम बंगाल का ही हवाला नहीं दे रहा हूं। आइए हम एकमत हो जाएं कि पश्चिम बंगाल अध्याय समाप्त माना जाए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि उनके अस्थायी गुजरात प्रवास का यह अर्थ नहीं है कि वह बंगाल को भूल गए हैं। (व्यवधान) उन्होंने आज समस्त पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाया है। वे उनका औचित्य बताएं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा श्री सुनील मैत्र ने प्रारम्भ की थी; और वह केवल

सुनील मैत्र को उत्तर दे रहे हैं और जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, उन्हें वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रजातंत्र में, यहाँ हम कुछ भी और प्रत्येक बात पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : इससे लगता है कि उनका भेद खुल गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : कुल बजट के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमारे सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ अच्छे मुद्दों पर भी कहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : जो कुछ भी मैं कहता हूं मैं उसके लिए पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। 50 पैसे के सम्बन्ध में, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, आप नहीं, फिर आपको क्या परेशानी है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक रचनात्मक प्रस्ताव रखता हूं। हम इन्हें पश्चिम बंगाल विधान सभा में चुनवा देते हैं और इस मामले पर वहाँ चर्चा कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : वहाँ भी, मैं आपको बता दूं कि मेरे एक मित्र कहते हैं कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है। इस सीमा तक सुझाव दिए गए हैं कि, क्यों न हम एक व्यय आयोग स्थापित कर लें। यहाँ हमें ध्यान में रखना होगा कि सभी गैर-योजना व्यय बेकार नहीं हैं। सभी सम्पत्तियों जिनका योजनागत व्यय से सृजन किया जाता है के अनुकरण की लागत हमारी प्रणाली में गैर-योजना व्यय में चला जाता है। योजना परिव्यय के लिए पूंजी पर ब्याज को भी गैर-योजना व्यय करना जाता है। गैर-योजना के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे लिए कमी करना मुश्किल है। कोई भी यह सुझाव नहीं देगा कि मैं रक्षा व्यय में कमी कर दूं। कोई भी व्यक्ति यह सुझाव नहीं देगा कि मैं राजसहायता में कमी करूं जिससे खाद्य और उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं अथवा समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्राप्त होती है। यह सुझाव भी कोई नहीं देता कि रोजगार उपलब्ध कराने के रूप में राजसहायता जहाँ बीमार यूनिटों को भी शामिल किया जाता है, कमी की जाए। अतः, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इसमें कमी करना कठिन है, परन्तु, फिर भी हम कुछ गम्भीर प्रयास कर रहे हैं;

और क्या प्रभाव रहे उनके बारे में बता दूं कि 1979-80 में प्रतिशत के रूप, प्रशासनिक व्यय 3.8 था। 1980-81 में इसमें 3·7 की, 1981-82 में 3·53 की और 1982-83 में 3·18 की कमी की गई थी।

महोदय, दूसरे विषय पर चर्चा करते समय मैं पश्चिम बंगाल के सदस्यों से आशा करता हूं कि वे मुझे शान्तिपूर्वक बोलने देंगे। ऐसा कहा गया था कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार को उसका समुचित हिस्सा न मिलने पाए, यह बिलकुल झूठ है। जब मैंने अपना करों का प्रस्ताव रखा था मैंने इस बात का कत्तई ख्याल नहीं रखा था कि केन्द्र का शेयर बढ़ गया है अथवा राज्य का शेयर घट रहा है, प्रत्येक प्रस्तावित कर का अपना औचित्य होता है। इसके अतिरिक्त, जब मैं सीमा शुल्क बढ़ाता हूं तब मेरा यह दृष्टिकोण नहीं होता है कि मेरे सीमा शुल्क बढ़ाने से राज्यों के द्वारा जमा किए जाने वाले उत्पादन शुल्क से मैं अपना दायित्व अलग अलग नहीं करूंगा। यदि मुझे स्वदेशी उद्योगों को चलाना है यदि मुझे सीमा शुल्क बढ़ाना है यदि हम चाहते हैं कि यह देश औद्योगिक देशों द्वारा इस देश में अपने उत्पादों का निर्यात करके इसे वे अपने निर्यात के लिए ढेर जमा करने का मैदान न बनाएं तो औद्योगिक संसार द्वारा पैदा किए गए इस संकट पर विजय पाने के लिए इस बात पर विचार नहीं किया गया है ऐसा करने से राज्य सरकारों को कम मिलेगा अथवा केन्द्र सरकार को अधिक मिलेगा।

इसी प्रकार, जब मैं उत्पाद शुल्क में छूट देता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि मैं राज्यों को उनके शेयर से वंचित रख रहा हूं। मेरी कोशिश यही रही है कि अर्थव्यवस्था की कमियों को दूर किया जाय या अर्थव्यवस्था के लिए पैदा की गई विशेष स्थिति से निबटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है।

एक माननीय सदस्य : आय-कर अधिभार के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आय-कर पर चर्चा शुरू करते समय मैं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहता हूं।

इस सदन में ध्वनि मत से प्राय: यह मांग की गई है और यह श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री अग्रवाल और श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के अनुकूल भी है कि प्रत्यक्ष करों का शेयर घट रहा है और अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा होने का कारण यह है क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती मंत्रियों ने 60 के दशक के 6,000 की आमदनी को आय-कर के जाल में शामिल किया था तब सभी लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि छूट की सीमा बढ़ायी जानी चाहिए और यह सीमा केवल 15,000 तक ही नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इस समय है। जब मेरे सम्माननीय पूर्ववर्ती मंत्री श्री वेंकटरमन ने इस सीमा को बढ़ा कर 150,00 कर दिया तो इसकी बहुत

अधिक प्रशंसा हुई थी और इसकी केवल बढ़ाई ही नहीं की गई थी कि रियायत की सीमा को और आगे बढ़ाने की मांग थी। इसलिए यदि अधिक से अधिक लोगों को करों में छूट देने का रुख बना रहता है तो निश्चित रूप से राज्यों के शेयर में कमी आयेगी परन्तु इस बार, आप इस बात की सराहना करेंगे कि मैं इस रुख को पलटने की कोशिश कर रहा हूं, फलस्वरूप मैंने पहले स्लेब में करों की दरों में जो छूट दी है और मानक छूट को बढ़ाया है इससे उन्हें घाटा होगा।

दूसरा मुद्दा राज्य की आवश्यकताओं के बारे में है,—आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हम अनजान नहीं हैं—इनके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है। जब मैंने घाटे का दायित्व उठाने के बारे में फैसला किया था जो 31-3-1982 को 1,743 करोड़ रुपया था, तब मैंने नहीं सोचा था कि इससे मेरा अपना घाटा बढ़ जायेगा जिसके लिए सदन में मेरी आलोचना की गई है। यदि आप सीधे तौर पर इसे प्रतिशत के रूप में लें, तो मेरे विचार से इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन यदि आप इसमें 1,743 करोड़ रुपए कम कर देते हैं तब आप पाएंगे कि यह 14 प्रतिशत या इसके आसपास रह गयी है। लेकिन मैंने इसका दायित्व लेना था और मैंने अपने बजट-भाषण में इस बात की घोषणा की कि हम राज्यों को 1600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि देने जा रहे हैं जो योजना के समय की योजनाओं को चलाने के लिए की गई अपेक्षा से अधिक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि 97 करोड़ के कुल राजस्व में 51 प्रतिशत से कुछ अधिक राज्यों को चला जायेगा और योजना का कार्यान्वियन राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा और राज्य इसे लागू करने के स्थिति में होने चाहिए। इसलिए हमारा यह कतई खयाल नहीं था कि अपनी कर योजनाओं में अथवा अपने कर प्रस्तावों में हम राज्यों को उनके वैध शेयर से वंचित रखें, और विशेष रूप से पिछले दो या तीन वर्षों में यानि 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राज्यों के योगदान में वृद्धि हुई है और मुझे इस बात का ऐहसास है कि उनके भावी कार्यक्रम का खयाल रखना अब सम्भव होगा। केवल इतना ही नहीं, हम और भी अनेक रियायतें दे रहे हैं, हम उनकी जरूरतों को ध्यान में रख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अतिरिक्त करों की सूची को क्यों नहीं बढ़ाते हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आपको याद होगा पिछले साल मैंने इसमें 35 करोड़ की वृद्धि की थी। मैंने सोचा है इसमें कुछ और वृद्धि की जाए।

दूसरे जिस क्षेत्र में मेरे प्रस्ताव की आलोचना हुई है वह संगठित पक्ष है जिसमें मैंने ग्रामीण विकास के नाम पर दी जाने वाली रियायतों को वापस ले लिया है, यहां पर मेरा प्रश्न सरल है, ग्रामीण विकास का मूल उत्तरदायित्व भारत सरकार और राज्य सरकारों का है। यदि संगठित क्षेत्र इसमें योगदान देता है तो मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें क्या अनुभव हुआ है ? महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं को सक्षम ऐजेंसियों ने मंजूर किया

था उसमें से केवल 6·2 करोड़ अथवा 6·3 करोड़ रुपए वास्तव में खर्च किए गए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जहाँ पर परियोजनाओं को मंजूर किया जाता है और ऊंची-ऊंची उड़ाने भरी जा रही हैं लेकिन उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया जाता है । यदि वे योगदान देना चाहते हैं, मैं उन्हें योगदान देने से वंचित नहीं रखता हूं । मेरा तो यह सुझाव है कि यदि आप कोई योगदान देना चाहते हैं तो आप एक कोष में अपना योगदान जमा करें, इसका निर्माण किया जायेगा ।

मेरे पुराने मित्र श्री बरोट ने दुरुपयोग होने की आशंका प्रकट की है, मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि दुरुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है । जब इस कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है तो मैं संसद के सामने आऊंगा और उसके सुझाव तथा उसकी मंजूरी प्राप्त करूंगा । इसकी जाँच होगी, यहां तक कि हम प्रधान मन्त्री के राहत कोष से हम राजनैतिक दलों को सहायता नहीं दे सकते हैं । इसलिए यह एक ऐसी नियमित प्रणाली है जिसमें इसे काम करना होगा । यदि कोई आशंका है तो वह हल सुझा सकते हैं और हम इसमें सुधार कर सकते हैं । (व्यवधान) मैं पीछे नहीं हट रहा हू, हमें इस मामले में मतदान भी कराना होगा, बात यह है कि मैं संगठित क्षेत्र के ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में शामिल होने के अधिकार से इन्कार नहीं कर रहा हूं । यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं । मैं तो उन्हें सदन के माध्यम से यह आश्वासन भी देता हूं कि उन्हें अपनी पसन्द का कार्यक्रम चुनने हैं और जिन क्षेत्रों में वे काम करना चाहते हैं उनका चयन करने की उन्हें पूरी छूट है, लेकिन इस काम में उन्हें केवल छूट मिलेगी मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार की स्थिति पसन्द नहीं करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भुगतान की बकाया राशि और ऋण के बारे में चिन्ता प्रकट की है । तथा उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के बारे में अपने ठोस विचार व्यक्त किए हैं तथा अपना विरोध प्रकट किया है । मैं बिलकुल सीधे और स्पष्ट रूप से यह प्रश्न पेश कर रहा हूं । उन्होंने कहा था कि हमें अनिवार्य क्षेत्रों में राजसहायता कम करनी पड़ी है । परन्तु वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा ? पिछले तीन वर्षों में हमने राजसहायता में वृद्धि की है या इसमें कटौती की है ?

एक माननीय सदस्य : उर्वरक पर ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हमने वृद्धि की है । हमने इसमें कटौती नहीं की है । आंकड़े उपलब्ध हैं । खाद्यान्न पर राज सहायता में वृद्धि की गई है, उर्वरक पर राज सहायता में वृद्धि की गई है ।

वे यह भी कर रहे थे कि हमें आयात करना पड़ा था और देश में ढेर लग गया था । उन्होंने मेरी इस बात के लिए आलोचना की थी कि सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क में दो बार वृद्धि क्यों की है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने आलोचना नहीं की होगी परन्तु अन्य सदस्यों ने की है। और आप सभी विरोधी पक्ष में आते हैं। हम जो कुछ कहते हैं आप उसका विरोध करते हैं।

तीसरी बात यह थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त इस बात को जानते हैं कि निगमित क्षेत्र में औद्योगिक विकास में कुल पूंजीनिवेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कुल योगदान दो प्रतिशत से भी कम है यदि आप उत्पादन की बात करते हैं तो मैं इसके भी आंकड़े दे सकता हूं और ये बहुत अधिक नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि हमने अपनी नीति को उदार बना दिया है। हमने इसे कब उदार बनाया? पिछली बार मैंने इस विषय में बताया था और आप सहमत हो गए थे। प्रश्न यह है कि वे इस बात का अनुमान लगाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तें क्या होंगी और उसके अनुसार वे अपनी नीतियां बनाते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि प्रधान मन्त्री की निर्गुट सम्मेलन में आर्थिक घोषणा और प्रेस सम्मेलन में विरोध है। स्पष्टतया कोई विरोध नहीं है। जब श्री वेंकटरमण ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली बैठक में भाग लिया था तो उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। जब पिछले वर्ष मैं अन्तरिम समिति को सम्बोधित कर रहा था तो मैंने भी यह बात उठाई थी कि विकासशील देश विकास के प्रत्यक्ष जैकेट सूत्र को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्येक देश का अपना लोकाचार, अपना सामाजिक-आर्थिक बंधन है और यदि आपके पास विकास का एक साधारण आदर्श नमूना है, जोकि वाणिज्यिक ऋण पर निर्भर करता है, तो विकासशील देश इसे स्वीकार नहीं कर सकते और अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिएं जिससे विकासशील देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसमें कोई नई बात नहीं है। श्री वेंकटरमण ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्वबैंक के गवर्नर से इस मामले को उठाया था। मैंने इस प्रश्न को स्वयं उठाया है, हमारे वित्त मंत्री ने इस प्रश्न को सभी अन्तर्राष्ट्रीय तरीकों से उठाया है।

श्री बहुगुणा यह जानना चाहते हैं कि हमें क्या दण्ड भुगतना पड़ेगा। मैंने कई बार बताया है कि हमें कितना दण्ड भुगतना पड़ेगा। मैं सदन में कई बार बता चुका हूं कि जिस स्थिति से हमें गुजरना पड़ेगा उस पर हमें ध्यान रखना होगा। बकाया अदायगी की स्थिति की जानकारी आपको है, और इस समायोजन कार्यक्रम के कारण इस वर्ष क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैंने अपने बजट भाषण में बताया था कि विदेशी मुद्रा के भण्डार से धनराशि नवम्बर के महीने तक लगभग 170 करोड़ रुपए प्रतिमास इसमें से कम हुए हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि पूरी तरह स्थिति बदल देंगे। परन्तु हम इस योग्य हो जाएंगे कि विदेशी मुद्रा भण्डार से कम धनराशि लेनी पड़ेगी और दिसम्बर और जनवरी में इसमें से धनराशि कम होने के बजाय लगभग 200 करोड़ रुपए

की इसमें वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप हम इस योग्य हो गए हैं कि इसमें से धनराशि लेना बन्द हो गया है और कुछ थोड़ी सी धनराशि जमा हुई है। मैंने इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण को नहीं जोड़ा है अन्यथा कोई खड़ा होकर यह कहेगा कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक ऋण लिया है। संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि मध्यावर्ती समायोजन करने के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाना पड़ेगा और हमने यह लाभ उठाया है और समायोजन का प्रयास किया है। यह कहना गलत है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए हमने बड़े पैमाने पर व्यवस्था नहीं की। हमने आयात प्रतिस्थापन के लिए हमने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की है। सीमेंट का आयात कम किया गया है, पैट्रोलियम के मामले में निर्भरता में 23 प्रतिशत की कमी हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल्य भी कम हो रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बाद की बातें हैं। मैंने आपकी टिप्पणी सुनली है। बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ है, आप मुझे भविष्यवाणी करने वाला समझते हैं। अच्छे समाचार के लिए आप धैर्य रखिए। आप यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी उत्तरी समुद्री तेल के मूल्य में कटौती की है। यद्यपि उन्होंने मूल्य कम कर दिए हैं, मैं उनसे कुछ नहीं ले रहा हूं। यदि उन्होंने हमें कुछ दिया होता तो मैं प्रसन्न होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या जो हमें दे रहे हैं, उन्होंने भी मूल्य कम किए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं यह बताना चाहता हूं कि उर्वरक, सीमेंट और पैट्रोलियम के मामले में जो हम दूसरों पर निर्भर करते थे उस निर्भरता में कुछ कमी हुई है। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कह सकता हूं कि तेल क्षेत्र में लगभग 4500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह 10000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगा।

पर्याप्त मात्रा में तेल के उत्पादन और पैट्रो-कैमीकल्स पर आधारित उद्योगों में कमी के कारण देश को 1985 के बाद इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अतः आयात प्रतिस्थापनों और निर्यात में वृद्धि हो रही है। परन्तु कठिनाइयों के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं।

जो प्रश्न उठाए जा चुके हैं, मैं उन पर विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा निर्धारित समय लगभग समाप्त होने वाला है··· (व्यवधान) शायद, श्री सोमनाथ चटर्जी यह नहीं जानते हैं कि रेल मंत्रालय मेरे साथी और मुझ में थोड़ा ही अन्तर है। हम जो कुछ करते हैं—वह कभी-कभी करते हैं—यह वित्त विधेयक के समय करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के तेल के बारे में मैं आपको खुशखबरी दूंगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि 14-15 फरवरी को मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य

नीति लागू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य, जिसकी ऊर्जा मन्त्री ने तुरन्त ही सदन में व्याख्या की थी, यह सुनिश्चित करना था कि निर्धन तथा कमजोर वर्गों को तेल की सप्लाई रियायती दरों पर हो और इसके साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा तेल में एच०एस०डी० की मिलावट को बन्द किया जा सके, उस समय यह समझा गया था कि इसके लागू होने से मिट्टी के तेल का सार्वजनिक वितरण प्रभावशाली होगा। इसी वजह से, योजना की घोषणा के तुरन्त बाद नागरिक संभरण विभाग के सचिवों की बैठक बुलाई गई थी। उस समय यह स्वीकार किया गया था कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर मामले की 1 महीने के बाद पुनरीक्षा की जाएगी। तदनुसार, मामले की पुनरीक्षा के लिए राज्यों के नागरिक संभरण सचिवों की 15 मार्च 1983 को पुन: बैठक बुलाई गई। आम राय यह थी कि जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पर्याप्त रूप से कारगर नहीं बनाया जाता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, नई योजना, बहुत ही अधिक प्रशसनीय है, लागू करने से उन लोगों को असुविधा होगी जिनके लिए यह बनाई गई है।

सरकार को नई योजना लागू होने से असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे कदाचार की भी जानकारी मिली है, जिसकी वजह से कृत्रिम अभाव तथा कालाबाजारी को बढ़ावा मिला है। उक्त बातों को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि मिट्टी के तेल की एकल मूल्य प्रणाली को तुरन्त पुनः लागू किया जाए···**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ···**(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी : जहाँ तक मूल्य का सम्बन्ध है यह 10 पैसा प्रति लीटर की थोड़ी सी वृद्धि के साथ पिछले राजसहायता प्रदत्त मूल्य जैसा होगा। सरकार को आशा है कि इसके परिणामस्वरूप मिट्टी का तेल निर्बाध रूप से उपलब्ध होगा, खासतौर पर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को।

ऊर्जा मंत्रालय में अपने साथी की ओर से मैंने यह जो घोषणा की है, इससे यह भी जाहिर होगा कि सरकार न केवल इसके लिए उत्तरदायी है अपितु लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उसकी सहानुभूति भी है। इसके लिए मैं विपक्ष के सदस्यों तथा साथ ही सरकारी पक्ष के सदस्यों को अवश्य श्रेय देना चाहूंगा क्योंकि दोनों ओर से जो कहा गया उसमें कोई अन्तर नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की सर्वसम्मत मांग को स्वीकार कर सका हूं।

14.50

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन् हमने यह निर्णय भी लिया है कि मिट्टी के तेल के प्रयोग के विकल्प के रूप में सोफ्ट कोक प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की जाए और ऊर्जा मंत्रालय में मेरे साथी इसकी जांच करेंगे।

श्रीमन्, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा और यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो कहूंगा कि हमें अपने किसी मुद्दे के कोण विशेष से अपने स्वयं के विचारधारा के अनुसार निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं अपने पुराने मित्र श्री सतीश अग्रवाल को बधाई दूंगा। जिस दल से वह सम्बन्धित है, वह प्रत्येक मुद्दे पर पूर्णतः हमारा विरोध करता है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि अपने बजट में जो प्रस्ताव मैंने शामिल किए हैं उनमें से कुछ लोक लेखा समिति की सिफारिशों में से लिए हैं और उन्होंने इसकी सराहना की है। उन्होंने इन भत्तों के दुरुपयोग की आलोचना की है न्यूनतम करों की अवधारणा के सम्बन्ध में किसी ने, खास तौर पर मेरे मित्र श्री मगनभाई बारोट ने यह विचार व्यक्त किया है कि हो सकता है उनमें से कुछ ये न दें। मैं विस्तार से योजना की चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल उतनी ही कटौती, जिसके लिए वे अधिकृत होंगे, वह मूल्यह्रास की है और उसके पश्चात् हम न्यूनतम निगमित कर लेने को कार्यान्वित करना चाहेंगे। और यह बहुत अधिक नहीं है और मैं इस सदन के माध्यम से खासतौर पर बाहर जनता के लिए यह चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर वाद-विवाद नहीं हुआ लेकिन उस सम्बन्ध में हम व्यग्र थे, और शीर्ष आलोचकों ने यह उल्लेख किया है—सदा आलोचक का निर्णय ही अन्तिम होता है। यह बात मैं स्वीकार करता हूं।

आलोचक का निर्णय ही कैसे अन्तिम होता है, इस बारे में एक कहानी बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दो शिकारी शिकार करने के लिए गए। वहाँ एक बतख उड़ रही थी और उनमें से एक ने उस पर निशाना लगाने की कोशिश की लेकिन उससे पहले दूसरे चतुर आदमी ने बतख को गोली मार दी और बतख गिर गई तब स्पष्टतः आलोचक को अपने मित्र से कहा होगा—'तुमने अपना बारूद क्यों बर्बाद किया?' दूसरे ने उत्तर दिया, 'मैंने निशाना मारा और पक्षी को मार गिराया।' तब आलोचक ने कहा, 'ठीक है, यह आप अन्यथा भी उसे प्राप्त कर सकते थे क्योंकि यदि पक्षी स्वयं गिर गया होता तो भी उसे मार दिया गया होता। आपने अपना बारूद बर्बाद किया है।' इसलिए आप भी यह रुख अख्तियार कर सकते हैं कि इस देश में उन उपायों के बिना भी, जो किए गए हैं, कुछ विकास हो जाता। लेकिन वह सही नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ उपाय गलत हो गए हैं। मै यह नहीं कहता कि वे न किए गए होते क्योंकि प्रस्तुत स्थिति में अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी यदि आप योजना की रक्षा करना चाहते हैं—और मुझे आशा है कि हम ऐसा कर सके हैं और हम इसे कायम रखने में सफल होंगे—इसके लिए मुश्किल से ही कोई विकल्प होगा। मैं 'हेमलेट' से एक उद्धरण देता हूं जिसमें कहा है। यदि मैं आपके प्रति निर्दयी होता हूं तो केवल दयावान बनने के लिए। धन्यवाद!

श्री मगन भाई बरोट: महोदय मैं······

———

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), १९८३-८४

अध्यक्ष महोदय : अब मैं लेखानुदान (सामान्य) मांगों—1983-84 को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि मांग संख्या 1 से 109 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शायी मांगों के शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार लेखानुदान की मांगें (सामान्य), 1983-84 स्वीकृत हुईं ।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९८३

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रणब मुखर्जी : अब मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी जब जवाब दे रहे थे तो मैं इस बात की आशा कर रहा था कि भारत सरकार के कर्मचारियों के बारे में ये जरूर कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन मुझे निराशा हुई।

सरकार ने चतुर्थ पे कमीशन गठित करने की घोषणा की है जिसका पूरे देश में 16 मार्च को विरोध किया गया, कर्मचारियों ने अपनी सभाएं करके इसका विरोध किया। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिए उनके पे-रिवीजन और उनकी दूसरी मांगों के बारे में निर्णय करे। यह जो सरकार ने चतुर्थ पे-कमीशन बनाने की घोषणा की है, इसको वह वापस ले।

कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दो किश्तें बकाया पड़ी हैं। उनके बारे में भी मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा कि वे कब तक उन्हें दे देंगे। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे कब तक मंहगाई भत्ते की किश्त कर्मचारियों को देना चाहते हैं? इसकी घोषणा करें।

फिर बोनस का सवाल है। इसके लिए भी आन्दोलन चल रहा है। इसी बोनस के सवाल को लेकर पिछली बार एशियाड के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों ने आन्दोलन चलाया था। उस समय कुछ कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए थे। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आन्दोलन बन्द कर दिया था। मन्त्री जी ने उनको कहा था कि वे वित्त मन्त्री जी को सलाह दे रहे हैं और लिख रहे हैं। लेकिन वित्त मन्त्री जी ने यह भी नहीं बतलाया कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस देंगे या नहीं। यह सरकार जानती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में मुनाफा हुआ है, फिर भी वह चुपचाप बैठी है।

शहरों में सेन्सस, मर्दमशुमारी 1981 में हुई थी। उसको दो साल से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक शहरों के वर्गीकरण की कोई घोषणा नहीं की गई है। अगर यह घोषणा कर दी जाती है तो हाउस रेन्ट अलाऊन्स और सिटी कम्पेन्सेटरी अलाऊंस से कुछ सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिस फायदे से सरकार उनको महरूम कर रही है।

एक बात मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन के बारे में उठाना चाहता हूं। आप एक लाख से ज्यादा स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए मंहगाई के अनुसार मंहगाई भत्ता आप

बढ़ाते रहते हैं लेकिन स्वतन्त्रता सेनानियों को आपने तीन सौ रुपए महीना देकर के छोड़ दिया है। इसके बारे में भी आवाज उठ रही है कि उनकी भी राशि बढ़ाकर के पांच सौ रुपए महीना जरूर की जाए। इसलिए मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए।

फिर भूतपूर्व संसद सदस्यों को दी जाने वाली पेन्शन का सवाल भी पिछले साल उठा था। उनके बारे में भी आप चुपचाप शान्त बैठे हैं। उनको आप साढ़े तीन सौ से पांच सौ रुपए महीना पेन्शन देते हैं। मैंने पिछले साल भी माँग की थी कि इनको कम से कम सात सौ रुपए महीना पेन्शन दी जाए।

अध्यक्ष जी, देश में खाद्य संकट भी भयंकर है। देश में भयंकर सुखाड़ की स्थिति है। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की आबादी 6 करोड़, 98 लाख यानी 7 करोड़ है। वहां की माहवारी आवश्यकता डेढ़ लाख टन चावल और गेहूं की है, आप उनको दे रहे हैं केवल 65 हजार टन।

सात करोड़ लोग आज भी सूखे और भुखमरी की स्थिति में कैसे रह सकते हैं। उनको एक महीने में 40 हजार टन चीनी चाहिए और आप 29675 टन दे रहे हैं। उनको प्रतिमाह 30 हजार टन किरासन तेल चाहिए और आप दे रहे हैं 23750 टन। उनको सीमेंट प्रतिमाह 5 लाख टन चाहिए और आप 12910 टन दे रहे हैं। ये सारी चीजें उनको आवश्यकता के मुताबिक मुहैया कराई जाएं ताकि वे भुखमरी की स्थिति से निकल सकें।

एक बात नहरों के सिलसिले में कहना चाहता हूं। सिंचाई की कमी की वजह से ही कई हिस्सों में अकाल पड़ता है। बिहार में सोन और त्रिवेणी नहरें हैं लेकिन उनमें मिट्टी बहुत जम जाने के कारण पानी कम आता है। नहरों के रीमाडलिंग के बारे में एक प्रश्न के जवाब में इस सदन में बताया गया था कि इस योजना पर विचार किया जा रहा है। अभी तक इस योजना के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

इसी तरह से देश में दालों की कमी है। बिहार में भी दालें कम पैदा होती हैं। यदि फतुहा-मुकामा-बड़हिया टाल परियोजना लागू कर दी जाए तो पूरे बिहार को दाल सप्लाई की जा सकती है।

श्री बंसीलाल (भिवानी) : राज्य के सम्बन्ध में बात करने पर आप थोड़ी देर पहले एतराज कर रहे थे ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कह रहा हूं कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा दिया जाए।

अगली बात मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ये क्या कर सकते हैं। जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : गांधी सेतु बन गया है। इसकी वजह से पटना शहर में आवागमन बहुत बढ़ गया है। बिहार सरकार कहती है कि बिना केन्द्र सरकार की मदद के फ्लाई ओवर नहीं बन सकता। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने पुल बनवाने में मदद दी है उसी तरह से फ्लाई ओवर बनाने में भी बिहार सरकार की मदद की जाए ताकि वहां पर आवागमन के साधनों को ठीक करने में मदद मिल सके।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो देश के 52 प्रतिशत लोगों से सम्बन्धित हैं। ये लोग पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं। इनके सम्बन्ध में स्वर्गीय बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में जो आयोग नियुक्त हुआ था उसने इनके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट किया था। उसके सम्बन्ध में इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है। उसको लागू करने की बात इस बजट सेशन में की जाएगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे। अभी तक वह लागू नहीं हुई है। इसकी वजह से आज 52 प्रतिशत जनसंख्या निरुत्साहित हो रही है। वे निराश हो रहे हैं। इसलिए निराश हो रहे हैं कि सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। उनके अंदर मंथरावाद की भावना पैदा हो रही है—कोई नृप होय हमें का हानि, चेड़ि छोड़ कहायब न रानी। इसकी वजह से देश की उन्नति में इतनी बड़ी जनसंख्या योगदान नहीं दे पा रही है। ये पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उनको उचित आरक्षण देने की व्यवस्था करें। सरकारी सेवाओं में उचित आरक्षण दिया जाए।

दूसरी बात मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल सीमा पर तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकने के लिए आपके पास कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। करोड़ों की बात मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। गांजा नेपाल से पहुंचाया जाता है और इसकी तस्करी हिन्दुस्तान में होती है। अगर इस तस्करी को सहना ही है तो इसका लाभ हिन्दुस्तान के लोगों को ही दे दें, तो इसमें क्या हर्ज है। आखिरकार उसकी खपत हिन्दुस्तान में ही होती है लेकिन इसका लाभ नेपाल के लोगों को दे रहे हैं। इसमें क्या औचित्य है ?

ऊर्जा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां ऊर्जा की कोई दूरगामी नीति नहीं है। हमारी सारी शक्ति परमाणु के खंडन की ओर ही लगी है। आप यह सोचते हैं कि परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक है जिससे संसार में जाना जाए। हमारी टैक्नोलाजी बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में है। दूसरी बात आप यह सोचते हैं कि परमाणु भंजन ऊर्जा का अक्षय भंडार है, जो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो फाल्स प्रेस्टिज के आधार पर है और दूसरी बात यह कि परमाणु के भंजन में अक्षय ऊर्जा है, है तो सही, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। इसलिए, हमें ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए।

आज देश में गन्ना किसानों की हालत बहुत खस्ता हो रही है। गन्ना भी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जिस प्रकार गन्ने से चीनी, छोआ, गुड़ बनते हैं उसी प्रकार

गुड़ से अल्कोहल बनाया जाए और उसको पावर अल्कोहल के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

15 07

[श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए]

कुछ दिन पहले हैदराबाद में रीजनल लेबोरेटरी के प्रांगण में एक सेमिनार हुआ था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स बैंगलोर और रीजनल लेबोरेटरी हैदराबाद और आई० आई० टी० मद्रास के लोगों ने भाग लिया था। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश के नवयुवकों को अधिक रोजगार उपलब्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको उद्योग में ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना तैयार की जाए। वह योजना तैयार हुई और जिसका "साईन्स एण्ड टैक्नोलाजी एन्टरप्रिन्योर पार्क" अथवा "स्टेप" नाम रखा गया। मैं समझता हूं इसके लिए साईन्स एण्ड टैक्नोलाजी विभाग ने काफी राशि का प्रावधान भी किया है। मैं यही कहना चाहता हू कि इसमें नए ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है जिससे वे उद्योग धंधे में लग सकें और उसे भली प्रकार चला सकें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : वह क्या है ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से मुझे यह आशा नही थी कि आप इस प्रकार बोलेंगे। मैंने बता दिया है कि इसमें नए ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। इससे लाभ यह होगा कि आपको नौकरियां देने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, वह स्वयं रोजगार पैदा करेंगे और दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। इस सम्बन्ध में बिहार राज्य ने बहुत पहले पहल की थी, 1974 या 1975 में उन लोगों ने, बिहार के कुछ इंजीनियरिंग कालेजों के सहयोग से कुछ इसी प्रकार की योजनायें चालू की थीं उसमें उचित धन न रहने के कारण यह योजना चारों तरफ नहीं चली। लेकिन रांची में बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी के सहयोग से यह योजना चली और 16,17 लाख रु० के प्रोवीजन से यह योजना बहुत सफल चली और 40 इंजीनियर्स रोजगार में लग गए। इसलिए आप साइंस एण्ड टैक्नालाजी ऐंटरप्रीन्योरशिप की योजना दक्षिण में चलाने की जो सोच रहे हैं उसको उत्तर में भी चलायें और खासकर बिहार की तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि वह पिछड़ा हुआ है और वहां सारे खनिज पदार्थ भी हैं। और रांची तो उसका सेन्टर है। इसलिए बिहार में रांची को उस योजना के अन्तर्गत आप ले लें तो हमारे राज्य का तो भला होगा ही, उससे देश का भी भला होगा।

ऊर्जा के बारे में एक बात और ध्यान देने की है। कोयले का मुख्य स्थल बिहार है और उसमें भी धनबाद प्रमुख केन्द्र है। इसलिए कोयले के उत्पादन और वितरण में जो आधुनिकीकरण हुआ सोचा गया कि इससे सुविधा बढ़ जाएगी और वितरण में भी सुविधा होगी। लेकिन हुआ उलटा, उससे कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि कोयले की कीमत ही बढ़ी है

श्रौर लोगों को कोयला प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है क्योंकि कोयले के परमिट बिचौलिये उपलब्ध करा कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तो इसको भी सरल कीजिए ताकि लोगों को लाभ हो।

मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मेरे मान्य हों उनको श्राप माप मान लें।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रनेक मुद्दे उठाए गए हैं श्रौर इस प्रकार की चर्चा में यह उचित ही है। सामान्य प्रथा के अनुसार, मैं श्रपने मंत्रालय से सम्बद्ध मुद्दों पर बात करूंगा श्रौर शेष को मैं सम्बद्ध मंत्रालय के लिए छोड़ दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री द्वारा दो मुद्दे उठाए गए हैं--एक महंगाई भत्ते के विषय में श्राप दूसरा स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में। मैं इन दानों पर अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं।

जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से श्रवगत हैं, यह प्रश्न सभा में पहले भी उठाया गया था श्रौर मेरे साथी, गृह मन्त्री, ने श्रभी-श्रभी मुझे सूचित किया है कि सरकार इसके विभिन्न पहलुश्रों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

मंहगाई भत्ते की समस्या के सम्बन्ध में, मैंने पहले ही उत्तर दिया था कि दो किश्तें देय हो गई हैं श्रौर हमें उन्हें जारी करना होगा। मैंने बजट में भी कुछ प्रावधान किया है। हम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं श्रौर हम इस पर विचार कर रहे हैं।

दूसरे मामलों के सम्बन्ध में, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, मजूरी ढांचे श्रौर श्रन्य बातों की पूरी समस्या को सुलझाने के लिए चौथे वेतन श्रायोग की स्थापना कर दी गई है। माननीय सदस्य के अपने विचार हैं श्रौर हमारे श्रपने······

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : प्रत्येक विरोध कर रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

15.15

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रतः, मैं इस पहलू पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। श्री मेहता श्रौर श्री शास्त्री द्वारा तस्करी का प्रश्न उठाया गया है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने प्रवर्तन तंत्र को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं श्रौर मुझे आशा है कि इससे समस्या सुलझ जाएगी। मैं सभी क्षेत्रों का सहयोग चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकलने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९८२–८३
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९८०–८१

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। मद संख्या 14 और 15 पर एक साथ चर्चा होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या—1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,

39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 106, 107 और 108.

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या—11, 17, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 50, 53, 55, 81, 83, 84 और 91.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मेरा व्यवस्था का प्रश्न संविधान पर आधारित है। कृपया दो मदों को देखिए—अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)। कृपया अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1982-83 की सूची लीजिए। कृपया देखिए वहां क्या दिया हुआ है। 'कृषि मंत्रालय' के अन्तर्गत उन्होंने कतिपय मदों और लेखों का उल्लेख किया हुआ है। अब कृपया संविधान देखें, क्योंकि प्राधिकारी संविधान है—अनुच्छेद 115, जो एक मात्र अनुच्छेद है जो ऐसी मांगों की अनुमति देता है। इसके अनुसार :

"(क) अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार निर्मित—किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है...तो राष्ट्रपति..."

इसलिए, किसी विशेष सेवा के लिए कतिपय राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, जो अपर्याप्त है। इसलिए, वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसे आना चाहिए।

"....अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हैं।"

मैं अनुपूरक अनुदानों पर बात कर रहा हूं। इसलिए अनुपूरक अनुदान की मांग के लिए दो आकार बनाए जा सकते हैं। एक यदि किसी विशेष सेवा के लिए व्यय अपर्याप्त पाया जाए अथवा अपर्याप्त पाया जाता है परन्तु उसके लिए कोई विनियोग नहीं किया गया है अथवा पूर्णरूप से नई सेवा पर विचार किया जा सकता है जिस पर न तो विनियोग विधेयक में अथवा बजट की अनन्तिम अनुदान द्वारा कोई विचार नहीं किया गया हो। कृपया अनुपूरक मांगों को देखिए। सभा को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है।

अनुपूरक मांगों की सूची है। यह दो में से एक हो सकती है और कुछ नहीं। फिर, महोदय, क्या हुआ? 'तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक सभा में ऐसी अधिकाई के लिए मांग उपस्थित कराएगा। अब, कृषि और सहकारिता विभाग यह नहीं कहता कि क्या यह नई सेवा है अथवा पुरानी सेवा के लिए अतिरिक्त व्यय। यह नहीं बताया गया है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : प्रश्न क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 115 अनुपूरक मांगों की दो मामलों में अनुमति देता है। कोई तीसरा मामला नहीं है। एक यह कि विनियोग विधेयक द्वारा पहले से प्राधिकृत राशि सेवा को जारी रखने के लिए अपर्याप्त है अथवा आपको नई सेवा के लिए धनराशि चाहिए। इन दो मामलों में से किसी मामले में आप अनुपूरक मांगों के लिए कह सकते हैं। अब, महोदय, किस आधार पर यह कहा जा रहा है? यह बात उस विवरण में होनी चाहिए जो सभा के समक्ष रखा गया है। दिए गए विवरण में यह बात नहीं दी गई है।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने यह पुस्तक नहीं देखी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विवरण नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह एक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आइए हम एक-एक पर बात करें। क्या यह नई सेवा है अथवा क्या यह पुरानी सेवा को जारी रखना है, कोई नहीं जानता।

महोदय, इससे दोनों बातों में से एक तो स्पष्ट होनी चाहिए। इससे या तो स्पष्ट होना चाहिए कि यह उस सेवा के सम्बन्ध में है, जो पहले ही अनुमोदित है या यह नई सेवा के सम्बन्ध में हैं। तत्पश्चात् मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : हमने स्पष्टीकरण दे दिया है। कृपया उसे देखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप व्यग्र मत होइये। जल्दी क्या है। मैं उसका उल्लेख करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति के रूप में आप जानते हैं कि अपराह्न 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बारे में विचार करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर भी दो घंटे शेष हैं। क्या इसे आज ही समाप्त करना है। आप अधीर क्यों हो रहे हैं? मैं नहीं समझ सकता।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि क्या आप सोचते हैं कि जो स्पष्टीकरण दिया गया है। वह संवैधानिक उपबन्धों को पूरा नहीं करता ? तब आप ऐसा कीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज प्रस्तुत कीजिए जो या तो नई सेवा न हो या जिस मांग का प्रस्तुति के समय विनियोजन किया गया था, वह आवश्यकता से अधिक है। आप कृपया मद का नाम बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा, नई मांगें या वैसी ही कुछ बातें। यह अनुच्छेद 115 के अनुसार है, अब आप कृपया इस पुस्तक का पृष्ठ 92 देखिये। उसमें क्या लिखा है ?

"निम्नलिखित मदों पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदान अपेक्षित है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मेरी बात को समझिए। कृपया संविधान देखिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर पढ़िये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं बार-बार पढ़ रहा हूं। विवरण क्या दर्शाता है ? मांगों की सूची के साथ आप उसकी जांच कीजिये।

श्री प्रणब मुखर्जी : मांग यह है, यह मिली-जुली है। आपको ये सारी बातें समझनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं पहली यह है कि जहां तक आवश्यकता का सम्बन्ध है आपको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह नई सेवा के लिए है या पुरानी सेवा के लिए है। फिर दूसरे, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या यह व्यय उस वर्ष के लिए है ? अतः इससे दो बातें पैदा होती हैं। अब, अनुपूरक मांग रखी जाती है। वह लगभग 45 करोड़ रुपए या 41 करोड़ रुपए है। यह वर्ष के दौरान है। कृपया इसे पढ़िए 1 वर्ष के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ गई है, यह उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाया गया है। अब, इसलिए इस वर्ष के दौरान खर्च किया जाना है। अब, उस वर्ष में नई सेवा के लिए कहां से आवश्यकता आ पड़ी है। हम लगभग वर्ष 1983 के मार्च की आखिरी में हैं और यहां यह वर्ष 1982-83 के वित्त वर्ष में है। अब, उन बातों का संकेत कहां है कि यह नई सेवा में है या पुरानी सेवा में है ? उसका संकेत वहां नहीं है। यही कारण है कि मैं निवेदन करता हूं। अतः, मेरा निवेदन है कि उन संकेतों के बिना इस पर विचार नहीं किया जा सकता उन विवरणों को दिया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं यह कहना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य मेरे द्वारा पेश किए गए मूल दस्तावेज को देखें—यह दस्तावेज की प्रति है। उसमें स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। यदि वे दस्तावेज के पृष्ठ 92 को जिस पर आपने उनका ध्यानाकर्षण किया

है । देखें तो माननीय सदस्य स्वयं सन्तुष्ट हो जायेंगे । वे दो आपत्तियाँ उठा रहे हैं कि यह या तो नई सेवा में होना चाहिए या पुरानी सेवा में होना चाहिए और इसे पहले ही मंजूर किया जाना चाहिए था तथा प्रावधान अपर्याप्त है । दुनिया भर की बातें करने के बजाय, वह यह बतायें कि किस खास बात पर उन्हें आपत्ति है जो उन दोनों मानदण्डों के क्षेत्र में नहीं आता है और मैं उन आपत्तियों का उत्तर दे सकता हूं । यदि वे मुझे बतायें, तो मैं उनको जवाब दे सकता हूं । मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं । परन्तु ऐसा करने के बजाय, कृपया पृष्ठ 92 खोलिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक उदाहरण है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : उदाहरण की बात नहीं है । यह उसमें दिया गया है । दूसरी बात जो आपने उठायी है, वह भी संगत नहीं है । हम कभी-कभी अनुपूरक अनुदान लेते हैं, यहाँ तक कि व्यय भी पहले से कर दिया जाता है और, इसलिए आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुपूरक अनुदान हमेशा प्रत्याशित होता है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : बात यह है कि क्या आप उसे 31 मार्च 1983 से पूर्व खर्च कर सकते ? मुझे आशा होती है कि मैं ऐसा कर सकूंगा यदि मैं उसे खर्च नहीं कर सकता तो मुझे सदन में आना पड़ेगा और मुझे सदन को उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा । यदि मैं अधिक खर्च करता हूं तो भी मुझे सभा में आना पड़ेगा तथा उसे मंजूर करवाना पड़ेगा । अतः, यदि आप कहते हैं कि जिन मदों की सूची मैंने बनाई है या इन में यदि कोई एक मद उचित नहीं होती तब मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी ने बात को स्पष्ट कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु, आपने अपना विनिर्णय नहीं सुनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बात पर विनिर्णय चाहते हैं ? उन्होंने आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का स्पष्टीकरण दे दिया है । उन्होंने आपकी बातों को स्पष्ट किया है। क्या आप उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अत्यन्त आदरपूर्वक आप से असहमत हूं । अब, जहाँ तक अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि प्रायः सभी मन्त्रालयों, बड़े मन्त्रालयों ने अनुपूरक मांगें की हैं, वे अनुपूरक मांगें रख रहे हैं । मैं उस पर विवाद नहीं करता हूं अनुपूरक मांगें आवश्यक हो सकती हैं, परन्तु जो बात मुझे कहनी है और जिसका संकेत मैं पहले भी दे चुका हूं, उसे स्पष्ट करना होगा । परन्तु मैं नहीं जानता कि अचानक इतनी बड़ी राशि को खर्च करना सम्भव होगा या नहीं । परन्तु दो पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । यदि मन्त्री महोदय चाहते हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए । एक वर्ष 1982-83 के

अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में है। यदि आप कृपया कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग के बारे में देखें तो वह 45,73,072 रुपए है। उसके बाद अन्य विभाग भी हैं।

अब, यह एक ऐसा वर्ष है जब अधिकांश राज्य सूखे के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देश की हमारी तरफ सूखे की जो स्थिति है ऐसा अनुभव विगत सौ सालों से अधिक के समय से कभी नहीं हुआ था। इसमें सन्देह नहीं है कि राज्य सरकार विशेष सहायता के लिए केन्द्र के पास आने को बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कल भी जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

55वां प्रतिवेदन

श्री काजी जलील अब्बासी (डोमरियागज) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा 15 मार्च 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 55व प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा, 15 मार्च 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 55वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"काम के अधिकार" को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 4 मार्च, 1983 को श्री चन्द्र लाल चन्द्राकर द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे और विचार करेगी :

"बेरोजगारी समस्या का समाधान करने के लिए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह 'काम के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करे।"

श्री चन्द्र लाल चन्द्राकर अपना भाषण आगे जारी करेंगे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार है

"कि बेरोजगारी समस्या का समाधान करने के लिए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह काम के अधिकार को संविधान में, मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि संविधान में हमको बोलने की, लिखने की और पूजा करने आदि की स्वतंत्रता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर आदमी को, इन्सान को, सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर उसको भोजन नहीं मिले, दिन भर काम करने के बाद उसको खाना न मिले तो वह कैसे रह सकता है। कोई एक अच्छा नागरिक भी हो, ईमानदार नागरिक भी हो और वह अच्छा नागरिक रहना भी चाहता है तो भी उसे अच्छा नागरिक रहने के लिए भरपेट भोजन अवश्य चाहिए। अगर उसको यह नहीं मिलता है तो वह गलत काम करने के लिए भी बाध्य होता है। उसे अपने पेट की भूख का मिटाने के लिए गलत या सही कदम उठाने पड़ते हैं।

संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उस समय के संविधान बनाने वालों ने शायद इस बात को अनुभव नहीं किया कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। आप सभी जानते हैं और मैं समझता हूं कि इसके बारे में किसी को भी बहुत अधिक समाधान करने की आवश्यकता नहीं है कि देश में कितने जोरों से बेरोजगारी बढ़ रही है। वैसे तो कई प्रमुख समस्याएं हैं लेकिन आज की परिस्थिति में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई आबादी सब से बड़ी समस्या है। ये दो समस्याए ही देश की सब से बडी समस्यायें हैं। इनमें से भी बेरोजगारी की जो समस्या है, यह बहुत खतरनाक है और यह बहुत उग्र रूप धारण करती जा रही है। इस सिलसिले में मैं अपने विचार रखना बहुत जरूरी समझता हूं। इस प्रस्ताव के जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको हम कैसे हल करें।

आज बेरोजगारी सब तरफ बढ़ रही है। कामदिलाऊ दफ्तर या रोजगार कार्यालय जो देश भर में हैं उनके आंकड़े अगर आप पढ़ें तो उनसे आप पायेंगे कि देश में तीन करोड़, ढाई करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं। आप सभी जानते हैं कि ये आंकड़े कितने सही हैं।

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

सभापति जी, मुख्य बात यह है कि बहुत से लोग जो बेरोजगार होते हैं वे अपना नाम लिखाते ही नहीं हैं। ग्रेजुएट लिखाते भी हैं, उन्हें कुछ समय का, पार्ट टाइम काम करने को मिल जाता है लेकिन स्वाभाविक है कि वे अच्छा काम चाहते हैं। ये आँकड़े सही स्थिति का दर्पण नहीं हैं। यह समस्या आंकड़ों से भी अधिक भयंकर है। इस देश की

जनसंख्या 70 करोड़ है और इसमें 14 करोड़ परिवार हैं। इसमें कुछ लाख परिवारों को छोड़ कर शेष परिवारों में यह समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कुछ बेरोजगार हैं, किसी को वेतन कम मिलता है। वे पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको काम देने के बारे में संसद सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आप सभी जानते हैं कि इस समस्या की वजह से कई और समस्याएं भी खड़ी हो चुकी हैं। बेरोजगारी से तंग आकर कई लोग अपराध करने लगे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए संविधान में काम देने के अधिकार को शामिल कर लिया जाना चाहिए।

बहुत से लोग कहेंगे कि 70 करोड़ आबादी है उसमें प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है। इससे 14 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पड़ेगी जो चुनौती है। लेकिन हमारा देश हमेशा चुनौतियों का सामना करता रहा है। चाहे पुराने समय में संत महात्मा रहे हों या आज के हमारे नेता हों। हमारा देश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानता है। लोग पढ़े लिखे हैं और उनके अन्दर काम करने की इच्छा है। कुछ लोग शारीरिक काम करने के लिए तैयार हैं। कई लोहे के कारखानों और खदानों में काम करना चाहते हैं। कई पटवारी का काम करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती।

शहर के लोग दो-चार दिन में रोजगार कार्यालय जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि उनको नौकरी मिल जाए पर जो गांवों में रहते हैं वे तो एक बार नाम लिखाकर चले जाते हैं और फिर जब तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचता तब तक वे पता करने नहीं आ सकते। करोड़ों की संख्या में इस देश में बेरोजगार हैं। उनको काम करने का अवसर नहीं मिल पाता।

यदि संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था कर दें तब भी कई कानूनी कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने में कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं।

अब समय आ गया है कि कानूनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं। पहली बात तो यह है कि हम संविधान में संशोधन करें कि हरेक व्यक्ति को काम के अधिकार दिए जाएं। मुझे पूरा यकीन है इस संशोधन के लिए दोनों पक्ष के सदस्य समर्थन करेंगे। आज कल बेरोजगारी की समस्या देश के हर परिवार में, हर गांव में और हर जगह व्याप्त है। इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर जो आज गैर-सरकारी रूप में रखा गया है, गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

आप जानते हैं कि आज जो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, वे कब तक धैर्य रख सकते हैं।

एक समय आ सकता है जब वे अपना धर्य खो बैठेंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे देश के लोकतंत्र की नींव पर धक्का पहुंचेगा। इसलिए, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संविधान में संशोधन करने के लिए इस प्रस्ताव का अवश्य समर्थन करें। यदि 500 की आबादी का गाँव है तो वहां 50-60 हो शिक्षित होते हैं और पाँच हजार की आबादी का गाँव हो तो मुश्किल से एक हजार युवक-युवतियाँ ही पढ़े-लिखे होंगे।

हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस प्रकार की है कि जो दफ्तरों में बैठकर नौकरी करना चाहते हैं, वे ही स्कूल और कालेजों से पढ़कर निकलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा प्रणाली में अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। गाँवों में जो स्कूल और कालेज हैं वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ विज्ञान के शिक्षकों की बहुत कमी है। जो विज्ञान के शिक्षक हैं वे गांवों की अपेक्षा शहरों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसलिए जब गांव और शहर के लड़कों को परीक्षा में बैठाते हैं तो शहर वाले ज्यादा पास होते हैं। इन दोनों में कोई समानता नहीं है। हम कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा में बैठाते हैं तो क्या वह समान हैं? गांव में ऊंचे दर्जे की पढ़ाई नहीं होती है इसलिए वहां बेरोजगारी अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि नौकरी के लिए इतिहास, भूगोल मत पढ़ाओ बल्कि उसकी जगह लेथ मशीन या अम्बर चरखा रख दीजिए और उसी तरह से उद्योग लगा दीजिए। आप देखेंगे कि पचास परसेन्ट से ज्यादा लड़के स्वावलम्बी हो जाएंगे। वह खुद अपने आप कमा सकता है। इसलिए स्कूलों में पढ़ाई की प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। वैसे बहुत सी कमेटियां और कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स आयीं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के स्कूलों और कालेजों को 6 महीने, साल भर बन्द भी करके व्यावहारिक शिक्षा दी जाय ताकि वहाँ से निकले हुए बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो इससे बेरोजगारी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। मेरे प्रस्ताव का यही मतलब है कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो आगे चलकर लोकतंत्र प्रणाली को खतरा हो सकती है इसको ध्यान में रखकर हमें आर्टिकिल 19 में जहाँ और मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें काम के अधिकार को भी शामिल किया जाय। हम तो मानते हैं कि जो हिन्दुस्तान में पैदा होता है वह हमारा नागरिक है और इसलिए सबको समान अधिकार देना चाहिए। फिर रोजगार के समान अवसर से कैसे वंचित कर सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव रखा गया है और सदन के सभी सदस्यगण इसका समर्थन करेंगे। जिस समय संविधान बनाया गया था तब इन बातों को नहीं सोचा गया था। लेकिन आज जो देश की आवश्यकता है उसमें बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए जो मेरा प्रस्ताव है मुझे विश्वास है सदन के सभी सदस्य उसको स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय (श्री आर०एस० स्पैरो) : कुछ माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन दिए हैं । श्री भोगेन्द्र झा—उपस्थित नहीं हैं, श्री सत्यनारायण जटिया—उपस्थित नहीं हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि संकल्प में,—

अन्त में यह जोड़ा जाए—

"और चूंकि महिलाओं का नियोजन अनुपाततः तथा अन्यथा भी बहुत ही कम है, इसलिए सभी नौकरियों में कम से कम 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं ।"(5)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के अन्त में यह जोड़ा जाए—

"और इस उद्देश्य के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने वाला विधेयक चालू सत्र में पेश किया जाए ।" (2)

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में,

"कार्यवाही करें" के स्थान पर
"संविधान में समुचित संशोधन करें"
प्रतिस्थापित किया जाए ।" (1)

सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूं जो मेरे माननीय मित्र द्वारा लाया गया है क्योंकि मेरी राय है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि यदि हम इस समस्या को तत्काल नहीं सुलझाते और यदि हम समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं करते तो पूरे राष्ट्र को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

वे कारण क्या हैं जिनसे ऐसी स्थिति आई जिसमें चाहने पर भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है

जहां तक हमें पता है एक समय था जब लोग प्राकृतिक फल और जल का आनन्द लेने के लिए मुक्त थे, जो जीवन की आवश्यकताओं के रख-रखाव के लिए आवश्यक था । परन्तु तदनन्तर, वह स्थिति बदल गई । प्राधिकार वाले लोगों को सत्ता मिल गई और उन्होंने उत्पादन के साधनों को तहस-नहस कर दिया और इसीलिए लोग

घाटे में हैं कि नौकरी कैसे ढूंढे अथवा जीवित कैसे रहें। परन्तु इस स्थिति में हमें याद रखना चाहिए कि हम मानवीय समाज में रह रहे हैं, हेय जानवरों के अन्य समाज में नहीं। हमारे पास जागरुकता का एक स्तर है और जानवरों की जागरुकता के निचले स्तर से ऊंचे स्तर की है। इसलिए, मुझे कहना चाहिए कि सामन्तवादी समाज में जमीन-दारों ने उत्पादन के साधनों को तहस-नहस कर दिया और लोगों से अपने लाभ के लिए काम कराने लगे और पूंजीवादी समाज में भी हम पाते हैं कि लोग उत्पादन के साधनों को हड़प रहे हैं और नौकरी चाहने वाले लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं।

महोदय, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे राष्ट्र का दोहन किया, लूटा और वीर भारतीय उनके विरुद्ध लड़े और अब हमें गांवों में जमींदारों के विरुद्ध लड़ना है और हमें साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ना है और हमें जीवन के विकास की प्रणाली के विरुद्ध लड़ना है। यदि हम इन सब ताकतों से विरुद्ध नहीं लड़ते हैं, जो नौकरी ढूंढ़ने वाले योग लोगों के हितों के विरुद्ध हानिकर हैं, तो हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

महोदय, बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में, हमारे योजना प्रपत्र क्या कहते हैं ? योजना प्रपत्र ने एक नीति का निर्माण किया। मैं यहां पर पृष्ठ 207, पैरा 13·28 से जिसमें योजना आयोग ने रोजगार नीति बनाई है, से उद्धृत करता हूं—

> "हाल के पिछले वर्षों में रोजगार के अवसर चाहे शिक्षित जन शक्ति के लिए अथवा समग्र जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं थे। दीर्घावधि बेरोजगार की स्थिति में भी, जैसाकि ग्राम दर्जा प्राक्कलनों में बताया गया है, स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है। इसलिए, छठी योजना में रोजगार नीति को श्रमिकों के अधिकांश भाग के लिए कम रोजगार को घटाने और दीर्घावधि बेरोजगारी को कम करने के दो लक्ष्य पूरे करने हैं। यद्यपि इन समस्याओं का स्थाई हल केवल तीव्र और रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास के ढांचे में पाया जा सकता है, समन्वित ढंग से विशेषकर कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अल्पावधि में उपयुक्त उपाय भी किए जाने हैं……।"

इस समस्या के हल के बारे में योजना आयोग ने कहा है कि वर्तमान प्राक्कलनों से पता चलता है कि दो वर्षों के मानकों के आधार पर रोजगार में छठी पंचवर्षीय योजना में 4·17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी अर्थात् श्रम बल में वृद्धि से अधिक दर पर अथवा उसी अवधि से 2·50 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि। इस नीति के लिए उन्होंने विभिन्न परियोजनाएं तैयार की हैं और इनका उल्लेख पृष्ठ—पर दिया गया है (व्यवधान) तथापि समय कम होने के कारण मैं उन सब बातों का उल्लेख नहीं कर रहा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने और छठी पंचवर्षीय योजना के 3 वर्ष

व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बेरोजगारी बढ़ रही है और योजना आयोग ने क्या किया है। योजना आयोग ने बेरोजगारों की संख्या का अनुमान दांतावाला समिति के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर लगाया है। दांतावाला समिति गलत है क्योंकि यह समिति देश में बेरोजगारों की कुल संख्या का पता नहीं लगा सकी। दांतावाला समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने अनुमान लगाया कि वर्ष 1980 में बेरोजगारों की संख्या 1296·1 लाख थी और 1985 में यह संख्या बढ़कर 1853·39 लाख हो जाएगी। इससे आप यह कल्पना कर सकते हैं कि इस समस्या का आकार क्या है ? इस समस्या को हल करने के लिए माननीय मन्त्री ने सुझाव दिया है कि कार्य का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में जोड़ा जाना चाहिए। इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने के लिए हमें सामाजिक प्रणाली को तथा आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को बदलना होगा अन्यथा हम उन लोगों की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वित्तीय एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को आन्तरिक मार्किट का विस्तार करने, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने, अपनी अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता पूर्व विकास पर निर्भर करना तथा आयात बन्द करना जैसे आवश्यक कदम उठाने होंगे। हमें अपने आप पर निर्भर रहना होगा।

सभापति महोदय (श्री आर०एस० स्पैरो) : समय बहुत कम है। मुख्य सिफारिशों की मुख्य बातें ही करें।

श्री सुधीर गिरि : मेरे विचार से बेरोजगारी की समस्या को हल करने का केवल मात्र हल विकास की समाजवादी पद्धति को अपनाना है। इसके बिना बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की जा सकती। मैं इस सम्बन्ध में पंडित जवाहर लाल नेहरू के 12 अप्रैल 1936 को लखनऊ सम्मेलन के सम्मुख अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :

"मैं इस बात को मानता हूं कि विश्व की समस्याजों का तथा भारत की समस्याओं का हल केवल मात्र समाजवाद है, और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं ऐसा केवल एक अस्पष्ट मानवीय रूप में नहीं अपितु वैज्ञानिक, आर्थिक अर्थ में करता हूं। तथापि, समाजवाद एक आर्थिक सिद्धान्त से ऊपर है। यह जीवन दर्शन है और इसी रूप में ही यह मुझे अच्छा लगता है। मैं गरीबी, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भारतीय लोगों के नैतिक पतन तथा गुलामी को समाप्त करने का समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई तरीका नहीं देख सकता। इसके लिए हमारे राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचे, भूमि और उद्योग में निहित स्वार्थों को समाप्त करना तथा जमींदारा एवं निरंकुश भारतीय राज्य प्रणाली में व्यापक एवं क्रांतिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा है। इसका अर्थ है, एक अत्यन्त सीमित अर्थ

को छोड़कर निजी सम्पत्ति को समाप्त करना और वर्तमान लाभ प्रणाली के स्थान पर सहकारिता के उच्च आदर्श को स्थापित करना। इसका अर्थ है अन्ततः हमारी प्रवृत्तियों और आदतों तथा इच्छाओं को बदलना। संक्षेप में, इसका अर्थ है एक नई सभ्यता, जो कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था से मूल रूप से भिन्न हो।"

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं अभी अनेक वक्ता हैं। आप मुख्य बातों का वर्णन कर चुके हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं केवल 2 मिनट का समय लूंगा। हमारे संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों वाले अध्याय में हमारे संविधान निर्माता बेरोजगारी की समस्या के प्रति जागरूक थे। वे आय की विषमताओं के प्रति भी जागरूक थे। इसी कारण उन्होंने राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय को सम्मिलित किया। अमरीका में सभी नागरिकों को कार्य का अधिकार दिया गया है। उन्हें कार्य के अधिकार की गारन्टी ही नहीं दी गई है उनको विश्राम तथा मनोरंजन के अधिकार की भी गारन्टी दी गई है। उनकी रहने की समस्याएं, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं, ये सभी बातें इस ढंग से हल की गई हैं कि उनको स्वतन्त्रता दी गई है अथवा उनको इन सभी लाभों का अधिकार दिया गया है। इसके आधार पर मैं सुझाव देता हूं कि एक केन्द्रीय रोजगार निधि का गठन किया जाए जिसमें औद्योगिक नियोजकों, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अंशदान जमा हो।

सरकार पिछले तीन वर्षों के औसत व्यापार के 2-3 प्रतिशत की दर से उपकर लगाने पर भी विचार करे। इस निधि का उपयोग लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर किया जाये।

एक अन्य सुझाव यह है कि कार्य के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किए जाने तक केन्द्र सरकार लोगों को कम से कम पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं एक बहुत ही विशेष विषय का उल्लेख करूंगी। मैं चाहती हूं कि इस संकल्प के अंत में यह जोड़ दिया जाये "और क्योंकि नौकरियों में महिलाओं का स्थान अनुपातिक रूप से बहुत ही कम है इसलिए सभी नौकरियों का 25 प्रतिशत महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाये।" इसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि वर्ष 1951 से संगठित क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिशतता निरन्तर कम हो रही है। पटसन उद्योग से महिलाओं को प्रायः हटा दिया गया है, कपड़ा उद्योग से भी उनको बाहर कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में भी हमने इन बातों पर विचार किया और देखा कि इस बारे में गिरावट की प्रवृति है। यह एक दशक है।

तम्बाकू उद्योग में 5000 महिलाओं की छंटनी की जा रही है। रेलवे और बैंकों में नई मशीने लगाई जा रही हैं उनके कारण भी महिलाओं को नौकरी से हटाया जायेगा। औद्योगिक विस्तार के साथ आप सोचते हैं कि शायद महिलाओं की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है। परन्तु यह सच नहीं है। समय की कमी के कारण मैं आंकड़े पेश नहीं करना चाहती। मैं स्थिति की गम्भीरता को बताने की कोशिश करूंगी। कुछ दिन पूर्व मैंने संसद में प्रश्न पूछा था कि प्रशिक्षु अधिनियम के कार्यकरण की स्थिति क्या है? क्या आप विश्वास करेंगे कि वर्ष 1982 में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत महिला प्रशिक्षुओं की प्रतिशतता केवल 0.9 प्रतिशत थी? यह सरकारी आंकड़े हैं।

अतः आप इस असमानता के बारे में सोचें। महिलाओं को रोजगार देने के बारे में उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की यह स्थिति है। इस सम्बन्ध में समाज का रुख यह है। यह असमानता केवल गैर-सरकारी उद्योगों में ही नहीं बल्कि सरकारी उपक्रमों में भी है। अतः मेरे विचार में स्थिति में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं के लिये 25 प्रतिशत रोजगार के आरक्षण की कानूनी व्यवस्था नहीं कर दी जाती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : 50 प्रतिशत क्यों नहीं?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि आप 50 प्रतिशत आरक्षण की बात स्वीकार करते हैं तो यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। मैंने 50 प्रतिशत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे यह आशा नहीं है कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि महिलाओं के लिए कम से कम 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाए। यह मजाक की बात नहीं है। प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत 0.9 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार या प्रशिक्षुता उपलब्ध की गई है। यह आम स्थिति है। उन्हें रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध कराने, संगठित उद्योगों से उन्हें निकालने से रोकने, सरकारी उपक्रमों में उनके रोजगार की बेहतर प्रतिशत करने के लिए भविष्य में उनके लिए 50 प्रतिशत पदों का आरक्षण अनिवार्य है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस प्रस्ताव के बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अगर राईट टू वर्क को संविधान के अन्दर मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया जाए तो भी यह देखनें की बात है कि क्या हम आज इस स्थिति में हैं, क्या हम इस मौलिक अधिकार का परिपालन करने में सक्षम होंगे? यह सोचने का प्रश्न है। अभी जो स्थिति देश में है, उसमें अभी तक हम इसके लिए सक्षम नहीं हुए हैं। हमें इसके लिए अभी बहुत से रास्ते पार करने हैं, बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। हमको कर्मठ

होकर कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और कठोर निर्णय करने के लिए सब से पहले परिवार नियोजन की ओर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा।

आज परिवार नियोजन का कार्य जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से देश की पार्टियां परिवार नियोजन के कार्य के प्रति कार्य कर रही हैं, परिवार नियोजन के बारे में जिस प्रकार से परिपालन हो रहा है वह बहुत आशानुकूल नहीं है। परिवार नियोजन का कार्य जिस प्रकार से हो रहा है उसको देखते हुए हम अपने देश में कितनी भी पैदावार बढ़ाएं, कितना भी अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ाए उससे इस देश की समस्याओं का हल होने वाला नहीं। अगर हम अपनी जनसख्या को नियंत्रण में करने में सफल नहीं होते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि हमें बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा।

हमने योजनाएं बनायीं। ये योजनाएं हमारी गरीबी मिटाने का एक रास्ता था, हमारी बेरोजगारी मिटाने का एक रास्ता था परन्तु इन योजनाओं के बारे में भी हमने जो संकल्प किए, जो टारगेट्स फिक्स किए, हमने वे टारगेट्स फुलफिल नहीं किए। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट फुलफिल किया लेकिन बाकी किसी पंचवर्षीय योजना का टारगेट फुलफिल नहीं किया। जो काम 5 वर्ष में होना चाहिए था उसमें 7 वर्ष लगे। नतीजा यह हुआ है कि हम 10 वर्ष पीछे रह गए हैं। इसलिए योजनाओं को रियलिस्टक बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार की योजना बनानी होगी जिस प्रकार की हमारी क्षमता है, नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं।

रोजगार देने के सवाल को हमने फण्डामेंटल राइट्स में नहीं माना है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में माना है। अगर इसको फण्डामेंटल राइट्स में मानेंगे तो सबको अधिकार होगा कि वे दावा करके अपना अधिकार ले लें।

आज हमारे देश में 5 करोड़ बेरोजगार हैं। इनको यदि 50 रुपए भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो 95800 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 50 रुपए से वे संतुष्ट भी नहीं हो सकते। 100 रुपए से भी संतुष्ट नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोग तो 400 रुपए में भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें इस समस्या को हल करना है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आई० आर० डी० प्रोग्राम चलाया है। इसके अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 750 करोड़ रुपया राज्य सरकारों की तरफ से और 750 करोड़ रुपया केन्द्र की तरफ से रखा गया है। 3000 करोड़ रुपया बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और समस्या के समाधान में इसका बहुत योगदान होगा। सातवीं योजना में हमें इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करना होगा। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं उनके लिए आई० आर० डी० पी० को विस्तृत बनाना होगा। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। डेडिकेटेड वर्कर्स को काम करना होगा तभी इस समस्या का समाधान हो

सकता है। इसके लिए हम को कुर्बानी देनी होगी, मेहनत करनी होगी। डेजर्ट डेवलमेंट प्रोग्राम एन० आर० ई० पी० जैसे जितने भी प्रोग्राम हाथ में लिए हैं उनको हमें सफल बनाना होगा। हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सभी पार्टियों को संगठित होकर कार्य करना होगा। देश का निर्माण करना होगा। जिस तरह से आजादी प्राप्त करने के लिए कुरबानियां दी गई हैं उसी तरह से आज इन समस्याओं के समाधान के लिए भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। जब पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे तभी जाकर राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह सदन बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों का सदन है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि राजनीतिक आजादी से पूरी आजादी नहीं होगी जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ कहा था—

> उनके अनुसार "आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र के बिना राजनैतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता।"

दीवारों पर लिखा हुआ है सारे हिन्दुस्तान में।

कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके इरादे मजबूत नहीं हैं क्योंकि आपके जो सारे योजना बनाने वाले हैं, उनको, जो गरीबी की रेखा के नीचे 42 करोड़ लोग हैं, खत्म कर देंगे। यह आपको समय बता देगा। बुद्धिजीवियों का कहना है कि नहीं कर सकते। आपको मालूम नहीं कि करने का इरादा नहीं है। सारे बुद्धिजीवी अपने आप में सुखी हैं।

आज देश को आजाद हुए 35 साल हो गए हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तक कोई वित्त नीति नहीं बनी। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, जो ए० आई० सी० सी० के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है।

जिन देशों ने राइट टू वर्क बना लिया है, उनका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं।

अल्बानिया : राज्य नागरिक को काम के अधिकार की गारंटी देता।

बुल्गारिया : काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया है।

मिस्र : काम करना अधिकार है।

जर्मन प्रजातांत्रिक गणतंत्र : काम के अधिकार को गारंटी प्रदान की गई है।

हंगरी : काम करना अधिकार है।

42 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे होने के बाद भी कोई वेतन नीति नहीं बनी है। एक को मिलता है 40 हजार तो दूसरे को 40 रुपया। जब चालीस हजार मिलता है तो कौन कहता है हिन्दुस्तान में कमी है। संविधान के आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

> अनुच्छेद 39(क) : "कि नागरिकों, पुरुषों तथा महिलाओं को रोजी-रोटी के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है।"
>
> अनुच्छेद 41 "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत काम का अधिकार देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा।"

आज आपको मानना पड़ेगा कि जो पूंजीपति हैं उनके घरों में पूंजी चली गई है और कुछ लोग इसलिए गरीब हो गए कि अभी भी हमारा शोषण और दमन की नीति पर समाज चल रहा है। जो शोषण और दमन की नीति पर सरकार चलेगी, वह कभी भी यह इरादा नहीं करेगी कि राइट टू वर्क होना चाहिए। यह कोई नयी बात नहीं है। गांधी जी ने कहा था जो चीजें बड़े-बड़े मंत्रियों और राजा-महाराजाओं के पास उपलब्ध हैं, जब वह गरीबों की झोपड़ियों में उपलब्ध हो जायेंगी तभी मेरा सपना पूरा होगा। सब दो अक्तूबर और तीस जनवरी को राजघाट पर जाते हैं और समाधि पर जाकर प्रार्थना करते हैं।

"वैष्णव-जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे"

आज भी हर साल एक करोड़ 15 लाख आदमी बेकार होते हैं।·· ···(व्यवधान) फैमिली प्लानिंग का इससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि जो हमारे संविधान की भावना है आर्थिक न्याय देने की दृष्टि से इकोनामिक जस्टिस देने की उसको देने का हमारी सरकार का इरादा है क्या ? अगर इरादा नहीं है तो माननीय वीरेन्द्र पाटिल जी 100 बातें कह सकते हैं खड़े होकर। क्या महाराष्ट्र सरकार ने गारन्टी योजना शुरू नहीं की ? फैमिली प्लानिंग के लिए आप कामन कोड क्यों नहीं बनाते। जाहिर है कि ऐसा करने का इरादा नहीं है। झोंपड़ियों में रहने वाले लोग समझने लगे हैं कि गगनचुम्बी मकानों में रहने वाले हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वह इन बड़े बड़े मकानों को ढा देंगे और उस समय कोई नहीं बचा सकेगा। झोंपड़ियों में रहने वाले इस बात को समझने लगे हैं, धरती जिनका बिस्तरा और आकाश चादर है उनमें यह भावना आने लगी है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं। मैं पूछता हूं क्या आप स्वयं सादा जीवन व्यतीत करते हैं ? नहीं। गांधी जी लन्दन में केवल खादी की धोती पहन कर क्यों गए थे ? इसलिए कि उनके दिमाग में यह बात थी कि मैं हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा विक्रमादित्य नदी के किनारे क्यों रहते थे ? औरंगजेब अपनी टोपी खुद बना कर बेचता था और अपनी रोटी कमा कर खाता था। सभापति जी, आप तो जनरल रह चुके हैं, केवल बिल का सवाल है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जगी

हुई जनता प्राप्त की हुई आजादी को भी खतरा पहुचा देगी। जो योजनायें बनी हैं उनका आधार ज्यादातर शोषण रहा है। आपने बिजली पैदा कर के बड़े बड़े घरों में ज्यादा बिजली पहुंचा दी और गरीब के घर में कम पहुंची। तो जो जो काम हमने किए हैं अपने हित में किए हैं, साधारण नागरिक के हित में नहीं। बुद्धिजीवी अपना हित पहले सोचता है। लेकिन अब गरीब अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। भगवान करे उनमें प्रौढ़ शिक्षा हो जिससे वह अपने अधिकार को ले सकें। इस देश में एक को 4,000 रु० मिलें और दूसरे को 40 रु० यह व्यवस्था अधिक नहीं चल सकती है। एक को 40 कैलारीज मिलें और दूसरे को 1,800 कैलारीज यह ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : माननीय सदस्यों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें और एक ही बात को बार-बार न दोहराएं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मुझको बहुत खुशी है अभी डागा जी ने जो लेजिस्लेचर पार्टी के सेक्रेटरी हैं और माननीय चन्दू लाल चन्द्राकर, जो संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों ने अपने विचार रखे, और यही विचार रखे। और इन्होंने यह भी आभास करा दिया सरकार की तरफ से क्या जवाब आ सकता है। और इन्होंने कहा भी कि 1985 निकट है। यदि नहीं किया तो 1985 में उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है।

प्रस्तावक महोदय ने बहुत ही थोड़ें शब्दों में कहा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वह काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल करने की कार्यवाही करे।

उनका एक लाइन का प्रस्ताव है और इसमें सदन को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने चन्द्राकर जी को कहा कि कल या आज जब वोटिंग का मामला आयेगा तो हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन आप ही प्रस्ताव वापिस ले लेंगे। मैं सर्व-प्रथम उनसे आग्रह करूंगा कि भागने का काम नहीं करें और जब प्रस्ताव रखा है तो उस पर सरकार की नियत का भी साफ पता चल जाए, अपोजिशन का भी पता चल जाये और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनकी नियत का भी पता लग जाए। इस प्रस्ताव को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

हमारे माननीय डागा साहब ने महात्मा गांधी का उद्धरण देते हुए कहा कि आजादी तब तक अधूरी है, जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिल जाती। संस्कृत में एक श्लोक है—

"विभुक्षिता किं न करोती पापम्"

भूखा कौन पाप नहीं करता ।

मैं एक किताब पढ़ रहा था, किस की वह थी, यह मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसकी जेल की डायरी में लिखा था कि मैं आज बहुत बड़े ओहदे पर हूं, लेकिन जब जेल में था तो 24 घंटे में वहां दो रोटी मिलती थीं। मैं उन दो रोटी और समय को गिनता रहता था। मैं उन रोटियों के 8 टुकड़े करता था और 2-2 घंटे में एक-एक टुकड़ा खाता था। हर वक्त देखता रहता था कि दो घंटे कब बीतने वाले हैं। उसने लिखा है कि एक दिन मेरा मित्र बीमार पड़ गया, उसकी रोटी के लोभ में मुझे झूठ बोलना पड़ा और उसकी रोटी मैंने ले ली।

जब लोगों के पेट में आग चलती है तो देश में धर्म और कर्म की पूजा नहीं होती, रोटी ही उस समय भगवान का काम करती है।

आदमी रोटी के बगैर जीवित नहीं रह सकता इसकी मूल भावना है कि लोगों को रोटी मिले।

महर्षि विश्वामित्र जैसे बड़े आदमी को भूख लगी थी तो उन्होंने चांडाल के यहां जाकर मांस खाया था और चांडाल का झूठा खाना खाया था। पेट की भूख पेट की बीमारी है। पेट की भूख जब चलती है तो लोग देश और धर्म को ठुकरा देते हैं।

आज इस सदन में इस विषय पर तीसरी बार बहस हो रही है। सन् 1978 में श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने एक बिल लाने की कोशिश की थी और दूसरी बार शायद श्री मधु दंडवते जी का बिल था। इस सदन में बार-बार चर्चा होती है और सरकार की तरफ से बार-बार एक ही उत्तर दिया जाता है। आप और हम जो भी पावर में आये हैं, गरीबी हटाने का नारा लगाया है। अगर गरीबी हट जाती तो इस संकल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह बढ़ती जा रही है।

मैं श्री डागा जी से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि राइट टू जाब और राइट टू वर्क किस के लिए है। बड़े लोगों के बेटे, अफसरों के बेटे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बेटे क्या बेरोजगार हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। जो मिनिस्टर हो गया है, उसका बेटा अन-एम्पलायड नहीं रहेगा। अन-एम्पलायड कौन है, बेरोजगार कौन है? जिसके कोई मां-बाप नहीं है, जिसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। राइट टू वर्क तो उसके लिए है। हिन्दुस्तान का एक पक्ष है उसको तो आलरेडी सब कुछ मिल रहा है, कोई बता सकता है कि बड़े लोगों का कोई बेटा बेकार है? नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : वह ज्यादा खाता है और बीमार हो जाता है।

श्री राम विलास पासवान : उसके सामने प्राबलम है कि किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाए

श्री मूलचन्द डागा : वह ज्यादा खाता है, ज्यादा हस्पताल की दवाएं लेकर देश के और लोगों का नुकसान करता है।

श्री राम विलास पासवान : कुछ लोगों के सामने प्राबलम है—पैसा कैसे कमाया जाए। उन लोगों के सामने तो यह है कि पैसा कैसे खर्च किया जाए। एक आदमी की अपनी कमाई ही दस रुपए की है लेकिन किसी के सिर्फ पान खाने की कीमत 10 रुपये होती है।

जहां तक दूसरे देशों की बात है, डागा साहब बता रहे थे। मैं रूस के संविधान की धारा 118 को पढ़कर सुनाता हूं :—

"सोवियत संघ के नागरिकों को काम का अधिकार होगा अर्थात् उन्हें सुनिश्चित रोजगार और काम की मात्रा तथा कोटि के अनुसार अदायगी का अधिकार है।"

योगोस्लाविया के संविधान की धारा 159 में कहा गया है

"काम के अधिकार की गारंटी होगी।"

"श्रम से प्राप्त अधिकार असंक्राम्य होंगे।"

जापान के संविधान की धारा 27 में कहा गया है कि :—

"सभी लोगों को काम का अधिकार तथा बन्धन होगा वेतन काम के घंटे, विश्राम तथा अन्य शर्तें कानून के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा।"

रूमानिया के संविधान की धारा 18 के अनुसार :

"गणवादी गणतंत्र, रूमानिया में नागरिकों को काम का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रशिक्षण और आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी कुशलता के आधार पर अवसर दिया जाएगा और उसे काम की मात्रा तथा कोटि के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन होगा।"

जर्मन डिमोक्रैटिक रिपब्लिक का कांस्टीट्यूशन कहता है :—

"जर्मन प्रजातंत्रिक गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार है। उसे रोजगार तथा सामाजिक आवश्यकताओं और उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार चयन करने का अधिकार है। उसे काम की मात्रा तथा कोटि के आधार पर वेतन

पाने का अधिकार है। पुरुष, महिला, वयस्क तथा युवक लोगों को समान कार्य/उत्पादन के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।"

चीन ने भी 1975 में अपना संविधान संशोधित किया है और चीन के संविधान की धारा 27 में लिखा है :

"1975 के संविधान के अनुच्छेद 27 में नागरिकों के लिए काम तथा शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। रोजगार में लगे लोगों को विश्राम और वृद्धावस्था के और बीमारी या अपंगता की स्थिति में सहायता पाने का अधिकार है।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के युनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स की धारा 23 में भी कहा गया है :

"हम सबको काम करने तथा अपने योग्य काम चुनने का अधिकार है। समान कार्य के लिए हम समान वेतन पाने के हकदार हैं।"

जहाँ तक जनसंख्या की बात है, हमारे मुकाबले चीन में जनसंख्या अधिक है लेकिन वहाँ पर राइट टु वर्क दिया गया है। यहाँ पर चूंकि आपकी विल नहीं है इसलिए आप इधर उधर भरमाते हैं। आपके संविधान के आर्टिकल 39, 41 के अनुसार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्राविजन है उसको तो कोई पढ़ता नहीं है। मैं समझता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो हटा ही देना चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जनसंख्या के बारे में जो तर्क दिया जाता है कि बहुत से लोग हैं और इतने फंड नहीं हैं वह भी थोथी दलील है और वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहाँ तक ब्लैकमनी का सवाल है, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान और बखिया जैसे लोगों ने जो कहा है वह आप उनके इन्टरव्यू में पढ़िए, वह कहते हैं कि बम्बई में 75 परसेन्ट पैसा ब्लैकमनी का है।

एक माननीय सदस्य : आपके जेठमलानी उनकी वकालत करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : वकालत उनका पेशा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि युसुफ पटेल और बखिया जैसे लोगों ने कहा है बम्बई और दूसरे बड़े-बड़े नगरों में 75 परसेन्ट पैसा और प्रापर्टी ब्लैकमनी का है। मैंने इसे पार्लियामेन्ट में भी कहा था कि आप तीन काम करें। आप राइट टु वर्क करना चाहें तो राइट टु वर्क करें, यदि यह नहीं कर सकते हैं तो अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स दें। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो नौकरी की उम्र की सीमा को बढ़ाइये। आज नौकरी की उम्र आप ने 25, 28 साल और 30 साल रखी हुई है। 30 साल की उम्र के आज 15 लाख पोस्ट ग्रेजुएट बेकार हैं, 20 लाख ग्रेजुएट बेकार हैं। हमारे वे लड़के जो ग्रेजुएशन करके,

पोस्ट-ग्रेजुएशन करके आते हैं, इन्जीनियरी पास करके, डाक्टरी पास करके आते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का वर्कशाप होता है। वे लेफ्ट-राइट करते रहते हैं, इधर से उधर नौकरी के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो जीवन से निराश होकर आत्म-हत्या कर लेते हैं या गलत रास्ता पकड़ लेते हैं।

जब 70 वर्ष की अवस्था का मन्त्री और प्रधान मन्त्री हो सकता है, जब 80 वर्ष का व्यक्ति एम० पी० या एम० एल० ए० हो सकता है, तो फिर 40 वर्ष की उम्र वाले को नौकरी क्यों नहीं मिलती ? आप कह दीजिए कि 55 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा या 58 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा, लेकिन यह व्यवस्था भी कीजिए कि 50 साल की उम्र का व्यक्ति भी नौकरी पा सकता है चाहे उसे 5 साल ही नौकरी करनी पड़े। इसमें आपको क्या ऐतराज है ? आपने ऐसी उम्र रख दी है जिससे आपके लिए प्राबलम न हो, क्योंकि उस उम्र के बाद आपसे कोई नौकरी मांगने नहीं आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए चाहे आपसे नौकरी नहीं मांगेगा लेकिन देश के सामने एक प्राबलम हो जाएगी। इसलिए मैं इस मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं। अभी भी समय है—आप इसको स्वीकार कीजिए, संविधान के फण्डामेन्टल राइट्स में इसको रखिये, मूल अधिकारों में इसको जोड़ कर उसको काम पाने का अधिकार दीजिए। तब सरकार की जवाब-देही रहेगी, चाहे जो पार्टी पावर में रहे उसके सामने यह लक्ष्य रहेगा कि उसे लोगों को रोजगार देना है। इस प्रकार का कदम देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा कदम साबित होगा तथा देश की एकता, अखण्डता, उन्नति, प्रौसपेरिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि राइट टु वर्क फण्डामेन्टल राइट्स में इन्कलूड किया जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का जो प्रस्ताव माननीय चन्द्राकर जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी जितनी बातें कही गई हैं और जिस प्रकार के हालात आज देश के अन्दर हैं उनको अगर निरन्तर सही रास्ते पर नहीं लाया गया और इसी प्रकार बेरोजगारी बढ़ती गई तो उससे बड़ी निराशा कोई नहीं होगी। खासकर आज गांवों के अन्दर जो हालात हैं, आपने जो लैंड रिफार्म्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लैंड-लेस लेबरर्स हैं और जो लाखों की तादाद में हैं। जिनके पास अपनी निजी कोई जमीन नहीं है, उन लोगों की अनएम्पलायमेन्ट की समस्या को हल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। हमें इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

गांवों में जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी जमीनें हैं, मैं कुलक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन है वे तो अपने पास सैंकड़ों आदमियों को नौकर

रख कर खेती करवाते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ी जमीन है, 10-5 बीघे जमीन है, इतनी जमनी से वे 6 महीने भी गुजारा नहीं कर पाते हैं, उनको अनएम्पलायड रहना पड़ता है, उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे वे वर्ष भर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, ऐसे लोगों को जो 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, उनको रोजगार-धन्धा देने की कोई-न-कोई निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए।

अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करती है—ऐसी बात नहीं है। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज हैं, उनके तेहत सरकार ने कई प्रकार की योजनायें देश में चलाई हैं। आप जानते हैं—आई० आर० डी० पी० का प्रोग्राम चलाया है जिसके तेहत लाखों-करोड़ों लोगों को पैसा देकर रोजगार से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार एन० आर० ई० पी० का प्रोग्राम है जिसके अन्तर्गत क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं उसमें उनको रोजगार और धन्धा देकर उनकी रोजी और रोटी का प्रश्न हल किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कोटेज इंडस्ट्रीज को गांवों के अन्दर विशाल पैमाने पर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ा कर भी हम निश्चित तरीके से गांवों के लाखों, करोड़ों लोगों को रोजगार-धन्धा दे सकते हैं। खादी का काम जो गांवों के अन्दर चलाया है, उसके जरिए से हैण्डलूम का काम हाथ में लिया है, इनको भी बड़े पैमाने पर चला कर हम निश्चित तरीके से लाखों, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये प्रोग्राम ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ? आई० आर० डी० का प्रोग्राम भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम में आप 15 सौ करोड़ रुपये अपने जरिये से और तीन हजार करोड़ रुपये कर्जे के रूप में बैंकों से दिलायेंगे। क्या यह प्रोग्राम भी गांवों के अन्दर ठीक से चल रहा है ? इसको देखने के लिए मोनिटरिंग की क्या व्यवस्था है जिसके जरिये से आप जान सकें कि यह ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं ? इस प्रोग्राम के जरिये से भी आप गांवों के करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा करता हूं तो देखता हूं कि आई० आर० डी० के प्रोग्राम के तहत जो रुपया आप कर्जे का देते हैं वह तो लोगों को मिल जाता है लेकिन जो सब्सीडी का रुपया देते हैं, छोटे काश्तकारों और शेड्युल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को 33 परसेन्ट सब्सीडी उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए इस कार्यक्रम की मोनेटरिंग करने की आपने क्या व्यवस्था की है ? अगर आप इसकी मोनेटरिंग नहीं करते हैं तो करोड़ों रुपया जो सरकार की तरफ से गरीबी निवारण के लिए दिया जा रहा है वह बर्बाद हो जाएगा और लोगों को रोजगार-धन्धा नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह आपका कर्त्तव्य है कि आप भी देखें और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको देखने के लिए कहें जिससे कि बेरोजगारी की समस्या ठीक प्रकार से हल हो। आपकी इस सब्सीडी का रुपया सरकारी अधिकारी हजम न करने पायें, निश्चित तरीके से इसके लिए आपको कदम उठाने

चाहिएं। हमारा फर्ज है कि हम हर व्यक्ति और हर हाथ को काम दें। आप इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मौनेटरिंग की व्यवस्था ठीक करें। आपकी यह व्यवस्था न होने से यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है।

इस आई० आर० डी० प्रोग्राम की तरह से एक एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए से जो धन दिया जाए, उसको आप देखें कि वह सही ढंग से लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। मैंने देखा है कि आप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चाहे अनाज देते हैं या पैसा देते हैं उसका दुरुपयोग करके लोगों ने बर्बाद किया है। इस कार्यक्रम के जरिये से जो एम्प्लायमेंट मिलनी चाहिए थी, वह लोगों को नहीं मिल पाई है।

हमारे देश के अन्दर कई प्रान्तों में इस कार्यक्रम के लिए जितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को खर्च करना चाहिए था, वह उन्होंने खर्च नहीं किया है। इस कार्यक्रम में जितनी केन्द्रीय सरकार सहायता देती है, उसके बराबर का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चूंकि इस कार्यक्रम पर पूरा पैसा नहीं लगाती, इसलिए यह कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो रहा है और लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय श्रम मन्त्री जी आपका यह कर्त्तव्य है कि हम सारे प्रोग्रामों को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी मौनेटरिंग करें। भारत सरकार तो इसके लिए दिल खोलकर पैसा दे रही है मगर राज्य सरकारें इस पर पूरा पैसा खर्च नहीं कर रही हैं जिससे कि यह कार्यक्रम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और हमारे गरीब भाइयों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है।

काटेज इंडस्ट्रीज और खादी कमीशन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के जरिये से भी आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन खादी के प्रोग्राम में भी क्या हो रहा है? उनके अधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण गड़बड़ी करके, जितना पैसा खादी कमीशन की तरफ से लोगों को रोजगार धन्धा देने के लिए मिलता है, छोटी-छोटी कोटेज इंडस्ट्रीज चलाने के लिए मिलता है जिससे कि लाखों लोग अपने-अपने धन्धे में लग सकें वह बर्बाद हो रहा है। इस गड़बड़ घोटाले को भी देखने की आवश्यकता है। गांवों के लोगों को रोजगार देने के लिए काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें सही तरीके के लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं यह देखने के लिए आपके पास क्या मानेटरिंग की व्यवस्था है? इस तरह की व्यवस्था नितांत आवश्यक है?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपके यहाँ पर जो रोजगार कार्यालय हैं यहाँ पर व्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक है। बगैर पैसे लिए नाम नहीं लिखा जाता। इस तरह से गरीब आदमी इस सुविधा से वंचित रह जाता है। प्रत्येक योग्य आदमी का

नाम जिस जगह कामकाज दिलाया जाना है वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

हमारे यहां धरती में अपार सम्पदा है जिसको हम एक्सप्लायट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसके लिए सही योजना बनाएं तो करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। इसलिए इस बारे में विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

इसी प्रकार हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है लेकिन हम पानी को रोक नहीं पाए हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ सकता है, बाढ़ और सूखे से राहत मिल सकती है और करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की भारत सरकार की योजना भी, उसको भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन योजनाओं के बिना हम बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते।

इसी प्रकार राज्य सरकारों के अंतर्गत इरीगेशन, पी० डब्ल्यू० डी०, सायल कंजर-वेशन आदि जितने भी विभाग हैं इनमें ठेकेदारी प्रथा के जरिए से सारे काम करवाए जाते हैं। इसकी वजह से सारा मुनाफा ठेकेदारों को ही मिलता है। क्या ये काम एम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम जिस तरह की महाराष्ट्र ने बनाई है उस तरीके से नहीं करवाए जा सकते। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शोषण को भी रोका जा सकेगा।

शिक्षा प्रणाली के बारे में मेरा निवेदन है कि आज की शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। आज प्रत्येक अधिकारी और मिनिस्टर कहता है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन इस बारे में काई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज बाबू बनाने वाली शिक्षा को समाप्त करके उसके स्थान पर टेक्नीकल एजुकेशन की आवश्यकता है। इसके जरिए यदि कोई चाहे तो नौकरी कर सकता है और यदि चाहे तो अपना काम भी कर सकता है। इससे वह अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सकेगा। शिक्षा की समान व्यवस्था होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल्स बन्द किए जाने चाहिएं। अगर बंद नहीं किए जा सकते तो सभी के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर यह नहीं किया गया तो गरीब आदमी का बेटा गरीब रह जाएगा और अमीर का बेटा अमीर रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तमाम लोगों को शिक्षा की समान सुविधा दी जानी चाहिए।

हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से राइट टू वर्क होना चाहिए और इसलिए यह फन्डामेंटल राईट्स में इंक्लूड होना आवश्यक है। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमने जो बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया है, वह पूरा नहीं हो सकता। मेरा

सुझाव है कि हर हाथ को काम मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार के जरिए से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में निश्चित ही इस प्रकार की व्यवस्था देश में होगी।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं रूल्स कमेटी में व्यस्त था इसलिए अपनी अमेंडमेंट मूव नहीं कर सका। कृपया मुझे इसके लिए इजाजत दे दें।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : एज ए स्पेशल केस मैंने कर दिया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"संकल्प के अंत में यह जोड़ा जाए—और प्रत्येक बेरोजगार को उचित अनुरक्षण भत्ता तब तक दिया जाए जब तक कि "काम का अधिकार" मंजूर नहीं किया जाता।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं, अपने सम्मनीय मित्र, श्री चन्दुलाल चन्द्राकर द्वारा प्रस्तावित संकल्प को अपना जोरदार समर्थन देता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि उक्त संकल्प बड़ा विशिष्ट है और इसमें कलंकित होने या मिथ्या विवरण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। संकल्प में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक विशाल समस्या है। जो भयावही रूप धारण कर चुकी है और अब विस्फोटक स्थिति में भी पहुंच सकती है। संकल्प का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार को कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे काम के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया जा सके। ये दो पहलू हैं। यह वह अन्य प्रश्न नहीं है जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है।

सभापति महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे और श्रम मन्त्री जो यहाँ उपस्थित हैं, वह भी मुझसे सहमत होंगे कि गरीबी का अर्थ है जीवन से इन्कार। यह एक अभिशाप है। भूख से पीड़ित कोई भी व्यक्ति जानता है कि वह कितनी दुःखदायी है। विचार कैसे भी क्यों न हों, गरीबी का दर्शन महानतम दर्शन है। दूसरे शब्दों में या सीधे शब्दों में गरीबी का अर्थ है जीने के अधिकार से इन्कार। मैं उस दृष्टिकोण से इस समस्या को देखता हूं। मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि हमारे संविधान ने अपनी प्रस्तावना में स्वीकार किया है कि हम अपने देश में समाजवाद को अपनायेंगे।

इसी बात पर, जैसाकि अपने मेरे सम्मानीय मित्र श्री डागा और श्री पासवान ने बताया है, कि संसार के प्रायः सभी समाजवादी राष्ट्रों ने काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। परन्तु यह सरकार जो हमारे देश में समाजवाद का निर्माण करने का दावा करती है, इसमें टालमटोल करती है और हिचकती है और कुछ

बातों पर कहती है कि काम के अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही उसे कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ने कई सीमायें बांध रखी हैं।

यदि आप अनुमति दें तो मैं संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेदों को पढ़ सकता हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 31 स्पष्ट है। यह एक नीति निर्देशक सिद्धान्त है। जिसके अनुसार राज्य सभी को काम करने का मौका देगा बशर्ते कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी और अर्थव्यवस्था अनुकूल हो। अब, एक ओर आप एक समाजवादी अर्थव्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, दूसरी ओर, संसार के समाजवादी राष्ट्र जिस प्रकार अपने-अपने संविधानों में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। आप नहीं कर सकते। और फिर भी आप समाजवादी बनना चाहते हैं। ये सारी बातें जनता को पता है और जनता के सामने आपकी पोल खुलनी है।

उन समाजवादी राष्ट्रों को अलग रखते हुए जिनका जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण है और जिसे आप स्वीकार नहीं करते, जापान की प्रशंसा हमने कई बार आप में से अनेकों से सुनी है। उस जैसे देश, ने भी इसे स्वीकार किया है। जापान समाजवादी राष्ट्र बिल्कुल नहीं हैं। वास्तव में समाजवादी विश्व के प्रति जापान सरकार की वर्तमान नीति शत्रुतापूर्ण है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर): जापान अब सब से अधिक धनी देश है।

श्री चित्त बसु: परन्तु, महोदय, जापान यद्यपि पूंजीवादी देश है। फिर भी उसने भी काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। महोदय, यद्यपि हालांकि मितेरां फ्रांस के राष्ट्रपति बने रह चुके हैं, फिर भी जापान समाजवादी राष्ट्र नहीं हुआ है। मितेरां के सत्ता में आने के बहुत पहले जापानियों ने अपने संविधान में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुमति दे दी थी।

महोदय, मैं अन्य राष्ट्रों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मुझे केवल एक बात का उल्लेख करना है कि समाजवादी राष्ट्रों ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है. आप अपने राष्ट्र के समाजवादी होने का दावा करते हैं। परन्तु आप उक्त अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करते। केवल समाजवादी राष्ट्र ही नहीं, पूंजीवादी राष्ट्रों ने भी काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है। अतः, आपकी असलियत को प्रकट करने के लिए शायद और कुछ नहीं चाहिए।

बहुधा, आप मानवीय अधिकार के बारे में मुखर दीख पड़ते हैं। आप आरोप लगाते रहते हैं कि अमुक-अमुक देश मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। परन्तु क्या आपने कभी मानवीय अधिकार के मूल के बारे में सोचा है? मानवीय अधिकारों की

अनुसूची में काम के अधिकार को भी शामिल किया गया है। आप अपनी जानकारी के लिये कृपया मानवीय अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा का अनुच्छेद 31(एक) देख लें। आपका भी उसमें हाथ है। आप मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। आप हमेशा उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। परन्तु, सभापति महोदय, काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत शामिल न करके आप स्वयं इस मानवीय अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करे। आप यह बात कैसे कहते हैं जब आप स्वयं भारत में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों का जो मूल तत्व है, उसमें काम का अधिकार सम्मिलित है। मैं उद्धृत करता हूं : 'हर एक को काम करने, स्वतन्त्र रोजगार चुनने, काम करने की अनुकूल स्थिति चुनने तथा बेरोजगारी के खिलाफ अपना सुरक्षा करने का अधिकार है' मैं अन्य दो भागों को छोड़ रहा हूं क्योंकि वह भारत में सम्भव नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे रोजगार की स्वतन्त्रता चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी पसन्द के अनुसार रोजगार नहीं कर सकते परन्तु भूखा रहने के लिए बाध्य हो सकते हैं रोजगार में हमारे लिए पसन्द या विकल्प का कोई मूल्य नहीं है। काम की स्थिति के बारे में तो कहें क्या। परन्तु सीधी-सी बात है कि हम काम का अधिकार चाहते हैं। हमारे हाथ हैं। हम जीवधारी मानव हैं। हमारे पास उत्पादन करने की क्षमता है। हम उत्पादन करने की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इन हाथों को उपयोग में लगाने और प्रतिभा के उपयोग की क्षमता हम में है। यह कोई आसमान नहीं है कि हम शोरगुल मचा रहे हैं। हम शोरशराबे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने युवावर्ग को, अपने देशवासियोंको जीने का अधिकार प्राप्त होने दें। जीने के अधिकार का अर्थ है उपार्जन करने का अधिकार।

अतः इसकी आवश्यकता के बारे में सदन को मनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मानवीय अधिकारों के साथ चलें, परन्तु काम का अधिकार ही मानवीय अधिकारों का मूल तत्व है। आप अन्य देशों में इन अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं। परन्तु अपने ही देश में उन्हें अपनाने के लिए इन्कार करते हैं। अतः इस संकल्प का विरोध करने का कोई तर्क नहीं हो सकता।

मेरे पास पर्याप्त जानकारी है। गरीबी का क्या महत्व है ? आप यदि सही अर्थ में गरीबी का अन्दाजा लगायेंगे तो हैरान हो जायेंगे। हमारे देश के एक महान अर्थशास्त्री ने यह प्राक्कलन किया है। मेरे विचार में आया कि सदन को इस सम्बन्ध में सूचित करूं। आज देश में गरीबी के दर्शन को छोड़कर कोई अन्य दर्शन नहीं हो सकता, जो अत्यन्त भयानक है। मेरे ख्याल से आपको इसका आशय समझना चाहिए (व्यवधान) मैं अपने मित्र श्री वृद्धि चन्द्र जैन का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने कहा है कि यदि आप 50 रुपये बेरोजगार भत्ता देने पर सहमत हो जाते हैं तो 800 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से मैंने उनकी बात को ठीक सुना है। आपके आंकड़ों के बारे में मुझे पता नहीं है। ये

उससे अधिक होंगे। जी हां, मैं उनके बयान पर विश्वास करता हूं। जो भी हो, वह हमारी पार्टी के हैं।

क्या आप जानते हैं कि आयकर की बकाया राशि के रूप में 800 करोड़ रुपए अभी भी वसूल होने शेष रहते हैं। मेरे ख्याल से मेरा कथन गलत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कर-अपवंचन की राशि कितनी है ? क्या आप जानते हैं कि उत्पाद-शुल्क की कितनी धनराशि का अपवंचन हुआ है। क्या आप जानते है कि उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित राजस्व की बकाया राशि कितनी है ? अतः संसाधनों के सीमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता बशर्ते कि हम में इच्छाशक्ति है और हमने सही दर्शन में निहित सत्य को समझा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं कांग्रेस (आई०) के महासचिव का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा विशिष्ट, तर्कसंगत और सुस्पष्ट प्रस्ताव लाने का साहस किया है। मुझे अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है जब मैं यह कहता हूं कि ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि बेरोजगारी की समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका 20-सूत्री कार्यक्रम इस समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में हमें यही एकदम स्पष्ट बात करनी है। समय आ गया है जब आपको सच कहना होगा। ये 10,000 करोड़ रुपए, जो उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटित किए हैं, इनसे समस्या दूर नहीं हो रही है और यहाँ तक कि इससे हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या में कमी भी नहीं आ रही है, जो इस समय 44.10 लाख तक पहुंच गई है। यदि श्री डागा का आंकड़ा सही हैं तो हर जगह बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, इसलिए जरूरत अब सफाई देने की नहीं है बल्कि सामाजिक-आर्थिक ढांचे में पूरी तरह से परिवर्तन लाने की है। समाजवाद के नाम पर आप हमारे देश में पूंजीवाद का निर्माण कर रहे हैं। जब कभी आप कहते हैं, इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए, आपके अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो सकते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से आपने हमारे देश में पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढांचे का निर्माण किया है।

विश्व ने कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धान्त की पुष्टि की है, हमारे अध्यक्ष ने कार्ल-मार्क्स के बारे में जिक्र करने की कृपा की है। राज्य सभा में भी कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त का उल्लेख हुआ है, हमें यह समझना हैं कि महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दरिद्रता का दर्शन क्या है। यही एक तरीका है जिससे हम यह कम कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं और मानव अधिकारों की गारन्टी देते हैं। मैं उनसे इसकी अपेक्षा नहीं करता किन्तु मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वे भूमि सुधार का कार्य तेज कर सकते हैं, यह उन्हीं के द्वारा अपनाई गई नीति हैं, यह नीति योजना आयोग द्वारा अपनाई गई है, आप पहले ही इस नीति को स्वीकार कर चुके हैं किन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन

करते हैं तो हम इसका साथ दे सकते हैं। यदि आप मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ-साथ द्रुत उद्योगीकरण के लिए कतिपय नीतियों को लेते हैं, तो समस्या पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है, समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ा लक्ष्य क्या है ? बड़ा लक्ष्य है उत्पादन के साधनों का वितरण और आप, परिसम्पत्ति पैटर्न का पुनः वितरण, अब आप उसे इस तरह नहीं बदलेंगे तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, किन्तु यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो इस समस्या को कम किया जा सकता है और राज्यों को उस नीति को स्वीकार करने हेतु मजबूर करने के लिए कार्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना आवश्यक है क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायसगत हैं। और क्योंकि ये सिद्धान्त न्यायसंगत नहीं हैं, इसलिए इन नीति निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि आप इसे न्यायसंगत बनाइए और इसे न्यायसंगत अधिकार बनाने हेतु इसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करना आवश्यक है। इसलिए, मैं समझता हूं माननीय मन्त्री हर बात समझते हैं लेकिन उनके ऊपर कतिपय दबाव हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह कह रहा हूं और वे क्या उत्तर देंगे, वह मैं जानता हूं, अनुच्छेद 41 अर्थात् कतिपय शर्तों के साथ सीमाएं। यदि हम उस शर्त को समाप्त करना चाहें और उसमें एक नई शर्त लाएं, जिसमें कार्य का अधिकार स्वीकार किया जा सकता हो, तो क्या आप वैसा करेंगे, क्या आप उन तरीकों पर चलेंगे अथवा आप पीछे हटेंगे ? यह एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वह रास्ता नहीं बताया जिस पर आप चलना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : इस सामन्तवादी-विरोधी नीति को छोड़ दीजिए; पूंजीवाद-समर्थक नीति छोड़ दीजिए; एकाधिकार-समर्थक नीति छोड़ दीजिए और देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन कीजिए, यह एक नया रास्ता है जिसे आपको अपनाना चाहिए। यदि वे इस नए रास्ते पर चलना स्वीकार करते हैं तो देश आगे बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अवश्य ही गांधीवादी विचारधारा पर चलेंगे।

श्री चित्त बसु : हमें किसी विशेष सहज चरित्र निर्माण अथवा गाँधीवादी विचारधारा पर कुछ सुरक्षित अधिकार रखना चाहिए; किन्तु जहाँ तक दार्शनिक विचारधारा का सम्बन्ध है, मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता हूं। यदि वे गाँधीवादी साधनों से उद्देश्य प्राप्त करते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। किन्तु यह सिद्ध हो गया है कि गाँधीवादी साधनों से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी हम आशा करते हैं। जो रास्ता मैंने बताया है, यही एक रास्ता है। मैं जानता हूं कि वे इस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं क्योंकि इस रास्ते को उन्होंने हमेशा छोड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी ।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बोलने के बाद मैं आपका नाम पुकारूंगा। आप प्रस्ताव कर सकते हैं और बोल सकते हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : महोदय, मेरा नाम भी उसमें है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, लेकिन श्री सुल्तानपुरी का नाम आपसे पहले है। श्री सुन्दर सिंह और श्री शैलानी का नाम भी है, लेकिन श्री सुल्तानपुरी का नाम आप सबसे ऊपर है। आप सबकी बोलने की बारी आएगी। अब श्री सुल्तानपुरी।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने, जो आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी हैं, जो प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हू कि आज वक्त आ गया है जब हम इस बात पर विचार करें, क्योंकि 1921 में महात्मा गांधी जी ने कहा था—अगर हमें हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त करनी है तो जो गरीब लोग, जो पिछड़े वर्ग के हैं, अछूत लोग हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा। आज दशा यह है कि हमारे गांवों में जो लोग खेती का काम करते हैं, मजदूरों के रूप में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनको अख्तियारात नहीं हैं कि वे महलों में रह सकें। जो उन मकानों के मालिक हैं, जो धनी लोग हैं, वे ज्यादा धनी होते जा रहे हैं। इन लोगों की तरफ सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है लेकिन वे सरकार का बकाया देने नहीं आते हैं। इस लिए अगर हमें रोजगार मुहिया करना है तो संविधान में यह गारन्टी हमको देनी पड़ेगी। जो गरीब लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जो भूखे और नंगे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, यदि हमें देश में जनतन्त्र को चलाना है, इस संविधान को चलाना है तो उन्हें यह गारन्टी देनी होगी।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर एजूकेशन का जो तरीका है, जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, वह एक दूसरे ढंग की प्रणाली है। जो लड़के पब्लिक स्कूलों से पढ़ कर निकलते हैं उनको ही आगे चल कर ओहदेदारी मिलती है। गांवों के बच्चे जो देहातों के स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे हमारे जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों, काश्मीर या नागालैंड के हों, उन बच्चों को स्कूल में जमीन पर बैठ कर या टाटपट्टी पर बैठ कर पढ़ना पड़ता है। किसी तरह से जब वे हाई स्कूल या बी० ए० कर के निकलते हैं, इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हम लोग दिल्ली में आकर उनके लिए तरह-तरह की बातें करते हैं, जिससे उनके अन्दर यह उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद उनको भी नौकरी

मिल जायगी, लेकिन निराश होना पड़ता है। एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्जों में करोड़ों नाम दर्ज हैं लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता। वे 50-50 और 100-100 मील दूर से इन्टरव्यू के लिए आते हैं, दूर-दराज के इलाकों से चल कर आते हैं, उनके आने-जाने पर मां-बाप का धन खर्च होता है, जिन दफतरों से उनको बुलाया जाता है उनकी तरफ से किराए का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि वे क्लर्क की पोस्ट के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको निराशा का सामना करना पड़ता है।

जहां ठेकेदारों के जरिए उनको काम पर रखा जाता है, वहां ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। पी० डब्लू० डी० में जो मजदूर काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में उनको 8 रुपए 25 पैसे रोज मिलते हैं, लेकिन अगर वे किसी और महकमे में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं तो उनको डेलीवेज इस रकम से दुगना मिलता है। हमें यह भी देखना है कि एक तरफ एक आदमी को हम चार हजार रुपए माहवार तनख्वाह देते हैं, जो देश का कुछ काम नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक मजदूर को इतना कम वेतन दे रहे हैं जिसमें वह अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण भी नहीं कर सकता है। आज उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं हैं। जो मकान बनाने वाला है, पत्थर तोड़ने वाला है, उस मकान में सफाई करने वाला है, नालियां साफ करने वाला है, वह उन मकानों में नहीं रह सकता, उसकी कोई इज्जत नहीं है कि वह उसमें रहे, उसके पास रहने के लिए कोई निवासस्थान नहीं है। इसी लिए हमारी प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि गरीबों को हर तरह की मदद दी जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि वह मदद बिचौलिए खा जाते हैं, हमें इस बात को देखना होगा, ब्लाक-वाइज, खण्ड-वाइज देखना होगा। पंचायतों के जरिए देखना होगा कि गांवों के जो गरीब लोग हैं उनको मदद पहुंच रही या नहीं। यह सारा देखना होगा, तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं।

देश में जो कारखाने हैं, उनमें बहुत से लोग डेलीवेजिज पर रख लिए जाते हैं और डेलीवेजिज में उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। जो लोग मेनेजमेंट के साथ मिले होते हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है। सरकारी कारखानों में बड़े बड़े लोगों के लड़के लगाये जाते हैं, गांव के किसानों के लड़कों को कोई नौकरी नहीं दी जाती।

आज गांवों के अन्दर प्रोडक्शन की बिक्री की कोई गारन्टी नहीं है। बहुत से लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है जिससे कि वे खेती करके अपना काम चला सकें। उनके लिए रोजगार के प्रबंध करना बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि हर घर के एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। ये जो आपके आफिसरों की पांच बड़ी केटेगरीज हैं, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० वगैरह : ये केटेगरियां बड़े बड़े लोगों के हिस्से में आयी हैं, छोटे-छोटे लोगों के हिस्से में नहीं आयी हैं। गरीब आदमी का बच्चा न किसी सलाहकार बोर्ड

में आ सकता है, न उससे कोई सलाह ली जाती है । न गरीब का लड़का पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर कामयाब हो सकता है । एम्प्लाएमेन्ट एक्सचेंच में भी भाई-भतीजावाद चलता है । वहां से भी वे उन्हीं का नाम निकालते हैं जिनकी कि सिफारिश हो । गरीब का लड़का वहां भी रह जाता है ।

सरकार ने तो अपनी निगाह से देश से गरीबी मिटाने के लिए ठोस कदम उठाएं हैं । जब हम इस रिजोल्युशन की परिभाषा देखते हैं तो पाते हैं कि यह ऐसा टाइम है जबकि यह देश की मांग है कि विधान में हम काम की गारन्टी दें । इससे किसी को भी कोई गलत बात करने का साहस नहीं हो सकेगा ।

गरीब लोगों की जो आर्थिक दशा है वह बहुत कमजोर होती जा रही है । गरीब लोगों के पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं होता । वे बिचारे ठंडी रात में फुटपाथों और धर्मशालों में पड़े रहते हैं । यह जो रिजोल्युशन आया है उस तरफ के सदस्यों को भी जिनको कि मानवता से प्यार है, इसका समर्थन करना चाहिए । हम भी इन्सानी प्रतिनिधि हैं, हम भी इन्सान हैं, हम जो इन्सानी भलाई के काम हैं वे हम भी चाहते हैं । जो सूरज की किरणें हैं, जो जल है वह केवल अमीरों के लिए ही नहीं है, वह सब के लिए है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली का जो प्रोडक्शन है वह अमीरों के लिए ही नहीं है, वह सब गरीब लोगों के लिए भी है । उसको बराबर तकसीम किया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को भी फायदा दे सकें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको पास कराया जाए ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके और सभी घरों के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके ।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : यह प्रस्ताव सभा को देश की इस अति महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार प्रकट करने का एक और अवसर प्रदान करता है । इस प्रस्ताव पर पहले ही अनेक माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं । उन्होंने सभा को यह जानकारी दी है कि विश्व के अनेक देशों द्वारा कार्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा चुका है । जहां तक समाजवादी देशों का प्रश्न है, वहां बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है । लगभग उन सभी देशों ने कार्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया है । जो देश समाजवादी नहीं हैं, जैसे जापान, फ्रांस और यहां तक कि पश्चिम जर्मनी ने भी कार्य के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया है ।

जो चर्चा हुई है उसमें आपने यह नोट किया होगा कि सभा में सभी ओर से

एकमत होकर यही मांग की गई है कि कार्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाए और संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाए। यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तथा हमारी युवा पीढ़ी के सामने जो अन्धकारमय भविष्य है उसकी नंगी सच्चाई से उनमें कुण्ठा हो गई है। आप जानते हैं कि छात्रों में अशान्ति है। यदि आप इस छात्र अशान्ति के कारण की गहराई से जांच करें तो आपको पता चलेगा कि उनमें अशान्ति इसलिए है क्योंकि उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता। वे कुण्ठा से ग्रस्त हैं और ऐसे सभी प्रकार के रास्ते अपनाते हैं जिनकी सराहना नहीं की जा सकती। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रतिदिन हम डकैती, लूटमार, हत्या जैसी सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ते हैं और बहुत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिन माननीय मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने पहले ही इस ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि यदि आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र स्थापित नहीं किया जाएगा तो इस राजनैतिक लोकतन्त्र का कोई अर्थ नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना एक अनिवार्य जरूरत है, अन्यथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यहां तक कि सरकार के सदस्यों ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में यह कहा है कि यह जरूरी है कि सरकार नीति निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करके आम जनता को जीवन की मुख्य धारा में शामिल करे। मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों के बीच विवाद अनिवार्यतः उठेंगे। संविधान निर्माताओं की यह इच्छा है कि नीति निर्देशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन होना चाहिए। मुझे अनुच्छेद 39 अथवा 41 को पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धान्त वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं, राज्य के शासन के लिए आधारभूत हैं। इस संविधान के लागू किए जाने के 33 वर्ष बाद भी हमने यह पाया है कि हमने इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित नही किया गया है। आप यह देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में हमारी नीतियां कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं। अभी उस दिन श्री लकप्पा ने यहां एक प्रस्ताव रखा था। उसमें भी वही चिन्ता व्यक्त की गई कि सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बहुत धीमा है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक ढांचा वहीं का वहीं है और उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि अत्यावश्यक है।

श्री डागा ने, जो कांग्रेस दल के सचिव हैं, सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इसे मूल अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया और बेरोजगार लोगों को, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो अव्यवस्था और अशान्ति पैदा हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि लोगों को संगठित होकर इस अधिकार की मांग करनी चाहिए। मंत्रि-मंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य, श्री शिव शंकर ने भी एक बैठक में भाषण देते हुए कहा है कि यदि देश सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने में असफल रहा तो लोग उग्र तरीकों तथा अशान्ति पर उतर आएंगे। यह चेतावनी सत्ताधारी

दल के सदस्यों ने दी है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे श्रम मंत्री एक सहृदय व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है, वह वही सामान्य दलील पेश नहीं करेंगे कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और इसलिए हम इसे मूल अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते।

बिहार ने 50 रुपये बेरोजगारी भत्ता लागू किया है। पश्चिम बंगाल की भी बेरोजगारी भत्ता देने की एक योजना है जिसके अन्तर्गत यह भत्ता उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों से अपने नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाए हुए हैं। महाराष्ट्र ने काफी समय पहले से रोजगार गारन्टी योजना लागू की थी। सभी ने इसकी प्रशंसा की थी और इसने व्यापक रूप से ध्यान आकृष्ट किया था। हमने भी अन्तोदय योजना लागू की थी जिसके अधीन हमने समाज के अति निर्धन वर्गों को लाभ दिया। हम यह सब कुछ कर रहे हैं फिर भी जब यह प्रश्न उठाया जाता है तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता का बहाना हमेशा यह किया जाता है कि संसाधनों की कमी है। जब सरकार ने निर्धन परिवारों के लाभ के लिए तथा उन्हें निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं तो उन्हें इस प्रस्ताव को एकदम स्वीकार कर लेना चाहिए और कार्य के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर, कार्य के अधिकार के प्राप्त करने तथा वृद्धावस्था, बीमारी और बेरोजगारी में सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा। अतः कोई कारण नहीं कि हम इसे तुरन्त स्वीकार न करें और इसके लिए प्रावधान न करें। जब हम एशियाड तथा अन्य योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, तो सरकार को इस प्रयोजन के लिए पैसा निकालना कठिन नहीं होना चाहिए। उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन श्रम मंत्री, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने बताया था कि यदि बेरोजगारी भत्ता देना हो तो इस पर 629 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च आएगा। मेरे विचार से, यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसकी सरकार व्यवस्था न कर सकती हो।

आज ही हमने बजट पर आम चर्चा समाप्त की है जिसमें ग्रामीण विकास निधि की ओर ध्यान दिलाया गया था। श्री चित्त बसु ने आयकर तथा उत्पाद शुल्क की चोरी की ओर ध्यान दिलाया था। वांच्छू समिति ने अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के काले धन का परिचालन है जो कि बहुत बड़ी राशि है। क्या हम इन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए कुछ कर नहीं सकते?

हमें इस प्रयोजन के लिए एक विशेष निधि बनानी चाहिए। हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आयकर रियायत के रूप में प्रोत्साहन देकर इस निधि में अंशदान देने के लिए

कह सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई हो।

मेरे माननीय मित्र, श्री गिरि ने अभी कुछ समय पहले योजना आयोग की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया था। मैं भी उस पैरा को उद्धृत करता हूं :

> "वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि मानक जन वर्षों के आधार पर छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार में 4·1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी, अर्थात् यह दर उसी अवधि के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि की 2·54 प्रतिशत वार्षिक दर से कहीं अधिक होगी। निरपेक्ष संख्या के अनुसार, इसका अर्थ यह है कि मानक व्यक्ति वर्षों में रोजगार में 3·4 करोड़ की वृद्धि होगी, जो उसी अवधि के दौरान श्रम-शक्ति, अर्थात् 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों, में होने वाली वृद्धि के लगभग बराबर होगी।"
>
> "इस परिणाम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है : यदि सभी नए रोजगार पूर्णकालिक आधार पर हों, तो सृजन किए गए सभी रोजगार श्रम बल में समस्त वृद्धि को खपा लेंगे। फिर भी, यह अनुमान लगाते हुए कि वास्तव में सभी नए रोजगार पूर्णकालिक आधार पर नहीं हो सकते, काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारों के वर्तमान बकाया संख्या में कमी की जा सकेगी।"

योजना आयोग ने यही कहा है और इसके होते हुए मैं नहीं समझता कि सरकार को इस संकल्प को स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी क्योंकि योजना आयोग ने स्वयं कहा है कि वे श्रमिक बल को बढ़ाने के रोजगार की काफी संभावनाएं उत्पन्न करेंगे। अतः मेरे मित्र से मेरा निवेदन है कि इस तथ्य की दृष्टि से कि आप प्रत्येक से यह सुन रहे हैं और आप विद्यार्थियों, श्रमिक में अशांति और कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के रूप में देश में हर जगह चेतावनी का सामना कर रहे हैं, आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इस संकल्प को स्वीकार करें। यदि योजना आयोग समस्त श्रमिक बल को खपाने में कठिनाई महसूस करे तो बेरोजगारी को दूर करने और उन बेरोजगार व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप एक विशेष निधि का सृजन कर सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने पहले ही बेरोजगारी भत्ता देना आरम्भ कर दिया है अथवा उन्होंने बेरोजगारी योजनाएं आरम्भ की हैं जिन्हें आप भी अपना सकते हैं और इस प्रकार इस देश में हर एक को रोजगार दिला सकेंगे। इस प्रकार आप शांति कायम रख सकेंगे और उन्नति कर सकेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ कई सदस्यों ने मांग की है कि इस पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों हुआ है कि इस आर्थिक प्रणाली से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है? यदि इसे बदलना आवश्यक हो तो, हमें इसे बदलना चाहिए, और एक साहसिक कदम उठाना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे सभी योजनाएं जो आपने आरम्भ की हैं उनका

दृढ़ता से पालन हो रहा है। लेकिन इसमें उन लोगों का जो इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वियन में बाधक हैं सामना करने के लिए राजनीतिक इच्छा और साहस की आवश्यकता है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री नामग्याल को बुलाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किए गए हैं और यह अवधि समाप्त हो गई है। अभी भी इस ओर लोगों को बोलना है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : मेरे विचार से इसे एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, हम चर्चा का समय और एक घंटा बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है सदन चर्चा के समय में एक घंटे की वृद्धि पर सहमत है।

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मेरे संकल्प के बारे में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संकल्प सुरक्षित है। यदि इसे अगली बार में भी लिया जाए, तो भी यह पहला ही रहेगा। नियमों में इसकी अनुमति है। अतः, आपका संकल्प यथावत है। निदेश 9 क के अन्तर्गत, यह रखा जाएगा।

मैं प्रत्येक सदस्य से चाहता हूं कि वे 8 से 10 मिनट का ही समय लें। अब श्री नामग्याल बोलें।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। जो रिजोल्यूशन श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने ऐवान में रखा है मैं इसकी ताईद करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक राइट टू वर्क का सवाल है यह होना चाहिए। लेकिन किस ढंग से होना चाहिए, कैसे इमप्लीमेंट करना चाहिए, इसमें काफी सोच विचार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अन-एम्पलायमेंट को चाहे एजूकेटेड की बात हो या अन-एजूकेटेड की बात हो, इस मसले को हम कभी सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान न दें। हमारी पोपूलेशन का जो एक्सप्लोजन होता जा रहा है, उसको कन्ट्रोल करने का कोई तरीका जब तक न सोचा जाये यह नहीं हो सकता। आपको पता है कि हर साल हमारे मुल्क में 2 करोड़ 20 लाख नये इन्सानों की नेट पोपूलेशन बढ़ जाती है। उसके लिए हमारे पास जितने प्रोजेक्ट हैं, उनमें उनको एम्पलायमेंट देना, खाना देना, या रोटी, कपड़ा और घर का जो मसला है, वह हम हल नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मैं फैमिली प्लानिंग को समझता हूं और इस पर टाप-मोस्ट जोर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल, परिवार नियोजन पर बोलने से पहले आपको यह अवश्य घोषित करना चाहिए कि आपके कितने बच्चे हैं। तभी आप इस पर बोलने योग्य हैं।

श्री पी० नामग्याल : मेरे केवल तीन बच्चे हैं। लेकिन, जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह लगभग 1 लाख किलोमीटर है और वहाँ रहने वालों की संख्या 1 लाख 30 हजार है। अतः वहाँ जनसंख्या वृद्धि के अधिक अवसर है। इसलिए जहाँ तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था वह यह है, जैसा और भी मेरे मुअज़िज साथियों ने कहा है कि हमारे मुल्क की 76 फीसदी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डायरेक्टली डिपेन्डेंट है। उसके लिए लैंड रिफार्म का होना बहुत जरूरी है। लैंड-रिफार्म कई स्टेट्स में बहुत पहले से इम्पलीमेंट किया गया है, जैसे कि जम्मू-काश्मीर है। लेकिन वैसा लैंड-रिफार्म भी नहीं होना चाहिए। जैसा जम्मू व काश्मीर स्टेट में है। उस लैंड रिफार्म में एक ऐसा नुरूम है कि जो लैंड ओनर्स थे, वह लैंडलेस बन गए और जो लैंडलैस थे वह ओनर बन गए। एक जगह से एक को हटाकर दूसरे को आबाद करना भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम लैंड सीलिंग फिक्स होनी चाहिए। हमारी एग्रीकल्चरल लैंड-रिफार्म के लिए मैक्सिमम सिलिंग लिमिट तो है, लेकिन इसके लिए मिनिमम लिमिट भी होनी चाहिए। अगर लैंड रिफार्म एक्ट में लोअर लिमिट नहीं रखा जाए तो वह अन-इक्नामिकल हो जाती है। यह भी एक गम्भीर मसला है। इसलिए लैंड-रिफार्म का सही ढंग से होना बहुत जरूरी है।

अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के 20-सूत्री प्रोग्राम को गौर से पढ़ेंगे और इम्पलीमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क की अन-एम्पलायमेंट का मसला हल न हो जाये। इसमें सबसे ज्यादा जोर फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर है। बाकी 20 प्वाइंट प्रोग्राम में जो है, अगर सिन्सियरली हम उन्हें इम्पलीमेंट करेंगे तो यह मसला हल किया जा सकता है। लेकिन अकेले खाली प्राइम मिनिस्टर साहिबा की दौड़-धूप से हमारे मसले हल नहीं होंगे। जब तक हम लोग चाहे इधर के हैं या उधर के हैं, मिलकर सिंसियरली काम न करें लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सबको मिलकर सिन्सियरली काम करने की जरूरत है। जैसाकि मैंने आपसे पहले अर्ज किया, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में पापुलेशन बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद अनएम्पलायमेंट का मसला है। जितने भी सौ-पचास एजूकेटेड लोग वहाँ पर निकले हैं, उनको भी अभी तक एम्पलायमेंट नहीं मिल सका हैं। अव्वल तो जो टेक्निकल कालेजेज हैं उनमें दाखला मिलना ही मुश्किल रहता है। मेडिकल कालेज में एडमीशन का ही मसला लीजिए। हमारे स्टेट में चार साल मुतवातिर जो कैंडीडेट मेरिट पर आए थे उनको नहीं लिया गया बल्कि सिलेक्शन सिफारिश और पोलिटिकल कंसीडिरेशन से किया गया और

सुप्रीम कोर्ट ने मुतवातिर चार साल जम्मू कश्मीर में सेलेक्शन लिस्ट को स्ट्रक-डाउन किया लेकिन चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में लेह में ग्राफिसर्स की एक मीटिंग में कहा है कि चाहे मैं खत्म हो जाऊं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है उसको नहीं मानूंगा। इन हालात में मैं तो नहीं समझता कि अनएम्पलायमेंट का मसला हल हो पायेगा। ग्रौर खासकर मेरी कांस्टीटूएन्सी जिसमें बहुत थोड़े से लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनके एम्पलायमेंट का जो मसला है वह इन हालात में भी हल होने वाला नहीं है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यही वजूहात है जिनकी वजह से ग्राज ग्रसम में एजिटेशन हो रहा है। शुरू-शुरू में जैसाकि कहा गया था-- मेरे साथी मुझे माफ करेंगे-- कहते हैं कि वहां के लोग काम नहीं करते हैं इसीलिए बाहर से वहाँ पर काम करने वाले लोग जाते थे और थोड़े से पैसों पर नौकरी कर लेते थे लेकिन ग्रब वहां पर एक स्टेज ग्रा गई है कि बाहर से ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ दाखिल हुए ग्रौर नतीजा यह एजिटेशन ग्रापके सामने है। इसलिए सेन्सिटिव ट्राइबल ग्रौर बार्डर एरियाज की तरफ सरकार को ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने एक बात यह कही है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको एबालिश होना चाहिए ग्रौर हर जगह एक ही स्टैण्डर्ड की तालीम दिलाई जानी चाहिए। मैं उनकी इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में सैलरीड परसन्स ग्रौर इन्कम टैक्स पेयर्स के बच्चे ही पढ़ सकते हैं ग्रौर ग्रच्छी तालीम के बाद उन्हीं को अच्छी नौकरी भी मिलती है। नतीजा यह होता है कि रूरल एरियाज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिलता है। लिहाजा एजूकेशन पालिसी में भी तरमीम करने की निहायत जरूरत है। जब तक पब्लिक स्कूल्स रहेंगे, यह मसला ग्रौर भी बढ़ता चला जाएगा। अभी भी वक्त है सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

सर्विसेज में रिटायरमेन्ट एज का जहाँ तक सवाल है, ज्यादातर स्टेट्स में यह 55 साल है और सेन्ट्रल सर्विसेज में 58 साल है और कई जगह पर 60 साल भी है। मेरा सुझाव यह है कि मल्क की सारी सर्विसेज में, ख्वाह वह सेन्टर की हो, ग्रार्मी सर्विसेज हों या कोई भी सर्विस हो सभी में एक यूनिफार्म रिटायरमेन्ट एज होनी चाहिए ग्रौर मेरी राय से 55 साल होनी चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि बहुत सारे लोगों को जल्दी नौकरी का मौका मिल जाएया। यदि 55 साल की उम्र पर लोग रिटायर होंगे तो ग्रनएम्पलायमेंट का भी मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा।

यही दो-चार बातें मैं ग्रापके सामने रखना चाहता था। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो रियोल्यूशन पेश किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं और मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको कुछ न कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। धन्यवाद!

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं और अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस संशोधन को इससे पहले नहीं कर सका था. उसको अब पेश कर रहा हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

संकल्प के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए एक रोजगार सुनिश्चित किया जाए।"

'काम करने के अधिकार' के इस मामले पर इस सदन में अथवा इस देश में दो राय नहीं हो सकती हैं। परन्तु समस्या यह है कि इसे सुनिश्चित कैसे किया जाए। यह भी सबको मालूम है कि जब तक यहाँ पर पूंजीवादी प्रणाली है, जब तक वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, तब तक बेरोजगारी समस्या का कोई समुचित हल नहीं निकल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वर्ग, जो काम नहीं करता है, अनेक लोगों द्वारा पैदा की गई सम्पदा को जमा करता है, वही वर्ग अपनी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ाने के लिए मुद्रा-स्फीति पैदा करता है और जब क्रय शक्ति घटती है तो कामगार मन्दी का शिकार हो जाता है, और फिर मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए यह स्थिरता लाने के लिए दोनों को जोड़ देता है। और इन सभी कार्य कलापों में श्रमिकों पर जो खेतों में अथवा फैक्ट्रियों में या आफिसों में अथवा कहीं पर भी काम करते हैं और सम्पत्ति पैदा करते हैं उन पर चोट पड़ती है मैं इस मुद्दे पर जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा जब यह प्रणाली —पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था उलटा दी जायेगी।

इसके लिए मैं केवल सत्ताधारी दल को दोष दूंगा। लेकिन यदि वे हम पर दोषा-रोपण करते हैं तो मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता मैं इसका जवाब दूंगा कि हम इस प्रणाली को उलट देने की स्थिति में नहीं हैं और न हम इस स्थिति में हैं कि हम देश के सारे श्रमिकों को आन्दोलन खड़ा करने और देश की वर्तमान व्यवस्था को उलटा देने के लिए तैयार कर सकें। मैं अपनी इस असमर्थता पर भी अपराधी महसूस करता हूं कि हमारे देश में श्रमिक वर्ग को तैयार करने में हम असमर्थ रहे हैं।

यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतम क्या किया जा सकता है। यदि सत्ताधारी पार्टी इससे सहमत होती है तो जब सत्ताधारी दल के एक महासचिव द्वारा एक संकल्प पेश किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी कथनी और करनी एक है। मेरा विचार है कि इस संकल्प को पेश करने में किसी भी सचेतक को कोई आपत्ति नहीं है तो हम इसे अपने हाथ में लेते हैं और देशवासी इसे इस रूप में लें कि सत्ताधारी दल इसके प्रति वचनबद्ध है और तब एक औपचारिक विधेयक के रूप में यह सामने आएगा और इसे हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल कर लिया

जायेगा। अन्यथा यह सीधे-सीधे एक पाखण्ड है हमारे समय की बर्बादी है और लोगों को ठगना है। मेरे विचार से सारा सदन इस बात से सहमत होगा।

मैं कुछ और भी करना चाहता हूं। माना इसे हम संविधान में शामिल कर लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है कि काम का अभाव है लेकिन ... मान्य प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होता है। यहां तक कि सामाजिक व्यवस्था के अवशेष भी रोजगार पैदा करने और रोजगार की क्षमता पुनर्गठित करने और लोगों को उत्पादकता में लगाने की अनुमति नहीं देते हैं। यही समस्या है। मेरा संशोधन पेश करने का यही कारण है कि एक आदमी के लिए एक व्यवसाय सुनिश्चित किया जाए। इस समय की हालत क्या है? जब भी किसी पद के लिए कोई विज्ञापन निकलता है कुल आवेदन-कर्त्ताओं में से 80 प्रतिशत आवेदन-कर्त्ता वे होते हैं जो पहले से ही किसी काम पर लगे हैं। इसलिए वे शेष 20 प्रतिशत लोग, जो वास्तव में बेरोजगार हैं, प्रायः बेरोजगार ही रहते हैं। क्योंकि जो रोजगार में लगे हैं वे भी बेहतर रोजगार के लिए आवेदन करते रहते हैं वह चाहे कोई भी रोजगार हो वे सोचते हैं कि यह अधिक उपयुक्त काम है।

दूसरा पहलू हमारे समाज का है हमारे लोगों का एक वर्ग,...मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं—एक ही समय में राजनीति में, प्रशासन में, न्यायिक सेवा में और व्यावसायिक लाइन में काम करता हो उसके पास अनेक काम हैं। एक आदमी के पास 20 ऐकड़ जमीन है परन्तु वह बेरोजगार होने की वजह से भटक रहा हैं। कम से कम जब तक जमीन है नहीं, जब तक जमीन है वह नहीं है। जमीन को केवल सुरक्षा के बतौर लिया जाता है इसको खाद्यान्न पैदा करने अथवा देश की सम्पदा के विकास के लिए साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।

इसलिए देश को कुछ तरीके अपनाने होंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिन्दगीभर के लिए मुख्य व्यवसाय चुन सके। मान लिया जाए मेरे पास 500 रु० प्रतिमाह की आमदनी है और मेरे पास जमीन भी है। मैं अपनी जमीन में क्यों नहीं फसल उगा सकता हूं। लेकिन मैं यही नहीं चाहता हूं जब तक मेरे पास जमीन है मेरे बच्चे खेती करें। मै यह नहीं सोचता हूं कि तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे सपने देखेंगे कि उनके बच्चे खेती करें। वे ऐसा पसन्द नहीं करते हैं। तब आप जमीन के मालिक क्यों बने हुए हैं? और जो वास्तव में जीवनभर खेती करना चाहते हैं उनके पास जमीन नहीं है। इस कारण हमारी कृषि को नुकसान हो रहा है। फार्मों के उत्पाद को नुकसान होता है आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में और स्वयं रोजगार के प्रयासों में धन खर्च नहीं करते हैं।

सौभाग्य से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन स्थानों में लोग देश के पश्चिमी भाग से शरणार्थियों के रूप में आए और यहीं बस गए

हैं। अन्यथा यदि आप देश के पूर्वी भाग की ओर जाएं तो आपको हर जगह एक ही समस्या मिलेगी। समस्या यह है कि एक भी अवकाश प्राप्त इंजिनियर अथवा प्रोफेसर के पास अपना रोजगार नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत लाभ के लिए वे चाहते हैं कि उनको मरने के बाद भी अवकाश ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके लिए वे इस या उस संसद सदस्य से, मन्त्री से मिलते रहते हैं। यह दूसरी बात है, या वे कुछ जमीन अथवा मकान खरीद लेते हैं।

देश में सम्पत्ति का उत्पादन करने और मानवता के लिए उत्पादन के प्रयास करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक समस्या भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कहा है कि हमें ऐसा विधान बनाना चाहिए जहाँ पर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार उसकी जिन्दगी भर के लिए सर्वोत्तम सम्भावित व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य होना पड़े और जहाँ पर हमारे देश के पुनर्निर्माण के लिए वह अपनी शक्ति, संसाधनों और क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है।

एक पहलू तो यह है कि प्रत्येक आदमी को स्वयं के लिए रोजगार मिलना चाहिए। मुख्य बात यह है कि देश के पुनर्निर्माण में देश की सारी युवा शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सदन अथवा सर्वशक्तिमान लोगों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो व्यर्थ चली गयी युवाशक्ति को पुन: लौटा सके। इसलिए होना यह चाहिए कि एक व्यक्ति को एक काम की गारन्टी मिले। और उत्पादक रोजगार को मूलभूत अधिकारों से जोड़ा जाय। यदि आप वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली में इन्हें जोड़ते हैं तो हम कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं और जिन लोगों को निजी रोजगार की सेवाएं नहीं मिलती हैं उन्हें सरकार साधन, उपकरण और धन दे सकती है ताकि निजी रोजगार से वे अपनी देखभाल कर सकें और देश के लिए भी पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। इनको जोड़ा जाना चाहिए और केवल ऐसा करने से ही सामाजिक और आर्थिक समस्याएं कुछ हद तक हल हो सकती हैं और हम इन समस्याओं से आंशिक रूप से निबट सकते हैं। इसलिए मैंने यह संकल्प पेश किया है और मैं पुन: अपनी बात दोहराता हूं कि यदि संकल्प को गम्भीरतापूर्वक पेश किया जाता है तो सत्ताधारी दल को सदन के विचारार्थ संशोधन विधेयक लाने हेतु आगे आना चाहिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी का बड़ा आभारी हूं और उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज देश के सर्वोच्च सदन में एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसका सीधा सम्बन्ध देश के करोड़ों-करोड़ शोषित, सर्वहारा, दलित, गरीब मजदूर, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों से है।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने इस देश की आधे से अधिक जनसंख्या के लोगों के हृदय को छू कर, उनकी कठिनाइयों को समझकर और उनकी वेदनाओं को समझकर यह संकल्प प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, 'काम का अधिकार' संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए—इसलिए यह संकल्प पेश किया गया है। मेरे जैसा छोटी बुद्धि का आदमी यह मान कर चलता है कि काम का अधिकार जन्म-सिद्ध अधिकार है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आदमी को काम नहीं मिलेगा तो वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा, किस तरह से अपने खर्च को चलाएगा और कैसे अपना जीविकोपार्जन करेगा।

श्रीमन्, हमारे भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है—राईट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज हम समान हैं? क्या इस मुल्क में असमानता नाम की कोई चीज नहीं है? हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर असमानता इस मुल्क में विद्यमान है जबकि भारत के संविधान में समता का अधिकार मौजूद है। हमारे संविधान में **राईट टू फ्रीडम**, स्वतन्त्रता का अधिकार भी है लेकिन क्या हम स्वतन्त्र हैं? रात को 1 बजे या 2 बजे कोई यात्री ट्रेन से उतर कर आता है, तो मामूली सा सिपाही उसको डंडे मार कर बन्द कर देता है दफा 109 में। क्या यह स्वतन्त्रता है?

तीसरे हमारे संविधान में अधिकार **राईट एगेन्स्ट एक्सप्लायटेशन** शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हम शोषण से मुक्त हैं? क्या हमारा शोषण नहीं हो रहा है। मैं आज इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में गरीब और कमजोर लोगों का तरह तरह से शोषण होता है और हो रहा है। आये दिन इस सदन में और पूरे देश में यह बात देखने को मिलती है।

चौथा है धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, राईट टू **फ्रीडम आफ रिलीजन**। क्या हम धार्मिक रूप से स्वतन्त्र हैं? आज भी मंदिरों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों, अछूतों को, गिरीजनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। धार्मिक पूजा-पाठ करने का क्या हमारे पास अधिकार है और क्या हम धार्मिक रूप से स्वतन्त्र हैं?

पांचवा है **कल्चर एण्ड एजूकेशन** का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। क्या इस देश में जो बच्चा पैदा होता है, उस प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा और समान संस्कृति का अधिकार प्राप्त है? इस देश में ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, जिनके बच्चे नगरपालिका और जिला परिषदों के स्कूलों में पढ़ते हैं और वहां के अध्यापकों की क्या हालत है, मैं इसको बयान नहीं करना चाहता और इसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं, जिनके बच्चे कन्वेन्ट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या

शिक्षा और संस्कृति का हमको समान अधिकार है ? क्या सब को समान अधिकार इस मामले में है ।

छटा है राईट टू प्रोपर्टी, सम्पत्ति का अधिकार । 15 अगस्त, 1947 से पहले इस देश में टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी और सिंघानिया की हालत को देखिए और आज उनकी हालत को देखिए । सम्पत्ति का अधिकार तो गिने-चुने लोगों के लिए ही है और इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए नहीं है ।

सातवां है राईट टू कांस्टीट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार यह भी अधिकार खास लोगों के लिए ही है और देश की जो साधारण जनता है, उसको इसका फायदा नहीं मिला है । मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर 'काम के अधिकार' को इन 7 अधिकारों के अलावा आठवां अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाए, तो कौन सा गजब हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा और कौन सा आकाश टूट पड़ेगा । बावजूद इसके मैं यह मानता हूं कि आज देश में परिस्थिति ऐसी है, आज देश में माहौल ऐसा है और आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारी सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती । इसके भी कारण हैं और एक कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति दूषित है । हमने जोब-ओरियेन्टेड एजूकेशन को नहीं अपनाया है । किताबी ज्ञान हमको मिलता है, जिसका नतीजा यह होता है कि जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, कन्वेन्ट स्कूलों में पढ़ते हैं और जो बड़े-बड़े लोगों के बच्चे हैं, वे अच्छी-अच्छी पोस्टों पर चले जाते हैं और गरीब अपनी जगह पर जहां का तहां रहता है ।

श्रीमन्, चन्दूलाल चन्द्राकर साहब ने जो संकल्प पेश किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाए । उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि काम के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करे ।

यह बात सही है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है । अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की तारीख में लगभग दो लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलानी आपको एक मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर लेना है ?......एक या दो मिनट, ठीक है न, आप अगली बार अपनी बात फिर कह सकते हैं ।

सभा कल, शनिवार को 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है। सदन की बैठक कल को भी होगी।

श्री रामावतार शास्त्री : शनिवार को भी आप हमें बुला रहे हैं?

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा शनिवार, 19 मार्च 1983/28 फाल्गुन 1904 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली।